

भारतीय रिज़र्व बैंक
बुलेटिन



मई 2021

खंड 75 अंक 5

अध्यक्ष

माइकल देब्रत पात्र

संपादन समिति

देबा प्रसाद रथ

राजीव रंजन

सितीकांत पट्टनाईक

जी. पी. सामंता

पल्लवी चव्हाण

स्नेहल हेरवाडकर

संपादक

शशीधर एम. लोकरे

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है। हस्ताक्षरित लेखों में व्यक्त विचारों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2021

सर्वाधिकार सुरक्षित।

सामग्री के पुनः प्रयोग की अनुमति है,

बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन के सदस्यता शुल्क के लिए कृपया “भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के महत्वपूर्ण प्रकाशन” खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से

<https://bulletin.rbi.org.in> पर भी देखा जा सकता है।

विषय-वस्तु

गवर्नर का वक्तव्य

गवर्नर का वक्तव्य 1

भाषण

भारत में मुक्त (ओपन) बैंकिंग
एम. राजेश्वर राव 7

आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति 13

महामारी के दौरान एनबीएफसी का कार्यनिष्पादन: एक संक्षिप्त विवरण 41

रिपोर्ट

राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिमों पर
सलाहकार समिति की रिपोर्ट 55

वर्तमान सांख्यिकी 121

हाल के प्रकाशन 167

गवर्नर का वक्तव्य

गवर्नर का वक्तव्य

गवर्नर का वक्तव्य*

शक्तिकांत दास

वित्तीय वर्ष के रूप में 2020-21 - महामारी का वर्ष – खत्म होने के कगार पर था, पीअर्स के सापेक्ष, भारतीय अर्थव्यवस्था लाभप्रद रूप से तैयार की गई थी। भारत एक मजबूत बहाली की तलहटी में था, जिसने सकारात्मक संवृद्धि हासिल की, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि संक्रमण वक्र समतल हो गया। तब से कुछ हफ्तों में, स्थिति काफी बदल गई है। आज, भारत संक्रमण और मृत्यु दर की भयानक वृद्धि से लड़ रहा है। नया म्यूटेंट स्ट्रेन उभरा है, जिससे स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा सुविधाओं, वैक्सीन की आपूर्ति और फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों पर गंभीर दबाव पड़ा है। नए संकट अभी भी सामने आ रहे हैं। भारत ने जीवन बचाने के लिए, घरेलू और विश्व स्तर पर, वैक्सीन और चिकित्सा सहायता के लिए, एक रक्षात्मक रक्षा मुहिम शुरू की है।

इसके साथ-साथ, आजीविका को बचाना और कार्यस्थलों, शिक्षा और आय में सामान्य स्थिति बहाल करना अनिवार्य हो जाता है। पिछले समय की तरह ही, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) उभरती हुई स्थिति की निगरानी करना जारी रखेगा और राष्ट्र की सेवा में अपने सभी संसाधनों और उपकरणों को तैनात करेगा, विशेष रूप से, दूसरी लहर से भयभीत हमारे नागरिकों, व्यापारिक संस्थाओं और संस्थानों के लिए। जिस विनाशकारी गति के साथ वायरस देश के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है, उसे तेजी से और व्यापक कार्रवाई से मेल कराना होगा जो कि कैलिब्रेटेड, अनुक्रमित और अच्छी तरह से समयबद्ध हो ताकि समाज और कारोबार के विभिन्न वर्गों तक, सबसे निचले और सबसे कमजोर तक इसकी पहुंच हो सके। ऐसा करते हुए, हमारी प्रशंसा और कृतज्ञता हमारे देश के बहादुर नागरिकों, हमारे डॉक्टरों, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा कर्मियों, पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य अधिकारियों को जाती है, जो एक वर्ष से अधिक समय तक फंटलाइन में रहने के

बाद भी दूसरी लहर में निस्वार्थ और अथक रूप से लड़ रहे हैं। हमारे राष्ट्र के लिए उनकी सेवाओं की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। वित्तीय बाजारों और आरबीआई संचालन के विभिन्न क्षेत्रों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई की क्वारंटाइन सुविधाएं 250 से अधिक आरबीआई कर्मियों और सेवा प्रदाताओं - जो अपने घरों से दूर हैं - के माध्यम से जारी हैं।

जब से महामारी शुरू हुई है, मैंने कई अवसरों पर सभी बाधाओं से निकलने के लिए भारत के लचीलेपन और क्षमता पर अपना वास्तविक विश्वास व्यक्त किया है। महात्मा गांधी को उद्धृत करते हुए - "मेरा विश्वास अभेद्य अंधकार के बीच सबसे उज्ज्वल है।" एक वर्ष से, हमने महामारी की घातक पकड़ से खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष किया है। मध्य-सितंबर और फरवरी के बीच, एक देश के रूप में, हमने ऐसे समय में संक्रमण को कम करने का प्रबंधन किया, जब दुनिया के बाकी हिस्से वायरस के दुर्भाग्यपूर्ण बढ़त के साए में थे। इस बार, हमें सामान्य स्थिति और मजबूत स्वास्थ्य की ओर लौटने के लिए अपने संसाधनों को मजबूत करना, नए सिरे से संघर्ष करना, और इस पर काबू पाने के लिए मेहनत करनी होगी।

वर्तमान आर्थिक स्थिति का आकलन

इससे पहले कि मैं उन उपायों को निर्धारित करूं जो आरबीआई महामारी के खिलाफ एक कैलिब्रेटेड और व्यापक रणनीति के पहले भाग के रूप में शुरू करने का प्रस्ताव कर रहा है, मुझे उस समष्टिआर्थिक और वित्तीय स्थितियों पर विचार करना चाहिए जो विद्यमान हैं, ताकि उन स्थिति जिन पर आज के उपायों को किया जा रहा है, की प्रशंसा की जा सके।

वैश्विक अर्थव्यवस्था बहाली के पर्याप्त संकेत प्रदर्शित कर रही है चूंकि कई देश मौद्रिक और राजकोषीय प्रोत्साहन द्वारा समर्थित संवृद्धि के साथ अपने प्रयासों को नवीनीकृत करते हैं। अभी भी, गतिविधि विभिन्न देशों और क्षेत्रों में असमान है। आउटलुक अभी भी अत्यधिक अनिश्चित है और नकारात्मक जोखिमों के साथ छिपा हुआ है। अप्रैल 2021 में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपने वैश्विक संवृद्धि प्रक्षेपण 2021 के लिए

* गवर्नर का वक्तव्य, 5 मई 2021

¹ स्रोत : माइंड ऑफ महात्मा गांधी-132 (ईडि. प्रभु एंड राव), तीसरा एडि., 1968

6.0 प्रतिशत (जनवरी 2021 में 5.5 प्रतिशत अनुमानित) पर संशोधित किया, यह अनुमान लगाते हुए कि 2021 की गर्मियों तक टीके उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) में और कुछ उभरते हुए बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में और 2022 की दूसरी छमाही तक अधिकांश अन्य देशों में उपलब्ध होंगे। विश्व व्यापारिक व्यापार ने अपना हालिया अपट्रेंड बनाए रखा, जिसने फरवरी 2021 में वर्ष-दर-वर्ष (वाई-ओ-वाई) आधार पर 5.4 प्रतिशत की वृद्धि की। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति प्रमुख ईई के लिए सौम्य बनी हुई है; कुछ ईएमई में, हालांकि, यह वैश्विक खाद्य और क्मोडिटी की कीमतों में मजबूती के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। वैश्विक वित्तीय बाजारों ने फरवरी- मार्च में अस्थिरता के मुकाबलों के बाद वैक्सीन आशावाद के कारण अप्रैल में, सुधार के बाद, उछाल हासिल किया।

घरेलू गतिविधियों पर आगे बढ़ते हुए, कृषि क्षेत्र के लचीलेपन से कुल आपूर्ति की स्थिति को कम करके आंका गया है। 2020-21 में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन और बफर स्टॉक अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को ग्रामीण मांग, रोजगार और कृषि आदानों और आपूर्ति, जिसमें निर्यात शामिल है, के रूप में खाद्य सुरक्षा और सहायता प्रदान करते हैं। भारत के मौसम विभाग (आईएमडी) द्वारा एक सामान्य मानसून का पूर्वानुमान, 2021-22 में ग्रामीण मांग और समग्र उत्पादन को बनाए रखने की उम्मीद रखता है, जबकि मुद्रास्फीति के दबाव पर भी सुखद प्रभाव पड़ता है।

सकल मांग की स्थिति, विशेष रूप से संपर्क-गहन सेवाओं में एक अस्थायी गिरावट देखने की संभावना है, यह प्रकट होनेवाली कोविड स्थिति पर निर्भर करता है। प्रतिबंध और रोकथाम के उपाय स्थानीयकृत और लक्षित होने के साथ, व्यवसाय और परिवार इसे अपनाना सीख रहे हैं। नतीजतन, एक वर्ष पहले की तुलना में सकल मांग में कमी मध्यम होने की उम्मीद है। रिपोर्ट बताती है कि अब तक विनिर्माण इकाइयों में व्यवधान न्यूनतम है। जनवरी-मार्च 2021 में उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री दोहरे अंकों में बढ़ने के साथ उपभोक्ता मांग बढ़ रही है, और अप्रैल में वर्ष-दर-वर्ष औसतन 40.0 प्रतिशत बिजली की खपत हो रही है। रेल माल ढुलाई में अप्रैल में 76 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल में टोल संग्रह से पता चलता है कि गतिशीलता में गिरावट आई है लेकिन पिछले वर्ष अप्रैल के दौरान गतिशीलता

में अचानक ठहराव के विपरीत है। अप्रैल 2021 में ऑटोमोबाइल के पंजीकरण ने मार्च की तुलना में नरमी दिखाई है। ट्रैक्टर क्षेत्र ने अपनी मजबूत गति जारी रखी है। विनिर्माण के लिए क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) पिछले माह के 55.4 की तुलना में अप्रैल 2021 में 55.5 के बढ़त मोड में जारी रहा। कुल मिलाकर, उच्च आवृत्ति संकेतक मिश्रित संकेतों का उत्सर्जन कर रहे हैं। रिजर्व बैंक समष्टि -आर्थिक और वित्तीय स्थितियों पर दूसरी लहर के प्रभाव का आकलन करने में वास्तविक समय के आधार पर प्राप्त हो रहे सभी डेटा का बारीकी से और लगातार निगरानी रखेगा।

सीपीआई मुद्रास्फीति मार्च 2021 में एक माह पहले के 5.0 प्रतिशत से बढ़कर 5.5 प्रतिशत हुई जिसका कारण खाद्य में बढ़ोतरी के साथ-साथ ईंधन मुद्रास्फीति था जबकि कोर मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर बनी रही। उपभोक्ता कार्य विभाग (डीसीए) से प्राप्त अप्रैल 2021 के लिए उच्च आवृत्ति खाद्य कीमतों के आंकड़ों से पता चलता है कि अनाज और प्रमुख सब्जियों की कीमतों में और नरमी आई है जबकि दालों और खाद्य तेलों में मूल्य दबाव बना हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अप्रैल में कुछ कमी दर्ज की गई। बढ़ती डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति के साथ विनिर्माण और सेवाएं पीएमआई इनपुट मूल्य दबाव की दृढ़ता दिखाती हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की 12 मई की प्रकाशनी अप्रैल में मुद्रास्फीति के विकास पर अधिक प्रकाश डालेगी। आगे, एक सामान्य दक्षिण-पश्चिम मानसून, जैसा कि आईएमडी द्वारा पूर्वानुमान किया गया है खाद्य मूल्य दबावों, विशेष रूप से अनाज और दालों को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। क्षेत्रों में इनपुट मूल्य दबावों का निर्माण, बढ़े हुए वैश्विक क्मोडिटी की कीमतों के कारण, चिंता का विषय बना हुआ है। शेष वर्ष के लिए मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र कोविड -19 संक्रमण और आपूर्ति श्रृंखला और लोजिस्टिक्स पर स्थानीय नियंत्रण उपायों के प्रभाव से आकार लेगी।

बाहरी क्षेत्र में, भारत का व्यापारिक निर्यात और आयात मार्च 2021 में तेजी से बढ़ा। संपूर्ण रूप से वर्ष 2020-21 के लिए, व्यापारिक व्यापार घाटा एक वर्ष पहले के 161 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम होकर 98.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी प्रारंभिक आंकड़ों से संकेत मिलता है कि अप्रैल 2021 में भारत का व्यापारिक निर्यात

और आयात वैविध्यपूर्ण मजबूत संवृद्धि प्रदर्शन के साथ जारी रहेगा। चालू खाते का शेष, जिसमें जनवरी 2020 से सितंबर 2020 तक अधिशेष दर्ज किया जा रहा था, उसमें बदलाव देखा गया और 2020-21 की तीसरी तिमाही में जीडीपी के 0.2 प्रतिशत के मामूली घाटे में बदल गया। 30 अप्रैल 2021 को विदेशी मुद्रा भंडार 588 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इससे हमें वैश्विक स्पिलओवर से निपटने का विश्वास मिलता है।

प्रचुर और अधिशेष प्रणाली चलनिधि के कारण घरेलू वित्तीय स्थिति आसान बनी रहती है। चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत औसत दैनिक निवल चलनिधि अवशोषण अप्रैल 2021 ₹5.8 लाख करोड़ था। ₹25,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए 15 अप्रैल 2021 को आयोजित जी-एसएपी 1.0 के तहत पहली नीलामी में उत्साहजनक प्रतिक्रिया देखी गई, जैसा कि 4.1 के बिड-कवर अनुपात में परिलक्षित होता है। जी-एसएपी ने जी-सेक प्रतिफल में सौम्य पूर्वाग्रह को उत्पन्न किया है जो तब से जारी है। बाजार से इस सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि जी-एसएपी 1.0 के तहत ₹35,000 करोड़ की सकल राशि के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की दूसरी खरीद 20 मई 2021 को आयोजित की जाएगी। प्रणाली में चलनिधि सुनिश्चित करने के साथ, अब रिज़र्व बैंक संवृद्धि के आवेगों का, विशेष रूप से जमीनी स्तर पर, समर्थन करने के लिए तेजी से अपनी चलनिधि परिचालन के उपयुक्त उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

अतिरिक्त उपाय

दूसरी लहर के खिलाफ लड़ाई में, सभी हितधारकों - सरकार, अस्पतालों और औषधालयों, फार्मेशियों, वैक्सीन/दवा निर्माताओं/आयातकों, चिकित्सा ऑक्सीजन निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं, महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला में लगे निजी ऑपरेटरों के लिए वित्तपोषण पक्ष से किसी भी बाधा को कम करना, और सभी आम आदमी के ऊपर जो स्वास्थ्य व्यय में अचानक वृद्धि का सामना कर रहे हैं - को व्यापक लक्षित नीति प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। जमीनी स्तर पर छोटे व्यवसाय और वित्तीय संस्थाएं संक्रमण की दूसरी लहर का सबसे बड़ा खामियाजा भुगत रही हैं। इस पृष्ठभूमि में और समष्टि आर्थिक स्थिति और वित्तीय बाजार की स्थितियों के हमारे निरंतर मूल्यांकन के आधार पर, हम निम्नानुसार अतिरिक्त उपाय करने

का प्रस्ताव करते हैं।

आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए ₹50,000 करोड़ की सावधि चलनिधि सुविधा

देश में कोविड से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं में तेजी लाने के लिए तत्काल चलनिधि के प्रावधान को बढ़ावा देने हेतु, रेपो दर पर तीन वर्ष तक की अवधि के साथ ₹50,000 करोड़ की मांग पर चलनिधि विंडो 31 मार्च 2022 तक खोली जा रही है। इस योजना के तहत, बैंक, वैक्सीन उत्पादकों, टीके और प्राथमिक चिकित्सा उपकरणों के आयातक/आपूर्तिकर्ता; अस्पताल/औषधालय; पैथोलॉजी लैब; ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के निर्माणकर्ता और आपूर्तिकर्ता; टीके और कोविड संबंधित दवाओं के आयातक; लॉजिस्टिक फर्मों और रोगियों के इलाज सहित कई प्रकार की संस्थाओं को नई ऋण सहायता प्रदान कर सकते हैं।

31 मार्च 2022 तक इस तरह के ऋण देने के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र वर्गीकरण में विस्तार के माध्यम से इस योजना के तहत ऋण के त्वरित वितरण के लिए बैंकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन ऋणों को चुकौती या परिपक्वता, जो भी पहले हो, तक प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। बैंक इन ऋणों को, उधारकर्ताओं को सीधे या रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित मध्यस्थ वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वितरित कर सकते हैं। बैंकों से योजना के तहत एक कोविड ऋण बही बनाने की उम्मीद की जाती है। अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में, ऐसे बैंक प्रतिवर्ती रेपो विंडो के तहत रिज़र्व बैंक के पास कोविड ऋण बही के आकार तक अपनी अधिशेष चलनिधि को रखने के लिए पात्र होंगे, जिसका दर रेपो दर से 25 बीपीएस कम होगा या इसे दूसरे तरीके से कहा जाए तो प्रतिवर्ती रेपो दर की तुलना में 40 बीपीएस अधिक होगा।

लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए विशेष दीर्घावधि रेपो परिचालन (एसएलटीआरओ)

लघु वित्त बैंक (एसएफबी), व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करके एक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। महामारी की वर्तमान लहर के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित लघु कारोबारी इकाइयों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों, और अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को अतिरिक्त सहायता प्रदान

करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि एसएफबी, जिसे प्रति उधारकर्ता को ₹10 लाख तक के नए ऋण के लिए प्रतिनियुक्त किया जाएगा, के लिए रेपो दर पर ₹10,000 करोड़ के विशेष तीन वर्षीय दीर्घावधि रेपो परिचालन (एसएलटीआरओ) का आयोजन किया जाए। यह सुविधा 31 अक्टूबर 2021 तक उपलब्ध रहेगी।

एमएफआई को आगे उधार देने के लिए लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) द्वारा दिये जाने वाले उधार को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के उधार के रूप में वर्गीकृत किया जाना

वर्तमान में, लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) द्वारा लघु वित्त संस्थानों (एमएफआई) को आगे उधार देने के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) वर्गीकरण के रूप में नहीं माना जाता है। महामारी द्वारा उत्पन्न नई चुनौतियों और छोटे एमएफआई की आपातकालीन स्थिति को देखते हुए, एसएफबी को यह अनुमति दी गई है कि वे अब व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को आगे उधार देने के लिए छोटे एमएफआई (₹ 500 करोड़ तक की संपत्ति के आकार वाले) को दिये जाने वाले नए ऋण को प्राथमिकता-प्राप्त उधार के रूप में मान सकते हैं। यह सुविधा 31 मार्च 2022 तक उपलब्ध होगी।

एमएसएमई उद्यमों को ऋण

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के उधारकर्ताओं को ऋण प्रवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, फरवरी 2021 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अनुमति दी गई थी कि वे नए एमएसएमई उधारकर्ताओं को दिये ऋण को नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) की गणना करते समय अपने निवल मांग और मियादी देयताओं (एनडीटीएल) से घटा सकते हैं। बैंकिंग प्रणाली में बैंक रहित एमएसएमई को शामिल करने को और अधिक बढ़ावा देने के लिए, यह छूट वर्तमान में ₹25 लाख तक के एक्सपोजर के लिए उपलब्ध है और 1 अक्टूबर 2021 को समाप्त पखवाड़े तक दिये गए उधार के लिए 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाई जा रही है।

व्यक्ति, लघु व्यवसाय और एमएसएमई के कोविड संबंधी तनावग्रस्त संपत्तियों के लिए समाधान ढांचा 2.0

हाल के हफ्तों में भारत में कोविड -19 महामारी के पुनरुत्थान और स्थानीय / क्षेत्रीय स्तरों पर अपनाई गई संबद्ध रोकथाम के

उपायों ने नई अनिश्चितताएं पैदा की हैं और नवीन आर्थिक पुनरुत्थान को प्रभावित किया है जोकि आकार ले रहा था। इस माहौल में उधारकर्ताओं की सबसे कमजोर श्रेणी व्यक्तिगत उधारकर्ता, छोटे व्यवसाय और एमएसएमई हैं। विशेष रूप से उधारकर्ताओं के इन समूहों को लक्षित करते हुए आज निम्नलिखित उपायों की घोषणा की जा रही है।

(क) ₹25 करोड़ तक के सकल एक्सपोजर वाले व्यक्तियों तथा छोटे व्यवसायों एवं एमएसएमई जैसे उधारकर्ताओं और जिन्होंने पहले के पुनर्गठन ढांचे (दिनांक 6 अगस्त, 2020 के समाधान ढांचा 1.0 तहत सहित) के तहत पुनर्गठन का कोई भी लाभ नहीं उठाया है, और 31 मार्च 2021 तक जिन्हें 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया था, समाधान ढांचा फ्रेमवर्क 2.0 के तहत पात्र होंगे। प्रस्तावित ढांचे के तहत पुनर्गठन को 30 सितंबर 2021 तक लागू किया जा सकता है और लागू करने के 90 दिनों के भीतर इसे कार्यान्वित करना होगा।

(ख) समाधान ढांचा 1.0 के तहत अपने ऋणों का पुनर्गठन करने वाले व्यक्तिगत उधारकर्ताओं और छोटे व्यवसायों के संबंध में, जहां समाधान योजना को दो वर्ष से कम की अधिस्थगन की अनुमति दी गई है, उधार देने वाली संस्थाओं को इस तरह की योजनाओं में संशोधन के लिए इस विंडो का उपयोग करने की अनुमति दी जा रही है ताकि अधिस्थगन अवधि और / या अवशिष्ट अवधि को कुल 2 वर्षों तक बढ़ाया जा सके। अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

(ग) पूर्व में पुनर्गठन किए गए छोटे व्यवसायों और एमएसएमई के संबंध में, कार्यशील पूंजी चक्र, मार्जिन आदि के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर, कार्यशील पूंजी की स्वीकृत सीमाओं की समीक्षा करने के लिए, ऋण संस्थानों को एकबारगी उपाय के रूप में अनुमति दी जा रही है।

केवाईसी आवश्यकताओं के अनुपालन का युक्तिकरण

ग्राहक सुविधा बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक की पहल को आगे बढ़ाते हुए, मौजूदा केवाईसी मानदंडों के कुछ घटकों को युक्तिसंगत

बनाने का निर्णय लिया गया है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं (ए) प्रोवाइटरशिप फर्मों, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और कानूनी संस्थाओं के लाभकारी मालिकों जैसे ग्राहकों की नई श्रेणियों और केवाईसी के आवधिक अपडेशन के लिए वी-सीआईपी (वीडियो-आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया) नामक वीडियो केवाईसी के दायरे का विस्तार; (बी) गैर-फेस-टू-फेस मोड में आधार ई-केवाईसी प्रमाणीकरण के आधार पर खोले गए सीमित केवाईसी खातों का पूरी तरह से केवाईसी-अनुरूप खातों में रूपांतरण; (सी) वी-सीआईपी के लिए केंद्रीकृत केवाईसी रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) के केवाईसी पहचानकर्ता के उपयोग को सक्षम करना और पहचान प्रमाण के रूप में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज (डिजीलॉकर के माध्यम से जारी किए गए पहचान पत्र सहित) प्रस्तुत करना; (डी) ग्राहकों के केवाईसी विवरणों के आवधिक अद्यतन के उद्देश्य से डिजिटल चैनलों के उपयोग सहित अधिक ग्राहक-अनुकूल विकल्पों की शुरुआत।

इसके अलावा, देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड से संबंधित प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए, विनियमित संस्थाओं को सूचित किया जा रहा है कि ग्राहक खातों के लिए जहां आवधिक केवाईसी अपडेट देय / लंबित है, ग्राहक खाता (ते) के संचालन पर 31 दिसंबर 2021 तक कोई दंडात्मक प्रतिबंध नहीं लगाया जाए जब तक कि किसी अन्य कारण से या किसी नियामक / प्रवर्तन एजेंसी / कानून के न्यायालय, आदि के निर्देशों के तहत आवश्यक न हो। खाताधारकों से अनुरोध है कि वे इस दौरान अपने केवाईसी को अपडेट करें।

अस्थिर प्रावधानों और प्रतिचक्रीय प्रावधानिकरण बफर का उपयोग

बैंकों पर महामारी संबंधी तनाव को कम करने और पूंजी संरक्षण को सक्षम करने के उपाय के रूप में, बैंकों को उनके बोर्डों के पूर्व अनुमोदन के साथ गैर-निष्पादित आस्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधान बनाने हेतु 31 दिसंबर 2020 तक उनके द्वारा धारित अस्थिर प्रावधानों और प्रतिचक्रीय प्रावधानिकरण बफर का 100 प्रतिशत उपयोग करने की अनुमति दी जा रही है। इस तरह के उपयोग को तत्काल प्रभाव से और 31 मार्च 2022 तक करने की अनुमति है।

राज्य सरकारों के लिए ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधा में छूट

राज्य सरकारों को अपने नकदी-प्रवाह और बाजार उधार के संदर्भ में अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए, ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधाओं के लाभ के संबंध में कुछ छूट दी जा रही है। तदनुसार, एक तिमाही में ओवरड्राफ्ट की अधिकतम दिनों की संख्या 36 से 50 दिन और ओवरड्राफ्ट की लगातार दिनों की संख्या 14 से बढ़ाकर 21 दिन की जा रही है। यह सुविधा 30 सितंबर 2021 तक उपलब्ध होगी। राज्यों के अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमाएं 23 अप्रैल 2021 को पहले ही बढ़ाई जा चुकी हैं।

सभी घोषणाओं से संबंधित परिपत्र / अधिसूचनाएं आज से अलग से जारी की जाएंगी।

समापन टिप्पणी

मानव जीवन को संरक्षित करना और सभी माध्यमों से आजीविका को बहाल करना तत्काल उद्देश्य है। दूसरी लहर, हालांकि दुर्बल करने वाली है लेकिन अकल्पनीय नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, यह हमारे सबसे अंधेरे क्षणों के दौरान है कि हमें प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारे पास पिछले वर्ष के अपने अनुभव से प्राप्त सबक हैं, जब एक राष्ट्र के रूप में हम एक साथ आए और महामारी की पहली लहर द्वारा रखी गई एक पीढ़ी में एक बार की चुनौती से आगे निकल गए।

रिजर्व बैंक में, हम यह सुनिश्चित करने के लिए युद्ध की स्थिति में खड़े हैं कि वित्तीय स्थितियां अनुकूल रहें और बाजार कुशलता से काम करते रहें। हम सरकार के साथ घनिष्ठ समन्वय में काम करेंगे ताकि इस संकट की घड़ी में हमारे नागरिकों को जो अत्यंत कष्ट हो रहे हैं उसे सुधार सके। हम अपरंपरागत रूप में जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जब भी स्थिति की मांग होती है, नई प्रतिक्रियाओं को तैयार करेंगे। हमें अपने भविष्य पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो इस समय भी उज्ज्वल दिखाई देता है, जब भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरने के लिए तैयार है। आज, हमने कुछ कदम

उठाए हैं और हम साल भर सक्रिय रहेंगे- छोटे और बड़े कदम उठाते हुए - उभरती स्थिति से निपटने के लिए। हमें समष्टिआर्थिक और वित्तीय स्थिरता के साथ मजबूत और स्थायी विकास वाला महामारी के बाद के भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैं सभी हितधारकों से आह्वान करता हूँ कि वे भविष्य की लहरों के विरुद्ध पहरे पर रहते हुए महामारी की वर्तमान लहर से उत्पन्न

चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक बार फिर आगे आएं। समापन में, मैं फिर से महात्मा गांधी के शब्दों को उद्धृत करता हूँ, "हमारा विश्वास एक जलते हुए दीपक की तरह होना चाहिए जो न केवल हमें प्रकाश देता है बल्कि आसपास के वातावरण को भी रोशन करता है।"²

धन्यवाद, नमस्कार।

² स्रोत: महात्मा गांधी के संकलित कार्य (सीडबल्यूएमजी), संस्करण. 83, पृष्ठ 411

भाषण

भारत में मुक्त (ओपन) बैंकिंग
एम. राजेश्वर राव

भारत में मुक्त (ओपन) बैंकिंग*

एम. राजेश्वर राव

देवियो और सज्जानो,

इस आशा और प्रार्थना के साथ ब्रासीलिया में आपको एक बहुत ही हार्दिक सुप्रभात कि आप सभी इस महामारी के चंगुल से सुरक्षित और स्वस्थ रहें जिसका प्रकोप अभी भी हम पर जारी है। मैं ब्राजील में भारत के राजदूत महामहिम श्री सुरेश रेड्डी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुक्त (ओपन) बैंकिंग¹ के इस भविष्योन्मुखी परंतु अत्यंत प्रासंगिक विषय पर आप सभी के साथ बातचीत करने के हार्दिक आमंत्रण दिया।

सर्वत्र अभिगम (एक्सेस) और सूचना, सेवाओं और उत्पादों तक व्यापक पहुँच वाले इंटरनेट कनेक्शन से लैस मोबाइल फोन और हस्तगत उपकरणों के सहारे आधुनिक दुनिया तेजी से परस्पर सम्बद्ध हो गई है। आधुनिक मानव के सभी प्रयासों में तकनीक जहाँ हर चीज में सहायक है, वहीं इसके अंदर उथल-पुथल करने वाली ऐसी शक्ति है, जो सुसिद्ध कारोबारी मॉडलों को चुनौती देती है, नए बाजार खोलती है और भौगोलिक विभाजन की सीमाओं को धुंधला कर देती है।

प्रौद्योगिकी ने बैंकों और वित्तीय फर्मों को अब तक अछूते रहे उन बाजार क्षेत्रों में प्रवेश करने में सक्षम और सशक्त बनाया है जो वित्तीय वितरण विधियों में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद औपचारिक वित्तीय प्रणालियों और खिलाड़ियों की पहुँच से बाहर रहे हैं। हाल के वर्षों में, वित्त पोषण के प्रौद्योगिकी-चालित तरीके, नए वित्तीय कारोबारी मॉडल, विशेष वित्तीय सेवाएं और उत्पाद सामने आ रहे

* 14 अप्रैल, 2021 को ब्राजील में भारतीय दूतावास के सहयोग से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) द्वारा आयोजित ओपन बैंकिंग पर एक वेबिनार में श्री एम. राजेश्वर राव, डिप्टी गवर्नर द्वारा की गई समेकित टिप्पणी। श्री सुनील टीएस नायर, श्री अनुज रंजन, श्री चंदन कुमार और श्री प्रदीप कुमार द्वारा प्रदान की गई सामग्री के लिए उनके प्रति आभार।

¹ मुक्त (ओपन) बैंकिंग को बैंकों द्वारा वैसे एप्लिकेशनों और सेवाओं के निर्माण के लिए तृतीय पक्ष के डेवलपर्स और फर्मों के साथ ग्राहक-अनुमोदित डेटा के साझाकरण और उपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है जो खाताधारकों के लिए तत्काल भुगतान, अधिक वित्तीय पारदर्शिता के विकल्प देते हैं तथा मार्केटिंग और क्रॉस-सेलिंग के अवसर भी। अलग-अलग क्षेत्राधिकार मुक्त बैंकिंग को अलग तरह से परिभाषित कर सकते हैं (बीसीबीएस; नवंबर 2019)।

हैं और पी2पी उधार, धन प्रबंधन, सूक्ष्म वित्त (माइक्रोफाइनेंस), स्मार्ट-कॉन्ट्रैक्ट, एआई/एमएल आधारित निर्णय विश्लेषण प्रणाली और रोबो-परामर्श, आदि जैसे क्षेत्रों में फिनटेक नवोन्मेष को आगे बढ़ा रहे हैं तथा विनियामकीय सरोकारों व और विमर्श को आकार देना शुरू कर चुके हैं। डेटा साझाकरण, डेटा अभिगम (एक्सेस) और काफी हद तक डेटा लोकतंत्रीकरण से संबंधित विषय इस विमर्श के केंद्र में हैं।

वित्तीय पाइपलाइन जो कभी भुगतान चैनलों और लेनदेन पर व्यापक रूप से केंद्रित थी, अब उपभोक्ताओं के वित्तीय डेटा तक भी पहुँचना चाहती है। वित्तीय डेटा का डिजिटल आदान-प्रदान सेवा के नए उभरते मॉडलों, प्रणाली में अक्षमताओं को दूर करने और नई उत्पाद संभावनाएं खोलने का आधार हो सकते हैं। इसलिए, विनियामक और राष्ट्रीय प्राधिकारी इस तथ्य को स्वीकार करने लगे हैं कि वित्तीय सूचना डेटा विनिमय की सरल संरचना के विकास में वित्तीय प्रणालियों को बदलने की क्षमता निहित है और इससे उत्पाद नवाचार और ग्राहकों और अंतिम उपयोक्ताओं के लिए वित्तीय सेवाएं बेहतर ढंग से मिल सकती हैं। इसलिए, वित्तीय डेटा अभिगम (एक्सेस) और वितरण के निहितार्थ महत्वपूर्ण हैं, न केवल संबंधित हितधारी संस्थानों के लिए बल्कि भविष्य के आर्थिक विकास के लिए भी।

किसी व्यक्ति का वित्तीय डेटा आम तौर पर टुकड़ों में होता है और वित्तीय संस्थानों, सरकारी निकायों और कुछ मामलों में विनियामकों के डेटा भंडारों की खतियों (साइलो) में छितराया होता है। यद्यपि वित्तीय सूचना प्रदाताओं (एफआईपी) और वित्तीय सूचना उपयोक्ताओं (एफआईयू) के बीच डेटा को निर्बाध, सुरक्षित और तेजी से साझा करने के लिए कुछ औपचारिक प्रकार के ढांचे मौजूद हैं, फिर भी कुल उपयोक्ता डेटा (एग्रीगेट यूजर डेटा) के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य और स्वीकृत एकीकृत समाधानों के मामले में एक शून्य है जिससे व्यक्तियों और फर्मों के वित्तीय इतिहास और लेनदेन का एक अखंड और विस्तृत चित्र मिलता। नतीजतन, वित्तीय जरूरतों को पहचानने व पूरा करने और अंतिम उपयोगकर्ताओं को व्यापक सेवा पहुँचाने में खंडित जानकारी की इस विशाल मात्रा का प्रभावी उपयोग नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में, बीसीबीएस की एक अध्ययन रिपोर्ट² का कहना है कि ग्राहक की अनुमति से बैंक के पास रखे डेटा को तृतीय पक्ष के साथ साझा करने का काम यद्यपि कई वर्षों से हो रहा है, पर डिजिटल उपकरणों का बढ़ता उपयोग और तेजी से विकसित हो रही डेटा एकत्रीकरण तकनीकें दुनिया भर में खुदरा बैंकिंग सेवाओं का रूप बदल रही हैं। तृतीय पक्ष के साथ ग्राहक-अनुमोदित डेटा का बैंकों द्वारा इस साझाकरण का उपयोग एप्लीकेशंस और सेवाएं तैयार करने में होता है जो तीव्रतर व सुगमतर भुगतान, खाताधारकों के लिए पहले से अधिक वित्तीय पारदर्शिता व विकल्प, नई व बेहतर खाता सेवाओं के साथ अतिरिक्त मार्केटिंग और क्रॉस-सेलिंग के अवसर भी प्रदान करते हैं।

ऐसे कदमों से यह मुद्दा भी उठता है कि वैयक्तिक ग्राहकों का डेटा रखने वाले वित्तीय संस्थान क्या केवल एजेंटों के रूप में कार्य करें और क्या उनके पास स्वामित्व हिस्सेदारी होनी चाहिए जो वाणिज्यिक दृष्टिकोण से चालित हो। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि डेटा अभिगम (एक्सेसिबिलिटी) और उपयोग का अधिकार डेटा रखने वालों के बजाय डेटा के मालिकों के पास होना चाहिए। इस डेटा लोकतंत्रीकरण के अलावा और बड़ी चिंताएं हैं जो सहमति-आधारित संरचना में निहित डेटा के संरक्षित (सेफ़) और सुरक्षित (सिक्योर्ड) तरीके से परिवहन और भंडारण को लेकर हैं। विभिन्न क्षेत्राधिकार वर्तमान में एक ऐसे ढांचे की इस आवश्यकता को पूरा करने के प्रयास में हैं जो विभिन्न पद्धतियों में कुशल और सुरक्षित नेविगेशन द्वारा ग्राहक के वित्तीय डेटा का उपयोग करने में सहायक हो; उदाहरण के लिए, वित्तीय संस्थान के यूजर एप्लीकेशनों के भीतर खुले एपीआई ढांचे के उपयोग की अनुमति द्वारा। भारत में, हमने भी वित्तीय डेटा साझाकरण की परिधि को विस्तार देने के लिए अकाउंट एग्रीगेटर्स (एएएस) के रूप में ऐसे ही परितंत्र की संकल्पना की है।

अब मैं भारतीय संदर्भ पर संक्षेप में कुछ विचार रखना चाहता हूँ:

भारत में मुक्त (ओपन) बैंकिंग के प्रयास

वैश्विक स्तर पर, मुक्त (ओपन) बैंकिंग संबंधी विनियामकीय संरचनाओं में इस बात की व्यवस्था है कि ग्राहक-अनुमोदित डेटा

² नवंबर 2019; रिपोर्ट ऑन ओपन बैंकिंग और एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस; बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति; अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक

तृतीय पक्ष के लिए उपलब्ध हो जिसके लिए तृतीय पक्ष की लाइसेंसिंग या उनको प्राधिकृत किए जाने की आवश्यकता होती है, तथा डेटा निजता (प्राइवैसी) व प्रकटीकरण और सहमति संबंधी अपेक्षाओं को लागू किया जाता है। कुछ संरचनाओं में इस बात से संबंधित प्रावधान भी हो सकते हैं कि क्या तृतीय पक्ष डेटा को आगे "चौथे पक्ष" से साझा और/या उनको पुनर्विक्रय (रिसेल) कर सकते हैं, क्या ग्राहक की मूल सहमति से बाहर के उद्देश्यों के लिए डेटा का उपयोग कर सकते हैं और क्या बैंकों या तृतीय पक्षों को डेटा साझा करने का लाभ दिया जा सकता है। मुक्त बैंकिंग संरचनाओं में डेटा भंडारण और सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं या आवश्यकताएं भी हो सकती हैं।

भारत ने ओपन बैंकिंग के लिए अपने रुख की शुरुआत इसके लिए एक मध्यस्थ की व्यवस्था करके की है जो ग्राहकों की सहमति प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा। ये मध्यस्थ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में लाइसेंस प्राप्त हैं। सितंबर 2016 में, रिजर्व बैंक ने अकाउंट एग्रीगेटर (एए) नामक एक नई लाइसेंस प्राप्त इकाई बनाने की घोषणा की और उन्हें वित्तीय क्षेत्र के नियामकों में फैले विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के यहाँ रखी ग्राहक की वित्तीय जानकारी को समेकित करने की अनुमति दी। भारत में, एए वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) जैसे बैंक, बैंकिंग कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी प्रतिभागी, बीमा कंपनी, बीमा रिपोजिटरी, पेंशन फंड आदि और वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (एफआईयू) के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है जो किसी भी वित्तीय क्षेत्र के नियामक के साथ पंजीकृत और विनियमित संस्थाएं हैं। सूचना का प्रवाह उपयुक्त एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के माध्यम से होता है।

इस तरह की जानकारी का हस्तांतरण ग्राहक की स्पष्ट सहमति तथा एए, ग्राहक और वित्तीय सूचना प्रदाताओं के बीच उपयुक्त करारों/प्राधिकारों पर आधारित है। डेटा को एग्रीगेटर स्टोर नहीं कर सकता या किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं कर सकता है। स्पष्ट और मजबूत डेटा सुरक्षा और ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र निर्धारित किए गए हैं और अकाउंट एग्रीगेटर्स को किसी अन्य गतिविधि की अनुमति नहीं है, मुख्यतः ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए।

सहमति आधारित स्थापत्य

इस प्रकार भारत में अकाउंट एग्रीगेटर्स के लिए विनियामकीय संरचना का जोर डेटा साझा करने के लिए स्पष्ट ग्राहक सहमति पर है। ग्राहक की स्पष्ट सहमति के बिना ग्राहक की कोई भी वित्तीय जानकारी निकाली, साझा या स्थानांतरित नहीं की जानी है। भारत में इस मुक्त बैंकिंग प्रयास के अन्य सिद्धांत हैं - वित्तीय डेटा अखंडता (इंटिग्रिटी), सुरक्षा व गोपनीयता, मजबूत आईटी अभिशासन व नियंत्रण, और मजबूत ग्राहक सुरक्षा और शिकायत निवारण व्यवस्था। इसके अलावा, एए परितंत्र में डेटा की निर्बाध आवाजाही और वित्तीय जानकारी के सहमति-आधारित साझाकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए, रिजर्व बैंक की एक पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनी, रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी लिमिटेड (रेबिट) ने वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) या वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (एफआईयू) के रूप में कार्य करने वाली सभी विनियमित संस्थाओं के लिए नवंबर 2019 में प्रमुख तकनीकी विशिष्टताओं का एक सेट तैयार किया है।

उपयोगकर्ताओं की महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारी की सुरक्षा और ग्राहकों से समुचित सहमति प्राप्त करने की एक व्यवस्था को लागू करने के लिए, खाता एग्रीगेटर द्वारा ली जाने वाली ग्राहक सहमति एक मानकीकृत इलेक्ट्रॉनिक सहमति प्रारूप होगी जो नियमों के तहत निर्धारित होगी। एए को सहमति प्रारूप में निहित सभी आवश्यक विशेषताओं और शिकायत दर्ज करने के ग्राहक के अधिकारों के बारे में ग्राहक को सूचित करना होता है। सहमति को रद्द करने की व्यवस्था भी ग्राहकों के लिए रखी गई है जिसके बाद एक नई सहमति प्राप्त करनी होगी। सहमति की वैधता, निर्दिष्ट दिनांक व इसका उपयोग और एए के विवरणों की वैधता को सत्यापित करने का स्पष्ट दायित्व भी वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) पर है।

ओपन बैंकिंग के मुद्दे पर अलग-अलग क्षेत्राधिकारों ने अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाया है। कुछेक का दृष्टिकोण निर्देशात्मक है, जिसमें बैंकों को ग्राहक-अनुमोदित डेटा साझा करने और तृतीय पक्ष के उपयोगकर्ताओं को विनियामकीय प्राधिकरणों के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता होती है, वहीं कुछ दूसरों ने

मार्गदर्शन और अनुशासित मानक जारी करके और खुले एपीआई मानकों और तकनीकी विनिर्देश जारी करके सुगमकारी दृष्टिकोण अपनाया है। कुछ क्षेत्राधिकार बाजार-चालित तरीका अपनाते भी प्रतीत होते हैं, जिसमें वर्तमान में कोई स्पष्ट नियम या मार्गदर्शन नहीं है।

एए भारत में एक संकर (हाइब्रिड) मॉडल के तहत की गई एक विनियामक पहल है जो निर्देशात्मक और सुगमकारी दृष्टिकोणों का मिश्रण है और अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में है। इसमें देखने वाली एक प्रमुख बात यह है कि क्या इस पहल को अपनाने में बाजार की ताकतें आगे आएंगी या थोड़े से और विनियामकीय दबाव की आवश्यकता होगी। अपनाने की गति समुदाय की एक साथ आने और तकनीकी विशिष्टताओं के मानकों और वर्धनीयता क्षमता को आगे ले जाते रहने की शक्ति पर भी निर्भर करेगी।

अब, एक केंद्रीय बैंकर और विनियामक की परंपरा को जारी रखते हुए, कुछ जोखिमों के बारे में भी बता दूँ और साथ ही सावधान करता चलूँ।

मुक्त (ओपन) बैंकिंग से जुड़े जोखिम

उपभोक्ताओं को वित्तीय डेटा और सेवाओं की सुलभता और वित्तीय संस्थानों के लिए कुछ लागतों को सुव्यवस्थित करने के रूप में ओपन बैंकिंग कुछ लाभ दे सकता है। तथापि, इसमें अहम जोखिमों और चिंताओं की संभावनाएं भी हैं:

- *वित्तीय निजता (प्राइवैसी) और डेटा सुरक्षा:* मुक्त (ओपन) बैंकिंग ढाँचों में, खराब सुरक्षा के कारण व्यक्तिगत डेटा के नुकसान या चोरी, डेटा संरक्षा के उल्लंघनों, धन-शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) और आतंकवादी वित्तपोषण संबंधी चिंताओं से जुड़े जोखिमों से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, आदर्शतः मुक्त बैंकिंग ढाँचे को बड़े पैमाने पर अपनाए जाने के पहले मजबूत डेटा संरक्षण और निजता (प्राइवैसी) कानून आने चाहिए। ऐसे कानून स्वामित्व अधिकारों को संचालित करें और डेटा नियंत्रण और डेटा का सहमति-आधारित उपयोग सुनिश्चित करें। वे तृतीय पक्ष द्वारा उपयोग, चतुर्थ पक्ष को डेटा की डाउन-स्ट्रीमिंग

और इसके पुनर्विक्रय के अधिकारों और दायित्वों की सीमाएं भी तय करें। भारत पहले ही इस दिशा में चल पड़ा है और व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक (पर्सनल डेटा बिल), 2019 पहले ही प्रस्तुत हो चुका है। विधेयक में व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास है और इसके लिए एक डेटा सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना की बात कही गई है।

- **ग्राहक दायित्व:** ग्राहकों की शिकायतों के निवारण और गलत या कपटपूर्ण गतिविधि के मामले में उनकी देयता को सीमित करने के लिए स्पष्ट व्यवस्था के अभाव में, मुक्त बैंकिंग ढांचे की स्वीकार्यता सीमित रह सकती है। इसलिए, क्षेत्राधिकारों को चाहिए कि डेटा तक तृतीय पक्ष के अभिगम के मामले में ग्राहक दायित्व के विषय पर वे ग्राहक सुरक्षा या क्षतिपूर्ति कानूनों के माध्यम से कार्रवाई करने का प्रयास करें। रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2014 में ग्राहक अधिकार-पत्र (चार्टर ऑफ़ राइट्स) जारी किया है जिसमें अन्य बातों सहित 'निजता के अधिकार' को 'शिकायत निवारण और मुआवजे के अधिकार' के साथ सूचीबद्ध किया गया है। निजता के अधिकार के अनुसार अपेक्षित है कि ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी तब तक गोपनीय रखी जानी है जब तक कि वे वित्तीय सेवा प्रदाता को सपष्ट सहमति नहीं देते या कानूनन ऐसी जानकारी देने की आवश्यकता हो या अनिवार्य व्यावसायिक उद्देश्य के लिए दी जाए।
- **साइबर सुरक्षा और परिचालन संबंधी जोखिम:** मुक्त बैंकिंग ढांचे का उपयोग, जिसका आधार डेटा की अधिक साझेदारी है, साइबर धोखाधड़ी के मैदान को बड़ा कर देता है। चूंकि मुक्त (ओपन) एपीआई आधार-संरचना में रखे लेन-देन और शेष राशि जैसे ग्राहक बैंकिंग डेटा तक निर्बाध पहुँच देता है, यह एक गंभीर साइबर सुरक्षा जोखिम भी पैदा कर सकता है। साइबर घटनाओं के कारण ग्राहकों को हुए नुकसान के लिए वित्तीय संस्थाओं को ग्राहकों को ऐसे नुकसान की

भरपाई करनी होगी। संस्थानों को एपीआई के उपयोग से संबंधित कई संभावित परिचालनीय और साइबर सुरक्षा मुद्दों का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसमें डेटा उल्लंघनों, दुरुपयोग, मिथ्याकरण, सेवा वंचन आक्रमण और आधार-संरचना गड़बड़ी शामिल हैं।

- **अनुपालन और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम:** मुक्त (ओपन) बैंकिंग जहाँ पारंपरिक बैंकिंग के परिदृश्य का विस्तार करती है और कारोबार के अनूठे अवसर देती है, यह संबंधित विवेकपूर्ण नियमों और निजता कानूनों के अनुपालन में अत्यधिक जिम्मेदारियां भी डालती है। पर्यवेक्षी कार्रवाइयों के तौर पर जुर्माना, दंड, या दंडात्मक क्षति के साथ-साथ तृतीय पक्ष के सेवा प्रदाता की भूल-चूक से जुड़े निजी निपटानों की संभावना (के प्रति एक्सपोज़र) के कारण जोखिम उत्पन्न होते हैं।
- **शिकायत निवारण:** मुक्त बैंकिंग मॉडल में वित्तीय सेवाओं की व्यवस्था में अधिक पार्टियों और बिचौलियों के शामिल होने के कारण, दायित्व निर्धारण अधिक कठिन है। यदि ग्राहक शिकायत निवारण संबंधी विनियम मुक्त बैंकिंग व्यवसाय मॉडल के अनुसार अद्यतन नहीं किए जाते, तो राष्ट्रीय प्राधिकरणों के लिए ग्राहकों को पर्याप्त स्तर की सुरक्षा प्रदान करना मुश्किल हो सकता है। भारत में, रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2019 में डिजिटल लेनदेन के लिए एक अलग लोकपाल योजना लागू की है। डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना (ओएसडीटी) के तहत प्राप्त शिकायतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो दर्शाती है कि बैंकिंग के डिजिटल तरीकों को अधिकाधिक अपनाया जा रहा है।

उपरोक्त के अलावा, मुक्त बैंकिंग ढांचे में विनियामकों को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ओपन बैंकिंग में, फिनटेक फर्मों, डेटा एकत्रीकरण में लगी मध्यस्थ फर्मों और अन्य सेवा प्रदाताओं जैसी अनेक प्रकार की तृतीय-पक्ष व्यवस्थाएं हो सकती हैं, जिनका बैंक के साथ कोई संविदात्मक करार नहीं भी हो सकता है, जिस पर विनियामक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर

पाएं। इसके अलावा, संभव है कि इनमें से कई फर्म वित्तीय क्षेत्र के किसी विनियामक की विनियामकीय परिधि में ही न आए। ऐसी स्थितियों में, नियामकों के लिए आवश्यकताओं, विशिष्टताओं को निर्धारित करना और विनियामकीय विधिशास्त्र का प्रयोग कठिन हो सकता है।

भारत सहित कई अधिकार-क्षेत्रों में, बैंकों व अन्य विनियमित संस्थाओं के लिए आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं के लिए स्पष्ट नियम हैं। पर्यवेक्षकों के पास तृतीय-पक्ष संस्थाओं पर एक हद तक निगरानी का भी अधिकार है। मुक्त बैंकिंग में संबंधों के धागे यदि मौजूदा पर्यवेक्षी और विनियामकीय परिधि के पार जाते हैं, तो मानकों और विवेकपूर्ण नीतियों को लागू करना कठिन हो सकता है।

निष्कर्ष

वित्तीय प्रणाली में मुक्त (ओपन) बैंकिंग एक संभाव्य भंजक है तथा ग्राहकों व बैंकों दोनों के लिए बैंकिंग करने के तरीकों को बदल सकता है। विशुद्ध तकनीक के खिलाड़ी स्थापित अपितु पारंपरिक वित्तीय संस्थाओं से बाजार का हिस्सा छीन सकते हैं क्योंकि वे तकनीकी रूप से अधिक उन्नत हैं, उच्चतर दक्षता के दम पर ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने की डिजिटल चुस्ती उनमें है, उनके पास बेहतर यूजर इंटरफेस है और मूल्य निर्धारण में वे अधिक प्रतिस्पर्धी हैं।

मुक्त (ओपन) बैंकिंग में कुछ देशों के विपरीत, भारत ने एक ऐसी पद्धति अपनाई है जहाँ विनियामक और बाजार दोनों ने ओपन

बैंकिंग स्पेस के विकास के लिए साथ काम किया है। भारत में, रिजर्व बैंक और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) जैसी भुगतान प्रणाली लेकर आई तथा बैंकों और तृतीय पक्ष के ऐप प्रदाताओं के लिए अपना एपीआई जारी किया जिस पर आगे कुछ बनाया जा सकता है। बाजार सहभागी भी नवोन्मेष को बढ़ा रहे हैं तथा कई बैंक अपना खुद का एपीआई जारी कर रहे हैं और फिनटेक कंपनियों के साथ जुड़कर अपने ग्राहकों को बेहतर अनुभव दे रहे हैं। इसके अलावा, विनियामकीय परीक्षण स्थल (रेगुलैटरी सैंडबॉक्स) और रिजर्व बैंक नवोन्मेष केंद्र (इनोवेशन हब) की शुरुआत को देखें तो, रिजर्व बैंक का दृष्टिकोण प्रोत्साहन और मार्गदर्शन का रहा है।

साथ ही, सभी हितधारकों को यह समझना होगा कि यद्यपि तकनीकी नवोन्मेष बड़े महत्त्व की चीज है, ग्राहक गोपनीयता और डेटा संरक्षण से कोई समझौता नहीं हो सकता। हमें ग्राहकों के बीच भरोसा पैदा करना होगा कि विनियमित संस्थाओं के साथ उनके सभी वित्तीय संबंधों में उनका डेटा संरक्षित और सुरक्षित है और उसके लिए - नवोन्मेष और विनियमन को साथ-साथ चलना होगा। विनियामकों और पर्यवेक्षकों को भविष्य की चुनौतियों की भी तैयारी करनी चाहिए। आखिरकार, जैसा कि (विनियामकों के लिए) कहा जाता है " किसी दिन के मौसम को वे भले ही नज़रअंदाज़ कर लें, उस युग के जलवायु की अनदेखी वे नहीं कर सकते"।

धन्यवाद।

आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति

महामारी के दौरान एनबीएफसी का कार्यनिष्पादन: एक संक्षिप्त विवरण

अर्थव्यवस्था की स्थिति*

कोविड 19 की दूसरी लहर की गति ने भारत और दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। इसके ट्रैक में दूसरे उछाल को रोकने के लिए युद्ध स्तर के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। वास्तविक अर्थव्यवस्था संकेतक अप्रैल-मई 2021 से नरम हुए। दूसरी लहर का सबसे बड़ा टोल मांग के झटके के मामले में है - इन्वेंट्री संचय के अलावा गतिशीलता, विवेकाधीन खर्च और रोजगार की हानि, जबकि कुल आपूर्ति कम प्रभावित होती है। कोविड 19 के दुबारा आने के कारण ति1:2021-22 की तिमाही के पहले आधे भाग में आर्थिक गतिविधि को कमजोर किया है लेकिन पूरी तरह से कमजोर नहीं किया है। यद्यपि इस स्तर पर यह अत्यंत अनिश्चित है, उपलब्ध निदान की केंद्रीय प्रवृत्ति है कि प्रगति की गति का नुकसान उतना गंभीर नहीं है जितना एक वर्ष पहले इसी समय में था।

परिचय

महामारी और आग, बाढ़ और अकाल जैसी बड़ी आपदाओं के संदर्भ प्राचीन ग्रंथों, चिकित्सा सिद्धांतों और पवित्र ग्रंथों में भरे हुए हैं। भारत में महामारियों के दौरे का पहला व्यवस्थित रिकॉर्ड 1817 और 1920 के बीच की अवधि को कवर करता है। इस अवधि के एक पिता द्वारा अपने आठ वर्षीय बेटे के सावधानीपूर्वक लिए लिखे एक इतिहास में यह पता चला है कि दुनिया भर में 70 मिलियन लोगों की जान चली गई। भारत में 57 प्रतिशत की मृत्यु हुई - स्पष्ट रूप से, हम इसका केंद्र थे¹। इस युग की सभी महामारियों में से - हैजा, प्लेग और इन्फ्लूएंजा - यह इन्फ्लूएंजा था जो अपने प्रभाव में वैश्विक था। 1918-20 की इन्फ्लूएंजा महामारी सबसे घातक साबित हुई, जिसमें दुनिया भर में 4 करोड़ लोग मारे गए, जिनमें से 20 मिलियन भारत में मारे गए। यह 'पश्चिम के उदय' का भी समय था, एक घटना जिसे व्यापक रूप से

* यह आलेख माइकल देब्रत पात्र, जीबिन जोस, कुणाल प्रियदर्शी, शशिधर एम. लोकारे, प्रियंका सचदेवा, शशि कांत, अभिनंदन बोराड, जॉन वी. गुरिया, बरखा गुप्ता, शोभित गोयल, ऋषभ कुमार, सिद्धांत कुजूर, अरुण कुमार, साक्षी अवस्थी, आशीष थॉमस जॉर्ज, देबा प्रसाद रथ, प्रज्ञा दास और समीर रंजन बेहरा द्वारा तैयार किया गया है। इस आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों।

¹ तुम्बे, चिन्मय (2020)। महामारी की आयु (1817-1920)। कैसे उन्होंने भारत और दुनिया को आकार दिया। हार्पर कॉलिन्स इंडिया।



वैश्वीकरण और बड़े पैमाने पर प्रवास के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, लेकिन समान रूप से महामारी से जुड़ा होना चाहिए, जिसके कारण वैश्विक उत्पादन और जनसंख्या में एशिया का हिस्सा तेजी से गिर गया। 1920 के बाद, समय-समय पर इन्फ्लूएंजा महामारी हुई है और हम उनसे परिचित हैं - एशियाई फ्लू (एच2एन2), 1957-58; सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (सार्स), 2002-04; स्वाइन फ्लू (एच1एन1)², 2009-10; मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (मर्स), 2012 - लेकिन 1918-20 के स्पैनिश फ्लू महामारी जितना घातक नहीं। जब तक कोविड 19 हिट नहीं हुआ!

यह भी दर्ज है कि स्पेनिश फ्लू लहरों में प्रकट हुआ था। जबकि पहली लहर 1918 में व्यापक रूप से फैली, दूसरी लहर वर्ष के अंत में आई और सबसे घातक थी, कुछ देशों में 1919 में तीसरी लहर और 1920 में चौथी लहर का अनुभव हुआ। दूसरी लहर डबल्यू - आकार की थी, जो वयस्कों को प्रभावित करती थी। 25 से 40 के बीच, बहुत छोटे और बुजुर्गों के अलावा। इसकी एक अच्छी बात यह थी कि यह अल्पकालिक था, आबादी ने तेजी से झुंड प्रतिरक्षा हासिल कर ली और वायरस महीनों के भीतर कम हानिकारक रूपों में बदल गया। भारत निरपेक्ष रूप से सबसे बुरी तरह प्रभावित देश था, जिसमें मौतों का हिसाब इसकी कुल जनसंख्या का 5 प्रतिशत था। गुजरात में फैलते ही महात्मा गांधी ने इसे अनुबंधित किया; वहां रहने वाले उनके परिवार के कुछ लोग इससे तबाह हो गए। 1918 की अंतिम तिमाही तक यह पूरे देश में फैल गया था।

कोविड 19 की वर्तमान दूसरी लहर की प्रचंडता ने देश को³ हिला कर रख दिया है। भारत में महामारी का प्रक्षेपवक्र लगभग लंबवत हो गया है (चार्ट 1)। 6 मई, 2021 को, भारत ने 4,14,188 लोगों को कोविड -पॉजिटिव परीक्षण करने की सूचना दी, जो महामारी के दौरान किसी भी समय किसी भी देश के लिए उच्चतम आंकड़ा है। इस नए उछाल ने भारत और दुनिया को पूर्णतया पराजित कर दिया है क्योंकि विभिन्न तटों पर स्पिलओवर टूट गया है। भारत में पहली बार पाया गया "डबल म्यूटेंट" कई अन्य देशों में पाया जाने लगा है। यहां तक कि वैज्ञानिक यह समझने के

² एच और एन स्वाइन फ्लू वायरस की सतह पर पाए जाने वाले दो प्रोटीन - हेमाग्लुटिनिन और न्यूरामिनिडेस का प्रतिनिधित्व करते हैं।

³ 25 अप्रैल, 2021 को मन की बात में प्रधानमंत्री।



लिए श्रम कर रहे हैं कि यह कितना बड़ा खतरा है, इसके और अधिक वेरिएंट्स दिखाई दे रहे हैं। एक अधिक तात्कालिक वैश्विक परिणाम हुआ है टीके की आपूर्ति पर दबाव है। मामलों की संख्या घरेलू स्तर पर बढ़ रही है और स्वास्थ्य और चिकित्सा उत्पादन बुनियादी सुविधाएं अपनी चरम सीमा तक कार्य कर रहे हैं। भारत अप्रैल में मात्र 19 लाख खुराक विदेशों में भेज पाया, जिसकी तुलना पिछले तीन महीनों में 64 मिलियन से की जा सकती है, जिसका प्रभाव दुनिया भर में अधिक शॉट्स की आपूर्ति करने की वाणिज्यिक प्रतिबद्धताओं और कोवैक्स योजना⁵ पर पड़ा (चार्ट 2)। संक्रमण के नए उछाल ने वैश्विक शिपिंग उद्योग को भी प्रभावित किया है क्योंकि भारत शिपिंग कू के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है, जिसमें वैश्विक नाविकों में 15 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। भारत भी दुनिया की नर्सों के लिए प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है, जो 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाता है। दूसरी लहर को नियंत्रण में लाने के लिए जो कुछ भी करना है वह करना समय की आवश्यकता है।

⁴ <https://www.mea.gov.in/vaccine-supply.htm>

⁵ कोवैक्स प्रमुख डिलीवरी पार्टनर यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड (यूनीसेफ) के साथ कोएलीशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन (सीईपीआई), गावी और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के सह-नेतृत्व में है। इसका उद्देश्य कोविड -19 टीकों के विकास और निर्माण में तेजी लाना और दुनिया के हर देश के लिए उचित और समान पहुंच की गारंटी देना है।

⁶ फाइनेंशियल टाइम्स, 7 मई, 2021।

भारत अपने दूसरे उछाल को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहा है (तालिका 1)। शुरुआती प्रतिक्रिया में माइक्रो कंटेनमेंट जोन और 'टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट'⁷ पर फोकस किया गया है। चूंकि देश के स्वास्थ्य ढांचे में ऑक्सीजन और अन्य जीवन रक्षक दवाओं और उपकरणों की आपूर्ति श्रृंखला और रसद सहित गहन दबाव में आया था, देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में⁸, 551 दबाव स्विंग एक्सपोज़र (पीएसए) ऑक्सीजन उत्पादन

सारणी 1: महामारी के दौरान अस्पताल के बुनियादी ढांचे में वृद्धि - चुनिंदा सांख्यिकी

	कोविड बेड	आइसोलेशन बेड	आईसीयू बेड	ऑक्सीजन समर्थित बिस्तर
कोविड अस्पताल - 2084	4,68,974	2,63,573	50,408	1,54,993
कोविड स्वास्थ्य केंद्र - 4,043	3,57,096	2,31,462	25,459	1,00,175
संपूर्ण	8,26,070	4,95,035	75,867	2,55,168

स्रोत: पीआईबी (<https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1710629>)

⁷ मार्च, 2021 को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कोविड 19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश।

⁸ भारत, एक महत्वपूर्ण ऑक्सीजन निर्माता है और यह मोटे तौर पर 7000 मीट्रिक टन का उत्पादन एक दिन में करता है। अधिकांश संयंत्र पूर्वी औद्योगिक राज्यों में स्थित हैं, हालांकि, दिल्ली या मुंबई जैसे शहरी केंद्रों से बहुत दूर हैं। बाधा ऑक्सीजन को उस स्थान तक पहुंचाने की थी जहां इसकी आवश्यकता थी। अमेरिकी गैस आपूर्तिकर्ता के एक स्थानीय संयुक्त उद्यम आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स ने अनुमान लगाया कि भारत की पूर्व-महामारी चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग लगभग 700 टन प्रति दिन थी, लेकिन पहली लहर के दौरान यह बढ़कर 2,800 हो गई और हाल के दिनों में 5,000 से अधिक हो गई है (फाइनेंशियल टाइम्स, 29 अप्रैल, 2021)।

संयंत्रों को मंजूरी दी गई है। नेब्युलाइज़र, ऑक्सीजन सांद्रक और 15 अन्य जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों के आयात को मंजूरी दे दी गई है। चिकित्सा उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जा रही है। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह की स्टील कंपनियों ने नाइट्रोजन और आर्गन का उत्पादन कम कर दिया है ताकि अधिकांश संयंत्रों में चिकित्सा ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सके। कॉर्पोरेट्स और व्यवसाय बड़े कोविड केन्द्रों, आइसोलेशन सुविधाओं की स्थापना करके और ऑक्सीजन संबंधित उपकरणों के भंडारण और परिवहन को सक्षम करके लाभ कमा रहे हैं⁹। भारतीय रेलवे ने 'ऑक्सीजन एक्सप्रेस' ट्रेनों पर शुल्क माफ कर दिया। अप्रैल के अंत तक, तरल चिकित्सा ऑक्सीजन का उत्पादन¹⁰ महीने की शुरुआत के स्तर से लगभग 36 प्रतिशत बढ़ गया। मध्य मई तक उत्पादन लगभग पूरे उत्पादन के साथ चिकित्सा प्रयोजनों के लिए निर्धारित, 9500 टन (7500-7800 टन एक दिन की एक मांग की तुलना में) एक दिन के करीब पहुंच गया है¹¹।

यह स्वीकार करते हुए कि टीकाकरण महामारी को समाप्त करने की आशा प्रदान करता है, एक बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। 1 मई से 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी भारतीयों को टीका लगाया जा सकता है और वे

⁹ समाचार पत्रों की रिपोर्ट कई उदाहरण प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, जेएसडब्ल्यू समूह के इस्पात संयंत्रों के आसपास आपातकालीन आधार पर बड़े कोविड केंद्र बनाए जा रहे हैं। अपनी ओर से, एचडीएफसी बैंक ने भुवनेश्वर, पुणे और गुरुग्राम में स्थित अपने तीन प्रशिक्षण केंद्रों को आइसोलेशन सुविधाओं में बदल दिया है। इन सुविधाओं को पहली पंक्ति की सहायता से सुसज्जित किया गया है और इसमें चौबीसों घंटे नर्स और आने वाले डॉक्टर होंगे। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) ने ऑक्सीजन से संबंधित उपकरणों के भंडारण या हैंडलिंग शुल्क को माफ करने का फैसला किया है, और भारत भर में बंदरगाहों के अपने नेटवर्क पर विशेष रूप से कोविड से संबंधित उपकरण ले जाने वाले जहाजों के लिए शुल्क भी लिया है। एयरलाइंस, ट्रेवल वेबसाइट और ट्रांसपोर्ट देश भर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए अपने संसाधनों को तैनात कर रहे हैं क्योंकि अस्पतालों को गंभीर कमी के कारण कोविड -19 रोगियों के इलाज के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सिंगापुर स्थित टेमासेक ने एयर इंडिया लिमिटेड और अमेज़ॉन के साथ साझेदारी की है ताकि तत्काल आवश्यकता वाले स्थानीय समुदायों को ऑक्सीजन सांद्रता, गैर-इनवेसिव बीआईपीएपी वेंटिलेटर मशीनों और अन्य आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति को एयरलिफ्ट किया जा सके।

¹⁰ टाइम्स ऑफ इंडिया, 28 अप्रैल, 2021।

¹¹ इकोनॉमिक टाइम्स, 12 मई, 2021।

अपने टीके चुन सकते हैं। राज्य सरकारों के पास टीके की खुराक की खरीद और भंडारण में अधिक लचीलापन है। निजी क्षेत्र अब पूरी तरह से राष्ट्रीय टीकाकरण प्रयासों में लगा हुआ है। टीकों के उत्पादन और उनको लगाए जाने के प्रयास चल रहे हैं।

वैश्विक समर्थन मिला है, जिसमें 40 से अधिक सरकारें भारत को आवश्यक चिकित्सा के साथ मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक न्गोजि ओकोंजो इवीला ने ट्वीट किया, कि "भारत ने बिना किसी स्वार्थ के अपने टीके का 40 प्रतिशत से अधिक का निर्यात किया। भारत को यह समर्थन मिलने का समय आ गया है।" अमेरिका ने टीकों के उत्पादन के लिए वैक्सीन से संबंधित कच्चे माल को भारत भेजने का फैसला किया है। गिलियड साइन्सेज और मर्क, दो बड़ी अमेरिकी दवा कंपनियों ने स्वेच्छक लाइसेंस के माध्यम से भारत में अपनी दवाओं को प्रदान करने के संबंध में कदम उठाए हैं और साथ ही भारतीय कंपनियों को रेमडेसिविर को बनाने के लिए सहयोग करने के लिए कहा है और साथ ही 450,000 शीशियों का योगदान भी दिया है¹²। रूस ने 1 मई, 2021 से भारत को स्पुतनिक वी वैक्सीन का निर्यात शुरू किया। ऑक्सीजन सांद्रक, तरल ऑक्सीजन, क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक, ऑक्सीजन सिलेंडर, मोबाइल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र और वेंटिलेटर अन्य देशों से हवाई एवं समुद्री मार्गों से पहुंच रहे हैं जैसे – सिंगापुर; द यूके; फ्रांस; जर्मनी; संयुक्त अरब अमीरात; आयरलैंड; ऑस्ट्रेलिया; सऊदी अरब; हांगकांग; और थाईलैंड (तालिका 2)। एशियाई

सारणी 2: वैश्विक समर्थन

दवाएं और उपकरण	मात्रा
ऑक्सीजन सांद्रता	9200
ऑक्सीजन सिलेंडर	5243
ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र	19
वेंटिलेटर/ बीआईपीएपी	5913
रेमडेसिविर	3.44 लाख

नोट: 10 मई, 2021 तक प्राप्त संचयी समर्थन


स्रोत: पीआईबी

¹² बिजनेस लाइन, 27 अप्रैल।

विकास बैंक (एडीबी) ने भारत की महामारी से लड़ाई ¹³ का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। हर भारतीय की ओर से, अनुग्रहितोस्मि! ¹⁴ जैसे-जैसे कच्चा माल उपलब्ध होगा और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, भारत अपनी निर्यात प्रतिबद्धताओं को फिर से शुरू करेगा।

तथापि, निराशा के बीच आशा की किरणें हैं। मई की पहली छमाही के अंत में, 'अधिकतम शहर' में टेस्ट-पॉजिटिव दर, दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित मुंबई के मामले में अप्रैल की शुरुआत में 26.6 प्रतिशत से 12 मई को 7.9 प्रतिशत हो गई। शहर में दैनिक नए मामले 7 अप्रैल को 10,000 के हाल के शिखर से घटकर 12 मई को लगभग 2400 हो गए हैं। डिस्चार्ज किए जाने वाले मरीजों की संख्या दैनिक पाए जाने वाले नए मरीजों की संख्या से अधिक हैं और इसके परिणामस्वरूप, सक्रिय केसलोड 12 अप्रैल को 90,000 के शिखर से गिरकर 12 मई को लगभग 40,000 हो गया है। भारत की दूसरी लहर ने पहले मुंबई (और महाराष्ट्र) में असर किया। शेष भारत उम्मीद कर सकता है कि इसका प्रक्षेपवक्र आने वाले समय का संकेत है (चार्ट 3)।

दूसरी लहर ने अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया है? एक महामारी में, इस तरह के आकलन असमान आधार प्रभावों से धुंधले हो जाते हैं और इसलिए, गति को मापने से स्थिति कुछ साफ हो सकती है, जैसा कि खंड III में चर्चा की गई है। अप्रैल और मई 2021 के लिए उच्च आवृत्ति संकेतक डेटा लैंग के मद्देनजर कम हैं, लेकिन उनका सुझाव है कि दूसरी लहर का सबसे बड़ा टोल मांग के झटके के मामले में है - इन्वेंट्री संचय के अलावा गतिशीलता, विवेकाधीन खर्च और रोजगार का नुकसान। कुल आपूर्ति कम प्रभावित होती है। जैसा कि खंड III दिखाता है, कृषि मजबूत बनी हुई है। मार्च 2021 के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) प्रिंट में, बड़े अनुकूल आधार प्रभाव के टेलविंड पर दो महीने के संकुचन से औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। बहरहाल, मौसमी रूप से समायोजित वार्षिक मासिक गति लगातार चौथे महीने सकारात्मक रही। फिर भी उपाख्यानात्मक साक्ष्य मांग संकुचन से फीडबैक लूप की ओर इशारा करते हैं कि आने वाले महीनों में उत्पादन में कटौती के कारण मांग में कमी होगी जब तक कि संक्रमण समाप्त न हो जाए।




¹³ <https://www.adb.org/news/adb-approves-1-5-billion-financing-support-indias-covid-19-response>

¹⁴ अनुग्रहितोस्मि एक संस्कृत शब्द है जो कृतज्ञता व्यक्त करता है।

दूसरी लहर के प्रभाव का आकलन करने के लिए, इन अनुमानित संकेतों को 2021-22 की पहली तिमाही के लिए 7 अप्रैल के एमपीसी के संकल्प में दिए गए 26.2 प्रतिशत के रिजर्व बैंक के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में देखा जाना चाहिए, जो सुधार के से पहले बनाया गया था (चार्ट 4)।

इस बीच, कॉर्पोरेट प्रदर्शन एक मूक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है जैसे कि वह खुद को व्यापार चक्र में एक मोड़ के लिए तैयार कर रहा है। ति 4: 2020-21 के लिए 288 भारतीय सूचीबद्ध कंपनियों (सभी सूचीबद्ध गैर-वित्तीय कंपनियों के बाजार पूंजीकरण का लगभग 51 प्रतिशत) द्वारा घोषित आय परिणामों का प्रारंभिक सेट, व्यापक आधार पर प्रमुखता प्राप्त करने के साथ शीर्ष-पंक्ति वृद्धि के साथ पिछली तिमाहियों से एक अलग बदलाव का प्रतीक है (सारणी 3)।

बिक्री में लंबे समय तक संकुचन, वॉल्यूम में सुधार, उच्च प्राप्ति और अनुकूल आधार प्रभावों के कारण बिक्री में वृद्धि हुई। कच्चे माल की लागत में तेजी से वृद्धि हुई लेकिन मजदूरी और वेतन जैसे अन्य परिचालन खर्च धीमी गति से बढ़े क्योंकि पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं से लाभ और ब्याज व्यय में गिरावट आई। इस प्रकार, कच्चे माल की बढ़ी हुई लागत के बावजूद, परिचालन लाभ और शुद्ध लाभ की वृद्धि पूर्ववर्ती तिमाहियों (चार्ट 5) की तुलना में अधिक थी।




इसके अलावा, भारत में 82 सूचीबद्ध बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों (सभी सूचीबद्ध वित्तीय कंपनियों के बाजार पूंजीकरण का लगभग 68 प्रतिशत) के आय परिणाम से संकेत मिलता है कि शुद्ध बिक्री वृद्धि, जिसमें मुख्य रूप से ब्याज आय शामिल है, ति4: 2020-21 में मध्यम रही। दूसरी ओर अन्य आय, जिसमें शुल्क, कमीशन और प्रतिभूतियों में लेनदेन से लाभ/हानि शामिल है, में तेज वृद्धि दर्ज की गई। कुल व्यय वृद्धि में कमी आई, जो क्रेडिट

सारणी 3 : उद्योग-वार वर्षानुवर्ष निवल बिक्री वृद्धि (%)

समाम तिमाही	आटो और एनसीलरीज	केमिकल्स	कम्यूनिकेशन सर्विसेज	कंप्यूटरेशन एंड रियल एस्टेट	कंप्यूटरेशन माटेरियल्स	कंज्यूमर गुड्स	होटल एंड टूरिजम	इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी	मशीनरी	मेटल्स एंड माइनिंग	ऑइल एंड गैस	फार्मास्यूटिकल्स	टेक्सटाइल्स	ट्रांसपोर्ट सर्विसेज	अन्य
मार्च-21	35.0	30.8	8.9	16.7	28.8	26.4	-37.8	8.0	36.1	44.3	9.2	20.7	32.8	15.1	6.7
दिसं-20	20.5	11.8	6.7	10.7	11.1	12.0	-51.4	6.3	7.4	20.3	-23.7	15.9	-1.1	14.1	2.7
सितं-20	7.5	0.2	1.5	0.4	4.5	7.1	-58.8	4.5	-7.3	10.4	-26.9	16.5	-28.4	0.4	1.5
जून-20	-66.3	-22.8	-2.2	-28.5	-35.6	-16.2	-77.5	4.3	-54.9	-35.0	-45.8	15.9	-67.6	-21.2	-23.2

नोट : यह डेटा सूचीबद्ध गैर-वित्तीय कंपनियों से संबन्धित है।

स्रोत : प्रोवेस और आरबीआई स्टाफ द्वारा की गई गणना।




इस प्रकार, कॉर्पोरेट प्रदर्शन में बदलाव आया है। जबकि किसी भी पूर्ववर्ती तिमाही की तुलना में चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ अधिक था, वे गैर-वित्तीय कंपनियों के संबंध में छह तिमाहियों के अंतराल के बाद बिक्री में वृद्धि के सकारात्मक होने से प्रेरित थे। दूसरी ओर बैंकों सहित वित्तीय कंपनियों ने अपने शुद्ध लाभ में वृद्धि के लिए अन्य आय और कम प्रावधान पर भरोसा किया। कुल मिलाकर कॉर्पोरेट सेक्टर अर्थव्यवस्था में नेट सेवर बनता जा रहा है।

5 मई को, रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय सुरक्षा जाल के हिस्से के रूप में उपायों के एक सेट को सामने रखते हुए, दूसरी लहर के खिलाफ सामने आया। जैसा कि गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने कहा है, इसका उद्देश्य सभी हितधारकों और स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि का सामना कर रहे आम आदमी के लिए वित्त पोषण की ओर से किसी भी बाधा को दूर करना है। उस दिन उनके द्वारा दिए गए बयान का अंश निम्नलिखित है :


“भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ... राष्ट्र की सेवा में, विशेष रूप से हमारे नागरिकों, व्यावसायिक संस्थाओं और संस्थानों के लिए अपने अधीन सभी संसाधनों और

लागत में गिरावट के प्रभाव को दर्शाती है (चार्ट 6)। दूसरी लहर के बावजूद, विश्लेषक 2021-22 कॉर्पोरेट आय ¹⁵ (चार्ट 7) पर उत्साहित हैं।



¹⁵ <https://www.livemint.com/market/stock-market-news/earnings-estimates-for-fy22-optimistic-despite-virus-surge-11619426681739.html>

चार्ट 7 : अप्रैल 2021 से वर्ष 2021-22 के लिए बीएसई क्षेत्र के लिए फॉरवर्ड अर्निंग्स में संशोधन



उपकरणों का उपयोग करेगा। जिस विनाशकारी गति के साथ वायरस देश के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है, उसे तेज-तर्रार और व्यापक कार्यों, जो कि कैलिब्रेटेड, अनुक्रमित और अच्छी तरह से समयबद्ध हों के माध्यम से जवाब देना पड़ेगा ताकि समाज और व्यवसाय के विभिन्न वर्गों तक पहुंचा जा सके जो कि सबसे छोटा और सबसे कमजोर तक पहुंचें। ...हम पूरे साल सक्रिय बने रहेंगे - छोटे और बड़े कदम उठाते हुए - उभरती स्थिति से निपटने के लिए।"

अतिव्यापी सुरक्षा कवर के रूप में, सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (जीएसएपी) 1.0 की दूसरी किश्त की घोषणा से सिस्टम-स्तरीय टिकाऊ चलनिधि को बल मिला, जो कि पहली किश्त से बड़ी होने जा रही है - 20 मई को 16 अप्रैल को पहली किश्त में दिए गए 25,000 करोड़ रुपये के मुकाबले सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के 35,000 करोड़ रुपये की नीलामी की जाएगी। यह वृद्धि पहली किश्त के बाद से हुए उपज वक्र के क्रमिक विकास को पुरस्कृत करती है। नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) के 0.5 प्रतिशत की बहाली के कारण चलनिधि की निकासी को पहले से भरने का समय आ गया है जो इसे शुद्ध मांग और समय देनदारियों (एनडीटीएल) के 4 प्रतिशत

के पूर्व-महामारी स्तर पर वापस ले जाएगा। जैसा कि निम्नलिखित खंडों में बताया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक इन थोक परिचालनों को ऑपरेशन ट्विस्ट, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) प्लेटफॉर्म पर लेनदेन और प्राथमिक डीलरों के साथ-साथ विदेशी मुद्रा परिचालन के साथ सप्लीमेंट कर रहा है जो निवल रूप से घरेलू चलनिधि पॉजिटिव हो गए हैं।

2021-22 के लिए, अप्रैल में घोषित उन्नत तरीकों और साधनों के शीर्ष पर, राज्य सरकारों को एक तिमाही में ओडी के अधिकतम दिनों के संदर्भ में ओवर ड्राफ्ट (ओडी) सुविधाओं तक अधिक आराम से पहुंच की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, बैंकों को अनर्जक आस्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधान करने के लिए फ्लोटिंग प्रावधानों/काउंटरसाइक्लिकल प्रावधान के 100 प्रतिशत का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी और नागरिकों के लिए, बैंकों में अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) प्रक्रियाओं को दंडात्मक प्रतिबंधों में ढील देकर और वीडियो केवाईसी (वीडियो-आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया) के दायरे को बढ़ाकर आसान कर दिया गया। केवाईसी विवरण को समय-समय पर अद्यतन करने के उद्देश्य से डिजिटल चैनलों का उपयोग ग्राहकों की संतुष्टि की दिशा में काम करना चाहिए।

5 मई के उपायों का विषय, दूसरी लहर का मुकाबला करने के लिए रिजर्व बैंक की रणनीति का पहला चरण है: छोटे व्यवसायों, एमएसएमई और व्यक्तिगत उधारकर्ताओं, छोटे वित्त बैंकों और एमएफआई पर ध्यान देने के साथ छोटा सुंदर है। रिजॉल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 व्यक्तिगत और/या व्यावसायिक ऋण लेने वाले व्यक्तिगत उधारकर्ताओं, एमएसएमई के अलावा खुदरा और थोक व्यापार में लगे छोटे व्यवसायों और एमएसएमई, यानी उधारकर्ताओं की सबसे कमजोर श्रेणी के लिए सहायता प्रदान करता है। यहां तक कि उन व्यक्तियों, छोटे व्यवसायों और एमएसएमई के लिए जो पहले पुनर्गठित हो चुके हैं, उधार देने वाली संस्थाएं एकमुश्त उपाय के रूप में कार्यशील पूंजी स्वीकृत सीमा, मार्जिन और इसी तरह की समीक्षा कर सकती हैं। नए एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए, बैंकों को पूर्व में वितरित क्रेडिट के लिए सीआरआर आवश्यकताओं से राहत प्राप्त करने की अनुमति दी गई है, इसके अलावा दिसंबर के अंत तक विस्तार के अलावा वर्तमान में ₹ 25 लाख तक के एक्सपोजर के लिए छूट उपलब्ध है।

5 मई के उपायों का एक महत्वपूर्ण घटक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है। रिजर्व बैंक ने बैंकों को तीन साल तक की अवधि के लिए ₹ 50,000 करोड़ की चलनिधि प्रदान करने के लिए कदम उठाया ताकि वे बदले में टीके के निर्माताओं, आयातकों/आपूर्तिकर्ताओं, प्राथमिक चिकित्सा उपकरण और कोविड से संबंधित दवाएं, अस्पताल / औषधालय, पैथोलॉजी लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के निर्माता और आपूर्तिकर्ता, लॉजिस्टिक्स फर्म और इलाज के लिए मरीज को उधार दे सकें और उनका समर्थन कर सकें। ऋण की त्वरित डिलीवरी को प्रोत्साहित करने के लिए, बैंक इन ऋणों को पुनर्भुगतान या परिपक्वता तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण के रूप में मान सकते हैं। 14-दिवसीय परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो नीलामी के अंतर्गत तेजी से संवितरण के लिए एक विशेष प्रोत्साहन के रूप में, बैंकों को एलएएफ के तहत रिवर्स रेपो का लाभ उठाने की भी अनुमति है, जो कि रेपो दर से 25 बीपीएस कम है, जबकि फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो विंडो के तहत 3.35 और लगभग 3.5 प्रतिशत की दर से कम है। रिजर्व बैंक ने छोटे वित्त बैंकों के साथ तालमेल और उनकी अंतिम मील कनेक्टिविटी का फायदा उठाने

की भी मांग की है। रेपो दर पर ₹10,000 करोड़ का तीन साल का विशेष दीर्घकालिक रेपो (एसएलटीआरओ) 17 मई, 2021 से हर महीने आयोजित किया जाएगा, ताकि छोटी व्यावसायिक इकाइयों, सूक्ष्म और लघु उद्योग, और अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को प्रति उधारकर्ता ₹10 लाख तक के नए ऋण का समर्थन किया जा सके।

गवर्नर श्री दास ने रिजर्व बैंक को वर्ष भर 'लड़ाई के लिए तत्परता', आवश्यकतानुसार अपरंपरागत बनने, चारों ओर से आ रहे संकट और संकट को दूर करने में सक्रिय रहने और भविष्य की लहरों से सावधान रहने के लिए प्रतिबद्ध किया है।









इस पृष्ठभूमि में, शेष आलेख को चार खंडों में संरचित किया गया है। खंड II वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से विकसित हो रहे विकास का एक सिंहावलोकन प्रस्तुत करता है। घरेलू अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित आवेगों की जांच खंड III में की गई है। खंड IV वर्तमान वित्तीय स्थितियों का जायजा लेता है, जबकि अंतिम खंड कुछ दृष्टिकोण निर्धारित करता है।

II. वैश्विक सेटिंग

वैश्विक आर्थिक गतिविधि मजबूत हो रही है क्योंकि टीकाकरण अभियान गति पकड़ रहा है। कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) में, यह प्रतिबंधों / सामाजिक दूरियों के मानदंडों में धीरे-धीरे ढील देने का मार्ग खोल रहा है। उच्च आवृत्ति संकेतकों के बेहतर प्रिंटों में फिर से पलटाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं, हालांकि यह अर्थव्यवस्थाओं के भीतर और बीच दोनों में झिझक और भिन्न होने की संभावना है। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा 2021 के लिए वैश्विक विकास अनुमानों में ऊपर की ओर संशोधन एक बेहतर दृष्टिकोण की ओर इशारा करते हैं। 28 अप्रैल, 2021 को जारी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक (एडीओ) में, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 2021 में विकासशील एशिया के लिए एक मजबूत रिबाउंड का अनुमान लगाया है। हालांकि, पर्यटन पर निर्भर अर्थव्यवस्थाएं सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं और इनमें धीरे-धीरे सुधार होने की उम्मीद है (सारणी 4)।

जुलाई 2020 के बाद पहली बार विनिर्माण की तुलना में उच्च गति से सेवाओं के विस्तार के साथ, वैश्विक समग्र पीएमआई अप्रैल में 11 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया (चार्ट 8)।

**सारणी 4 : वर्ष 2021 के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान –
चुनिन्दा आई और ईएमई**


देश	दिसंबर डेवलपमेंट आउटलुक सपलीमेंट	अप्रैल एसियन डेवलपमेंट आउटलुक 2021
विकसित अर्थव्यवस्थाएँ		
 यूएस	4.2	6.5
 यूरो एरिया	5.6	4.3
 जापान	2.3	2.9
उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाएँ		
 चीन	7.7	8.1
 इंडोनेसिया	4.5	4.5
 मलेशिया	7.0	6.0
 फिलीपींस	6.5	4.5
 भारत	8.0	11.0

स्रोत : एसियन डेवलपमेंट बैंक

प्रोत्साहन, टीकाकरण और लॉकडाउन में ढील के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था में एक मजबूत उछाल वापस ति 1: 2021 में 6.4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर को देखते हुए चल रहा है। यूके की अर्थव्यवस्था ति2:2021 की शुरुआत से लॉकडाउन से बाहर निकली है। सदस्यों के बीच व्यापक रूप से विभेदित विकास प्रोफाइल के साथ, वायरस के नए उछाल ने यूरोजोन को एक डबल-डिप मंदी में धकेल दिया है।


मार्च के मध्य से सुधार के बाद, कच्चे तेल की कीमतों में अप्रैल में और मई की पहली छमाही में, मई और जुलाई के बीच मौजूदा उत्पादन कटौती को कम करने के पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) के निर्णय के बावजूद, व्यापार सीमा से पहले 69 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल को पार कर गया। 13 मई, 2021 को यूएस \$66.96 प्रति बैरल पर, ब्रेंट की कीमतों में

चार्ट 8 : ग्लोबल पीएमआई इंडाइसेज



31.0 प्रतिशत (चार्ट 9ए) का समग्र वर्ष-दर-वर्ष लाभ हुआ। अप्रैल और मई में अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में गिरावट और अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने से सेफ-हेवन डिमांड (चार्ट 9बी) में गिरावट के साथ सोने की कीमतों में कुछ गिरावट आई। मांग-आपूर्ति असंतुलन के कारण बेस मेटल की कीमतों में तेजी जारी रही (चार्ट 9सी)।

कुछ अस्थिरता के कारण अप्रैल और मई की पहली छमाही में वित्तीय बाजारों में फिर से उछाल आया। अप्रैल के अंत में संक्षिप्त सुधारों को छोड़कर, प्रमुख आई में इक्विटी बाजारों में तेजी आई। मई में अब तक (13 मई, 2021 तक), आई बाजारों ने बढ़ती मुद्रास्फीति चिंताओं (चार्ट 10 ए) पर 11-12 मई को तेज सुधार के साथ अस्थिर गतिविधियों का प्रदर्शन किया है। प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में शेयर सूचकांक देश-विशिष्ट कारकों पर असहज रहे। कुल मिलाकर, मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (एमएससीआई) आई और ईएमई स्टॉक इंडेक्स ने 13 मई 2021 (चार्ट 10 ख) तक साल-दर-साल आधार पर क्रमशः 7.5 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत का शुद्ध लाभ दर्ज किया। वैश्विक आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) एक खतरनाक गति से



बढ़ी है, जिसमें 875 निर्गमों ने 2021 के पहले चार महीनों में 230 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं - दो दशक का रिकॉर्ड¹⁶।

कभी-कभार सुधार को छोड़ दें तो अप्रैल और मई में अब तक (13 मई 2021 तक) अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड में व्यापक रूप से कमी आई है जबकि मार्च में यह कई महीने के उच्च स्तर पर था, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाजार को उम्मीद थी कि मौद्रिक निभाव समय से पहले रोल-बैक होगा (चार्ट 10 सी)। 13 मई 2021 तक, यूएस 10-वर्षीय जी-सेक बॉन्ड प्रतिफल 31 मार्च 2021 को दर्ज 1.74 प्रतिशत से 8 आधार अंकों की कमी आई थी। अधिकांश अन्य एई और प्रमुख ईएमई में बॉन्ड प्रतिफल ने समान उतार-चढ़ाव का प्रदर्शन किया है (चार्ट 10 डी) मुद्रा बाजारों में, अमेरिकी डॉलर अब तक अप्रैल और मई में व्यापक रूप से कमजोर हुआ है, हालांकि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर (13 मई 2021 तक) इसमें 0.9 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। अधिकांश ईएमई मुद्राएं अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुईं, जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल में एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स (एमएससीआई-ईएम) इंडेक्स में 1.5 फीसदी और मई की पहली छमाही (13 मई 2021 तक) में 0.3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई (चार्ट 10 ई)।

अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान (आईआईएफ) के अनुसार, मई के पहले सप्ताह में थोड़े उलटफेर के साथ अप्रैल में ईएमई में







पोर्टफोलियो प्रवाह फिर से शुरू हुआ (चार्ट 10 एफ)। अप्रैल में कुल ईएम पोर्टफोलियो प्रवाह 45.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें ऋण प्रवाह कुल अंतर्वाह का 31.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। मई में अब तक (07 मई, 2021 तक), साप्ताहिक डेटा निवल इक्विटी बहिर्वाह का संकेत देता है।

मौद्रिक नीति के मोर्चे पर, यूएस फेडरल रिजर्व और यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ईसीबी) ने अस्थायी तत्वों के लिए मुद्रास्फीति में पिक-अप के शुरुआती संकेतों को जिम्मेदार ठहराते हुए, आस्तिकी खरीद के साथ-साथ अपने नरम रुख को बनाए रखा। बैंक ऑफ इंग्लैंड (बीओई) ने अपने उदार रुख और आस्तिकी खरीद की मात्रा को बनाए रखा है, लेकिन इसने प्रति सप्ताह आस्तिकी खरीद की गति को वर्तमान में £4.4 बिलियन से £3.4 बिलियन तक धीमा करने के अपने इरादे का संकेत दिया है¹⁷। बैंक ऑफ कनाडा को छोड़कर, अधिकांश प्रमुख एई ने अत्यधिक उदार मौद्रिक नीतियों को जारी रखा है, जिसने सरकारी बॉन्डों की साप्ताहिक खरीद को कम कर दिया है। बैंक ऑफ रशिया और बैंको सेंट्रल डो ब्रासील ने क्रमशः अप्रैल और मई में अपनी नीतिगत दरों में फिर से वृद्धि की, इस वर्ष अपनी लगातार दूसरी बढ़ोतरी को चिह्नित किया और मुद्रास्फीति की चिंताओं के बीच नीति को और सख्त करने का संकेत दिया, जबकि तुर्की के केंद्रीय बैंक ने मार्च में

¹⁶ फाइनेंसियल टाइम्स, अप्रैल 28।

¹⁷ <https://www.reuters.com/world/uk/bank-england-keeps-rates-size-bond-buying-plan-hold-2021-05-06/>

चार्ट 10: वित्तीय बाजार



स्रोत: ब्लूमबर्ग; फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ सेंट लुई; आईआईएफ

अपनी नीतिगत दर बढ़ाने के बाद अप्रैल और मई की दोनों बैठकें में यथा स्थिति बनाए रखा है। दूसरी ओर, चीन और थाईलैंड ने

वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही से अपनी नीतिगत दरों पर विराम बनाए रखा है।

III. घरेलू घटनाक्रम

वास्तविक अर्थव्यवस्था संकेतक अप्रैल और मई 2021 में कम हुए, क्योंकि कई राज्यों ने संक्रमण में नए सिरे से वृद्धि को रोकने के लिए प्रतिबंध लगाए। दूसरी लहर महानगरों/शहरों में तेज हो गई है, और पहली लहर के सापेक्ष, यह राज्यों, क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैल गई है। गूगल मोबिलिटी इंडिकेटर्स ने बेसलाइन की तुलना में अप्रैल और मई में सभी प्रमुख शहरों में गिरावट प्रदर्शित की। ऐपल मोबिलिटी इंडेक्स ने भी शहरों में इस घटती गतिशीलता की पुष्टि की (चार्ट 11ए और 11बी)। वास्तविक अर्थव्यवस्था पर दूसरी लहर का प्रभाव पहली लहर की तुलना में अब तक सीमित प्रतीत हो रहा है। जाहिर है, लॉकडाउन की स्थानीयकृत प्रकृति, लोगों को घर से काम करने के प्रोटोकॉल, ऑनलाइन डिलीवरी मॉडल, ई-कॉमर्स और


डिजिटल भुगतान के लिए बेहतर अनुकूलन काम कर रही है (चार्ट 11सी और 11डी)।

कुल मांग


कुल मांग की स्थिति प्रभावित हुई है, भले ही पहली लहर की तरह नहीं हो। अप्रैल में माल और सेवा कर (जीएसटी) संग्रह ₹1.41 लाख करोड़ जीएसटी (चार्ट 12) की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक था।

ई-वे बिल - घरेलू व्यापार का एक संकेतक - अप्रैल 2021 में माह-दर-माह (एम-ओ-एम) 17.5 प्रतिशत पर दोहरे अंकों का संकुचन दर्ज किया गया, जिसमें अंतर-राज्य और अंतर-राज्यीय ई-वे बिलों में क्रमशः (-) 16.5 प्रतिशत और (-) 19 प्रतिशत प्रति माह की गिरावट दर्ज की गई (चार्ट 13)। यह आने वाले महीनों में

चार्ट 11: आर्थिक गतिविधियों पर कोविड-19 की दूसरी लहर का असर




स्रोत: गूगल; सीएमआईआई; सीईआईसी; और पीओएसओसीओ



जीएसटी संग्रह में कमी की ओर इशारा कर सकता है। तेज गिरावट के बावजूद, कुल ई-वे बिल फरवरी 2020 की पूर्व-महामारी आधार रेखा से ऊपर रहे, जो दर्शाता है कि बिक्री प्लेटफार्मों के डिजिटलीकरण के कारण घरेलू व्यापार लचीला बना हुआ है।

पेट्रोल और डीजल की बिक्री के शुरुआती आंकड़े अप्रैल में ईंधन की मांग में गिरावट की ओर इशारा करते हैं, जो गतिशीलता


प्रतिबंधों के कारण है। डीजल की बिक्री में 1.7 प्रतिशत की कमी आई, जबकि अप्रैल 2021 में पेट्रोल की बिक्री में 6.3 प्रतिशत की गिरावट आई। अप्रैल में बिजली उत्पादन माह-दर-माह स्थिर रहा, लेकिन अप्रैल 2019 के पूर्व-महामारी आधार पर, यह 8.1 प्रतिशत की वृद्धि का संकेत देता है, जो औद्योगिक गतिविधि पर दूसरी लहर का सीमित प्रभाव को दर्शाता है। वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) आधार पर, बिजली उत्पादन में 39.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।




यात्री वाहनों (पीवी) के अधिकांश मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) ने अप्रैल में माह-दर-माह गिरावट दर्ज की, जो कमजोर मांग को दर्शाती है। दुपहिया वाहनों की डिस्पैच में भी 33.5 प्रतिशत माह-दर-माह का अनुबंध हुआ, जो कमजोर ग्रामीण मांग को दर्शाता है। वाहन पंजीकरण और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री जैसे अन्य वाहन संकेतकों ने क्रमिक दोहरे अंकों के संकुचन के बारे में बताया। ट्रैक्टर की बिक्री, जो शानदार तरीके से चल रही थी, आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं और डीलरशिप पर घटते ग्राहकों के बीच कमजोर हुई¹⁸।

सार्वजनिक आवाजाही पर प्रतिबंध से माल दुलाई और यात्री आवागमन में कमी परिलक्षित हुई। 1 मई 2021 को समाप्त हुए लगातार छठे सप्ताह दैनिक उड़ान भरने वालों की औसत संख्या गिर गई¹⁹। 17 अप्रैल से 1 मई को समाप्त के दौरान दैनिक उड़ान भरने वालों की औसत संख्या 1,93,000 से कम होकर 1,26,000 हो गई। रेलवे यात्री पंजीकरण अप्रैल के पहले सप्ताह के बाद से मंदी की स्थिति में वापस आ गए हैं (चार्ट 14)।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के घरेलू सर्वेक्षण के अनुसार, रोजगार की स्थिति अप्रैल में कम हो




गई, बेरोजगारी दर एक महीने पहले 6.5 प्रतिशत से चार महीने के उच्च स्तर 8 प्रतिशत पर पहुंच गई। बेरोजगारी की दर, हालांकि, पहली लहर के दौरान एक साल पहले के 23.5 प्रतिशत के उच्च स्तर से कम रही। इसी तरह के उतार-चढ़ाव ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में दिखाई दे रहे थे (चार्ट 15)। महामारी ने वर्ष



¹⁸ बिजनेस लाइन, 2 मई

¹⁹ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज

चार्ट 16: भारत का विदेश व्यापार – अप्रैल 2021




स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआई एंड एस; लेखक की गणना।

2019-20 में औसतन 42.7 प्रतिशत से श्रम भागीदारी दर को 39.9 प्रतिशत तक धीमा कर दिया है।

भारत का व्यापारिक निर्यात अप्रैल में बढ़कर 30.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक अनुकूल आधार प्रभाव और पूर्व-

महामारी स्तर (अप्रैल 2019) से लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है (चार्ट 16)²⁰। अप्रैल 2021 (अप्रैल 2019 की तुलना में) में निर्यात वृद्धि को संचालित करने वाले प्रमुख क्षेत्र इंजीनियरिंग सामान, रत्न और आभूषण, लौह अयस्क, दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान थे (चार्ट 17 ए)।


चार्ट 17: क्षेत्रों का सापेक्ष योगदान – अप्रैल 2019 की तुलना में अप्रैल 2021)



स्रोत: डीजीसीआई एंड एस और लेखक की गणना।

²⁰ अधिक यथार्थवादी मूल्यांकन प्रदान करने के लिए 20 अप्रैल 2021 की तुलना अप्रैल 2019 से की गई है, क्योंकि मार्च 2020 में लॉकडाउन शुरू होने के बाद से आर्थिक गतिविधियों का आकलन करने में आधार प्रभाव कई चुनौतियां पेश करती हैं।

चार्ट 18: स्वर्ण आयात



स्रोत: डीजीसीआई एंड एस और लेखक की गणना।


प्रमुख निर्यात गंतव्यों में तेजी से वैक्सीन रोलआउट के पीछे मजबूत बाहरी मांग स्पष्ट है।

अप्रैल में भारत का व्यापारिक आयात लगभग तीन गुना बढ़कर 45.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, हालांकि वृद्धि कोविड-पूर्व की अवधि (अप्रैल 2019) की तुलना में मामूली रही। जिन प्रमुख क्षेत्रों ने आयात को बढ़ाने में गति दी, वे थे सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोती और कीमती पत्थर और रासायनिक उत्पाद (चार्ट 17बी)।


हाल के महीनों में, सोने के आयात में तेजी से वृद्धि हुई है, मार्च के बाद अप्रैल में रिकॉर्ड सोने के आयात मूल्य और मात्रा दोनों के संदर्भ में लगातार सातवें महीने में विस्तार हुआ है (चार्ट 18ए और 18बी)। जेम्स एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी) के अनुसार, प्रमुख निर्यात गंतव्यों में मांग की स्थिति में सुधार, त्योहारी सीजन के साथ पहले स्थगित शायियों की घरेलू मांग ने सोने और आभूषणों की मांग को बढ़ा दिया है। बेहतर व्यापार और उपभोक्ता भावनाओं, सीमा शुल्क में कमी, अगस्त 2020 में रिकॉर्ड ऊंचे स्तर से सोने की कीमतों में गिरावट और वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये की मजबूती ने भी सोने में खुदरा निवेश को आकर्षित किया है।

ओपेक+ के उत्पादन में कटौती के फैसले के बाद कच्चे तेल की कीमतों में हालिया वृद्धि ने भारत के तेल आयात समूह विविधीकरण को गति दी है। भारत ने हाल के वर्षों में ओपेक देशों से कच्चे तेल के गैर-ओपेक उत्पादकों की ओर सफलतापूर्वक रुख किया है, जिससे हाल के महीनों में विविधीकरण के लिए अधिक जोर दिया गया है (चार्ट 19)। भारत ने गैर-ओपेक उत्पादकों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, कतर और

चार्ट 19: ओपेक पर से कच्चे तेल के आयात की निर्भरता को कम करना





स्रोत: डीजीसीआई एंड एस और लेखक की गणना।




मेक्सिको की ओर रुख किया है, जिससे सऊदी अरब पर अपनी निर्भरता कम हो गई है (चार्ट 20)। दरअसल, भारत के तेल आयात में ओपेक की हिस्सेदारी मार्च में घटकर दो दशक के निचले स्तर पर आ गई²¹।

स्वेज नहर के फिर से खुलने से वैश्विक रसद पर दबाव बढ़ गया और शिपिंग कंटेनरों की कमी के कारण माल ढुलाई की

कीमतों में भारी वृद्धि हुई (चार्ट 21)। माल ढुलाई में वृद्धि केवल कंटेनर शिपिंग तक ही सीमित नहीं है क्योंकि ड्राई बल्क कार्गो फ्रेट दरों में भी तेजी से वृद्धि हुई है। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, जो विभिन्न आकारों और मार्गों पर भारित औसत माल ढुलाई दर देता है, एक दशक के सबसे शीर्ष स्तर पर है (चार्ट 22)।



²¹ रायटर्स, 3 मई।



कुल आपूर्ति


महामारी की स्थिति में प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, रबी फसलों की कटाई तेजी से रही है, वहीं दलहन और तिलहन की कटाई लगभग पूरी हो चुकी है। गेहूँ की संचयी खरीद एक साल पहले (11 मई 2021 तक) की तुलना में 35.4 प्रतिशत अधिक रही है, जिससे सभी प्रमुख उत्पादक राज्यों के 34 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं (चार्ट 23)। गेहूँ की खरीद के कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के बहिर्वाह से कृषक समुदाय को लगभग 67,500 करोड़ रुपये का अंतरण हुआ है, जिससे ग्रामीण मांग को बढ़ावा मिल सकता है। अप्रैल के अंत तक अनाज का सार्वजनिक स्टॉक बफर मानदंडों के 4.8 गुना तक पहुंच गया। ग्रीष्मकालीन फसलों के तहत क्षेत्र बढ़कर 80 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है, जो कि मुख्य रूप से दलहन (69.2 प्रतिशत) और चावल (15.5 प्रतिशत) के तहत हुआ है, जिसे

फसलों के लिए किसानों द्वारा महसूस किए जा रहे उच्च प्रतिफल से प्रोत्साहन मिला है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अनुमान लगाया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून (एसडब्ल्यूएम) 31 मई को केरल पहुंचेगा। इस प्रत्याशा में, 30 अप्रैल 2021 को आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन खरीफ अभियान ने खाद्यान्न उत्पादन को रिकॉर्ड 307 मिलियन टन पर रखा, जो कि पिछले वर्ष के रिकॉर्ड उत्पादन से 1.7 प्रतिशत अधिक। गन्ने को छोड़कर, सभी फसलों के लिए निर्धारित उत्पादन लक्ष्य पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है (चार्ट 24)।

अप्रैल 2021 में हेडलाइन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 55.5 पर वृद्धि में रहा, जो एक महीने पहले 55.4 से मामूली सुधार हुआ (चार्ट 25ए)। सेवा क्षेत्र के पीएमआई में अप्रैल में भी लगातार सातवें महीने वृद्धि हुई, लेकिन गति में नरमी आई (चार्ट 25बी)।

चार्ट 24: फसल उत्पादन का लक्ष्य (2021-22)




मुद्रास्फीति

सीपीआई मुद्रास्फीति जो मार्च 2021 में 5.5 प्रतिशत थी अप्रैल 2021²² में 122 आधार अंक गिर कर 4.3 प्रतिशत हो गयी क्योंकि खाद्य और कोर (मूल) (सीपीआई खाद्य और ईंधन को

छोड़कर) मुद्रास्फीति में कमी हुई भले ही ईंधन मुद्रास्फीति ने एक पर्याप्त उठाव दर्ज किया हो (चार्ट 26ए)। खाद्य और मूल (कोर) मुद्रास्फीति में कमी बड़े अनुकूल आधार प्रभावों की वजह से आयी।


चार्ट 25: क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई)



स्रोत : आईएचएस मार्किट

²² राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने अप्रैल 2021 की मुद्रास्फीति की गणना के लिए अप्रैल 2020 के अध्यारोपित सूचकांक का उपयोग किया है।

चाट 26: सीपीआई मुद्रास्फीति



टिप्पणी : अप्रैल 2021 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति की गणना अप्रैल 2020 के लिए एक अद्यारोपित सीपीआई सूचकांक के आधार पर की गयी है।
स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ); और आरबीआई के कर्मचारियों का अनुमान।

सीपीआई समूह में, खाद्य और पेय की सीपीआई मुद्रास्फीति अप्रैल में घटकर 2.7 प्रतिशत हो गयी जो कि मार्च में 5.2 प्रतिशत थी क्योंकि सब्जियों, अनाजों, और चीनी की अवस्फीति में और अधिक बढ़त, दूध की कीमतों में अवस्फीति, और दालों, मसालों, और बने बनाए खाने की मुद्रास्फीति में कमी हुई (चाट 26बी)। दूसरा ध्यान देने योग्य विकास यह था कि खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति को छोड़कर सीपीआई मार्च के 5.9 प्रतिशत से घटकर अप्रैल में 5.4 प्रतिशत हो गयी इसके साथ ही ज़्यादातर उप-समूहों ने मुद्रास्फीति में कमी दर्ज की।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामलों के विभाग) के मई के लिए अब तक (1-12 मई 2021) के उच्च आवृत्ति वाले खाद्य मूल्य डेटा, अनाज को छोड़कर, प्रमुख खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़त दिखाते हैं (चाट 27)।

अप्रैल 2021 के मध्य से अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों के प्रक्षेपवक्र के ऊपर की ओर बढ़ने से, घरेलू पम्प की कीमतों में भी मई की शुरुआत से धीरे धीरे उछाल आना शुरू हो गया। 3 मई 2021 से 12 मई 2021 के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतें (चार प्रमुख शहरों की कीमतों का औसत) ₹1.53 प्रति लीटर और ₹1.85 प्रति लीटर बढ़कर क्रमशः ₹94.10 प्रति लीटर और ₹86.33 प्रति लीटर हो गयी। इस स्तर पर, पम्प की कीमतें नयी ऐतिहासिक ऊँचाइयों को छू रही हैं (सारणी 5)।

कृषि, औद्योगिक कच्चे-मालों, और ऊर्जा क्षेत्रों के बीच अंतरराष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतें भी तेज़ी से वृद्धि दर्ज करा रही हैं। इससे घरेलू लागत की स्थिति और बिगड़ती जा रही है।

सारणी 5: पेट्रोल उत्पाद की कीमतें


मदें	इकाई	घरेलू कीमतें			माह-दर-माह (प्रतिशत)	
		मई-20	अप्रैल-21	मई-21 [^]	अप्रैल-21	मई-21
पेट्रोल	₹/लीटर	73.97	92.64	93.17	-0.6	0.6
डीजल	₹/लीटर	67.07	84.54	85.21	-0.7	0.8
मिट्टी का तेल (सब्सिडी/छूट सहित)	₹/लीटर	14.43	30.32	30.38	3.2	0.2
एलपीजी (सब्सिडी/छूट रहित)	₹/सिलेंडर	578.63	819.63	819.63	-1.2	0.0

[^] : 1-12 मई 2021 की अवधि के लिए

टिप्पणी : मिट्टी के तेल को छोड़कर, अन्य सभी कीमतें चार प्रमुख शहरों (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई) के इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की कीमतों का औसत दर्शाती हैं, मिट्टी के तेल के लिए, कीमत कोलकाता, मुंबई और चेन्नई की सब्सिडी/छूट वाली कीमतों का औसत है।

स्रोत : आईओसीएल, पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी), और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट 27: डीसीए आवश्यक वस्तुओं की कीमतें




स्रोत : उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार; और आरबीआई स्टाफ का अनुमाना


IV. वित्तीय स्थितियां

चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के तहत दैनिक निवल समाशोधन औसतन अप्रैल 2021 में ₹5.78 लाख करोड़ और मई 2021 (12 मई 2021 तक) में ₹5.21 लाख करोड़ के साथ प्रणाली चलनिधि प्रचुर मात्रा में रही (चार्ट 28)।

अप्रैल और मई (12 मई तक) के दौरान भारित औसत कॉल दर (डबल्यूएसीआर), त्रिपक्षीय रिपो और बाज़ार रिपो दर ने रिवर्स रिपो से, औसतन, क्रमशः 15 आधार अंक, 18 आधार अंक, और 23 आधार अंक नीचे व्यापार किया। अन्य प्रमुख मुद्रा बाज़ार दरों में, 3-महीनों वाले खज़ाना बिल की दरों और 3 महीने वाले जमा प्रमाण पत्र (सीडी) की दरों ने रिवर्स रिपो दर के नीचे या उसके निकट व्यापार किया, जबकि मई 2021 में 3-महीने वाले वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) की ब्याज दरें रिवर्स रिपो दर से ऊपर रहीं (चार्ट 29)।

चार्ट 28: एलएएफ़ के तहत अतिरिक्त चलनिधि-खपत





कोविड-19 के मद्देनज़र ऋण की मांग कम होने के बीच निर्बाध अतिरिक्त चलनिधि होने के कारण जमा दरों में गिरावट का समायोजन तेज़ हो गया। मार्च 2020 से अप्रैल 2021 के दौरान, सावधि जमा दरों के औसत (नए जमा राशि पर कार्ड दरों को दर्शाता है) में 144 आधार अंको की गिरावट रही। उसी अवधि के दौरान, सीमांत लागत फंड-आधारित उधार दर (एमसीएलआर) के 1-वर्षीय औसत में संचयी रूप से 95 आधार अंकों की कमी आयी, जो फंड की समग्र लागत में कमी को दर्शाता है (सारणी 6)।

निश्चित आय खंड में, 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति के प्रतिफल में 14 आधार अंकों की कमी आयी और यह अप्रैल 2021 के अंत में 6.03 प्रतिशत रहा, जो कि जी सैप 1.0 द्वारा सक्षम था। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियों में निराकरण और हस्तांतरण के माध्यम से प्रतिफल वक्र पर अपने रुख का संकेत दिया। 9 अप्रैल 2021 को 2021-22 की पहली नीलामी में ₹11,000 करोड़ रुपये की सम्पूर्ण अधिसूचित राशि के लिए नए 5-वर्षीय जी-सेक पेपर का हस्तांतरण देखा गया। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने 16 अप्रैल 2021 को 10-

सारणी 6: रिपो दर से बैंकों की जमा और उधार दरों में अंतरण

(आधार अंक)

अवधि	रिपो दर	सावधि जमा दरें		उधार दरें		
		औसत सावधि जमा दर	डबल्यूएडी-टीडीआर	1-वर्षीय औसत एमसीएलआर	डबल्यूएलआर-बकाया रुपया ऋण	डबल्यूएलआर-नया रुपया ऋण
फरवरी 2019-सितंबर 2019	-110	-9	-7	-30	2	-40
अक्टूबर 2019- अप्रैल 2021*	-140	-174	-146	-120	-108	-154
मार्च 2020- अप्रैल 2021*	-115	-144	-107	-95	-90	-123
फरवरी 2019-अप्रैल 2021*	-250	-209	-153	-150	-106	-194
मार्च 2021	0	0	-1	0	-8	-16

*: डबल्यूएलआर और डबल्यूएडीटीडीआर पर नवीनतम डेटा मार्च 2021 से है।

डबल्यूएलआर : भारत औसत उधार दर, डबल्यूएडीटीडीआर : भारत औसत घरेलू सावधि जमा दर;

एमसीएलआर: फंड आधारित उधार दर की सीमांत लागत।

स्रोत : आरबीआई।

वर्षीय जी-सेक पेपर (₹14,000 करोड़ की अधिसूचित राशि) और 23 अप्रैल 2021 को 2026 में परिपक्व होने वाले एक और पेपर (₹11,000 करोड़ की अधिसूचित राशि) के लिए किसी भी बोली को स्वीकार नहीं किया। इन दोनों नीलामियों में, 16 अप्रैल 2021 को 2061 में पूरी होने वाली जी-सेक और 23 अप्रैल 2021 को 2050 में पूरी होने वाली दूसरी जी-सेक का आंशिक आबंटन किया गया। मई में आगे बढ़ते हुए, 6 मई को गति में नरमी को और सहयोग देने के लिए प्रत्येक पक्ष पर कुल ₹10,000 करोड़ की राशि का ऑपरेशन ट्विस्ट चलाया गया, और जी-सैप 1.0 के तहत 20 मई को जी-सेक खरीद की एक और दौर की घोषणा की गयी। प्राथमिक जी-सेक नीलामी जो 14 मई 2021 को आयोजित की गई थी, उसमें रिजर्व बैंक ने कोई भी 10 वर्षीय जी-सेक पेपर जिसकी अधिसूचित राशि ₹14,000 करोड़ थी उसकी बोली नहीं स्वीकार की। इन विकासों के साथ, बेंचमार्क 10-वर्षीय जी-सेक प्रतिफल उप-6 प्रतिशत के स्तर तक कम हो गया और 14 मई 2021 को 5.99 पर बंद हुआ। 2021-22 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार द्वारा ₹7.24 लाख करोड़ की सकल उधारी का, 20 प्रतिशत जो कि ₹1.46 लाख करोड़ है अब तक (14 मई 2021 तक) पूरा कर लिया गया है। कॉर्पोरेट बॉन्ड के प्रतिफलों में

भी कमी आयी, जिससे सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल में उतार-चढ़ाव पर नज़र रखी गयी। इसके अलावा, कॉर्पोरेट बॉन्ड के संबंधित जी-सेक पर विस्तार जारीकर्ता श्रेणियों और रेटिंग स्पेक्ट्रम के लिए कम हुआ (सारणी 7)।

भारत के इक्विटी बाज़ार ने अप्रैल 2021 के दौरान बहुत ही प्रचंड उतार चढ़ाव दिखाया क्योंकि निवेशक कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के तेज़ी से बढ़ने, ऑक्सिजन/वैक्सीन की आपूर्ति के मुद्दों और देश के विभिन्न भागों में नयी तालाबंदी-जैसी पाबंदियों की वजह से चिंतित हो गए थे (चार्ट 30)।

छह महीने के अंतराल के बाद, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) अप्रैल के महीने में इक्विटी बाज़ारों में ₹11,116 करोड़ की निवल बिक्री के साथ मंदी में आ गए। म्यूचुअल फंड, दूसरी तरफ, लगातार दूसरे महीने ₹5,526 करोड़ की निवल खरीदारी के साथ खरीदार बने रहे। 2021 में अब तक, एफपीआई ₹40,212 करोड़ के स्टॉक के निवल खरीदार हैं।


अप्रैल 2021 में एफपीआई ने घरेलू इक्विटी और ऋण बाज़ार दोनों में, 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल विक्रेता बनाया। मई में (10 तारीख तक), एफपीआई ने बिक्री जारी रखी,

सारणी 7: कॉर्पोरेट बॉन्ड प्रतिफल एवं विस्तार

जारीकर्ता	रेटिंग	उपज					विस्तार				
		अप्रैल-2020	मार्च-2021	अप्रैल-2021	परिवर्तन (अप्रैल 2020 से अधिक अप्रैल 2021)	परिवर्तन (अप्रैल 2020 से अधिक मार्च 2021)	अप्रैल-2020	मार्च-2021	अप्रैल-2021	परिवर्तन (अप्रैल 2020 से अधिक अप्रैल 2021)	परिवर्तन (अप्रैल 2020 से अधिक मार्च 2021)
		(प्रतिशत)			(बीपीएस)		(बीपीएस)			(बीपीएस)	
पीएसयू, बैंक एवं वित्तीय संस्थान	एएए	6.37	5.81	5.58	-79	-23	127	60	41	-86	-19
	एए	7.01	6.42	6.27	-74	-15	191	122	110	-82	-12
	बीबीबी -	9.87	9.59	9.47	-39	-12	477	438	430	-47	-8
कॉर्पोरेट	एएए	7.19	5.56	5.38	-181	-18	211	35	19	-192	-16
	एए	7.99	6.31	6.08	-190	-23	291	110	94	-197	-16
	बीबीबी -	11.15	10.17	10.05	-110	-12	614	496	486	-128	-10
एनबीएफसी	एएए	7.29	5.69	5.52	-177	-17	217	48	34	-184	-14
	एए	8.12	6.92	6.78	-134	-14	300	171	160	-140	-11
	बीबीबी -	11.56	11.18	11.04	-52	-14	638	597	586	-53	-11

टिप्पणी : उपज और विस्तार मासिक औसत हैं।


स्रोत : एफआईएमएमडीए




जिससे कुल 0.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवल बहिर्वाह को बढ़ाया (चार्ट 31)।

29 जनवरी 2021 को 590.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँचने के बाद, मूल्यांकन हानि के कारण 7 मई 2021 को विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 589.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (चार्ट 32)।

विदेशी मुद्रा बाजार में, अप्रैल 2021 में एफपीआई बहिर्वाह पर भारतीय रुपये (आईएनआर) का यूएस डॉलर के मुकाबले मूल्यहास हुआ। मार्च से अप्रैल 2021 में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये में 2.3 प्रतिशत की गिरावट आई है, लेकिन मई में इसमें मामूली वृद्धि हुई है (11 मई तक)। 40-वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईआईआर) सूचकांक के संदर्भ में, भारतीय





रुपये में एक महिने पहले के स्तर से 2.6 प्रतिशत का मूल्यहास हुआ है (चार्ट 33)।

भुगतान प्रणाली


अप्रैल और मई 2021 में अब तक डिजिटल लेनदेनों में तेजी जारी रही। तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) लेनदेनों की मात्रा में अप्रैल में तीन अंकों की, 179 प्रतिशत (वर्ष-

सारणी 8: चुनिंदा भुगतान प्रणालियों में वृद्धि दरें

भुगतान प्रणाली	लेन-देन की मात्रा में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)				लेन-देन के मूल्य में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)			
	मार्च-2020	मार्च-2021	अप्रै-2020	अप्रै-2021	मार्च-2020	मार्च-2021	अप्रै-2020	अप्रै-2021
आरटीजीएस	-12.8	70.1	-52.6	178.8	-19.0	7.8	-42.7	36.6
एनईएफटी	8.2	32.7	-13.5	62.7	-10.3	33.4	-36.4	56.6
यूपीआई	55.9	119.1	27.9	164.2	54.7	144.5	6.4	226.6
आईएमपीएस	14.0	67.5	-33.8	163.7	14.6	62.0	-28.4	147.3
एनएसीएच	11.2	12.5	64.4	-48.6	31.5	21.4	6.3	14.9
एनईटीसी	216.3	128.6	-60.5	1500.8	138.5	117.2	-57.7	1021.6
बीबीपीएस	-66.2	122.4	44.6	175.2	84.2	165.9	29.9	279.4

स्रोत : आरबीआई

दर-वर्ष) की वृद्धि हुई। खुदरा डिजिटल मोड समूह में, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी), तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस), भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) में भी भारी वृद्धि दर्ज की गई। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के तहत, लेनदेनों की मात्रा में अप्रैल में 164 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इसका मूल्य तीन गुना से अधिक बढ़कर ₹4.9 ट्रिलियन हो गया, जो एक साल पहले ₹1.5 ट्रिलियन था (सारणी 8)। डिजिटल संख्या में बढ़ोतरी आम जनता द्वारा भुगतान के इन तरीकों को अपनाने का संकेत है।



V. निष्कर्ष

कोविड-19 फिर से आने से वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में आर्थिक गतिविधि कमजोर हुई, लेकिन दुर्बल नहीं हुई है। हालांकि इस स्तर पर अत्यंत अस्थायी रूप से कहा जा सकता है कि, समग्र प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि गति का नुकसान एक साल पहले की तरह गंभीर नहीं है। दुख की बात है कि जीवन की हानि और संक्रमण के केसलोड अधिक हैं। जैसा कि डब्ल्यूएचओ ने कहा है, यह पूरी तरह से पहली लहर के विपरीत है - कोरोनावायरस का बी.1.617 प्रकार, पहली बार विदर्भ में पाया गया था और इसमें 13 उत्परिवर्तन हैं, इसकी तीव्र प्रसार क्षमता को देखते हुए इसे 'ग्लोबल वेरियंट ऑफ कन्सर्न' घोषित किया गया है। भारत में संक्रमण की गंभीर घटनाओं के अलावा, यह पहले से ही लगभग 50 देशों में फैल चुका है²³।

नए संक्रमणों का प्रभाव यू-आकार का है। यू का प्रत्येक स्कंध इस तूफान का सामना कर रहे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है - एक तरफ कृषि और दूसरी तरफ आईटी। यू की ढलानों पर एक तरफ संगठित और स्वचालित विनिर्माण हैं और दूसरी तरफ, ऐसी सेवाएं जिन्हें दूरी बनाकर दिया जा सकता है और जिसके लिए उत्पादकों और उपभोक्ताओं को कही जाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के कार्यकलाप महामारी प्रोटोकॉल के तहत कार्य कर रहे हैं। यू में सबसे कमजोर - ब्लू कॉलर समूह हैं जिन्हें जीवित रहने के लिए और समाज के जीवन के लिए जोखिम उठाना पड़ रहा है; डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों; कानून एवं व्यवस्था; और नगर निगम कर्मचारी; दैनिक मजदूरी करने वाले व्यक्ति; छोटे व्यवसाय, संगठित और असंगठित - के लिए नीतिगत हस्तक्षेप को प्राथमिकता देने की आवश्यकता होगी। इस दिशा में रिज़र्व बैंक, फिर से सुसज्ज होकर पूरी तैयारी के साथ सामने आया है। यह तो शुरुआत है। अभी और काम किया जाना अपेक्षित है।

मिशिगन विश्वविद्यालय के एक डेटा मॉडलिंग आकलन के अनुसार, कोविड-19 लोगों को कितनी तेजी से संक्रमित करता है

की प्रभावी पुनरुत्पत्ति संख्या (आर गिनती),- आबादी में लोगों की संख्या जो किसी भी विशिष्ट समय पर एक व्यक्ति द्वारा संक्रमित हो सकते हैं-भारत में कम होना शुरू हो गया है। 1 अप्रैल को राष्ट्रीय मीट्रिक का 1.61 आर काउंट 15 मई को 0.99 पर था, जो फरवरी के मध्य से सबसे कम है, जिससे वायरस के प्रसार दर में कमी का संकेत मिलता है। 16 मई को, दैनिक नए मामलों के सात-दिवसीय औसत में लगातार आठवें दिन गिरावट आई, जो यह दर्शाता है कि भारत विनाशकारी दूसरी लहर के चरम पर पहुंच सकता है। 18 राज्य नए मामलों कम होने की सूचना दे रहे हैं। हालांकि, आंकड़ों से पता चलता है कि लहर बड़े शहरों से छोटे शहरों और गांवों में जा रही है जहां परीक्षण कम हो रहा है और स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर अपर्याप्त है, और यहीं पर हमें वायरस को काबू में रखने के लिए अपने प्रयासों और ऊर्जा को फिर से केंद्रित करना चाहिए।

अब तक क्या कारगर रहा है? लॉकडाउन ने प्रसार्यता को नियंत्रित किया है। संक्रमण के प्रसार और आर्थिक गतिविधि के नुकसान को संतुलित करने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बजाय स्थानीय लॉकडाउन को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन जूरी इस संबंध में किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। दूसरी लहर के प्रादुर्भाव से महत्वपूर्ण सबक टीकाकरण, टीकाकरण, टीकाकरण है। जैसा कि प्रोफेसर अरविंद पनगढ़िया लिखते हैं, "अच्छी तरह से विकसित अपने वैकसीन निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र से, भारत उत्पादन को तेज गति से बढ़ाने के लिए सज्ज है। ग्रीनफील्ड क्षमता में संभावित निवेशकों को जोखिम से मुक्त करते हुए इसे अपनी सभी ब्राउनफील्ड क्षमता को जुटाना होगा ..."²⁴ अनुकरण के लिए कई कामयाबियों का अध्ययन किया जा रहा है - टीके की बर्बादी को रोकने का केरल मॉडल; बिस्तर आवंटन के लिए विकेन्द्रीत वॉर रूम मुंबई मॉडल; सख्त नियंत्रण का पुणे मॉडल; अदृश्य कोविड मामलों को अलग करने के लिए डोर टू डोर परीक्षण का यूपी मॉडल; मेडिकल ऑक्सीजन पर जम्मू और कश्मीर का आत्मानिर्भरता मॉडल; प्रवास में अत्यंत कमी आना; कारोबार कौशल को लेकर सहानुभूति दिखाना और सबसे

²³ वॉयस ऑफ अमेरिका

²⁴ अरविंद पनगढ़िया, इकोनॉमिक टाइम्स, 11 मई 2021, जो टीकाकरण कार्यक्रम को तेज करने के लिए खाका तैयार करता है।

महत्वपूर्ण, एक साथ मिलकर लोगों और परिवारों की दृढ़ता से सहायता करने का संकल्प। जुलु, उबंटू में कहा जाता है कि मैं हूँ क्योंकि आप हैं²⁵

आगे की राह खतरों से भरी है, लेकिन भारत की नियती दूसरी लहर में नहीं, बल्कि उससे आगे के जीवन में है। इन

खौफनाक क्षणों में, रिज़र्व बैंक के प्रतिष्ठित और सम्मानित उप गवर्नर स्वर्गीय श्री एस.एस. तारापुर द्वारा दिखाई गई राह की याद दिलाई जाती है:

“गर जन्नत ही जाना हो तो चल मेरे साथ; याद रख ऐ बंदे कि रास्ता है दोज़ख के बीच”²⁶

²⁵ सूजया बनर्जी, टाइम्स ऑफ इंडिया, 12 मई 2021

²⁶ 12 मई 1993 को एसोसिएशन ऑफ लीज़िंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज़ और मेगा फिन इंडिया लिमिटेड द्वारा आयोजित "वित्तीय कंपनियों पर कार्य समूह की रिपोर्ट" की संगोष्ठी पर उद्घाटन भाषणा

महामारी के दौरान एनबीएफसी का कार्यनिष्पादन: एक संक्षिप्त विवरण*

वर्ष 2020-21 की दूसरी और तीसरी तिमाही में महामारी और ऋण की मांग कम होने के परिणामस्वरूप एनबीएफसी का समेकित तुलन पत्र धीमी गति से बढ़ा। महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों के बावजूद, एनबीएफसी ने धीमी गति से ऋण देना जारी रखा था। खुदरा क्षेत्र को एनबीएफसी के वृद्धिशील ऋण का लाभ हुआ, जो आंशिक रूप से उनके कम जीएनपीए अनुपात और ग्राहकों की प्राथमिकताओं के अनुकूल होने की एनबीएफसी की क्षमता के कारण है। एनबीएफसी की लाभप्रदता में पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में 2020-21 की दूसरी तिमाही में सुधार हुआ क्योंकि व्यय में गिरावट आय में गिरावट की तुलना में अधिक थी। विनियामकीय सहनीयता के कारण 2019-20 की चौथी तिमाही की तुलना में एनबीएफसी की आस्ति गुणवत्ता में 2020-21 में अब तक सुधार देखा गया है, जबकि आस्ति गुणवत्ता पर महामारी का पूरा प्रभाव समय के साथ ही स्पष्ट हो सकता है।

भूमिका

भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का क्षेत्र आज जहां है, वहां तक पहुंचने के लिए बहुत उतार-चढ़ाव से गुजरा है। उनके परिचालन और वित्तीय मध्यस्थता में विविधता के पैमाने बढ़ती अर्थव्यवस्था की जरूरतों और विकसित विनियामक परिवेश के अनुसार उनके व्यवसाय मॉडल को बदलने में उनकी अनुकूलन क्षमता और तत्परता का प्रमाण है। एनबीएफसी नवोन्मेषी सेवा वितरण तंत्र के माध्यम से विविध, आवश्यकतानुसार वित्तीय उत्पादों के प्रस्तावों से क्रेडिट मध्यस्थता प्रक्रिया में बैंकों की सहायता करते हैं। इसके अलावा, वे आबादी के बैंक रहित क्षेत्र को ऋण की सुविधा प्रदान करके वित्तीय समावेशन भी करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, एनबीएफसी ने बैंकिंग क्षेत्र, पूंजी बाजार और अन्य वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं के साथ अपने अंतर्संबंधों के कारण प्रणालीगत महत्व प्राप्त कर लिया है। बैंकों की आस्ति गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के फलस्वरूप उन्होंने उधार देने के

क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। एनबीएफसी का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अनुपात 2012-13 के 8.6 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 12.2 प्रतिशत हो गया, जो महामारी के चलते 2019-20 में थोड़ा कम होकर 11.6 प्रतिशत हो गया (भारतीय रिज़र्व बैंक 2019-20)।

सितंबर 2018 में आईएल एण्ड एफएस डिफॉल्ट ने बाजार के भरोसे को प्रभावित किया और इसके परिणामस्वरूप एनबीएफसी को चलनिधि दबाव और उच्च उधार लागत का सामना करना पड़ा। रिज़र्व बैंक ने इस क्षेत्र पर अपनी विनियामक निगरानी को मजबूत किया और एनबीएफसी ने आस्ति-देयता असंतुलन को ठीक करने में भी सक्रिय कदम उठाए। आईएल एण्ड एफएस डिफॉल्ट के बावजूद बैंक उधारी की सहायता और सहायक नीतिगत उपायों से एनबीएफसी क्रेडिट में धीमी गति से वृद्धि हुई। हालांकि, एनबीएफसी क्षेत्र को अपनी दिशा मिल ही रही थी, कि कोविड-19 महामारी ने इस क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों को और बढ़ा दिया।

यह आलेख एनबीएफसी द्वारा प्रस्तुत पर्यवेक्षी डेटा के आधार पर महामारी के दौरान 2020-21 की दूसरी और तीसरी तिमाही में चुनिंदा एनबीएफसी के कार्यनिष्पादन का परीक्षण करता है¹। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और आर्थिक गतिविधियों में लगभग ठहराव के कारण 2020-21 में स्थावर क्षेत्र पर कोविड-19 के प्रभाव के कारण, एनबीएफसी को कड़ी चोट लगी है। आस्ति गुणवत्ता और चलनिधि दोनों पर महामारी का प्रभाव देखा जा सकता है, हालांकि बाद में समय पर नीतिगत उपायों से काफी हद तक समाधान किया गया था। आलेख एनबीएफसी की विभिन्न श्रेणियों को कवर करते हुए, खंड II में महामारी की अवधि के दौरान क्षेत्र का सिंहावलोकन प्रदान करता है। खंड III क्षेत्र का तुलन पत्र आधारित विश्लेषण और इसके क्षेत्रीय ऋण संवितरण से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। खंड IV महामारी की अवधि के दौरान एनबीएफसी के वित्तीय कार्यनिष्पादन और आस्ति गुणवत्ता पर चर्चा करता है। खंड V प्रमुख जानकारी देते हुए समाप्त होता है।

* यह आलेख अशोक साहू, परामर्शदाता के मार्गदर्शन में आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग के नदिनी जयकुमार, के.एम नीलिमा और गोपाल प्रसाद द्वारा तैयार किया गया है। इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

¹ यह आलेख 2020-21 की तीसरी तिमाही तक एक्सबीआरएल से नवीनतम तिमाही डेटा पर आधारित है। डेटा अनंतिम हैं और एनबीएफसी के वित्तीय परिचालन की दिशा और स्वरूप को दर्शाता है। एक्सबीआरएल प्लेटफॉर्म पर मार्च 2019 के बाद से डेटा उपलब्ध हैं। कंपनियों के एक तुलनात्मक समूह का पिछला डेटा बिजनेस ऑब्जेक्ट्स प्लेटफॉर्म से लिया गया है।

II. एनबीएफसी क्षेत्र का सामान्य सिंहावलोकन


31 जनवरी 2021 को रिज़र्व बैंक में 9,507² एनबीएफसी पंजीकृत थे। कंपनियों की संख्या के संवितरण के अनुसार ₹500 करोड़ से कम आस्ति आकार वाले गैर-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा न लेने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी) का प्रमुख हिस्सा है (चार्ट 1 ए)। जब उनको देयता संरचना (निधि के स्रोत के रूप में जनता की जमाराशियां) के अनुसार समूहित किया जाता है, तो एनबीएफसी को जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी) या जमा न लेने वाली एनबीएफसी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जमा लेने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी) की संख्या धीरे-धीरे कम होती गई और वर्तमान में 64 हैं, जिनमें से छह को आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45 एमबी के अंतर्गत इसके आगे जमा स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया गया है। ₹500 करोड़ से अधिक आस्ति आकार के गैर-जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है (एनबीएफसी-एनडी-एसआई)। मार्च 2020 के अंत में इस क्षेत्र की कुल आस्तियों के संदर्भ में, एनबीएफसी-एनडी-एसआई का लगभग 83 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि एनबीएफसी-

डी का हिस्सा 14.5 प्रतिशत और एनबीएफसी-एनडी, 2.3 प्रतिशत है (चार्ट 1 बी)।

चूंकि एनबीएफसी की विशिष्ट क्षेत्रों को ऋण देने और विशिष्ट क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने में विशेषज्ञता है, इसलिए उन्हें उनके कार्यकलापों के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। 21 फरवरी 2019 तक, एनबीएफसी को 12 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। इसके बाद, एनबीएफसी को अधिक परिचालन लचीलापन प्रदान करने के लिए इन श्रेणियों को सुसंगत बनाया गया। नतीजतन, आस्ति वित्त कंपनियों (एएफसी), ऋण कंपनियों (एलसी) और निवेश कंपनियों (आईसी) को निवेश और क्रेडिट कंपनी (एनबीएफसी-आईसीसी) नामक एक नई श्रेणी में मिला दिया गया। वर्तमान में, कार्यकलाप आधारित वर्गीकरण में एनबीएफसी की 12 श्रेणियां हैं (सारणी 1)³।

विश्लेषण में निरंतरता के लिए, इस आलेख में केवल उन एनबीएफसी को शामिल किया गया है जिन्होंने मार्च 2019 से दिसंबर 2020 तक सभी तिमाहियों में नियमित रूप से रिटर्न प्रस्तुत किए हैं⁴। दिसंबर 2020 में एनबीएफसी क्षेत्र की आस्तियों

चार्ट 1: एनबीएफसी का संवितरण: आस्तियों में शेयर तथा संख्या



² एचएफसी को छोड़कर।

³ नेशनल हाउसिंग बैंक अधिनियम, 1987 में संशोधन के अनुसार एचएफसी को विनियामकीय प्रयोजन के लिए एनबीएफसी की श्रेणी भी माना जाता है।

⁴ नमूना में सीआईसी और पीडी शामिल नहीं है।

सारणी 1: कार्यकलापों के अनुसार एनबीएफसी क्षेत्र का वर्गीकरण

एनबीएफसी का प्रकार	कार्यकलाप का स्वरूप / प्रमुख व्यवसाय
निवेश और क्रेडिट कंपनी (आईसीसी)	उधार और निवेश।
इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी)	इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ऋण प्रदान करना।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड (आईडीएफ)	इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना।
कोर निवेश कंपनी (सीआईसी)	शेयरों और प्रतिभूतियों का अधिग्रहण करना।
एनबीएफसी- माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (एनबीएफसी-एमएफआई)	छोटे उधारकर्ताओं को संपार्श्विक मुक्त ऋण और अग्रिम प्रदान करना।
एनबीएफसी - फैक्टर	फैक्टरिंग व्यवसाय यानी प्राप्य का वित्तपोषण करना।
गेर-संचालन वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएचएफसी)	अपने प्रवर्तक/प्रवर्तक समूहों के माध्यम से निजी क्षेत्र में नए बैंक स्थापित करना।
बंधक गारंटी कंपनी (एमजीसी)	ऋण के लिए बंधक गारंटी प्रदान करना।
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (एआरसी)	बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा बेची गई वित्तीय आस्तियों का अधिग्रहण और लेनदेन।
पीयर-टू-पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (पी2पी)	ऋणदाताओं और कर्जदारों को एक साथ लाने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करना ताकि फंड जुटाने में मदद मिल सके।
अकाउंट एग्रीगेटर (एए)	ग्राहक की वित्तीय आस्तियों के बारे में ग्राहक या अन्य को ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट समेकित, संगठित और पुनर्प्राप्ति योग्य तरीके से जानकारी एकत्र करना और प्रदान करना।
हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (एचएफसी)	हाउसिंग के लिए फाइनेंसिंग।

स्रोत: आरबीआई

का लगभग 78 प्रतिशत हिस्सा हमारे नमूना एनबीएफसी का है⁵। इस नमूने में, दिसंबर 2020 के अंत में एनबीएफसी क्षेत्र की आधे से अधिक आस्तियां एनबीएफसी-आईसीसी के पास हैं। नमूना एनबीएफसी के कुल आस्तियों में दूसरा बड़ा हिस्सा आईएफसी का है जिसमें बड़े पैमाने पर सरकारी स्वामित्व की एनबीएफसी शामिल हैं। एनबीएफसी-एमएफआई के नमूना एनबीएफसी की आस्तियों में लगभग दो प्रतिशत हिस्सा है जो सूक्ष्म वित्त और वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं (सारणी 2)।

सारणी 2: एनबीएफसी की श्रेणी: कुल आस्ति में हिस्सा

(प्रतिशत)

एनबीएफसी की श्रेणी	मार्च-20	सितं-20	दिसं-20
निवेश और क्रेडिट कंपनी (आईसीसी)	51.7 (212)	50.7 (212)	50.3 (212)
आईएफसी	44.7 (4)	45.5 (4)	45.8 (4)
एनबीएफसी-आईडीएफ	1.3 (4)	1.4 (4)	1.4 (4)
एनबीएफसी - एमएफआई	2.1 (17)	2.1 (17)	2.2 (17)
एनबीएफसी-एनओएचएचसी	0.1 (1)	0.2 (1)	0.2 (1)
एनबीएफसी-फैक्टर	0.1 (2)	0.1 (2)	0.1 (2)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रत्येक श्रेणी में कंपनियों की संख्या दर्शाते हैं।

स्रोत: पर्यवेक्षी रिटर्न, आरबीआई।

⁵ एनबीएफसी क्षेत्र में सीआईसी शामिल नहीं है।

III. एनबीएफसी का तुलन पत्र आधारित विश्लेषण

एनबीएफसी के समेकित तुलन पत्र ने 2020-21 की दूसरी और तीसरी तिमाही में क्रमशः 13.0 प्रतिशत और 11.6 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की (सारणी 3)। वर्ष 2019-20 की इसी

सारणी 3: एनबीएफसी का समेकित तुलन पत्र

(₹ करोड़)

मदें	के अंत में बकाया राशि			व-द-व वृद्धि (प्रतिशत)	
	मार्च-20	सितं-20	दिसं-20	सितं 19 की तुलना में सितं 20	दिसं 19 की तुलना में दिसं 20
1. शेयर पूंजी	73,842	74,966	75,115	8.2	6.9
2. आरक्षित निधियां और अधिशेष	3,30,185	3,65,098	3,78,106	16.6	14.1
3. जनता की जमाराशियां	30,560	34,956	38,271	15.4	33.2
4. कुल उधार	17,01,232	17,43,952	17,63,138	11.7	11.0
5. वर्तमान देयताएं	39,589	49,208	54,602	-12.6	-25.2
6. प्रावधान	88,429	97,789	1,01,366	32.3	38.4
कुल देयताएं/आस्तियां	22,93,761	23,97,732	24,37,131	13.0	11.6
1. ऋण और अग्रिम	16,47,904	17,11,491	17,31,859	4.8	2.5
2. निवेश	1,88,784	2,03,077	2,03,094	9.7	8.7
3. नकद और बैंक शेष	77,531	88,545	90,063	34.5	52.4
4. अन्य वर्तमान आस्तियां	1,70,467	1,83,587	2,00,035	1,93.2	2,05.3

टिप्पणी: 1. डेटा अनंतिम हैं।

2. यहां सभी घटकों की सूचना प्राप्त न होने के कारण संख्याओं को जोड़ा नहीं जा सकता।

स्रोत: पर्यवेक्षी रिटर्न, आरबीआई

तिमाहियों की तुलना में इस कमी को कोविड-19 प्रेरित आर्थिक मंदी और कमजोर मांग को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हालांकि, प्रतिकूल समष्टी आर्थिक वातावरण में यह दो अंकों की वृद्धि एनबीएफसी के लचीलेपन को दर्शाती है, जो प्रौद्योगिकी को यथोचित रूप में जल्दी से अपनाकर, नीति समर्थन और मजबूत मूल सिद्धांतों के जरिए अपने तुलन पत्र पर महामारी के प्रभाव को कम करने में सक्षम रहे। एनबीएफसी-एनडी-एसआई और एनबीएफसी-डी दोनों ने 2020-21 की दूसरी और तीसरी तिमाही में ऋण और अग्रिम में तीव्र कमी के कारण अपने तुलन पत्र में पिछली अवधियों की तुलना में, गिरावट का सामना किया (अनुबंध सारणियां 1, 2 और 3)।

III.1 एनबीएफसी की देयताओं की संरचना


एनबीएफसी अपनी निधि आवश्यकताओं के लिए जमानती और गैर-जमानती उधार दोनों स्रोतों पर निर्भर हैं। बैंक उधार, डिबेंचर, और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) उनके वित्तपोषण के प्रमुख स्रोत हैं। तथापि बैंक उधार और डिबेंचर निर्गम जमानती या गैर-जमानती हो सकता है, वाणिज्यिक पत्र और अंतर-कंपनी उधार गैर-जमानती स्रोत हैं। आईएल एण्ड एफएस के बाद जोखिम से बचने और बाजार निराशावाद के कारण, कुल उधारी में बाजार उधारी (डिबेंचर और सीपी) का हिस्सा गिर गया था और तदनुसार, बैंक उधार का हिस्सा बढ़ गया था। एनबीएफसी

भी अपनी आस्ति-देयता असंतुलन का प्रबंधन करने के लिए अपनी आस्तियों के कार्यकाल के अनुरूप दीर्घावधि के उधार की ओर बढ़े।



वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही, देशव्यापी लॉकडाउन के बाद की तिमाही में, वृद्धि में कमी के साथ-साथ अत्यधिक जोखिम से बचने और प्रतिफल में स्पाइक के कारण बाजार उधारी की हिस्सेदारी में कमी देखी गई। हालांकि, रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा कोविड-19 व्यवधानों से निपटने के लिए किए गए विभिन्न चलनिधि बढ़ाने के उपायों ने बाजार में अनुकूल स्थितियां निर्माण की और 2020-21 की दूसरी और तीसरी तिमाही में स्थिति सहज हुई, जो बाजार उधार में पिक-अप से, विशेष रूप से डिबेंचर निर्गम से पता चलता है। इसी अवधि में, बैंक उधारों में तीव्र गति से वृद्धि हुई, हालांकि 2020-21 की तीसरी तिमाही में मामूली गिरावट देखी गई (चार्ट 2)।

कोविड-19, वित्तीय बाजारों में बिकवाली और म्यूचुअल फंड द्वारा विशिष्ट योजनाओं के अचानक समापन के प्रतिकूल संमिश्रण से एनबीएफसी को 2020-21 की पहली तिमाही में अपने कर्ज प्रतिफल पर रिकॉर्ड स्पाइक का सामना करना पड़ा। जोखिम से बचने की हद तक एनबीएफसी के कर्ज बाजार लिखतों का स्प्रेड स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल पर तीन वर्षीय एएए एनबीएफसी बॉन्ड का प्रतिफल मई

चार्ट 2: एनबीएफसी की उधारियां



चार्ट 3: एनबीएफसी के बाजार लिखतों का स्प्रेड



स्रोत: 1. ब्लूमबर्ग
2. आरबीआई

2020 में 230 आधार अंक तक पहुंच गया, जबकि ट्रेजरी बिल प्रतिफल पर सीपी का स्प्रेड अप्रैल 2020 में 236 आधार अंक तक पहुंच गया।


जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, नीतिगत हस्तक्षेपों ने इस क्षेत्र की बाधाओं को समाप्त करने में सहायता की और बाजार के विश्वास की वापसी के लिए मार्ग प्रशस्त किया क्योंकि 2020-21 की दूसरी और तीसरी तिमाही में कोविड पूर्व अवधि से कम स्तर तक स्प्रेड संकुचित हुआ था (चार्ट 3)। फिर भी, चलनिधि अधिशेष और आक्रामक नीतिगत दर में कटौती के बावजूद, उच्च रेटेड और अन्य एनबीएफसी के बीच बाजार भेदभाव जारी रहा।

एनबीएफसी पत्र, विशेष रूप से डिबेंचर की, बाजार सहभागियों के मेजबान द्वारा सदस्यता ली जाती है। दिसंबर 2020 में बैंक, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां और पेंशन फंड सब मिलाकर एनबीएफसी डिबेंचर बाजार का आधा हिस्सा थे। एनबीएफसी डिबेंचर निर्गम में खुदरा भागीदारी की समग्र सदस्यता में छोटे हिस्से के बावजूद जून 2020 के बाद से वृद्धि देखी गई (चार्ट 4 ए)। दूसरी ओर, सीपी बाजार में म्यूचुअल फंड

और बैंकों का वर्चस्व रहा, जिनका 2020-21 की तीसरी तिमाही में एनबीएफसी सीपी निर्गम में 93 प्रतिशत हिस्सा हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, म्यूचुअल फंडों ने मोचन दबाव के कारण मार्च और सितंबर 2020 के बीच एनबीएफसी सीपी में अपने जोखिम को कम कर दिया है। हालांकि 2020-21 की तीसरी तिमाही में म्यूचुअल फंडों की एनबीएफसी सीपी में नए सिरों से दिलचस्पी देखी गई। 2020-21 की पहली तिमाही के बाद बैंकों का सीपी सब्सक्रिप्शन स्थिर गति से बढ़ा (चार्ट 4बी)।

दिसंबर 2020 के अंत में एनबीएफसी बैंक उधार की तुलना में मीयादी ऋण का हिस्सा 4/5 था, इसके बाद कार्यशील पूंजी ऋण और नकद ऋण है। जबकि मीयादी ऋण जबरदस्त गति से बढ़ते रहे, 2019-20 की दूसरी और तीसरी तिमाही की तुलना में 2020-21 की दूसरी और तीसरी तिमाही में गिरावट देखी गयी, जो कि निधि की ऑन-लेंडिंग मांग दर्शाती है। 2020-21 की तीसरी तिमाही में कार्यशील पूंजी ऋणों में वृद्धि देखी गई क्योंकि एनबीएफसी ने अपने पैर जमाने की कोशिश की और आर्थिक कार्यकलाप कर्षण प्राप्त करना शुरू कर दिया (चार्ट 5)।

चार्ट 4: एनबीएफसी कर्ज लिखितों के ग्राहकों का संस्था वार विवरण




टिप्पणी: डेटा अनंतिम है।
 स्रोत: पर्यवेक्षी रिटर्न, आरबीआई

III.1.1 अल्पावधि और दीर्घावधि उधार की प्रवृत्ति



आईएल एण्ड एफएस घटना के बाद, एनबीएफसी क्षेत्र ने अपनी आस्तित्व-देयता असंतुलन को कम करने के लिए अल्पावधि उधारों को दीर्घावधि अवधि में बदलने का प्रयास किया। तदनुसार, 2020-21 (व-द-व) की तीसरी तिमाही में मीयादी ऋण वृद्धि 22.6 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 18.3 प्रतिशत के उच्च स्तर

पर रही, यद्यपि मार्च 2020 से धीरे-धीरे गिरावट देखी गई है। दूसरी ओर, एनबीएफसी द्वारा सीपी निर्गम में 2020-21 की दूसरी और तीसरी तिमाही में गिरावट जारी रही (चार्ट 6)। एनबीएफसी का 70 प्रतिशत से अधिक उधार 12 महीनों के बाद देय है और उनका हिस्सा स्थिर बना हुआ है, जो एनबीएफसी के बीच बढ़ते बाजार अनुशासन का संकेत देता है (चार्ट 7)।

चार्ट 5: एनबीएफसी की बैंक उधारियों की संरचना




टिप्पणी: डेटा अनंतिम है।
 स्रोत: पर्यवेक्षी रिटर्न, आरबीआई





III.2 एनबीएफसी आस्तियों की संरचना

वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में ऋण और अग्रिम का हिस्सा कुल आस्तियों के लगभग 71 प्रतिशत था और एनबीएफसी की तुलना पत्र के आस्तित्व पक्ष में सबसे बड़ा घटक बना रहा। एनबीएफसी ने 2020-21 (व-द-व) की दूसरी और तीसरी तिमाही में क्रमशः 4.8 प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत क्रेडिट वृद्धि दर्ज की। आय और आजीविका की हानि और परिणामस्वरूप खपत की मांग में गिरावट के साथ-साथ अपने विवेक पर खर्च करने के

कारण एनबीएफसी की ऋण वृद्धि उनकी प्रचलित मजबूत प्रवृत्ति के विपरीत मामूली बनी रही। यहां तक कि निवेश भी 2020-21 की तीसरी तिमाही में 8.7 प्रतिशत की दर से धीरे-धीरे बढ़ा, जबकि 2019-20 की तीसरी तिमाही में यह 24.4 प्रतिशत था, जो कम ब्याज दर व्यवस्था में लाभदायक निवेश के अवसरों की कमी दर्शाता है। हालांकि, महामारी के कारण वर्तमान अनिश्चितता को देखते हुए पर्याप्त चलनिधि सुनिश्चित करने के लिए एनबीएफसी ने नकदी को संभाल कर रखा (चार्ट 8)।



चार्ट 9: एनबीएफसी-एनडी-एसआई का श्रेणी-वार ऋण





टिप्पणी: डेटा अनंतिम है।
 स्रोत: पर्यवेक्षी रिटर्न, आरबीआई

एनबीएफसी द्वारा दिए गए कुल ऋण का लगभग 96 प्रतिशत हिस्सा सीसी और आईएफसी का है (चार्ट 9ए)। क्रेडिट वृद्धि में समग्र गिरावट सभी श्रेणियों में विशेष रूप से आईसीसी और आईएफसी में प्रतिबिंबित हुई, बाद में 2020-21 की तीसरी तिमाही में क्रेडिट वृद्धि में गिरावट देखी गई। वर्ष 2020-21 की दूसरी तथा तीसरी तिमाही में एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा ऋण वितरण कम हुआ लेकिन अन्य श्रेणियों की तुलना में तेज गति से बढ़ा (चार्ट 9बी)।

एनबीएफसी ऋण पोर्टफोलियो के विश्लेषण से भी यह पता चलता है कि एनबीएफसी के 70 प्रतिशत से अधिक अग्रिम दीर्घावधि हैं (अर्थात एक वर्ष से अधिक समय के बाद प्राप्य)। महामारी के प्रकोप के बाद 3 महीने से भी कम समय के बकेट में एनबीएफसी के ऋण हिस्से में वृद्धि, अर्थव्यवस्था की अल्पावधि ऋण जरूरतों को पूरा करने में एनबीएफसी की भूमिका को दर्शाती है (चार्ट 10 ए)। आईसीसी, आईएफसी और आईडीएफ द्वारा दीर्घावधि के ऋण और अग्रिम बड़े पैमाने पर वितरित किए जाते

चार्ट 10: टाईम-बकेट अनुसार ऋण पोर्टफोलियो



टिप्पणी: डेटा अनंतिम है।
 स्रोत: पर्यवेक्षी रिटर्न, आरबीआई

हैं, जबकि आईसीसी और एमएफआई अल्पावधि ऋण देने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। एमएफआई विशेष रूप से वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए कम राशि के ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एमएफआई ऋणों की हिस्सेदारी में, विशेष रूप से 2020-21 की पहली तिमाही में (और निरंतर, 3 महीने से कम के ऋण), 3 महीने से कम बकेट और 3-12 महीने बकेट में वृद्धि, कोविड-19 के प्रकोप के बाद छोटे उधारकर्ताओं को उनकी अल्पावधि जरूरतों के लिए गैर-जमानती अल्पावधि ऋण प्रदान करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की ओर संकेत करती है (चार्ट 10बी)।


एनबीएफसी के तुलन पत्र के आस्ति पक्ष में ऋण और अग्रिम के बाद निवेश दूसरा सबसे बड़ा घटक है। एनबीएफसी का लगभग 60 प्रतिशत निवेश दीर्घावधि है। एनबीएफसी के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रकार के लिखतों में, इक्विटी शेयर और म्यूचुअल फंड के यूनिट सबसे प्रचलित हैं, जिसमें एनबीएफसी कुल निवेश के लगभग 67 प्रतिशत निवेश करता है, इसके बाद सरकारी प्रतिभूतियों और सरकारी गारंटीकृत बॉण्डों में निवेश किया जाता है। म्यूचुअल फंड के निवेश में वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में कमी से पहले 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही में उछाल देखा गया (चार्ट 11)।

III.3 ऋण का क्षेत्रीय नियोजन⁶

औद्योगिक क्षेत्र एनबीएफसी-एनडी-एसआई से ऋण का सबसे बड़ा आदाता रहा है, 2019-20 की तीसरी तिमाही और 2020-21 की तीसरी तिमाही के बीच इसका हिस्सा भले ही कम हुआ हो। खुदरा क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र अन्य प्रमुख लाभार्थी हैं और आलोच्य अवधि के दौरान उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है (चार्ट 12ए)। औद्योगिक क्षेत्र, विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु और बड़े उद्योग, क्रेडिट वृद्धि में गिरावट के कारण महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। लॉकडाउन लागू करने, आर्थिक गतिविधियों को अचानक बंद करने और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान इन क्षेत्रों को सबसे अधिक प्रभावित कर सकता था। वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में संवितरण में कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई, हालांकि, यह आंशिक रूप से अनुकूल आधार प्रभाव के कारण हो सकता है। सेवाओं और खुदरा ऋण क्षेत्र ने समग्र प्रवृत्ति को पीछे छोड़ दिया और पिछले वर्ष दिसंबर 2020 की तुलना में वृद्धि दर्शायी, हालांकि पूर्व के मामलों में, यह आधार प्रभाव के कारण हो सकता है (चार्ट 12 बी)।



वर्ष 2020-21 की दूसरी और तीसरी तिमाही में खुदरा क्षेत्र को वृद्धिशील ऋण प्रवाह (वर्ष-दर-वर्ष आधार पर) धीमी गति से बढ़ता रहा, लेकिन वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में सेवा क्षेत्र

चार्ट 11: एनबीएफसी का निवेश प्रोफाइल



⁶ यह खंड हमारे नमूनों से सिर्फ चुनिंदा एनबीएफसी-एनडी-एसआई पर केन्द्रित है क्योंकि एनबीएफसी-डी का तुलनात्मक क्षेत्रीय डेटा 2018-19 के लिए उपलब्ध नहीं है।

चार्ट 12: एनबीएफसी-एनडी-एसआई का क्षेत्रवार ऋण



टिप्पणी: डेटा अनंतिम है।
 स्रोत: पर्यवेक्षी रिटर्न, आरबीआई

में मामूली वृद्धि देखी गई तथा वाहन ऋण, स्वर्ण ऋण, परिवहन और पर्यटन को इसका फायदा हुआ। खुदरा क्षेत्र के खिलाड़ी जनता के मनोभाव का अनुमान लगाते हुए अपने बल पर वक्र से ऊपर रहे।


महामारी के कारण सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता से, दिसंबर 2020 में यात्री वाहनों की बिक्री में 13.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई⁷। यह एनबीएफसी द्वारा वाहन ऋण के वितरण में परिलक्षित हुआ, क्योंकि वर्ष 2020-21 तीसरी तिमाही में इन ऋणों में 10.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। छोटी फर्मों की नकदी आवश्यकताओं और संभावित कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सोने के बदले ऋण में भी अत्यधिक वृद्धि हुई। हालांकि, उसी अवधि में उद्योगों के वृद्धिशील ऋण में गिरावट आई क्योंकि इस क्षेत्र में अभी तक महामारी का प्रभाव जारी रहा (चार्ट 13)।

IV. एनबीएफसी का वित्तीय कार्यनिष्पादन और आस्ति गुणवत्ता

वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में कोविड-19 के तुरंत बाद एनबीएफसी की लाभप्रदता कम हुई, क्योंकि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण व्यवसायों को आर्थिक नुकसान हुआ।


⁷ स्रोत: सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स

चार्ट 13: वृद्धिशील ऋण



टिप्पणी: डेटा अनंतिम है।
 स्रोत: पर्यवेक्षी रिटर्न, आरबीआई


आस्ति पर रिटर्न (आरओए) और इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) दोनों में 2020-21 की पहली तिमाही में 2019-20 की इसी अवधि की तुलना में गिरावट आई। हालांकि 2020-21 की दूसरी तिमाही में स्थिति में मामूली सुधार हुआ क्योंकि एनबीएफसी के व्यय में आय की तुलना में भारी गिरावट आई। 2019-20 की दूसरी तिमाही में आरओए और आरओई 1.8 और 10.3 प्रतिशत



से बढ़कर वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में क्रमशः 2.3 और 12.7 प्रतिशत हुआ। क्षेत्र की लाभप्रदता 2020-21 की तीसरी तिमाही में स्थिर रही।

एनबीएफसी की आस्ति गुणवत्ता में विनियामकीय सहनीयता के कारण 2019-20 की चौथी तिमाही की तुलना में 2020-21 में अब तक सुधार देखा गया। हालांकि, 2019-20 की इसी अवधि की तुलना में एनबीएफसी का जीएनपीए अनुपात 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही में बढ़ा था। वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में जीएनपीए और एनएनपीए दोनों अनुपात 2019-20 की तीसरी तिमाही की तुलना में गिर गए। फिर भी, इस क्षेत्र के वास्तविक एनपीए का अंदाजा आगामी तिमाहियों में लगाया जा सकता है क्योंकि मार्च 2021 में आस्ति वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम रोक आदेश को हटा दिया गया है (चार्ट 14)।

सभी क्षेत्रों में, उद्योग के जीएनपीए अनुपात में क्रमिक गिरावट देखी गई, जबकि खुदरा ऋणों का जीएनपीए अनुपात अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम रहा। वर्ष 2020-21 के दौरान एनबीएफसी की आस्ति गुणवत्ता में सुधार का श्रेय आंशिक रूप से औद्योगिक क्षेत्र में क्षतिग्रस्त आस्तियों में कमी को दिया जा सकता है (चार्ट 15)।



V. निष्कर्ष

एनबीएफसी का समेकित तुलन पत्र वर्ष 2020-21 की दूसरी और तीसरी तिमाहियों में धीमी गति से बढ़ा क्योंकि अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी और कम ऋण मांग की प्रतिकूलता का सामना करना पड़ा। हालांकि, एनबीएफसी ने महामारी के कारण हुए व्यवधानों के बावजूद धीमी रफ्तार से ऋण देना जारी रखा। तदनुसारी जी-सेक प्रतिफल के साथ-साथ डिबेंचर बाजार में बढ़ी हुई खुदरा भागीदारी की तुलना में एनबीएफसी डिबेंचर के स्प्रेड की क्रमिक सहजता ने इस क्षेत्र के बारे में बाजार तथा जनता की धारणा को संवर्धित किया। खुदरा क्षेत्र को, इस क्षेत्र द्वारा वितरित किए गए वृद्धिशील ऋण, उनके कम जीएनपीए अनुपात और ग्राहकों की प्राथमिकताओं के अनुरूप रहने से लाभ हुआ। आय की तुलना में व्यय में भारी गिरावट के कारण पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में 2020-21 की दूसरी तिमाही में एनबीएफसी की लाभप्रदता में सुधार हुआ। संक्रमण की निरंतरता को देखते हुए, एनबीएफसी की आस्ति गुणवत्ता पर लॉकडाउन और व्यवसाय बंद होने का पूरा प्रभाव धीरे-धीरे स्पष्ट होगा।

संदर्भ

भारतीय रिज़र्व बैंक (2019-20) भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट।

⁸ लीवरेज अनुपात को कुल बाहरी देयताएं/स्वाधिकृत निधि के रूप में परिभाषित किया गया है।

अनुबंध सारणी 1: एनबीएफसी का समेकित तुलन पत्र

मदें	के अंत में बकाया राशि			व-द-व वृद्धि	
	(₹ करोड़)			(प्रतिशत)	
	मार्च-20	सितंबर-20	दिसंबर-20	सितंबर 19 की तुलना में सितंबर 20	दिसंबर 19 की तुलना में दिसंबर 20
शेयर पूंजी	73,842	74,966	75,115	8.2	6.9
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	3,30,185	3,65,098	3,78,106	16.6	14.1
जनता की जमाराशियां	30,560	34,956	38,271	15.4	33.2
कुल उधार ली गई राशि	17,01,232	17,43,952	17,63,138	11.7	11.0
डिबेंचेर्स	7,42,284	7,77,540	7,74,549	8.6	11.4
म्यूच्युअल फंड द्वारा सब्सक्रिप्शन	1,32,404	1,28,016	1,34,649	9.8	5.2
बैंको द्वारा सब्सक्रिप्शन	67,358	84,055	84,045	25.6	30.1
एनबीएफसी द्वारा सब्सक्रिप्शन	2,213	2,977	2,189	19.7	-22.7
अन्य द्वारा सब्सक्रिप्शन	4,05,957	3,38,798	3,24,847	-22.6	-13.9
बैंकों से लिया गया उधार	4,99,651	5,23,504	5,33,902	18.7	17.7
मीयादी ऋण	4,31,414	4,57,346	4,63,843	22.6	18.3
कार्यशील पूंजी ऋण	55,629	51,315	55,927	-0.5	16.7
नकद ऋण	10,659	13,129	11,553	-6.4	1.6
ओवरड्राफ्ट	1,949	1,715	2,578	-24.5	8.5
एफआई से लिया गया उधार	54,246	38,778	40,526	107.7	44.9
सरकार से लिया गया उधार	17,967	24,722	18,236	87.0	-1.4
अंतर कंपनी उधार	60,340	60,844	62,036	1.4	-29.1
वाणिज्यिक पत्र	40,479	42,175	44,183	-41.7	-26.4
गौण कर्ज	45,407	45,847	46,522	5.3	4.1
चालू देयताएं	39,589	49,208	54,602	-12.6	-25.2
प्रावधान	88,429	97,789	1,01,366	32.3	38.4
अन्य देयताएं	29,924	31,762	26,532	67.4	39.0
कुल देयताएं/आस्तियां	22,93,761	23,97,732	24,37,131	13.0	11.6
ऋण और अग्रिम	16,47,904	17,11,491	17,31,859	4.8	2.5
एचपी और लीज आस्तियां	1,47,651	1,53,847	1,60,331	13.4	12.4
निवेश	1,88,784	2,03,077	2,03,094	9.7	8.7
सरकारी प्रतिभूतियां	24,562	20,771	31,282	2.9	43.6
इक्विटी शेयर	73,768	79,055	83,266	3.8	13.9
अधिमाननी शेयर	3,001	2,636	2,815	0.1	-1.7
डिबेंचेर्स और बॉन्ड्स	18,159	26,995	16,588	16.0	-23.6
म्यूचुअल फंड यूनिट	51,046	57,698	52,492	23.6	0.6
वाणिज्यिक पत्र	852	444	726	-	-
अन्य निवेश	17,396	15,478	15,926	-4.8	4.6
नकदी और बैंक शेष	77,531	88,545	90,063	34.5	52.4
हाथ में नकदी	3,983	1,500	1,759	-50.7	-58.3
बैंको में जमाराशियां	73,085	84,819	81,822	36.9	49.3
अन्य चालू आस्तियां	1,70,467	1,83,587	2,00,035	193.2	205.3
अन्य आस्तियां	61,423	57,184	51,748	42.9	30.2
आकस्मिक देयताएं	22,190	24,266	23,187	7.0	-4.9

टिप्पणी: डेटा अनंतिम है तथा एनबीएफसी के वित्तीय परिचालन की दिशा और स्वरूप का संकेत देता है। इस सारणी के लिए कंपनियों के एक सामान्य समूह का डेटा लिया गया है, जिन्होंने मार्च 2019 से दिसंबर 2020 तक सभी तिमाहियों में नियमित रिटर्न प्रस्तुत किया है।

स्रोत: पर्यवेक्षी रिटर्न, आरबीआई

अनुबंध सारणी 2: एनबीएफसी-एनडी-एसआई का समेकित तुलन पत्र

मदें	के अंत में बकाया राशि			व-द-व वृद्धि	
	(₹ करोड़)			(प्रतिशत)	
	मार्च-20	सितंबर-20	दिसंबर-20	सितंबर 19 की तुलना में सितंबर 20	दिसंबर 19 की तुलना में दिसंबर 20
शेयर पूंजी	70,171	70,964	71,113	7.7	6.3
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	2,69,972	2,99,585	3,10,881	13.8	15.0
कुल उधार ली गई राशि	14,80,578	15,33,268	15,56,997	13.5	12.9
डिबेंचेर्स	6,69,917	7,12,246	7,11,178	9.4	12.8
म्यूच्युअल फंड द्वारा सब्सक्रिप्शन	1,14,726	1,16,019	1,23,038	13.4	9.3
बैंको द्वारा सब्सक्रिप्शन	53,942	69,511	71,109	21.4	27.9
एनबीएफसी द्वारा सब्सक्रिप्शन	1,986	2,747	1,810	23.0	-32.5
अन्य द्वारा सब्सक्रिप्शन	3,95,748	3,29,046	3,16,943	-19.9	-12.9
बैंकों से लिया गया उधार	4,03,082	4,26,100	4,40,584	22.2	22.7
मीयादी ऋण	3,44,041	3,70,395	3,81,151	27.7	24.9
कार्यशील पूंजी ऋण	50,457	45,900	49,474	-4.2	11.6
नकद ऋण	7,159	8,432	7,765	-9.7	0.0
ओवरड्राफ्ट	1,426	1,373	2,194	-8.1	12.5
एफआई से लिया गया उधार	46,602	31,707	31,487	114.6	34.8
सरकार से लिया गया उधार	17,967	24,722	18,236	87.0	0.2
अंतर कंपनी उधार	52,072	54,901	55,540	4.9	-30.0
वाणिज्यिक पत्र	36,629	38,317	40,966	-36.5	-25.4
गौण कर्ज	34,427	36,283	36,996	14.1	11.3
चालू देयताएं	29,231	39,000	43,991	-19.3	-29.9
प्रावधान	74,993	78,722	83,445	25.3	34.4
अन्य देयताएं	29,657	31,718	26,363	72.1	43.1
कुल देयताएं/आस्तियां	19,54,601	20,53,258	20,92,790	13.5	12.5
ऋण और अग्रिम	13,57,207	14,27,478	14,40,760	5.7	2.9
एचपी और लीज आस्तियां	1,47,651	1,53,847	1,59,178	13.4	11.6
निवेश	1,61,375	1,68,235	1,76,591	-0.8	4.8
सरकारी प्रतिभूतियां	18,078	12,053	22,470	-25.8	30.9
इक्विटी शेयर	67,432	72,681	76,858	1.8	12.7
अधिमानी शेयर	2,739	2,363	2,534	-1.3	-2.6
डिबेंचेर्स और बॉन्ड्स	17,989	26,868	16,588	16.0	-23.3
म्यूचुअल फंड यूनिट	40,222	41,027	44,312	-1.9	-1.6
वाणिज्यिक पत्र	-	96	244	-	-
अन्य निवेश	14,916	13,147	13,585	-9.4	-2.0
नकदी और बैंक शेष	63,570	70,387	71,690	24.2	47.6
हाथ में नकदी	3,890	1,350	1,587	-52.5	-60.3
बैंको में जमाराशियाँ	59,305	67,353	67,318	27.0	51.2
अन्य चालू आस्तियां	1,65,603	1,78,258	1,94,935	201.2	210.8
अन्य आस्तियां	59,194	55,053	49,636	43.6	30.7
आकस्मिक देयताएं	18,459	18,931	17,916	2.7	-10.9

टिप्पणी: डेटा अनंतिम है तथा एनबीएफसी के वित्तीय परिचालन की दिशा और स्वरूप का संकेत देता है। इस सारणी के लिए कंपनियों के एक सामान्य समूह का डेटा लिया गया है, जिन्होंने मार्च 2019 से दिसंबर 2020 तक सभी तिमाहियों में नियमित रिटर्न प्रस्तुत किया है।

स्रोत: पर्यवेक्षी रिटर्न, आरबीआई

अनुबंध सारणी 3: एनबीएफसी-डी का समेकित तुलन पत्र

मदें	के अंत में बकाया राशि			व-द-व वृद्धि	
	(₹ करोड़)			(प्रतिशत)	
	मार्च-20	सितंबर-20	दिसंबर-20	सितंबर 19 की तुलना में सितंबर 20	दिसंबर 19 की तुलना में दिसंबर 20
शेयर पूंजी	3,671	4,002	4,002	17.3	18.8
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	60,213	65,513	67,224	31.9	10.1
जनता की जमाराशियां	30,560	34,956	38,271	15.4	33.2
कुल उधार ली गई राशि	2,20,654	2,10,684	2,06,141	0.5	-1.0
डिबेंचेर्स	72,367	65,294	63,371	1.5	-2.0
म्यूच्युअल फंड द्वारा सब्सक्रिप्शन	17,678	11,997	11,611	-15.9	-24.8
बैंको द्वारा सब्सक्रिप्शन	13,415	14,544	12,936	50.6	43.9
एनबीएफसी द्वारा सब्सक्रिप्शन	227	230	379	-9.2	149.1
अन्य द्वारा सब्सक्रिप्शन	10,209	9,752	7,904	-64.0	-42.1
बैंकों से लिया गया उधार	96,570	97,405	93,318	5.6	-1.3
मीयादी ऋण	87,374	86,951	82,692	4.6	-4.9
कार्यशील पूंजी ऋण	5,173	5,415	6,453	47.0	79.1
नकद ऋण	3,500	4,697	3,789	0.1	5.1
ओवरड्राफ्ट	523	342	384	-56.0	-9.8
एफआई से लिया गया उधार	7,644	7,071	9,038	81.7	96.4
सरकार से लिया गया उधार	-	-	-	-	-
अंतर कंपनी उधार	8,268	5,943	6,496	-22.5	-20.9
वाणिज्यिक पत्र	3,850	3,859	3,218	-68.0	-37.8
गौण कर्ज	10,980	9,564	9,526	-18.4	-16.8
चालू देयताएं	10,359	10,208	10,610	28.0	2.8
प्रावधान	13,436	19,067	17,922	71.9	60.3
अन्य देयताएं	267	44	170	-91.9	-74.1
कुल देयताएं/आस्तियां	3,39,159	3,44,474	3,44,340	10.2	6.5
ऋण और अग्रिम	2,90,697	2,84,014	2,91,099	0.5	0.4
एचपी और लीज आस्तियां	-	-	1,153	-	-
निवेश	27,408	34,842	26,503	122.2	43.9
सरकारी प्रतिभूतियां	6,484	8,718	8,812	120.9	90.5
इक्विटी शेयर	6,336	6,374	6,408	33.6	30.1
अधिमानी शेयर	262	273	281	13.7	7.2
डिबेंचेर्स और बॉन्ड्स	170	126	-	14.4	-100.0
म्यूचुअल फंड यूनिट	10,824	16,672	8,180	242.9	14.4
वाणिज्यिक पत्र	852	348	483	-	-
अन्य निवेश	2,480	2,331	2,341	32.9	72.8
नकदी और बैंक शेष	13,961	18,158	18,373	98.7	74.5
हाथ में नकदी	93	149	172	-24.0	-21.0
बैंको में जमाराशियां	13,780	17,466	14,504	95.4	40.7
अन्य चालू आस्तियां	4,864	5,329	5,100	55.3	81.6
अन्य आस्तियां	2,229	2,132	2,111	26.2	18.2
आकस्मिक देयताएं	3,732	5,335	5,271	25.2	23.4

टिप्पणी: डेटा अनंतिम है तथा एनबीएफसी के वित्तीय परिचालन की दिशा और स्वरूप का संकेत देता है। इस सारणी के लिए कंपनियों के एक सामान्य समूह का डेटा लिया गया है, जिन्होंने मार्च 2019 से दिसंबर 2020 तक सभी तिमाहियों में नियमित रिटर्न प्रस्तुत किया है।

स्रोत: पर्यवेक्षी रिटर्न, आरबीआई

रिपोर्ट

राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिमों पर
सलाहकार समिति की रिपोर्ट

राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिमों
पर
सलाहकार समिति की रिपोर्ट



भारतीय रिज़र्व बैंक

मई 2021

24 मार्च 2021

उप गवर्नर
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुंबई

राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिमों पर सलाहकार समिति की
रिपोर्ट की प्रस्तुति

राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिमों पर सलाहकार समिति का गठन रिज़र्व बैंक द्वारा 09 अगस्त 2019 के पत्र सं. 381/10.18.013/2019-20 के अनुसार किया गया था, ताकि राज्य सरकारों की विद्यमान अर्थोपाय अग्रिमों की योजना की समीक्षा और विचारार्थ विषयों में शामिल अन्य मुद्दों का परीक्षण किया जा सके।

इस समिति द्वारा राज्य सरकारों की बढ़ती हुई जरूरतों और कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व राजकोषीय चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में प्रचलित अर्थोपाय अग्रिम स्कीम की समीक्षा की गई।

राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिमों पर सलाहकार समिति की रिपोर्ट हम सहर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

Shrivastava
24/3
(सुधीर श्रीवास्तव)
अध्यक्ष

Int
(एस. राधा चौहान)
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त)
उत्तर प्रदेश सरकार

Vauleg Toli
(पंकज जोशी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त)
गुजरात सरकार

Ke. Ramkrishna
(के. रामकृष्ण राव)
प्रधान सचिव
तेलंगाना सरकार

Sanku
(समीर कुमार सिन्हा)
प्रमुख सचिव (वित्त)
असम सरकार

Ashok
24/3/2021
(अशोक के. के. मीणा)
प्रधान सचिव (वित्त)
ओडिशा सरकार

Suryan
24/03/2021
(सूरज कुमार प्रधान)
संयुक्त निदेशक
(पीएफ-एस), वित्त मंत्रालय
भारत सरकार

N.R. Shanmugam
(एन. आर. भानुमूर्ति)
कुलपति
बीएएसई यूनिवर्सिटी, बंगलुरु

Brijesh P.
24/3/2021
(ब्रिजेश पी.)
निदेशक, आंतरिक ऋण प्रबंध
विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक संयोजक और
सदस्य सचिव

आभार

यह समिति बैठकों में सुझाव देने और सहभागिता करने के लिए राज्य सरकारों और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के राज्य वित्त सचिवों/अन्य पदाधिकारियों को धन्यवाद देती है।

यह समिति मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए श्री आर. गुरुमूर्ति, मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम), आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग (आईडीएमडी) के प्रति आभारी है। अपनी अंतर्दृष्टीपूर्ण जानकारी का लाभ देने के लिए यह समिति आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग के भूतपूर्व मुख्य महाप्रबंधक श्री टी.के.राजन को भी धन्यवाद देती है।

यह समिति आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग के श्री नीरज कुमार, सहायक परामर्शदाता, सुश्री संगीता ई, सहायक महाप्रबंधक, श्री सौरित दास, अनुसंधान अधिकारी, श्री प्रशांत चंदावत, सहायक प्रबंधक और श्री अविनाश देव, सहायक प्रबंधक के योगदान की सराहना करती है। आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग के महाप्रबंधकों सुश्री लता विश्वनाथ और डॉ. सुदर्शन साहू से प्राप्त सुझावों के लिए आभार प्रकट करती है। समिति इस रिपोर्ट को तैयार करने के विभिन्न सोपानों के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग के अन्य सभी अधिकारियों और स्टाफ के प्रति भी आभारी है।

यह समिति आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) के प्रभारी अधिकारी डॉ देबा प्रसाद रथ; मौद्रिक नीति विभाग (एमपीडी) के प्रभारी परामर्शदाता श्री राजीव रंजन; मौद्रिक नीति विभाग के निदेशक श्री इन्द्रनील भट्टाचार्य; आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग की निदेशक सुश्री संगीता मिश्रा; श्री एस. सूरज, सहायक परामर्शदाता; श्री बिचित्रानंद सेठ, सहायक परामर्शदाता और श्री राहुल अग्रवाल, प्रबंधक को इनपुट देने के लिए धन्यवाद देती है।

यह समिति को भारतीय रिज़र्व बैंक श्री बी.पी.कानूनगो, उप गवर्नर और श्री आर. सुब्रमणियन कार्यपालक निदेशक के समग्र मार्गदर्शन से भी अत्यधिक लाभान्वित हुई।

विषयवस्तु

	पृष्ठ संख्या
कार्यपालक सारांश	63
खंड	
I परिचय	67
II अर्थोपाय अग्रिम योजना का उद्भव	69
III राज्य वित्त विषयक 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के निहितार्थ	72
IV अर्थोपाय अग्रिम सीमा में बढ़ोतरी – मौद्रिक नीति पर प्रभाव	75
V अर्थोपाय अग्रिम प्रबंधन – संदर्भ और मुद्दे	76
VI राज्यों की राजकोषीय सटीकता	78
VII अर्थोपाय अग्रिम / एसडीएफ/ओवरड्राफ्ट के उपभोग संबंधी प्रवृत्तियां	80
VIII अर्थोपाय अग्रिम सीमाएं – संशोधन और पद्धति	81
IX ओवरड्राफ्ट सुविधा	83
X विशेष आहरण सुविधा	85
XI समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि	88
XII राज्य सरकारों के न्यूनतम नकदी शेष की समीक्षा	93
XIII संस्तुतियां	94
संलग्नक	
1 अर्थोपाय अग्रिम का संशोधन – विगत समितियों द्वारा सिफारिशें	96
2 राज्य सरकारों के न्यूनतम नकदी शेष : एक समीक्षा	99
3 अर्थोपाय अग्रिम, एसडीएफ और ओवरड्राफ्ट पर ब्याज – ऐतिहासिक प्रवृत्ति	101
4 आइटीबी और एटीबी में राज्य सरकारों द्वारा निवेश	103
5 आइटीबी में औसत निवेश	104
6 एटीबी में औसत निवेश	105
7 राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लिए गए अर्थोपाय अग्रिम, एसडीएफ और ओवरड्राफ्ट की औसत मासिक स्थिति	106
8 व्यय आधारित अर्थोपाय अग्रिम सीमा	107
9 ब्याज दरों में प्रवृत्तियां	108
10 मौद्रिक नीति की परिचालन पद्धति – भारतीय रिज़र्व बैंक की चलनिधि प्रबंधन व्यवस्था	109
11 राज्य वित्त विषयक 15वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिशों के निहितार्थ	110
12 राज्य सरकारों से प्राप्त सुझाव	112
13 सलाहकार समितियों द्वारा आयोजित बैठकें	118

कार्यपालक सारांश

उभरती हुई आर्थिक और राजकोषीय स्थितियों के साथ-साथ मौद्रिक नीति उद्देश्यों के प्रभावों का आकलन करने के बाद राज्यों की अर्थोपाय अग्रिम (डबल्यूएमए) योजना की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है। राज्य वित्त सचिवों का 31वां सम्मेलन 18 मार्च 2019 को आयोजित किया गया था, जिसमें अर्थोपाय अग्रिम योजना की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया। तदनुसार रिज़र्व बैंक ने अगस्त 2019 में राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिमों पर सलाहकार समिति का गठन किया।

इस समिति में 9 सदस्य हैं जिसमें अध्यक्ष सहित भारतीय राज्यों के प्रत्येक जोन का प्रतिनिधित्व कर रहे पाँच राज्यों के वित्त सचिव, पीएफ-एस, वित्त मंत्रालय (एमओएफ) भारत सरकार(जीओआई), से एक सदस्य; और राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) से एक अकादमिक विशेषज्ञ को शामिल किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग द्वारा समिति को सचिवालयीन सहायता और शोधपरक सहायता प्रदान की गई। समिति ने परामर्शपरक दृष्टिकोण अपनाया और सदस्यों तथा जो सदस्य नहीं थे उन राज्यों और राजकोषीय/मौद्रिक नीति विशेषज्ञों के साथ हुई चर्चाओं के आधार पर अपनी संस्तुतियों को अंतिम रूप दिया। राज्य वित्त सचिवों की अधिशासी समिति की बैठकों के दौरान अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं के संशोधन और समेकित ऋण-शोधन निधि (सीएसएफ) / गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ) पर भी विचार-विमर्श किया गया। समिति ने आभासी चर्चाएं करने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित विकल्पों का सहारा लिया, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण वास्तविक बैठकों का आयोजन असंभव हो गया था।

संस्तुतियां

1. मुख्य रूप से विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ), अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (ओडी) के माध्यम से रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त वित्तीय निभाव और व्यय में कटौती और खुले बाजार से अतिरिक्त उधारियों के मिश्रण के माध्यम से राज्य कोविड-19 से पैदा हुए राजकोषीय दबाव को संभालने में सक्षम रहे। समिति ने राज्य सरकारों के कुल व्यय के आधार पर अर्थोपाय अग्रिम

सीमाओं का आकलन किया। व्यय-आधारित पद्धति अपनाने का औचित्य यही था कि राज्यों के राजकोषीय आकार के अनुसार सीमा को संशोधित किया जाए। इस प्रकार आकलित सूत्र-आधारित संशोधित सीमा का आकार ₹47,010 करोड़ रहा। यह देखते हुए कि महामारी का प्रभाव अभी भी है और समिति ने जो सूत्र-आधारित संशोधित अर्थोपाय अग्रिम सीमा आकलन किया था वह अंतरिम सीमा से कम है, इसलिए समिति का यह विचार रहा कि ₹51,560 करोड़ की यह अर्थोपाय अग्रिम सीमा आगे छह महीने अर्थात् 30 सितम्बर 2021 तक बरकरार रहे। इसके बाद महामारी की दशा और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को देखते हुए रिज़र्व बैंक उस समय राज्यों की आवश्यकता का आकलन करने के बाद या तो इस समिति द्वारा सुझाई गई पद्धति के आधार पर या जैसा भी आवश्यक हो इस सीमा की समीक्षा करे।

2. समिति यह भी संस्तुति करती है कि विशेष आहरण सुविधा /अर्थोपाय अग्रिम /ओडी पर ब्याज की वर्तमान दर को बनाए रखा जाए।
3. समिति यह प्रस्ताव करती है कि ओडी विनियमन¹ जारी रहें और ओडी पर अंतरिम रियायतें² 31 मार्च 2021 तक समाप्त कर दी जाए।
4. समिति यह संस्तुति करती है कि विशेष आहरण सुविधा की परिचालन सीमा को, बिना किसी उच्चतर सीमा के, जी-सेक/एटीबी और सीएसएफ में किए गए निवेश और जीआरएफ में वृद्धिशील निवेशों की जमानत के बदले में आकलित करना जारी रखा जाए, और इस पर 5 प्रतिशत का सामान्य हेयरकट मार्जिन लागू किया जाएगा।

¹ जैसा कि 29 जनवरी 2016 को जारी राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिमों की योजना के बारे में आरबीआई की प्रेस प्रकाशनी में ओडी विनियमों का विवरण दिया गया है।

² ओडी सुविधा में अंतरिम रियायत 7 अप्रैल 2020 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से प्रदान की गई थी ताकि किसी राज्य के ओडी में बने रहने के दिनों की संख्या को बढ़ा दिया जाए इसे 14 से बढ़ाकर निरंतर 21 दिन और एक तिमाही में 36 से बढ़ाकर 50 कार्य दिवस कर दिया जाए। यह रियायत 31 मार्च 2021 तक विधिमाम्य रहेगी।

5. समिति यह संस्तुति करती है कि 91-दिवसीय खजाना बिलों (टी-बिलों) में निवेश के बदले में विशेष आहरण सुविधा प्राप्त करने पर परिसीमन³ को हटा दिया जाए और राज्यों को 90 दिन के प्रतिबंध के बिना ही 91-दिवसीय टी-बिलों में निवेश की अनुमति दी जाए, बशर्ते इस प्रकार का निवेश करने से पहले प्राप्त की गई विशेष आहरण सुविधा/अर्थोपाय अग्रिम की पूर्ण चुकौती कर दी गई हो। इसी प्रकार इस विद्यमान शर्त को भी हटा दिया जाए कि राज्यों को अपने नकदी अधिशेष को नीलामी खजाना बिलों (एटीबी)⁴ में निवेश करने के राज्यों को अनुमति की तभी होगी जब उन्होंने तत्काल ठीक पहले लगातार 90 दिन की अवधि में अर्थोपाय अग्रिम नहीं लिया हो। हालांकि, राज्य यह सावधानी रखें कि 91-दिवसीय खजाना बिलों में अपने नकदी शेष का निवेश करने के बाद विशेष आहरण सुविधा नहीं प्राप्त करें। यदि ऐसी अवस्था बनती है तो रिज़र्व बैंक ऐसे उपाय करे जो ऐसे क्रियाकलापों को कम करने के लिए आवश्यक हों।

6. समिति ने इस तथ्य पर जोर दिया कि सीएसएफ और जीआरएफ आरक्षित निधियां हैं, जिनकी स्थापना एक विशेष प्रयोजन से राज्यों द्वारा स्वैच्छिक रूप से की गई है और इनको महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाते रहने की जरूरत है। इसलिए, समिति दृढ़तापूर्वक अनुरोध करती है कि शेष बचे राज्य सीएसएफ/जीआरएफ योजना में शामिल हो जाएं, जिससे कि जरूरत के समय देयताओं की चुकौती हेतु इस निधि से आहरण की सुविधा रहेगी, और नकदी प्रवाह में अस्थायी असंतुलन का प्रबंधन करने के लिए विशेष आहरण सुविधा भी ले सकेंगे।

7. समिति यह संस्तुति करती है कि सीएसएफ और जीआरएफ में राज्यों द्वारा, आगामी पाँच वर्ष के भीतर, एक न्यूनतम संग्रह किया जाए और इसके बाद इसे आवर्ती आधार पर बनाए रखा जाए। राज्य अपने विगत वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया कुल देयताओं/गारंटियों का कम-से-कम 5 प्रतिशत का न्यूनतम संग्रह में रखें।

³ यदि कोई राज्य, पहली बार, 91- दिवसीय खजाना बिलों में निवेश के बदले में विशेष आहरण सुविधा प्राप्त करता है, तो इस क्रियाकलाप की अनुमति एक सीमित अवधि हेतु होगी, लेकिन अगले 90 दिन तक राज्य को 91-दिवसीय खजाना बिलों में निवेश की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, यदि विशेष आहरण सुविधा प्राप्त करके बाद में 91-दिवसीय खजाना बिलों में निवेश की यह मनमानी परिपाटी वित्तीय वर्ष के दौरान दूसरी बार और बाद में बनी रहती है, तो पहले अवसर के बाद से प्राप्त किए गए इस एसडीएफ को अर्थोपाय अग्रिम माना जाएगा।

⁴ एटीबी में 91-दिवसीय, 182-दिवसीय और 364-दिवसीय खजाना बिल शामिल हैं।

8. समेकित ऋण-शोधन निधि से आहरण हेतु अवरुद्धता अवधि के संबंध में समिति यह संस्तुति करती है कि इस निधि की स्थापना करने से पाँच वर्ष की वर्तमान अवरुद्धता अवधि के स्थान पर दो वर्ष की अवरुद्धता अवधि के बाद आहरण की अनुमति रहेगी।

9. सीएसएफ स्कीम से वर्तमान की इस शर्त को हटा दिया जाए कि सीएसएफ से आहरण की मात्रा वही रहेगी जो उस वर्ष में बाजार से लिए गए उधारों के लिए देय है। बकाया देयताओं⁵ की चुकौती हेतु इस निधि में संचित और संकलित (विगत वित्तीय वर्ष के अंत तक) ब्याज की कुल मात्रा का प्रयोग करने की अनुमति राज्यों को दी जाए।

10. ऊपर बताए अनुसार न्यूनतम संग्रह कर लेने के बाद इसी 5 प्रतिशत के इस न्यूनतम संग्रह में से अतिरिक्त राशि राज्यों को सीएसएफ⁶ से आहरण की अनुमति दी जाए। इससे राज्य अपनी बकाया देयताओं की चुकौती हेतु न्यूनतम अपेक्षा से अधिक निविष्ट निधियों का प्रयोग करने में सक्षम होंगे।

11. सीएसएफ के मामले में राज्यों को विद्यमान विकल्प मिलता रहेगा कि वे इस निधि में संचित और संग्रहीत ब्याज का आहरण कर लें, और वे एकल अवसर पर आहरण के दोनों में से किसी एक विकल्प को चुन सकते हैं।

12. सीएसएफ/जीआरएफ योजनाओं में वर्तमान के इस प्रावधान को परिचालन सुविधा को देखते हुए हटाया जाए, जिसमें यह अनिवार्य है कि सीएसएफ/जीआरएफ में से समय-पूर्व विनिवेश के मामले में प्रतिभूतियों के चयन के लिए राज्य सरकारों से परामर्श किया जाए। नकदीकृत की जा सकने वाली प्रतिभूतियों पर निर्णय लेने की अनुमति रिज़र्व बैंक को दी जाए, बशर्ते विनिवेश के लिए चुनी गई प्रतिभूतियां बिक्री के समय लाभ दे रही हों।

13. तदनुसार राज्य अपनी-अपनी सीएसएफ और स्कीमों में संशोधन करें और इसे अपने शासकीय राजपत्र में अधिसूचित करें, ताकि सीएसएफ और जीआरएफ योजनाओं में उक्त रियायतों के लाभ ले सकें।

⁵ बकाया देयताओं में सरकार के आंतरिक ऋण और लोक लेखा देयताएं शामिल हैं।

⁶ यह विकल्प राज्यों को सक्षम करेगा कि वे सीएसएफ में कुल संग्रह में से कितनी भी रकम का आहरण कर लें, जिसमें 'कुल संग्रह' में विगत वर्ष के अंत में किए गए मूल योगदान, पुनर्निवेश और निधि में ब्याज के संचय शामिल होंगे।

14. समिति यह संस्तुति करती है कि राज्यों के लिए निर्धारित न्यूनतम शेष को वर्तमान में संशोधित नहीं किया जाए और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हेतु विभेदीकृत न्यूनतम शेष रखने की प्रणाली को बनाए रखा जाए क्योंकि यह अब तक संतोषप्रद पाया गया है (संलग्नक-2)। समिति का यह मानना है कि न्यूनतम नकद शेष की सीमा को बढ़ाने से कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होता है और यह उद्देश्य के विपरीत है कि राज्यों के नकदी प्रवाह/ बजटगत लेनदेन के अनुसरण में अर्थोपाय अग्रिम सीमा को आवधिक रूप से उच्चतर की तरफ संशोधित करने पर विचार किया जा रहा है।

अर्थोपाय अग्रिम योजना की आगामी समीक्षा

जैसा कि संस्तुति की गई है, ₹51,560 करोड़ की अंतरिम अर्थोपाय अग्रिम सीमा को आगामी छह माह, अर्थात् 30 सितम्बर 2021 तक जारी रखा जाए और इसके बाद अर्थोपाय अग्रिम की सीमा में रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधन का निर्णय राज्यों की अपेक्षाओं का आकलन करने के बाद किया जाएगा। अर्थोपाय अग्रिम योजना का समिति आधारित संशोधन 16वें वित्त आयोग (एफसी) की रिपोर्ट जारी होने के बाद किया जाएगा, ताकि वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित राजकोषीय कार्य-योजना और उस समय पर राज्यों की अपेक्षाओं पर विचार किया जाएगा।

I. परिचय

1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक देश में 27 राज्यों और पुदुचेरी तथा जम्मू-कश्मीर (जे एंड के.) संघ राज्य क्षेत्रों के ऋण प्रबंधक और बैंकर का कार्य करता है, और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 21 ए के तहत रिज़र्व बैंक के साथ राज्य के करार के अनुसार सिक्किम सरकार⁷ का भी ऋण प्रबंधक है। इस धारा के अनुसार रिज़र्व बैंक किसी भी राज्य की सरकार के साथ समझौता करके भारत में उसके सभी मुद्रा, विप्रेषण, विनिमय और बैंकिंग संव्यवहार करेगा, इसमें विशेष रूप से सभी जमाराशियां, बैंक में नकदी शेष, ब्याज रहित होगा; और लोक ऋण का प्रबंधन और राज्य द्वारा जारी किसी भी नए ऋण के निर्गम का प्रबंधन करेगा।

1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(5) के अनुसार रिज़र्व बैंक राज्य सरकारों को अग्रिम देता है ताकि वे अपनी प्राप्ति और भुगतानों में नकदी प्रवाह में अस्थायी असंतुलन पर काबू रख सकें। इस प्रकार के अग्रिमों को अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) का नाम दिया गया है और इस अधिनियम में इनकी परिभाषा इस प्रकार है – ‘ऐसे अग्रिम जो प्रत्येक मामले में अग्रिम दिए जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर चुकता किए जाने हैं’। रिज़र्व बैंक राज्य सरकारों को सन 1937 से अर्थोपाय अग्रिम देता चला आ रहा है। रिज़र्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले अर्थोपाय अग्रिम और उस पर लगाए जाने वाले ब्याज की अधिकतम राशि का नियंत्रण राज्य सरकारों के साथ हुए समझौतों के साथ-साथ गठित विभिन्न समितियों/ समूहों की संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है।

1.3 जनवरी 2016 में, राज्य सरकारों की अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं को श्री सुमित बोस की अध्यक्षता में गठित समिति ने संशोधित किया था। इस समिति ने सुझाव दिया था कि उस समय राज्यों की राजकोषीय स्थिति और 15वीं वित्त आयोग रिपोर्ट में विमर्श के बाद संभावित कार्य योजना को ध्यान में रखते हुए सन 2020-21 के लिए अर्थोपाय अग्रिम योजना में आगामी संशोधन

किया जाए। तदनुसार अगस्त 2019 में श्री सुधीर श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन किया गया।

1.4 समिति का आरंभिक गठन⁸ इस प्रकार से था :

- 1) श्री सुधीर श्रीवास्तव, भूतपूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, महाराष्ट्र – अध्यक्ष
- 2) श्री संजीव मित्तल, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), उत्तर प्रदेश – सदस्य
- 3) श्री अरविन्द अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), गुजरात – सदस्य
- 4) श्री राजीव बोरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), असम – सदस्य
- 5) श्री आर. रामकृष्णराव, प्रधान सचिव (वित्त), तेलंगाना – सदस्य
- 6) श्री ए. के.के. मीणा, प्रधान सचिव (वित्त) ओडिशा – सदस्य
- 7) श्री सूरज कुमार प्रधान, संयुक्त निदेशक, पीएफ-एस, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार – सदस्य
- 8) श्री एन.आर.भानुमूर्ति, प्रोफेसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी (एनआईपीएफपी)⁹ – सदस्य
- 9) श्री ब्रिजेश पी., निदेशक, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक – संयोजक और सदस्य सचिव

⁸ स्थानान्तरण/ सेवानिवृत्ति के कारण समिति के कुछ सदस्यों को बदला गया :

- क) श्री पंकज जोशी, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गुजरात ने श्री अरविन्द अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गुजरात का स्थान लिया।
- ख) श्री समीर कुमार सिन्हा, प्रधान सचिव, असम ने श्री राजीव बोरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, असम का स्थान लिया।
- ग) सुश्री राधा चौहान, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश ने श्री संजीव मित्तल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश का स्थान लिया।

⁹ श्री एन. आर. भानुमूर्ति इस समय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स (बीएएसई) विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

⁷ सिक्किम की सरकार ने अपने लोक ऋण के प्रबंधन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ समझौता किया हुआ है।

विचारार्थ विषय

1.5 समिति को दिए गए विचारार्थ विषयों (टीओआर) में मोटे तौर पर निम्नलिखित को शामिल किया गया है :

- (1) राज्य सरकारों के लिए विद्यमान अर्थोपाय अग्रिम योजना की समीक्षा करना, खास कर सीमाओं के निर्धारण के सूत्र और संशोधनों की संस्तुति करना, यदि आवश्यक हो तो पंद्रहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में;
- (2) राज्य सरकारों के लिए विद्यमान ओवरड्राफ्ट (ओडी) विनियमों की जांच करना;
- (3) राज्य सरकारों की विशेष आहरण सुविधा(एसडीएफ) की योजना की जांच करना; और इसकी सीएसएफ/जीआरएफ के साथ संबद्धता;
- (4) इस विषय से सहबद्ध कोई अन्य मुद्दा।

रिपोर्ट की संरचना

1.6 विचारार्थ विषयों में दी गई रूपरेखा को देखते हुए इस रिपोर्ट को तेरह खंडों में तैयार किया गया है। अर्थोपाय अग्रिम योजना के

उद्भव और विगत वर्षों के दौरान इस योजना की समीक्षा के लिए गठित सलाहकार समितियों का संक्षिप्त परिचय खंड II में दिया गया है। राज्य वित्त में प्रवृत्तियों और 15वीं वित्तआयोग रिपोर्ट के निहितार्थों का वर्णन खंड III में किया गया है। संशोधित अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं का मुद्रा आपूर्ति पर प्रभाव को खंड IV में जांचा गया है। अर्थोपाय अग्रिम और राज्यों द्वारा नकदी शेष प्रबंधन का विश्लेषण खंड V में किया गया है। इस संदर्भ में खंड VI में भारतीय राज्यों की राजकोषीय लक्ष्यभेदकता पर चर्चा की गई है। एसडीएफ / अर्थोपाय अग्रिम/ ओडी के उपभोग की प्रवृत्तियों का विश्लेषण खंड VII में किया गया है। राज्य सरकारों की अर्थोपाय अग्रिम सीमा के संशोधन हेतु प्रयुक्त पद्धति को खंड VIII में बताया गया है। राज्य सरकारों के विद्यमान ओवरड्राफ्ट (ओडी) विनियमों पर खंड IX में चर्चा की गई है तो खंड X में विशेष आहरण सुविधा योजना और सीएसएफ/जीआरएफ योजनाओं के साथ इसकी सहबद्धता को बताया गया है। सीएसएफ और जीआरएफ में अपने संग्रह को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से खंड XI में सीएसएफ और जीआरएफ योजनाओं के विद्यमान फीचरों की समीक्षा की गई है। राज्य सरकारों द्वारा बरकरार रखे जाने वाले न्यूनतम नकदी शेष की समीक्षा खंड XII में की गई है। इस समिति की संस्तुतियों का सारांश खंड XIII में किया गया है।

II. अर्थोपाय अग्रिम योजना का उद्भव

2.1 यह तो पहले कहा जा चुका है रिज़र्व बैंक समझौते के माध्यम से अपने साथ बैंकिंग करने वाले राज्यों को वित्तीय निभाव प्रदान करता है, ताकि अपनी प्राप्तियों और भुगतानों के नकदी प्रवाह में अस्थायी असंतुलन पर काबू पाने में राज्यों की मदद हो सके। इस प्रकार की वित्तीय सहायता का अभिप्राय यह है कि अनिवार्य क्रियाकलापों और सामान्य वित्तीय परिचालनों को करते रहने के लिए राज्यों की मदद हो सके। राज्यों को रिज़र्व बैंक से प्रदत्त अर्थोपाय अग्रिम का नियंत्रण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(5) द्वारा किया जाता है। अर्थोपाय अग्रिम दो प्रकार के होते हैं, यथा – (i) सामान्य अर्थोपाय अग्रिम या विशुद्ध अग्रिम, जिसका आरंभ 1937 में हुआ और (ii) सन 1953 में तैयार किए गए विशेष अर्थोपाय अग्रिम, जो भारत सरकार की प्रतिभूतियों की जमानत रखते हुए प्रदत्त प्रतिभूत अग्रिम है। जैसा कि मई 2013 में आयोजित एसएफएएस सम्मेलन में राज्य सरकारों ने अनुरोध किया था, संबद्ध राज्य सरकारों के साथ समझौते में संशोधन करके विशेष अर्थोपाय अग्रिम का नाम बदल कर 23 जून 2014 से विशेष आहरण सुविधा कर दिया गया। अर्थोपाय अग्रिम के अलावा जब भी किसी राज्य को वित्तीय निभाव उसकी विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) और अर्थोपाय अग्रिम की सीमाओं से आगे चला जाता है तो उसके लिए ओवर-ड्राफ्ट सुविधा भी दी जाती है। हालांकि, रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसे अग्रिमों की अधिकतम रकम और उस पर लगाए जाने वाले ब्याज को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में निर्दिष्ट नहीं किया गया है, लेकिन इनका नियंत्रण राज्य सरकारों के साथ स्वैच्छिक समझौते के साथ-साथ आर्थिक परिवेश और विभिन्न समितियों की संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है।

2.2 राज्य सरकारों के बैंकर के तौर पर राज्यों के नकदी शेष, जिस पर ब्याज देने का कोई दायित्व नहीं होता है, को अपने पास रखने से हो सकने वाले लाभों के अलावा रिज़र्व बैंक को राज्यों का सामान्य बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है। राज्य सरकारों से अपेक्षित है कि रिज़र्व बैंक और सरकार के बीच समय-समय पर सहमत रकम के तुल्य न्यूनतम शेष बनाए रखें।

2.3 राज्य की अपेक्षाओं, उभरती राजकोषीय, वित्तीय और संस्थागत गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अर्थोपाय अग्रिम योजना की आवधिक रूप से समीक्षा की गई है। जब वर्ष 1937 में अर्थोपाय अग्रिम आरंभ की गई थी तो इसकी सीमा को अलग-अलग राज्य सरकारों के न्यूनतम शेष के बराबर रखा गया था।

इसके बाद राज्यों की अर्थोपाय अग्रिम सीमा को आवधिक¹⁰ रूप से संशोधित किया गया और इसे राज्यों के अपने-अपने न्यूनतम शेष के गुणक के रूप में निर्धारित किया गया। अनौपचारिक सलाहकार समिति (आईएसी) द्वारा की गई संस्तुतियों के परिणामस्वरूप अर्थोपाय अग्रिम सीमा के आकलन हेतु अपनाए गए सिद्धांतों में प्रमुख परिवर्तन सन 1999 में हुए। सन 1999 से रिज़र्व बैंक द्वारा आवधिक रूप से स्थापित सलाहकार समितियों की संस्तुतियों के आधार पर सीमाओं को निर्धारित किया जा रहा है (संलग्नक-1)।

2.4 राज्य सरकारों को विशेष आहरण सुविधा, अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के माध्यम से प्रदत्त अग्रिमों में बकाया पर ब्याज लगता है। इस प्रकार के अग्रिमों पर ब्याज दरों को रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है जिनमें आवधिक संशोधन भी हुए हैं। मई 1976 से पहले अर्थोपाय अग्रिम पर यह ब्याज दर बैंक दर से अधिक नहीं होती थी। मई 1976 से अगस्त 1996 तक अग्रिम की समयावधि के आधार पर प्रभासों का क्रमिक स्तर रखा गया था, ताकि इस सुविधा का सामान्य बजटीय संसाधन के तौर पर प्रयोग करने से राज्य परहेज करें। इसके बाद अब अर्थोपाय अग्रिम पर एकल ब्याज दर लगाई जाती है। वर्तमान में अर्थोपाय अग्रिम, विशेष आहरण सुविधा और ओवरड्राफ्ट पर लगाई जा रही ब्याज दर को रेपो दर से सहबद्ध कर दिया गया है, जैसा कि आगामी तालिका-1 में दिया गया है।

तालिका-1 : अर्थोपाय अग्रिम, विशेष आहरण सुविधा और ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर

स्कीम	सीमा	ब्याज दर
विशेष आहरण सुविधा	यदि सीएसएसफ और जीआरएफ में निवल वार्षिक वृद्धिशील निवेश के बदले में लिया गया है यदि जी-सेक/एटीबी में निवेश के बदले में लिया गया है	रेपो दर में से 2 प्रतिशत घटाकर रेपो दर में से 1 प्रतिशत घटाकर
अर्थोपाय अग्रिम	यदि अग्रिम देने की तारीख से 3 माह तक बकाया रह जाए यदि अग्रिम देने की तारीख से 3 माह से अधिक समय तक बकाया रह जाए	रेपो दर रेपो दर में 1 प्रतिशत जोड़कर
ओवर ड्राफ्ट	यदि अर्थोपाय अग्रिम सीमा के 100 प्रतिशत तक लिया गया है यदि अर्थोपाय अग्रिम सीमा के 100 प्रतिशत से अधिक लिया गया है	रेपो दर में 2 प्रतिशत जोड़कर रेपो दर में 5 प्रतिशत जोड़कर

विशेष आहरण सुविधा / अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर की ऐतिहासिक प्रवृत्ति का सारांश संलग्नक – 3 में दिया गया है।

¹⁰ श्री सुमीत बोस समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में क्रमिक विकास का विस्तृत विवरण दिया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित सलाहकार समितियां

2.5 रिज़र्व बैंक द्वारा गठित राज्य वित्तसचिवों के औपचारिक समूह (जीएफएसएस) सहित विगत पाँच सलाहकार समितियों द्वारा अर्थोपाय अग्रिम की इस योजना की समीक्षा की गई। प्रत्येक समिति की अध्यक्षता किसी न किसी विख्यात सिविल सेवक/राज्य वित्त में अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ द्वारा की गई (तालिका-2)।

सन 2015 में गठित सलाहकार समिति (अध्यक्ष – श्री सुमित बोस)

2.6 राज्य सरकारों/पुदुचेरी संघशासित क्षेत्र की अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं का विगत संशोधन सन 2015 में श्री सुमित बोस की अध्यक्षता में गठित सलाहकार समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के अनुसार जनवरी 2016 में किया गया था। इस समिति ने राज्यों के कुल व्यय पर आधारित सूत्र का उपयोग किया था, जिसमें प्रत्येक राज्य के राजकोषीय आकार के अनुसार सीमाओं का वितरण दिखाई दिया। यह अनुभव किया गया अर्थोपाय अग्रिम की मात्रा में बढ़ोतरी को कुल व्यय में हुई बढ़ोतरी से अनुबद्ध होनी चाहिए। तदनुसार समिति ने यह संस्तुति की थी कि अर्थोपाय अग्रिम सीमा को कुल व्यय को लॉटरी व्यय के साथ समायोजित करने के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार संशोधित अर्थोपाय अग्रिम की मात्रा सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों हेतु ₹32,225 करोड़ बन गई (फरवरी 2016 के बाद से प्रभावी)।

2.7 समिति ने यह सुझाव दिया था कि यह सीमा दिसम्बर 2017 तक बरकरार रखी जाए, जिसके बाद सन 2018-20 हेतु मात्रा के बारे में निर्णय लेने हेतु समीक्षा की जाए। तदनुसार मार्च 2018 में सीमाओं की समीक्षा की गई और यह निर्णय किया गया कि अर्थोपाय अग्रिम योजना की आगामी समीक्षा वर्ष 2020-21 में उस समय राज्यों की राजकोषीय स्थिति और 15वीं वित्त आयोग

रिपोर्ट में विचार-विमर्श किए जाने हेतु संभावित कार्ययोजना को ध्यान में रखते हुए की जाए।

सन 2019 में गठित सलाहकार समिति (अध्यक्ष : श्री सुधीर श्रीवास्तव)

2.8 सुमित बोस समिति के सुझाव और एसएफएस के 31वें सम्मेलन (18 मार्च 2019 को आयोजित) में लिए गए निर्णय के अनुसार अगस्त 2019 में एक नई समिति का गठन श्री सुधीर श्रीवास्तव, भूतपूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, महाराष्ट्र की अध्यक्षता में किया गया, जिसके सदस्यों में व्यय विभाग, भारत सरकार और एक अकादमीय विशेषज्ञ को शामिल किया गया।

2.9 इस समिति की प्रथम बैठक 14 अक्टूबर 2019 को हुई। बैठक के दौरान राज्य सरकारों की अर्थोपाय अग्रिम सीमा का संशोधन करने हेतु प्रयुक्त हो सकने वाली पद्धतियों पर विचार विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया कि सीमाओं के संशोधन हेतु सूत्र तैयार करने के लिए व्यय आधारित पद्धति को अपनाया जाए।

2.10 समिति से अपेक्षित था कि रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर भी विचार किया जाए। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 के लिए अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है, और यह संकेत दिया कि वित्त आयोग को महत्वपूर्ण समष्टि चरांक उपलब्ध करा देने के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस समिति की रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है इसलिए कोविड-19 महामारी के कारण हुए राजकोषीय दबाव के प्रतिसाद में रिज़र्व बैंक ने अर्थोपाय अग्रिम/ओडी में नरमी देने हेतु अंतरिम उपाय किए हैं। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अर्थोपाय अग्रिम सीमा को 1 अप्रैल 2020 को अर्थोपाय अग्रिम में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए इसे ₹32,225 करोड़ से बढ़ाकर ₹41,900 करोड़ कर दिया। इसके बाद 17 अप्रैल 2020 को सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अर्थोपाय अग्रिम सीमा को बढ़ाकर ₹51,560 करोड़ कर दिया गया, जो 31 मार्च 2020 को प्रचलित (₹32,225 करोड़) से 60 प्रतिशत अधिक है। इन उपायों को आरंभ में 30 सितम्बर 2020 तक विधिमान्य रखा गया था, और बाद में 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया।

तालिका 2: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित सलाहकार समितियाँ

क्रमांक	वर्ष	अध्यक्ष
1	1998	श्री बी. पी. आर. विड्डल
2	2000	राज्य वित्त सचिवों का औपचारिक समूह
3	2003	श्री सी. रामचन्द्रन
4	2005	श्री एम. पी. बेजबरुआ
5	2015	श्री सुमित बोस

2.11 इसके अलावा रिज़र्व बैंक ने 7 अप्रैल 2020 से 30 सितम्बर 2020 तक की अवधि हेतु राज्यों के ओडी नियंत्रण में रियायत दी, जिसमें कोई राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों विद्यमान 14 कार्य-दिवसों के स्थान पर लगातार 21 कार्य-दिवस तक ओवरड्राफ्ट रख सकती है, और अब एक तिमाही के दौरान विद्यमान 36 कार्य-दिवसों के स्थान पर लगातार 50 कार्य-दिवस तक ओवरड्राफ्ट रख सकती है, ताकि अपने नकदी प्रवाह में असंतुलन पर काबू पाने में राज्य सरकारों को अधिकाधिक लोचशीलता मिले। अन्ततः इन रियायतों को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया।

2.12 कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉक-डाउन का देखते हुए समिति की दूसरी बैठक 10 जुलाई 2020 को वीडियो सम्मेलन के माध्यम से आयोजित की गई। सदस्य राज्यों ने रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए अंतरिम उपायों का स्वागत किया और कहा कि बाजार से अतिरिक्त उधारियों और रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त वित्तीय निभाव के माध्यम से वे कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुए वित्तीय दबाव को संभाल सके। महामारी पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है, इसलिए समिति ने सुझाव दिया कि अभी कुछ समय के लिए अंतरिम अर्थोपाय अग्रिम सीमा (अर्थात् ₹51,560 करोड़) को जारी रखा जाए और सामने आ रही स्थिति का आकलन करने के बाद इस अंतरिम सीमा में कोई और संशोधन का निर्णय लिया जा सकता है। यह निर्णय लिया गया कि 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट जारी होने के बाद समिति की संस्तुतियों को समाविष्ट किया जाए,

ताकि अर्थोपाय अग्रिम की नई सीमाएं निर्धारित करते समय वित्त आयोग द्वारा राज्यों के लिए संस्तुत राजकोषीय कार्य योजना पर विचार किया जा सके।


2.13 समिति की तीसरी बैठक 26 फरवरी 2021 को हुई। समिति के विचार विमर्श और राज्यों से प्राप्त सुझावों के आधार पर तैयार प्रारूप रिपोर्ट पर चर्चा की गई। समिति ने आगामी वित्तवर्ष (2021-22) में छह माह, अर्थात् 30 सितम्बर 2021 तक के लिए ₹51,560 करोड़ की वर्तमान अंतरिम सीमा को बनाए रखने के प्रति अपनी सहमति दी, क्योंकि समिति ने पाया कि सूत्र पर आधारित जिस अर्थोपाय अग्रिम सीमा का आकलन (₹47,010 करोड़) किया गया, वह अंतरिम सीमा से कम थी। समिति ने प्रस्ताव किया कि महामारी की स्थिति, उस समय समष्टि आर्थिक स्थिति और राज्यों की अपेक्षा का आकलन करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस अर्थोपाय अग्रिम सीमा की समीक्षा करे। विचारार्थ विषय में शामिल मदों यथा – विशेष आहरण सुविधा / अर्थोपाय अग्रिम / ओडी और सीएसएफ / जीआरएफ योजनाओं पर राज्यों से प्राप्त सुझावों की समिति द्वारा समीक्षा की गई। यह भी निर्णय किया गया कि राज्यों द्वारा निर्गत गारंटियों सहित, आकस्मिक देयताओं के बारे में डाटा की परिशुद्ध और सामयिक रिपोर्टिंग पर इस रिपोर्ट में जोर देने की जरूरत है। राज्य वित्तसचिवों की कार्यकारिणी समिति की 19 जून 2020 को आयोजित 13वीं बैठक के दौरान राज्यों के बीच विचार विमर्श हेतु अर्थोपाय अग्रिम सीमा के संशोधन को भी प्रस्तुत किया गया था।

III. राज्य वित्त विषयक 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के निहितार्थ

3.1 वित्त आयोग (एफसी) खासकर 14वें वित्त आयोग द्वारा राज्य सरकारों को बड़े अंतरणों की सिफारिश के अनुसार राज्यों को टैक्स के विभाज्य पूल में से राज्यों का हिस्सा 32 से 42 प्रतिशत हो जाएगा, अनिवार्यतया इसका आशय ऊर्ध्वाधर असंतुलों को ठीक करना था, जबकि मुक्त/ शर्त रहित अंतरणों के प्रयोग के बारे में राज्यों को अधिकाधिक गुंजाइश दी गई। इसी का प्रकटीकरण राज्यों की प्राप्ति के पैटर्न में दिखाई देता है कि केन्द्र से अंतरित राजस्व प्राप्ति के हिस्से में बढ़ोतरी हुई है, जबकि राज्य की जीडीपी के समानुपात में राज्य के अपने कर-राजस्वों में व्यापक स्थिरता रही जिसकी वजह से राज्य के अपने राजस्व और केन्द्र से आने वाले अंतरणों के बीच अंतराल में कमी

आई जो 2000-05 के दौरान जीडीपी का क्रमशः 7 प्रतिशत और 4 प्रतिशत थी। वर्ष 2014 से ये दोनों अभिसारित होने लगे, आरंभ में उच्चतर अंतरणों के माध्यम से और अभी हाल ही में उच्चतर अनुदानों के माध्यम से (चार्ट-1ए)। इस प्रकार देखें तो राज्य के बढ़ते हुए व्यय के कारण पैदा हो रहे संसाधन अंतराल को भरने में केन्द्र से अंतरणों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है (रेड्डी, 2018)। हालांकि, राज्यों के प्रतिबद्ध व्यय में बढ़ोतरी हुई है, जो कुल व्यय के एक तिहाई तक हो गई है (चार्ट-1बी)। अपनी पूंजी परिव्यय योजनाओं में औसतन बजटगत की तुलना में जीडीपी का लगभग 0.5 प्रतिशत कटौती करके राज्यों ने राजकोषीय घाटे के एफआरएल-द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने का प्रबंध किया,

चार्ट 1: राज्य वित्त: व्यापक प्रवृत्तियां




सी. घाटे के प्रमुख संकेतक
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में

	2006-11 (औसत)	2011-16 (औसत)	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 पीए	2020-21 बीई
जीएफडी	2.2	2.4	3.5	2.4	2.4	2.4	2.8
आरडी	-0.4	0.0	0.2	0.1	0.1	0.7	0.0
पीडी	0.3	0.8	1.8	0.7	0.8	0.9	1.1

जीएफडी : सकल राजकोषीय घाटा; आरडी : राजस्व घाटा
पीडी : प्राथमिक घाटा

डी. ऐतिहासिक कैपेक्स कट ऑफ राज्यों का



स्रोत : भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका, राज्य वित्त : बजट अध्ययन, आरबीआई

जो कि रहा, जिसने राज्य की राजकोषीय नीति को एक सह-आवर्ती पूर्वाग्रह (चार्ट-1सी और 1डी) दिया। बीई से सहबद्ध इसी प्रकार की प्रवृत्ति सन 2020-21 में संभावित है, खासकर यह देखते हुए कि लॉक डाउन, मानसून और आपसी दूरी के मानदंडों के कारण राज्य इस राजकोषीय वर्ष में भी अभी तक अधिक कैपेक्स लाने में सक्षम नहीं हो सके हैं।

15वें वित्त आयोग की सिफारिशें

केन्द्र से सीधा धनअंतरण

3.2 वर्ष 2021-22 से 2025-26 के पाँच वित्तीय वर्ष 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं, जो कि 1 फरवरी 2021, को जारी की गई। इसमें केन्द्र की तरफ से राज्यों को ऊर्ध्वाधर धन अंतरण सन 2021-26 के लिए विभाज्य पूल के 41 प्रतिशत पर रखा गया है, जो कि 14वें वित्त आयोग (42 प्रतिशत) द्वारा तय किए गए हिस्से को थोड़ा सा कम करता है, लेकिन उसमें 2020-21 के लिए इसकी अंतरिम रिपोर्ट में संस्तुत हिस्से को बरकरार रखा है। राज्यों के हिस्से में मामूली कमी प्रथमतया पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को आबंटित किए जा रहे हिस्से को समाप्त कर देने के कारण रही (सन 2018-19 में विभाज्य पूल का 0.8 प्रतिशत) (तालिका 3क)

3.3 वित्त आयोग को राज्यों के बीच करों के पारस्परिक वितरण हेतु न्यूनतम मानदंड के निर्धारण का कार्य भी सौंपा गया था, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों तक सरकार की सेवाओं को पहुंचाना और साथ-ही-साथ राज्यों के आय स्तरों में असमानता के कारण उनकी राजस्व अर्जन की भिन्न-भिन्न क्षमताओं को सुधारना भी था। वित्त आयोग ने 1971 की जनगणना आंकड़ों को

हटाया, जैसा कि विचारार्थ विषय में भी कहा गया था, और राज्यों के बीच पारस्परिक टैक्स वितरण के लिए सन 2011 की जनगणना को मानदंड के तौर पर लिया गया। सन 1971 से 2011 के बीच जनसंख्या बढ़ोतरी को सफलतापूर्वक नीचे लाने वाले राज्यों को लाभान्वित करने के प्रयोजन से जनांककीय कार्यनिष्पादन का नया मानदंड आरंभ किया गया – नहीं तो इस बदलाव के कारण इन राज्यों को दंडित होना पड़ता – यह नया मानदंड था कि सन 1971 में राज्य की जनसंख्या और सन 2011 में जनसंख्या के अनुसार कुल प्रजनन दर के आंकड़ों के फलन (तालिका 3बी) – का प्रतिलोम आरंभ किया गया। एक अन्य प्रमुख परिवर्तन है टैक्स प्रयासों हेतु मानदंडों को फिर से शुरू किया जाना, जिसका प्रयोग 10वें, 11वें और 12वें वित्त आयोग द्वारा किया गया था किन्तु 13वें और 14वें वित्त आयोग ने इनको हटा दिया था। राज्यों के टैक्स संग्रह प्रयासों को प्रोत्साहित करने हेतु और राजकोषीय समेकन के बारे में चिन्ताओं को दूर करने हेतु यह किया गया है। वन और पारिस्थितिकी के लिए भारांक को बढ़ा दिया गया है, जब कि आय-विभेद के भारांक को कम कर दिया गया है, यद्यपि केन्द्र सरकार के टैक्स वितरण हेतु यह प्रधान मानदंड बना रहेगा।

अनुदान

3.4 टैक्स वितरण के अलावा वित्त आयोग द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत अनुदान के रूप में राज्यों को निर्दिष्ट अंतरण की सिफारिश भी की गई। एक-के-बाद-एक वित्त आयोगों के दौरान इन अनुदानों का प्रयोजन काफी अलग ही रहा, यद्यपि स्थानीय निकायों को संघ की तरफ से अंतरण की अनिवार्यता के लिए सन 1992 में संविधान में 73वें और 74वें संशोधनों के अनुसरण में स्थानीय निकायों को केन्द्र की तरफ से टैक्स में दिए

तालिका 3: टैक्स हस्तांतरण के मानदंड

क. सीधा टैक्स हस्तांतरण मानदंड (प्रतिशत)			ख. क्षेत्रीय शेरिंग मानदंड (प्रतिशत)		
वित्त आयोग	टैक्स हस्तांतरण पैटर्न (विभाज्य पूल का प्रतिशत)	राज्य का हिस्सा / सकल टैक्स राजस्व	मानदंड	वित्त आयोग -XIV	वित्त आयोग-XV
एफसी-XI (2000-2005)	29.5	26.6	जनसंख्या - 1971	17.5	
एफसी -XII (2005-2010)	30.5	25.9	जनसंख्या - 2011	10	15
एफसी -XIII (2010-2015)	32	27.9	क्षेत्र	15	15
एफसी -XIV (2015-2020)	42	34.4	वन और पारिस्थितिकी	7.5	10
एफसी -XV (I) (2020-2021)	41	32.4	आय अंतराल	50	45
एफसी -XV (F) (2021-2026)	41		जनांककीय निष्पादन		12.5
			टैक्स और राजकोषीय प्रयास		2.5
			कुल	100	100

तालिका 4: अनुदान

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	घटक	वार्षिक					अवार्ड की पूरी अवधि	
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26	कुल अनुदान में % हिस्सा
1	राजस्व घाटा अनुदान	1,18,452	86,201	51,673	24,483	13,705	2,94,514	28.5
2	स्थानीय सरकारों को अनुदान	80,297	84,703	87,181	92,087	92,093	4,36,361	42.2
3	आपदा प्रबंधन अनुदान	22,184	23,294	24,466	25,688	26,969	1,22,601	11.9
4	क्षेत्र विशिष्ट को अनुदान	12,346	23,729	24,773	33,062	36,077	1,29,987	12.6
5	राज्य विशिष्ट को अनुदान	-	9,919	9,919	14,883	14,878	49,599	4.8
कुल		2,33,279	2,27,846	1,98,012	1,90,203	1,83,722	10,33,062	100.0

स्रोत : वित्त आयोग रिपोर्ट

जाने वाले हिस्से में काफी बढ़ोतरी हुई है। जबकि स्थानीय निकायों को धन अंतरण 15वें वित्त आयोग के अनुदान में प्रमुख रहे, तथापि आयोग ने राजस्व घाटे और आपदा प्रबंधन हेतु अनुदान में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की सिफारिश की है। 15वें वित्त आयोग ने दो नए अनुदानों के बारे में भी सिफारिश की हैं – क्षेत्र-विशेष हेतु अनुदान और राज्य-विशिष्ट हेतु अनुदान। क्षेत्र-विशिष्ट हेतु अनुदान कार्य निष्पादन आधारित है (स्वास्थ्य क्षेत्र के अनुदानों के अलावा) और तीन क्षेत्रों हेतु इनकी सिफारिश की है – (1) सामाजिक क्षेत्र – स्वास्थ्य, शिक्षा; (2) ग्रामीण अर्थव्यवस्था – कृषि सुधार, ग्रामीण सड़कें और (3) अभिशासन – न्यायपालिका, सांख्यिकी और महत्वाकांक्षी जिले और प्रखंड (तालिका 4)।

राज्य वित्त संबंधी निहितार्थ

3.5 टैक्स अंतरण के बारे में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों केन्द्र से संसाधनों के अंतरण में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं करेंगी।

विभाज्य हिस्से के हस्तांतरण को 41 प्रतिशत पर बनाए रखने से संसाधनों के अंतरण में पूर्वानुमेयता और सुस्थिरता आ जाती है। इसके बावजूद 2019-20 से ही टैक्स अंतरण में महत्वपूर्ण कमी रही, जो 2020-21 में भी बनी रही, प्रथमतया यह आर्थिक क्रियाकलापों में गिरावट के साथ-साथ इस विभाज्य पूल के बाहर रखे जाने वाले उप-करों और सरचार्ज के बढ़ते हुए हिस्से के कारण विभाज्य टैक्स पूल में कमी से चालित रही। अनुदान बढ़ाकर 15वें वित्त आयोग ने इसकी प्रतिपूर्ति करने का प्रयास किया है, खासकर 2021 से राजस्व घाटा अनुदान में बढ़ोतरी के माध्यम से। अंतरणों के समग्र पूल, में अनुदानों का हिस्सा, जिसे विभाज्य पूल के प्रतिशत की बजाय निश्चित रकम के रूप में दिया जाता है, निधि के प्रवाह में पूर्वानुमेयता और सुस्थिरता लाता है, और इस प्रकार राजस्व में अनिश्चितता कम होती है। इस विषय पर विस्तृत टिप्पणी संलग्नक-11 में दी गई है।

IV. अर्थोपाय अग्रिम सीमा में बढ़ोतरी – मौद्रिक नीति पर प्रभाव

4.1 जैसा कि पहले बताया गया है, समझौता करके भारतीय रिज़र्व बैंक राज्य सरकारों के बैंकर और ऋण प्रबंधन का कार्य करता है, और बैंकर के तौर पर अपनी भूमिका में यह राज्य सरकारों को विशेष आहरण सुविधा/ अर्थोपाय अग्रिम / ओडी के रूप में अस्थायी अग्रिम प्रदान करता है, ताकि वे नकदी प्रवाह में अस्थायी बेमेलपन पर काबू पा सकें। एक बार अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं पर निर्णय हो जाने पर ये अग्रिम राशियां राज्यों के लिए स्थायी सुविधा का काम करती हैं। परिणामस्वरूप इस स्कीम के तहत ली गई निधियां नकदी के लिए स्वायत्त चालक बन जाती हैं।

4.2 इनकी अस्थायी प्रकृति को देखते हुए व्यवहार में राज्यों को प्रदत्त अर्थोपाय अग्रिम प्रणालीगत चलनिधि के लिए राज्य सरकारों हेतु प्रमुख चालक नहीं होता है, यद्यपि यह भारतीय रिज़र्व बैंक के अल्पावधिक चलनिधि अनुमान और चलनिधि प्रबंधन हेतु चुनौतियां पैदा कर सकता है। इसके अलावा राज्यों के अलग-अलग चलनिधि अंतराल होते हैं और सभी राज्य आदर्श

रूप से एक साथ इस सुविधा को नहीं लेते हैं। सन 2019-20 के दौरान वृद्धिमान आधार पर राज्य सरकारों के रिज़र्व बैंक का निवल ऋण आरक्षित मुद्रा के संचयन का केवल 0.4 प्रतिशत रहा, इसकी तुलना में 2018-19 में 0.1 प्रतिशत का ऋणात्मक योगदान रहा था। राज्य सरकारों को रिज़र्व बैंक का ऋण 2020-21 के दौरान (26 मार्च 2021 तक) वृद्धिमान आरक्षित धन का (-)0.2 प्रतिशत रहा। लेकिन यथा कोविड-19 महामारी जैसे अप्रत्याशित सुदीर्घ आघात के कारण यदि सभी राज्य एक साथ अर्थोपाय अग्रिम लेते हैं, तो अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं को बढ़ाना अपेक्षित हो जाता है, और चलनिधि प्रबंधन हेतु इसके महत्वपूर्ण निहितार्थ हो सकते हैं।

4.3 उक्त को देखते हुए नकदी प्रबंधन में अनुशासन की जरूरत, राजकोषीय विवेक और मौद्रिक तथा चलनिधि प्रबंधन हेतु निहितार्थों को ध्यान में रखते हुए अर्थोपाय अग्रिम सीमा में संशोधन करने की जरूरत है।


V. अर्थोपाय अग्रिम प्रबंधन – संदर्भ और मुद्दे

5.1 राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियों को संचालित करने वाले घटक व्यय को चालित करने वाले घटकों से भिन्न होते हैं और व्यापक रूप से एक दूसरे से असम्पृक्त रूप में संचालित होते हैं। इसलिए यह स्वाभाविक है कि राजस्व की प्राप्तियों और व्यय हेतु निकासी के समय में बेमेलपन रहे। वेतन, पेंशन के भुगतान और भारत सरकार के ऋणों की चुकौती / शोधन सामान्यतया माह के पहले सप्ताह में होते हैं, नतीजा यह रहता है कि नकदी शेष में से ठोस निकासी होती है। राज्यों के राजस्व के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक – माल और सेवा कर (जीएसटी) का संचय सामान्यतया माह के तीसरे या चौथे सप्ताह में होता है, जिससे नकदी शेष निर्मित हो जाता है (चार्ट -2)। इस प्रकार, राज्य सरकारों को या तो नकदी बफर की जरूरत होती है या अल्पावधिक उधारियां चाहिए होती हैं, या फिर दोनों, जबकि अपने अस्थायी अतिशेष को रखे के मार्ग भी चाहिए होते हैं। राज्य सरकारों के बैंकर के तौर पर रिजर्व बैंक ने इसी प्रयोजन हेतु विधिपूर्वक अर्थोपाय अग्रिम स्कीम तैयार की है।

5.2 राज्यों के बजट में प्राप्तियों की प्रमुख मदों में से एक मद होती है, भारत सरकार से अंतरण। राज्य आमतौर पर यह उल्लेख करते हैं कि भारत सरकार से अंतरणों, जिनमें जीएसटी

से संबद्ध अंतरण भी शामिल हैं, में अनिश्चितता से राज्यों के वित्त पर काफी दबाव पड़ता है जिससे सावधानी के उपायों के तौर पर उन्हें मजबूरी में नकदी अधिशेष का उच्चतर स्तर रखना पड़ता है। राज्य सरकारों के नकदी शेष का स्वतः ही भारत सरकार के मध्यवर्ती खजाना बिलों(आईटीबी) में निवेश हो जाता है (संलग्नक 4)। इस संबंध में राज्यों को होने वाली राजस्व हानि आईटीबी की ब्याज दर (प्रतिफल) और राज्यों द्वारा उधारियों पर बाजार दर (लागत) में अंतर से स्पष्ट हो जाती है। बहुत से राज्यों ने इस ऋणात्मक महसूल पर चिन्ता जताई है। दूसरी तरफ राज्यों द्वारा आईटीबी में निवेश बहुत परिवर्तनशील और अनुमान योग्य नहीं है, जिससे भारत सरकार के नकदी शेष में भी परिवर्तनशीलता आ जाती है, जो कि बदले में रिजर्व बैंक के चलनिधि प्रबंधन को प्रभावित करता है। जबकि अनिश्चितताओं से पार पाने के लिए राज्यों द्वारा पर्याप्त नकदी शेष रखा जाना अनिवार्य है, तो आवश्यकता से अधिक नकदी शेष को बनाए रखने के लिए आईटीबी/ एटीबी में निवेश के रूप में बचा जाए (संलग्नक 5 और 6)। राज्यों को अपने लिए नकदी शेष के इष्टतम स्तर का अंदाजा तो होना ही चाहिए और उन्हें नीलामी-निर्धारित दर पर बाजार से उधार लेने से पहले अपने

चार्ट 2 : राज्य सरकारों के नकदी शेष में प्रवृत्तियां



बाक्स 1 : नकदी प्रबंधन परिपाटी और अर्थोपाय अग्रिम

विलियम्स (2010) ने संक्षेप में बताया है कि सरकारी नकदी प्रबंधन में अच्छी परिपाटी कैसे बनती है। यह बताया जाता है कि अच्छे नकदी प्रबंधन हेतु सरकारी नकदी शेषों का केन्द्रीकरण और एकल खजाना खाते (टीएसए)¹¹ की स्थापना और इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहारों, आधुनिक बैंकिंग, भुगतान और निपटान प्रणालियों सहित आधुनिक प्रणालियों पर निर्भरता अनिवार्य पूर्वापेक्षाएं हैं। इसके अलावा, अल्पावधिक नकदी के भीतर आने और बाहर जाने का परिशुद्ध आकलन करने की क्षमता, नकदी प्रबंधकों, राजस्व संग्रहकर्ता एजेन्सियों और व्ययकर्ता मंत्रालयों के बीच जानकारी को साझा करना, इत्यादि भी अपेक्षित है (पेसोआ और विलियम्स 2012)। कोई भी अनपेक्षित आर्थिक गतिविधि प्रत्याशित राजस्व / व्यय से विचलन की तरफ ले जाती है। इस संदर्भ में भारत में प्राप्तियों और व्यय के बीच अस्थायी असंतुलन को पूरा करने के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सुविधा है, और इससे अपेक्षित है कि राजस्व अंतराल को पूरा करने में राज्यों की मदद हो। बजट, व्यय, ऋण और चलनिधि प्रबंधन के संबंध में अर्थोपाय अग्रिम को व्यापक संदर्भों में देखा जाना है। अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग काफी हद तक नकदी प्रबंधन में राज्यों की दक्षता और राजकोषीय सटीकता (प्राप्तियों और व्यय के आकलन में परिशुद्धता) पर भी निर्भर है। यदि कोई राज्य अपनी अर्थोपाय अग्रिम सीमा के भीतर है और केवल अस्थायी असंतुलन को

पूरा करने के लिए अर्थोपाय अग्रिम सुविधा ले रहा है, तो यह कहा जा सकता है कि अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग इष्टतम है। दूसरी तरफ, यदि कोई राज्य निरंतर ही अर्थोपाय अग्रिम लेता है, बारंबार ओडी में भी चला जाता है, तो इसे असंतुलित बजट की व्यापक समस्या के एक भाग के रूप में देखने की जरूरत है, और नकदी प्रवाह के परिशुद्ध आकलन में कठिनाइयों को पर्याप्त रूप से ठीक करने की जरूरत है। संक्षेप में अर्थोपाय अग्रिम का प्रबंधन भी मालसूची के प्रबंधन की तरह से है। नकदी को (खासकर अधिक हो तो) रखे रहने की भी लागत होती है, जबकि दूसरी तरफ नकदी कम पड़ जाने पर इसके अन्य नतीजों सहित जोखिम भी होते हैं।

संदर्भ :

1. विलियम्स, माइक (2010), "गवर्नमेंट कैश मैनेजमेंट इट्स इन्टरएक्शन विद अदर फाइनेन्शियल पॉलिसीज", राजकोषीय कार्य विभाग, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, तकनीकी नोट और मैनुअल, जुलाई।
2. पेसोआ, मारियो और माइक विलियम्स (2012), "गवर्नमेंट कैश मैनेजमेंट : रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेजरी एन्ड दि सेन्ट्रल बैंक", राजकोषीय कार्य विभाग, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, तकनीकी नोट और मैनुअल, नवम्बर।

अतिरिक्त नकदी शेष का उपभोग कर लेना चाहिए। यह पाने के लिए राज्यों को चाहिए कि नकदी प्रवाह विवरण बनाकर नियमित रूप से इसे अद्यतन करते रहें ताकि वे अपनी तात्कालिक नकदी जरूरतों की योजना और अनुमान लगा सकें। आगे चलकर, बेहतर नकदी प्रबंधन परिपाटी, यथा – सूचना प्रौद्योगिकी और ऑनलाइन सूचना प्रणाली को अपनाने वाले राज्यों को प्रोत्साहन देने पर विचार विमर्श किया जाए।

5.3 सरकारों द्वारा नकदी प्रबंधन के विषय पर विपुल साहित्य उपलब्ध है। अच्छे नकदी प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्य हैं – निवेश के साथ जुड़े जोखिम का प्रबंधन करते हुए व्यय को पूरा करने हेतु पर्याप्त नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित हो, केवल तभी उधार लिया जाए जब जरूरी हो, उधार लेने की लागत न्यूनतम हो और निश्चल पड़ी नकदी पर प्रतिफल अधिकतम हो (बाँक्स-1)।

¹¹ सरकार के सभी नकदी शेषों का एक खाते में समेकन।

5.4 इस प्रकार अर्थोपाय प्रबंधन के इस मुद्दे को बजट, व्यय, ऋण और चलनिधि के व्यापक संदर्भ में देखना होगा। यह स्पष्ट है कि संतुलित बजट यह सुनिश्चित करने के लिए नितान्त अनिवार्य है कि कोई राज्य सरकार निरंतर ही ऐसे अर्थोपाय अग्रिम पर निर्भर नहीं रहती हो जो बाद में ओडी में परिवर्तित हो जाए। यथा प्रस्तुत बजट निसंदेह ही संतुलित होते हैं। हालांकि बहुधा ऐसा होता है कि बजट पर्याप्त रूप से समेकित नहीं होते कि सभी प्रकार के व्यय को समाविष्ट कर सकें, क्योंकि कुछ अप्रत्याशित व्यय भी हो सकते हैं। राजस्व अनुमान बहुत अधिक आशावादी हो सकते हैं, जबकि वास्तविक राजस्व में अप्रत्याशित कमी हो सकती है। यह सब कुछ किसी राज्य की राजकोषीय सटीकता का प्रभावित करेगा और अन्ततः इसका प्रभाव अर्थोपाय अग्रिम प्रबंधन पर भी पड़ता है। इस संबंध में आगामी खंड में भारतीय राज्यों में राजकोषीय सटीकता का संक्षिप्त परिदृश्य दिया गया है।

VI. राज्यों की राजकोषीय सटीकता

पृष्ठभूमि

6.1 राजकोषीय नीति की भाषा में राजकोषीय सटीकता का आशय है एक बजटीय कवायद में राजकोषीय संकेतकों हेतु सरकार के पूर्वानुमानों या आकलनों में बारीकी या परिशुद्धता। सरकारी बजट में खासतौर पर संख्याओं के तीन समुच्चय होते हैं – आगामी वर्ष हेतु बजट अनुमान (बीई), वर्तमान वर्ष में बीती अवधि के लिए संशोधित अनुमान (आरई) और विगत वर्ष के वास्तविक आंकड़े। अच्छी राजकोषीय सटीकता का अर्थ है सरकारी अनुमानों में उच्च पूर्वानुमान परिशुद्धता जो खासतौर पर बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों से वास्तविक आंकड़ों के विचलन से निकाली जाती है। यद्यपि बजटीय पूर्वानुमानों में वास्तविक प्रतिमानों से विचलन होना स्वाभाविक है, तथापि विचलन (या त्रुटियों) की प्रकृति पर ध्यान देने की जरूरत रहती है, ताकि बजटीय पूर्वानुमानों की विश्वसनीयता निर्धारित हो सके।

भारतीय राज्यों की राजकोषीय सटीकता : सारांश

6.2 अभी हाल ही के कुछ अध्ययनों में भारत की राज्य सरकारों के पूर्वानुमानों की परिशुद्धता का परीक्षण किया गया। बजट 2014-15 एक अध्ययन (आरबीआई-2015) में 2001-02 से 2012-13 तक की अवधि हेतु राज्य सरकारों के पूर्वानुमान निष्पादन का विश्लेषण किया गया है। इस विश्लेषण में पाया गया कि बजट अनुमान और संशोधित अनुमान दोनों ही में राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय का अतिअनुमान लगाया गया, और इसमें भी राजस्व व्यय के अतिअनुमान की सीमा भी अधिक रही। चक्रवर्ती, चक्रवर्ती और श्रेष्ठ (2020) ने 2011-16 की अवधि में (तेलंगाना के अलावा) 28 भारतीय राज्यों के राजकोषीय पूर्वानुमानों में त्रुटियों का विश्लेषण किया। इस अध्ययन में पाया गया कि बजट अनुमान और संशोधित अनुमान दोनों ही में राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय का पूर्वानुमान बढ़ा कर रखा गया जिसमें बजट अनुमान के संबंध में पूर्वानुमान बढ़कर रहा। अतिअनुमान का परिमाण राज्यों के अपने राजस्व और केन्द्रीय टैक्सों में हिस्से की तुलना में केन्द्र से राज्यों को अनुदान में उच्चतर रहा। श्रीनिवासन और मिश्रा (2020) ने राज्य सरकार राजस्वों में सटीकता का विश्लेषण किया और पाया कि समय के साथ-साथ राज्य सरकार राजस्वों

में अतिअनुमान बढ़ता गया, जबकि केन्द्रीय अनुदानों (राज्य योजना स्कीमों और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों) के पूर्वानुमानों में त्रुटियों की भरमार राजस्व के अति अनुमान में रही।

6.3 वर्ष 2004-05 से 2018-19 तक की अवधि हेतु राज्य सरकारों के प्रमुख राजकोषीय संकेतकों की राजकोषीय सटीकता के विश्लेषण (नवीनतम वर्ष जिसके वास्तविक आंकड़े उपलब्ध थे) 29 राज्यों और विधायिका वाले 2 संघशासित प्रदेशों (दिल्ली और पुदुचेरी) के संबंध में किए गए। प्राप्ति, व्यय और घाटे हेतु बजट अनुमान और संशोधित अनुमान दोनों ही में वास्तविक आंकड़ों से विचलन पर विचार किया गया।

प्राप्तियों का बजट


6.4 सभी राज्यों की राजस्व प्राप्ति को एक साथ लिया जाए तो 2011-12 से बजट अनुमान में और 2004-05 से संशोधित अनुमान में निरंतर ही अति-अनुमान¹² लगाया गया। इसके अलावा, सन 2012-13 से अति अनुमान का दायरा काफी बढ़ गया है (चार्ट 3ए)। पूंजी खाते में विचलन बहुत ही बड़े हैं, और विगत वर्षों के दौरान त्रुटियां अति अनुमान और न्यून अनुमान के बीच ऊपर-नीचे होती रहती हैं (चार्ट-3बी)।

व्यय का बजट

6.5 सभी राज्यों के राजस्व व्यय को एक साथ लिया जाए तो 2004-05 से बजट अनुमान में और संशोधित अनुमान में निरंतर ही अति-अनुमान लगाए गए, यद्यपि 2011-12 के बाद से अति अनुमान के परिमाण में तेजी से बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा व्यय के पूर्वानुमान लगाने में बजट अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमानों ने निरंतर लचर निष्पादन किया है (चार्ट 4ए)। हाल ही के वर्षों में पूंजी खाते में अतिअनुमान भी बढ़ा है, सिवाय 2015-16 और 2016-17 के, जब 'उदय' से संबंधित व्यय के कारण बजट अनुमान की तुलना में वास्तविक पूंजीगत व्यय उच्चतर स्तरों पर पहुंच गए (चार्ट 2बी)।

¹² यूनिट बजट से मिलने वाले केन्द्रीय अनुदानों के पूर्वानुमान में त्रुटि अब तक की सबसे बड़ी त्रुटि को दर्शाती है, माध्यक त्रुटि और माध्यक-वर्गमूल के वर्ग में त्रुटि (आरएमएसई), दोनों ही की दृष्टि से।

चार्ट 3 : प्राप्तियों का बजट : लेखों और बीई / आरई में विचलन




स्रोत : राज्य वित्त : बजटों का अध्ययन (विभिन्न अंक)

घाटे

6.6 घाटे वास्तव में व्युत्पन्न संकेतक होते हैं, और इसलिए पूर्वानुमानों की तुलना में इनमें विचलन का निर्धारण प्राप्तियों और व्यय में अन्तर्निहित विचलन से होता है। तुलनात्मक आधार पर राजस्व घाटे सकल राजकोषीय घाटे की तुलना में बजट अनुमान

और संशोधित अनुमानों में बड़े विचलन दर्शाते हैं। संभव है ऐसा मुख्यतः राजकोषीय दायित्व विधानों (एफआरएल) में राज्यों की उधारियों पर लगाई गई सीमाएं के कारण हुआ हो, जो राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने पूंजीगत व्यय का समायोजन करने को विवश करती हैं।

चार्ट 4 : व्यय बजट : लेखों और बीई/ आरई में विचलन



स्रोत : राज्य वित्त : बजटों का अध्ययन (विभिन्न अंक)

VII. विशेष आहरण सुविधा / अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट के उपयोग में प्रवृत्तियां

7.1 विगत वर्षों में विशेष रूप में कोविड-19 महामारी के संदर्भ में अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट / विशेष आहरण सुविधा के माध्यम से वित्तीय निभावों पर राज्यों की निर्भरता बढ़ गई है, (तालिका-5)। वर्ष 2010-11 और 2020-21 (फरवरी 2021 के अंत तक) के बीच वित्तीय निभाव का सहारा लेने वाले राज्यों की संख्या दोगुनी / दोगुनी से भी अधिक हुई है। कुछ राज्य अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट का नियमित रूप से प्रयोग करते रहे हैं, जबकि कुछ राज्यों ने इसका प्रयोग कुछ अवसरों पर किया। अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट सुविधा का नियमित प्रयोग यह संकेत देता है कि राज्यों की प्राप्ति और व्यय में सतत असंतुलन है और इस पर भली प्रकार ध्यान देने की जरूरत है।

कोविड-19 के बाद गतिविधियां

7.2 कोविड-19 महामारी द्वारा राज्यों पर पड़े राजकोषीय दबाव के प्रतिसाद में रिज़र्व बैंक ने अंतरिम तौर पर अर्थोपाय अग्रिम की विद्यमान सीमाओं को बढ़ा दिया था। इसके अलावा अपने नकदी प्रवाह में बेमेलपन पर काबू पाने के लिए राज्य सरकारों को सुविधा देने के प्रयोजन से 7 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के लिए ओवरड्राफ्ट हेतु अनुमेय दिनों की संख्या में भी रियायत दी गई।

7.3 दबावग्रस्त आर्थिक स्थितियों के कारण अप्रैल 2020 से ही अर्थोपाय अग्रिम लेने वाले राज्यों / यूटी की संख्या और बढ़ी हुई सीमाओं के उपभोग की समयावधि में काफी बढ़ोतरी हुई। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में अब तक जिन पन्द्रह राज्यों / यूटी ने अर्थोपाय अग्रिम लिया उनमें से 8 राज्यों/यूटी ने सीमा का उल्लंघन किया और ये सब ओवरड्राफ्ट में चल रहे थे।

तालिका 5 : राज्यों / केंद्र शासित द्वारा विशेष आहरण सुविधा, अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट का उपयोग (राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या)

वर्ष	विशेष आहरण सुविधा	अर्थोपाय अग्रिम	ओवरड्राफ्ट
2010-11	8	6	4
2011-12	8	9	6
2012-13	10	9	8
2013-14	13	13	8
2014-15	13	12	10
2015-16	12	12	9
2016-17	12	14	6
2017-18	11	13	7
2018-19	9	14	10
2019-20	16	13	9
2020-21 (फरवरी 2021 के अंत में)	17	15	8

स्रोत : रिज़र्व बैंक के रिकार्ड

राज्यों द्वारा विशेष आहरण सुविधा / अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट का उपयोग

7.4 अर्थोपाय अग्रिम की कुल सीमा के बदले में सभी राज्यों द्वारा अर्थोपाय अग्रिम के औसत उपभोग 2016-17 में 4.14 प्रतिशत पर रहे, लेकिन 2019-20 में बढ़कर 6.51 प्रतिशत हो गए और वर्तमान राजकोषीय वर्ष 2020-21 में बढ़कर 8 प्रतिशत पर आ गए (फरवरी 2021 के अंत तक) (तालिका-6)। राज्यों द्वारा अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट का औसत उपयोग लगभग तीन गुणा बढ़ गया, यह 2016-17 के ₹1,843.39 करोड़ से बढ़कर 2020-21 (फरवरी 2021 के अंत तक) में ₹5,379.32 करोड़ हो गया। सारांश रूप में, राज्यों द्वारा विशेष आहरण सुविधा / अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट का उपयोग 2020-21 के दौरान काफी बढ़ गया (संलग्नक-7)।

तालिका 6: राज्यों द्वारा विशेष आहरण सुविधा, अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट का उपयोग

(राशि करोड़ में)

वर्ष	विशेष आहरण सुविधा		अर्थोपाय अग्रिम			ओवरड्राफ्ट	
	शीर्ष उपयोग	औसत उपयोग	शीर्ष उपयोग	औसत उपयोग	कुल सीमाओं की प्रतिशतता रूप में उपयोग	शीर्ष उपयोग	औसत उपयोग
2015-16	2665.81	981.57	2226.61	689.17	2.14	1068.09	230.01
2016-17	2232.04	697.42	4045.97	1332.73	4.14	2113.08	510.66
2017-18	3583.74	847.61	6305.6	1407.14	4.37	2508.61	639.24
2018-19	3819.76	824.06	6806.0	2266.86	7.03	5717.1	725.56
2019-20	7837.86	2223.96	6460.71	2097.12	6.51	5788.37	747.02
2020-21 (फरवरी के अंत तक)	17241.71	4210.97	10793.56	4121.11	8.00	4059.07	1258.21

स्रोत : रिज़र्व बैंक के रिकार्ड

VIII. अर्थोपाय अग्रिम सीमाएं – संशोधन और पद्धति

8.1 समिति ने विभिन्न सूत्रों¹³ पर विचार किया लेकिन यह निर्णय किया कि राज्य सरकारों हेतु संशोधित अर्थोपाय अग्रिम सीमा निर्धारित करने हेतु व्यय आधारित पद्धति को बनाए रखा जाए। समिति अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं के अन्तर-राज्य वितरण में व्यापक उतार-चढ़ाव से बचती रही, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी राज्यों को इसका लाभ मिले। यह ध्यान देना मुनासिब होगा कि पूर्ववर्ती सलाहकार समिति ने भी अर्थोपाय अग्रिम सीमा का आकलन करने हेतु राज्यों के कुल व्यय को आधार के रूप में अपनाया, क्योंकि यह राज्यों के राजकोषीय आकार के समानुपात में अर्थोपाय अग्रिम सीमा के वितरण में सुविधा देता है और यह नकदी प्रवाह के लिए स्थानापन्न है। तदनुसार 2016-17 से 2018-19 तक राज्यों के व्यय में बढ़ोतरी का इस समिति ने अध्ययन किया (केवल खाता स्तरीय आंकड़ों का प्रयोग करते हुए) ताकि अर्थोपाय अग्रिम सीमा को तय किया जा सके।

8.2 समिति ने निर्णय किया कि अर्थोपाय अग्रिम सीमा की कुल प्रमात्रा की बढ़ोतरी 2016-17 से 2018-19 तक की 3 वर्ष की अवधि के दौरान (पूँजीगत और राजस्व व्यय, लॉटरी व्यय, प्राकृतिक आपदाओं जैसे परिवर्तनशील और तदर्थ व्ययों को छोड़ते हुए) दर्ज किए गए कुल व्यय के 9.00 प्रतिशत के सीएजीआर से कम नहीं होना चाहिए। हिमालयी क्षेत्र के राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों (एचएस और एनईएस)¹⁴ के विकास हेतु विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक सूत्र के अनुसार राज्यों के बीच अर्थोपाय अग्रिम सीमा की प्रमात्रा का वितरण किया जाता है। हिमालयी क्षेत्र के राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों तथा अन्य राज्यों के लिए आकलित औसत के आधार¹⁵ पर हिमालयी क्षेत्र के राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों तथा अन्य राज्यों के बीच अर्थोपाय अग्रिम की प्रमात्रा को द्विभाजित किया जाता है। इसके बाद हिमालयी क्षेत्र के राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य राज्यों हेतु

राज्यवार अर्थोपाय अग्रिम सीमा का आकलन औसत-आधार पर क्रमशः 2 प्रतिशत और 1.75 प्रतिशत (पूर्णांकित करने के बाद) के अनुपात¹⁶ का अनुप्रयोग करके किया जाता है। हालांकि, अर्थोपाय अग्रिम सीमा की संवृद्धि दर में उतार-चढ़ाव से बचने के उद्देश्य से समिति ने अर्थोपाय अग्रिम की संवृद्धि दर को औसत संवृद्धि के आधार पर एक दायरे में सीमित कर दिया। तदनुसार, इस समिति ने पूर्ववर्ती सलाहकार समिति¹⁷ द्वारा निर्धारित सीमाओं की तुलना में 19.30 प्रतिशत की न्यूनतर आबद्धता और 60 प्रतिशत की उच्चतर आबद्धता निर्धारित की गई। इस प्रकार राज्यों / यूटी के लिए सूत्र-आधारित अर्थोपाय अग्रिम सीमा की कुल प्रमात्रा ₹47,010 करोड़ बनती है (संलग्नक 8) जो सुमित बोस समिति द्वारा संस्तुत ₹32,225 करोड़ की सीमा की तुलना में 45.9 प्रतिशत की समग्र बढ़ोतरी है। हिमालयी क्षेत्र के राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य राज्यों के बीच वितरण का अनुपात 11:89 बनता है। निर्धारित की गई इतनी बड़ी सीमा से अपेक्षित है कि राजस्व प्रवाहों में किसी भी अप्रत्याशित कमी से हो सकने वाले अस्थायी असंतुलन को कवर कर सके।

8.3 अर्थोपाय अग्रिम की जरूरत न केवल राजस्व और व्यय की धाराओं में अस्थायी बेमेलपन की सीमा पर निर्भर है, बल्कि इसके द्वारा रखे गए आरंभिक नकदी बफर पर भी निर्भर है। इस प्रकार ऊपर प्रस्तावित सीमाएं विद्यमान बेमेलपन के महत्वपूर्ण हिस्से को पूरा करती हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य उपलब्ध अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं से अधिक आहरण नहीं करते हैं, यह आवश्यक है कि वे समुचित धनात्मक नकदी शेष रखते हुए मासिक प्राप्ति-व्यय चक्र आरंभ करें। समिति इस बात को दोहराती है कि अर्थोपाय अग्रिम सुविधा का आशय नकदी प्रवाह में अस्थायी असंतुलन हेतु वित्त पोषण करना है और इसे राज्यों की स्थायी जरूरतों की वित्तपोषण की सुविधा के रूप में नहीं देखा जाए।

संस्तुतियां

8.4 राज्य सरकारें मुख्यतया बाजार से उधार लेकर और विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ), अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (ओडी) के माध्यम से रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त वित्तीय निभाव के माध्यम से कोविड-19 महामारी से हुए राजकोषीय दबाव का प्रबंध करने में सक्षम रही हैं। क्योंकि इस महामारी का प्रभाव अभी भी है

¹³ राजस्व, राज्यों के जीएसडीपी आदि में प्रवृत्तियों पर आधारित।

¹⁴ हिमालयी राज्यों में शामिल हैं – हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड और त्रिपुरा – पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल हैं।

¹⁵ पद्धति के अनुसार विगत तीन वर्ष हेतु कुल व्यय (खातों के आंकड़े) के औसत के रूप में आधार को परिभाषित किया गया है।

¹⁶ हिमालयी क्षेत्र के राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों के कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में हिमालयी क्षेत्र के राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों की अर्थोपाय अग्रिम सीमा के हिस्से को निकालते हैं, जिसकी गणना और समायोजन करते हुए अनुपात निकाला जाता है अन्य राज्यों के लिए भी इसी विधि को अपनाया जाता है।

¹⁷ कोविड-19 महामारी के कारण अर्थोपाय अग्रिम सीमा में अंतरिम बढ़ोतरी सुमित बोस समिति द्वारा संस्तुत सीमा की तुलना में 60 प्रतिशत अधिक है।

तालिका 7 : प्रस्तावित अर्थोपाय अग्रिम सीमाएं

(रकम करोड़ ₹ में)

क्र. सं.	राज्य	विद्यमान सीमा (श्री सुमित बोस समिति)	संस्तुत ¹⁸ सीमा - 30 सितम्बर 2021 तक	क्र. सं.	राज्य	विद्यमान सीमा (श्री सुमित बोस समिति)	संस्तुत ¹⁸ सीमा - 30 सितम्बर 2021 तक
I. अन्य राज्य (गैर हिमालयी – गैर पूर्वोत्तर राज्य)				II. हिमालयी क्षेत्र के राज्य और पूर्वोत्तर राज्य			
1	आन्ध्र प्रदेश	1510	2416	19	अरुणाचल प्रदेश	195	312
2	बिहार	1420	2272	20	असम	940	1504
3	छत्तीसगढ़	660	1056	21	हिमाचल प्रदेश	550	880
4	गोवा	170	272	22	मणिपुर	195	312
5	गुजरात	1915	3064	23	मेघालय	175	280
6	हरियाणा	915	1464	24	मिजोरम	160	256
7	झारखंड	720	1152	25	नगालैन्ड	205	328
8	कर्नाटक	1985	3176	26	त्रिपुरा	255	408
9	केरल	1215	1944	27	उत्तराखंड	505	808
10	मध्य प्रदेश	1600	2560	उप-जोड़ (II)		3,180	5,088
11	महाराष्ट्र	3385	5416	28	जम्मू और कश्मीर	880	1408
12	ओडिशा	985	1576	29	पुदुचेरी	130	208
13	पंजाब	925	1480	जोड़ (सभी राज्य/ यूटी)		32,225	51,560
14	राजस्थान	1630	2608				
15	तमिलनाडु	2475	3960				
16	तेलंगाना	1080	1728				
17	उत्तर प्रदेश	3550	5680				
18	पश्चिम बंगाल	1895	3032				
उप-जोड़ (I)		28,035	44,856				

और सूत्र आधारित संशोधित अर्थोपाय अग्रिम सीमा, अन्तरिम सीमा से कम है, इसलिए समिति का यह विचार है कि ₹51,560 करोड़ की अंतरिम सीमा आगामी छह माह अर्थात् 30 सितम्बर 2021 तक चलती रहे (तालिका-7)। इसके बाद इस महामारी की दशा और इसके आर्थिक तथा राजकोषीय प्रभाव के अनुसार,

रिजर्व बैंक द्वारा राज्यों की उस समय की जरूरतों का आकलन करते हुए इस सीमा में संशोधन किया जाए, यह चाहे समिति द्वारा सुझाए गए सूत्र पर आधारित हो या जैसा भी जरूरी समझा जाए। समिति द्वारा आकलित अर्थोपाय अग्रिम की संशोधित सीमाएं इस रिपोर्ट के संलग्नक-8 में दी गई हैं।

¹⁸ समिति ₹ 51,560 करोड़ की अंतरिम सीमा को 30 सितम्बर 2021 तक जारी रखने की सिफारिश करती है।

IX. ओवरड्राफ्ट सुविधा (ओडी)

9.1 जब राज्य सरकारों के अग्रिम विशेष आहरण सुविधा और अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं से आगे निकल जाते हैं, तो ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाती है। ओवरड्राफ्ट सुविधा के ऐतिहासिक मूल्यांकन का सारांश सुमित बोस समिति ने तैयार किया जिससे ज्ञात होता है कि दिनों की संख्या की सीमा आरंभ में निरंतर 7 कार्य दिवस रखी गई थी, लेकिन कुछ राज्य सरकारों के प्रतिवेदनों के आधार पर बाद में इसे बढ़ा दिया गया। तदनुसार रिज़र्व बैंक ने 1 नवम्बर 1993 से राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट बनाए रखने की अवधि 7 निरंतर कार्य दिवसों से 10 कार्य दिवस करते हुए इस योजना में कुछ रियायत प्रदान कर दी। वर्ष 1998 में आईएसी द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार ओवरड्राफ्ट रकम को अर्थोपाय अग्रिम सीमा से अधिकतम 100 प्रतिशत पर रखा, यह भी प्रावधान रखा गया कि अर्थोपाय अग्रिम सीमा के 100 प्रतिशत से अधिक की ओवरड्राफ्ट रकम को तीन कार्य दिवस के बीच चुकता करना होगा। इसके पश्चात 2001 में रिज़र्व बैंक द्वारा गठित अनौपचारिक जीएसएफएस की सिफारिशों के आधार पर निरंतर 10 कार्य दिवसों की सीमा को बढ़ाकर निरंतर 12 कार्य दिवस किया गया और ओवरड्राफ्ट को अर्थोपाय अग्रिम के 100 प्रतिशत के स्तर के भीतर लाने की अवधि में रियायत देते हुए इसे निरंतर पाँच कार्य दिवस कर दिया गया। समिति ने पाया कि अर्थोपाय अग्रिम में बढ़ोतरी के बावजूद ओवरड्राफ्ट का सहारा लेने में कमी नहीं आई है और बारंबार ओवरड्राफ्ट का सहारा लेना संरचनागत असंतुलन अथवा खराब नकदी-प्रबंधन को प्रकट करता है। रामन्द्रन समिति ने पाया कि ओवरड्राफ्ट का बहुत ज्यादा सहारा लेना राजकोषीय असंतुलन का स्पष्ट संकेत है और जब तक इसे समय रहते नियंत्रित नहीं किया जाता तो यह ऐसी स्थिति में ले जाएगा कि उस समय इसे ठीक करना खर्चीला और कठिन हो जाएगा। हालांकि, रामचन्द्रन समिति ने किसी राज्य के ओवरड्राफ्ट में बने रहने की सीमा को बढ़ाकर निरंतर 14 कार्य दिवस कर दिया। बेजबरुआ समिति ने ओवरड्राफ्ट के लिए विद्यमान समय सीमाओं में संशोधन नहीं करने का निर्णय लिया और इस व्यवस्था को जारी रखा कि यदि निरंतर 14 कार्य दिवस के बाद भी ओवरड्राफ्ट रहे तो भारतीय रिज़र्व बैंक और इसकी एजेंसियां संबद्ध राज्य सरकार के संबंध में भुगतानों को रोक देंगे; यदि एक वित्तीय वर्ष

के दौरान पहली बार अर्थोपाय अग्रिम सीमा से लगातार 5 कार्य दिवस तक अधिक रहती है तो राज्य को रिज़र्व बैंक द्वारा बता दिया जाएगा कि ओवरड्राफ्ट के स्तर को नीचे लाया जाए और यदि ऐसी अनियमितता उसी वित्तीय वर्ष में दूसरी बार या बाद के अवसरों में भी रहती है, तो 14 दिन तक ओवरड्राफ्ट की अनुमति देने के प्रावधान के बावजूद भारतीय रिज़र्व बैंक भुगतानों को रोक देगा। किसी एक तिमाही में लिया गया ओवरड्राफ्ट 14 दिन और 5 दिन वाले नियमों के बावजूद 36 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। सुमित बोस समिति ने भी ओवरड्राफ्ट के उक्त विनियमों को कायम रखा।

कोविड-19 के प्रबंध हेतु अंतरिम रियायत

9.2 कोविड-19 महामारी के कारण नकदी प्रवाह में आए बेमेलपन को काबू में करने हेतु राज्य सरकारों के लिए अधिकाधिक नरलचीलापन प्रदान करने हेतु अंतरिम उपाय के तौर पर अप्रैल 2020 में रिज़र्व बैंक ने निर्णय किया है कि :

- 1) कोई भी राज्य/यूटी निरंतर 21 कार्य दिवस तक ओडी में रह सकता है, इसे वर्तमान के 14 कार्य दिवस के निर्धारण से बढ़ाया गया;
- 2) राज्य/यूटी के लिए एक तिमाही में वर्तमान के निर्धारित 36 कार्य दिवस तक ओडी में रहने की अवधि को बढ़ाकर 50 कार्य दिवस किया जाए।

उक्त रियायत 31 मार्च 2021 तक विधिमान्य है।

सिफारिशें

9.3 समिति सुझाव देती है कि ऊपर उल्लिखित अंतरिम रियायतें 1 अप्रैल 2021 से समाप्त कर दी जाए, और नीचे दिये गए विद्यमान ओवरड्राफ्ट विनियम जारी रहेंगे-

- (i) कोई राज्य निरंतर 14 कार्य दिवस तक ओवरड्राफ्ट में रह सकता है। यदि उस राज्य के खाते में निरंतर 14 कार्य दिवस के बाद भी ओवरड्राफ्ट रहता है, तो रिज़र्व बैंक और इसकी एजेंसियां संबद्ध राज्य सरकार के भुगतानों को रोक देंगे।

(ii) यदि एक वित्तीय वर्ष में पहली बार लगातार पाँच कार्य दिवस तक ओवरड्राफ्ट की रकम अर्थोपाय अग्रिम की सीमा के 100 प्रतिशत से अधिक रहती है, तो रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य को ओवरड्राफ्ट का स्तर नीचे लाकर अर्थोपाय अग्रिम की सीमा के 100 प्रतिशत के भीतर रखने को कहा जाएगा। लेकिन यदि उसी वित्तीय वर्ष में ऐसी अनियमितता दुबारा या फिर से होती है, तो रिज़र्व बैंक भुगतान रोक देगा, बावजूद उक्त खंड (i) के जिसमें राज्य को निरंतर 14 कार्य दिवस तक ओवरड्राफ्ट रखने की अनुमति दी गई है।

(iii) किसी भी राज्य सरकार को एक तिमाही में 36 कार्य दिवस से अधिक हेतु ओवरड्राफ्ट की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि इसका अनुपालन नहीं किया जाता है तो उक्त खंड (i) और (ii) के बावजूद भुगतानों को रोक दिया जाएगा।

(iv) ओवरड्राफ्ट पर ब्याज की दर निम्नानुसार रहेगी :

- क) अर्थोपाय अग्रिम की सीमा के 100 प्रतिशत तक ओडी – रेपो दर से दो प्रतिशत अधिक;
- ख) अर्थोपाय अग्रिम की सीमा के 100 प्रतिशत से अधिक ओडी – रेपो दर से पाँच प्रतिशत अधिक।

X. विशेष आहरण सुविधा

10.1 राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम के अलावा 1 अप्रैल 1953 से ही भारत सरकार द्वारा जारी बाजार में बेचान योग्य प्रतिभूतियों में निवेश को संपार्श्विक रखते हुए विशेष आहरण सुविधा¹⁹ (एसडीएफ) दी जा रही है। आरंभ में प्रत्येक राज्य के लिए ₹2 करोड़ की एक-समान सीमा निर्धारित की गई थी। मार्च 1967 से फरवरी 1999 के बीच इन सीमाओं को प्रत्येक राज्य हेतु निर्धारित न्यूनतम शेष से संबद्ध कर दिया गया, और आवधिक रूप से संशोधित किया जाता था। सन 1999 में राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम विषयक आईएसी ने सिफारिश की कि इन सीमाओं को न्यूनतम शेषों से असंबद्ध कर दिया जाए और राज्यों को मार्जिन की शर्त पर भारत सरकार प्रतिभूतियों की धारिता के बदले में मुक्त रूप से विशेष अर्थोपाय अग्रिम के आहरण की अनुमति दी जाए।

10.2 सन 2005 में बेजबरुआ समिति ने यह सिफारिश की कि समेकित ऋण-शोधन निधि /गारंटी मोचन निधि में निवल वृद्धिमान (अर्थात् नए निवेश में से मोचन / नकदीकरण को घटाकर) वार्षिक निवेश को भी विशेष अर्थोपाय अग्रिम लेने हेतु पात्र माना जाए, इसकी मात्रा उनके सामान्य अर्थोपाय अग्रिम तक प्रतिबंधित रखी जाए। समिति ने महसूस किया कि इससे राज्य अपने-अपने सीएसएफ/जीआरएफ शेषों में सतत बढ़ाते रहने के लिए प्रेरित होंगे, जबकि साथ ही वे अपनी मोचन देयताओं को पूरा करने हेतु आरक्षित निधि भी बना लेंगे। सुमित बोस समिति ने 2016 में इस सुविधा को और अधिक उदरीकृत करते हुए राज्यों को अनुमति दी कि वे बिना किसी उच्चतर सीमा का पालन करते हुए राज्यों को सीएसएफ/जीआरएफ में किए गए अपने निवेश वृद्धिमान वार्षिक निवेशों के बदले विशेष आहरण सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में दैनिक आधार पर विशेष आहरण सुविधा की परिचालन सीमा का निर्धारण करने हुए प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य पर 5 प्रतिशत का सम-समान हेयरकट मार्जिन लगाया जाता है।

10.3 ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो विशेष आहरण सुविधा पर लगाई जाने वाली ब्याज दर आरंभ में बैंक दर से संबद्ध थी और बाद में रेपो दर से। जबकि भारत सरकार प्रतिभूतियों की धारिता के बदले में रेपो दर में से एक प्रतिशत घटाकर विशेष आहरण

सुविधा दिया जाना जारी है, सीएसएफ/जीआरएफ में अपना संचय करने को प्रेरित करने के प्रयोजन से 10 अगस्त 2018 से समेकित ऋण-शोधन निधि /गारंटी मोचन निधि में वृद्धिमान निवेशों के बदले में लिए गए विशेष आहरण सुविधा पर ब्याज दर को रेपो दर में से दो प्रतिशत घटाते हुए नीचे लाया गया।

विशेष आहरण सुविधा का उदारीकरण

10.4 शुरुआत से ही राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों और नीलामी खजाना बिलों में निवेश की जमानत पर उचित मार्जिन का अनुप्रयोग करते हुए विशेष आहरण सुविधा दी जा रही थी।

10.5 रामचन्द्रन समिति (2003) ने यह पाया कि राज्यों द्वारा केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के रिजर्व को लीवरेज करके रिजर्व बैंक से संपार्श्विकृत निधियां ली जा सकती हैं, और इसलिए राज्यों को प्रोत्साहित करने हेतु समिति ने कुछ रक्षोपाय रखते हुए इस स्कीम को उदार बना दिया। जबकि पहले अनुप्रयुक्त मार्जिन दस से पन्द्रह प्रतिशत के दायरे में थे, समिति ने प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य पर पाँच प्रतिशत की सम-समान हेयरकट मार्जिन लगाने की सिफारिश की। ब्याज-दर को बैंक दर से कम करके बैंक दर में एक प्रतिशत कम कर दिया गया और राज्यों को केवल विशेष अर्थोपाय अग्रिम को पूरा ले लेने के बाद ही सामान्य अर्थोपाय अग्रिम का प्रयोग करने की अनुमति दी गई।

समेकित ऋण-शोधन निधि /गारंटी मोचन निधि में निवेश के बदले में विशेष आहरण सुविधा लेना

10.6 रामचन्द्रन समिति ने सुझाव दिया कि विशेष आहरण सुविधा हेतु पात्र प्रतिभूतियों को प्रभार मुक्त रखा जाए और इनमें वे प्रतिभूतियां शामिल नहीं की जाएं जो समेकित ऋण-शोधन निधि गारंटी मोचन निधि के दायरे में या ऐसी ही अन्य विशेष स्कीमों के दायरे में आती हैं, ताकि समेकित ऋण-शोधन निधि /गारंटी मोचन निधि शेषों की 'दोहरी गिरवी' से बचा जा सके। बेजबरुआ समिति ने मध्यम अवधि के दौरान राजकोषीय परिवेश में अपेक्षित सुधार के संदर्भ में निर्णय किया कि विशेष आहरण सुविधा लेने के लिए समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि में निवेशों को पात्र संपार्श्विक के रूप में अनुमति दी जाए। हालांकि, प्रत्येक राज्य हेतु सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा के समतुल्य सीमा निर्धारित की गई। स्कीम को और भी नरम बनाने हेतु राज्यों के अनुरोध पर सुमित बोस समिति ने फिर से विचार किया और

¹⁹ सन 2014 से पहले विशेष आहरण सुविधा का उल्लेख 'विशेष अर्थोपाय अग्रिमों के रूप में किया जाता था।

सिफारिश की कि समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि में समस्त वृद्धिमान निवेशों को दिनांकित प्रतिभूतियों और एटीबी निवेशों की तरह से ही बिना किसी सीमा के विशेष आहरण सुविधा हेतु पात्र बना दिया जाए। हालांकि, 'दोहरे गिरवी' की समस्या से बचने हेतु समिति ने सुझाव दिया कि विशेष आहरण सुविधा पात्रता का निर्णय दैनिक आधार पर किया जाए। वर्तमान में सिस्टम द्वारा दैनिक आधार पर विशेष आहरण सुविधा की परिचालन सीमाओं की स्वतः संगणना की जाती है, जबकि प्रतिभूतियों का पुनर्मूल्यांकन हर तिमाही में किया जाता है।

10.7 समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि में निवल वार्षिक निवेश के बदले में राज्यों को विशेष अर्थोपाय अग्रिम लेने की अनुमति देते समय बेजबरूआ समिति ने पाया कि राज्यों को दिनांकित भारत सरकार प्रतिभूतियों में अस्थायी नकदी अतिशेष का निवेश करने की अनुमति प्रदान करना और फिर विशेष अर्थोपाय अग्रिम का लाभ उठाने की अनुमति देना उचित वित्तीय सिद्धांत नहीं है। इसलिए, जब तक 'टिकाऊ अतिशेष' नहीं हो जाए तब तक राज्यों को भारत सरकार प्रतिभूतियों में निवेश से हतोत्साहित करने के प्रयोजन से समिति ने यह सिफारिश की थी कि राज्यों को अपने नकदी शेष का निवेश दिनांकित भारत सरकार प्रतिभूतियों में करने की अनुमति दी जाए, बशर्ते उन्होंने तत्काल ही निरंतर 90 दिन की पूर्ववर्ती अवधि में अर्थोपाय अग्रिम नहीं लिया हो। इस 90 दिन की अवधि को अर्थोपाय अग्रिम की समयवधि के साथ सुस्थिर रखा गया, ताकि रिजर्व बैंक से अल्पावधिक उधर के रूप में दी गई दीर्घावधिक निवेश के प्रयोजनों हेतु का प्रयोग को टाला जा सके।

सिफारिशें

10.8 समिति का अवलोकन रहा कि 2016 में विशेष आहरण सुविधा की परिचालन सीमा में नरमी लाने के बाद से विशेष आहरण सुविधा के उपभोग में अधिक बढ़ोतरी नहीं हुई है, बहुत कम ही राज्य विशेष आहरण सुविधा ले रहे हैं, यद्यपि सीएसएफ/जीआरएफ में वृद्धिमान निवेश बढ़ता गया। हालांकि, मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी की शुरुआत के कारण राज्यों द्वारा विशेष आहरण सुविधा का उपभोग काफी बढ़ गया, जो वित्तीय दबाव के समय इस सुविधा की उपयोगिता का संकेत देता है।

10.9 कुछ राज्यों ने यह अनुरोध किया है कि सीएसएफ/जीआरएफ में सम्पूर्ण मूल संचय के बदले में विशेष आहरण सुविधा प्रदान की जाए। हालांकि, समिति महसूस करती है कि यदि राज्यों को मूल संग्रह की जमानत पर विशेष आहरण सुविधा की अनुमति

दी जाती है तो वे जरूरत पड़ने पर सीएसएफ/जीआरएफ में किए गए निवेश का धन नहीं ले पाएंगे। इससे ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि को आरक्षित निधियों के रूप में बनाए रखने का प्रयोजन ही असफल हो जाएगा। इसके मद्देनजर समिति यह सिफारिश करती है कि ऋण शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि में निवल वार्षिक वृद्धिमान निवेश के आधार पर विशेष आहरण सुविधा की परिचालन सुविधा पर निर्णय लेने की वर्तमान प्रणाली को बिना किसी ऊपरी सीमा के जारी रखा जाए।

10.10 समिति रेखांकित करती है कि समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि दोनों ही विशिष्ट प्रयोजन हेतु संस्थापित आरक्षित निधियां हैं, और इनको ठोस रूप से बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि, विद्यमान प्रावधान में यदि किसी राज्य ने विशेष आहरण सुविधा/ अर्थोपाय अग्रिम लिया है तो दिनांकित भारत सरकार प्रतिभूतियों में 90 दिन हेतु निवेश पर प्रतिबंध है और इस अवधि में राज्य समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि में निवेश नहीं कर सकेंगे, भले ही विशेष आहरण सुविधा / अर्थोपाय अग्रिम को चुकता कर दिया गया हो। अतएव, अस्पष्टता यदि कोई हो, को हटाने के उद्देश्य से, समिति यह स्पष्ट करती है कि सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश संबंधी प्रतिबंध²⁰ समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि में राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेशों पर लागू नहीं होंगे।

एटीबी में निवेश के बदले विशेष आहरण सुविधा लेना

10.11 सुमित बोस समिति ने सुझाव दिया कि, एटीबी भी तो सरकारी प्रतिभूतियां हैं तो राज्यों को यही सलाह देना बनता है कि वे एटीबी में केवल तभी निवेश करें जब दिनांकित भारत सरकार प्रतिभूतियों में निवेशों हेतु लगाए गए प्रतिबंधों की तरह ही उन्होंने ठीक 90 दिन पहले विशेष आहरण सुविधा नहीं ली हो। राज्य सरकारों की विवेकी नकदी प्रबंधन परिपाटी को बढ़ावा देने के लिए सुमित बोस समिति ने सिफारिश की कि यदि कोई राज्य 91-दिवसीय खजाना बिलों में निवेश के बदले विशेष आहरण सुविधा लेता है, तो पहले अवसर पर, इस क्रियाकलाप को एक सीमित अवधि हेतु अनुमति दी जाए, लेकिन अगले 90 दिन तक उस राज्य को 91-दिवसीय खजाना बिलों में आगामी निवेश की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, एक ही वित्तीय वर्ष में विशेष आहरण सुविधा लेकर उसका निवेश 91-दिवसीय खजाना बिलों में करने

²⁰ वर्तमान में राज्यों को अनुमति है कि यदि उन्होंने ठीक पहले लगातार 90 दिन की अवधि में अर्थोपाय अग्रिम नहीं लिया है, तो उन्हें अपने नकदी अतिशेष का निवेश दिनांकित भारत सरकार प्रतिभूतियों में करने की अनुमति है।

का तरीका द्वितीय और बाद के अवसरों पर भी बना रहता है, तो प्रथम अवसर के बाद इस प्रकार लिए गए विशेष आहरण सुविधा को अर्थोपाय अग्रिम माना जाएगा। समिति ने राज्यों से यह भी कहा कि वे नकदी का विवेकपूर्ण प्रबंधन करें ताकि उनका अतिशेष एटीबी में निविष्ट रहते समय रिज़र्व बैंक से उधार लेने से बचा जा सके।

सिफारिशें

10.12 वर्तमान में राज्य सरकारें केवल समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि में अपने निवेशों के माध्यम से ही भारत सरकार दिनांकित प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। वे अपने टिकाऊ नकदी अतिशेष को एटीबी (91-दिवसीय, 182-दिवसीय और 364 दिवसीय) में निवेश करते रहें हैं। हालांकि, समिति ने देखा कि बहुत कम राज्य जो लगातार एटीबी में निवेश कर रहे थे, उन्होंने इन निवेशों के बदले में विशेष आहरण सुविधा नहीं ली, सिवाय उन विरले अवसरों के जब अप्रत्याशित व्यय के कारण राज्यों ने विशेष आहरण सुविधा ली। इसके अलावा, विद्यमान स्थिति राज्यों के लिए अनुकूल नहीं है क्योंकि उनके पास अपने

नकदी अतिशेष का अल्पकालिक निवेश करने के सीमित अवसर हैं – यथा – एटीबी और 14 दिवसीय आईटीबी। यदि 91-दिवसीय खजाना बिलों का निवेश 90 दिन के लिए बाधित हो जाता है तो राज्यों का नकदी अतिशेष स्वतः 14 दिवसीय आईटीबी में निविष्ट हो जाता है, जो रिवर्स रेपो से दो प्रतिशत कम (वर्तमान में 1.35 प्रतिशत) की बहुत ही कम प्रतिलाभ का अर्जन देता है। इसे देखते हुए, समिति महसूस करती है कि 91-दिवसीय खजाना बिलों में निवेश के बदले विशेष आहरण सुविधा लेने पर प्रतिबंधों²¹ को हटा दिया जाए और 90 दिवसीय प्रतिबंध के बिना ही 91-दिवसीय खजाना बिलों में निवेश की अनुमति दी जाए, बशर्ते ऐसे निवेश से पहले ली गई विशेष आहरण सुविधा को पूर्णतया चुकता कर दिया गया हो। हालांकि, जैसा कि पूर्ववर्ती समितियों ने भी कहा था कि राज्यों को चाहिए कि वे नकदी का विवेकपूर्ण प्रबंधन करें ताकि उनका अतिशेष एटीबी में निविष्ट होने के समय रिज़र्व बैंक से उधार लेने से बचा जा सके। यदि ऐसे अवसर बनते हैं तो इस प्रकार के अन्तरपणन क्रियाकलापों को रोकने हेतु रिज़र्व बैंक यथा आवश्यक समझी गई कार्रवाई करें।

²¹ वर्तमान में, यदि कोई राज्य 91-दिवसीय खजाना बिलों में निवेश के बदले विशेष आहरण सुविधा लेता है, तो पहले अवसर पर, इस अंतरपणन क्रियाकलाप को एक सीमित अवधि हेतु अनुमति दी जाए, लेकिन अगले 90 दिन तक उस राज्य को 91-दिवसीय खजाना बिलों में आगामी निवेश की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, एक ही वित्तीय वर्ष में विशेष आहरण सुविधा लेकर इसका निवेश 91-दिवसीय खजाना बिलों में करने का तरीका द्वितीय और बाद के अवसरों पर भी बना रहता है, तो प्रथम अवसर के बाद इस प्रकार ली गई विशेष आहरण सुविधा को अर्थोपाय अग्रिम माना जाएगा।

XI. समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि

परिचय

11.1 राज्य सरकारों की तरफ से उनकी आकस्मिक देयताओं को पूरा करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक दो आरक्षित निधियों का प्रबंधन करता है, यथा – समेकित ऋण-शोधन निधि (सीएसएफ) और गारंटी मोचन निधि। राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले अंशदान से इन निधियों को स्थापित किया गया है। सरकार के भुगतान दायित्वों को पूरा करने हेतु सृजित समेकित ऋण-शोधन निधि एक प्रकार से ऋण परिशोधन निधि है। इस निधि में उपचित और संचित ब्याज का प्रयोग सरकार की बकाया देयताओं के मोचन हेतु किया जाता है। राज्य स्तरीय निकायों की तरफ से जारी गारंटियों के कारण पैदा होने वाले दायित्वों को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा गारंटी मोचन निधि का गठन किया गया है। इस निधि में होने वाले संचयों का प्रयोग अपने राज्य स्तरीय उपक्रमों/अन्य निकायों द्वारा निर्गमित बॉन्डों/ ली गई अन्य उधारियों के संबंध में केवल सरकार द्वारा जारी (और लाभभोगी द्वारा मोचित किए जाने पर) गारंटियों के भुगतान हेतु किया जा सकता है।

पृष्ठभूमि

समेकित ऋणशोधन निधि

11.2 राज्य सरकारों के अनुरोध पर रिज़र्व बैंक ने सन 1999 में मॉडल समेकित ऋण-शोधन निधि स्कीम तैयार करके राज्यों के बीच अपनाने हेतु /विचारार्थ परिचालित की थी। बाद में बारहवें वित्त आयोग ने यह सिफारिश की थी कि राज्य सरकारों के (केवल खुले बाजार से लिए गए उधारों ही नहीं) सभी ऋणों के संबंध में चुकौतियों को समेकित ऋण-शोधन निधि में कवर किया जाए। इस पृष्ठभूमि में रिज़र्व बैंक ने मई 2006 में राज्यों के बीच समेकित ऋण-शोधन निधि की संशोधित मॉडल स्कीम को परिचालित किया। अक्टूबर 2012 में एक कार्यबल(डब्ल्यूजी) का गठन किया गया ताकि इस निधि को अर्थक्षम बनाने के लिए समेकित ऋण-शोधन निधि में निवेश हेतु विभिन्न मार्गों का परीक्षण किया जा सके, इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। अन्य सिफारिशों के साथ-साथ इस कार्यबल की प्रमुख सिफारिशों में यह भी रही कि 5 वर्ष के भीतर ही राज्य की देयताओं के 3-5 प्रतिशत का न्यूनतम संचय किया जाए और इसके बाद इसे निरंतर बनाए रखा जाए। आज की तारीख में 24 राज्यों और पुदुचेरी संघ शासित प्रदेश ने समेकित ऋण-शोधन निधि स्थापित कर लिया है। इसमें

31 मार्च 2020 तक कुल ₹ 1,30,431.38 करोड़ की रकम संचित हो चुकी है।

गारंटी मोचन निधि

11.3 'राज्य सरकार गारंटियों पर तकनीकी समिति' (फरवरी 1999) की सिफारिशों के आधार पर बहुत से राज्यों ने अपने द्वारा जारी की जा रही गारंटियों की उच्चतम सीमा निर्धारित करने का उपक्रम किया। इसके अलावा, राज्य सरकार की गारंटियों के राजकोषीय जोखिम का आकलन करने के लिए गठित राज्य वित्त सचिवों के एक समूह (2002) ने राज्य सरकार गारंटियों के हस्तांतरण के संबंध में समुचित जोखिम भारांक देने के महत्व को रेखांकित किया और जोखिम-भारित गारंटियों के समाकलन का सुझाव दिया ताकि यदि वे राज्य के हिस्से में आ जाएं तो इन गारंटियों को सकारने हेतु पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए जा सकें। राज्य स्तर पर राजकोषीय दायित्व विधान(एफआरएल) (2005) की रिपोर्ट ने राज्यों के जीएसडीपी/ कुल राजस्व प्राप्तियों के संबंध में वार्षिक वृद्धिमान जोखिम-भारित गारंटियों हेतु एक सीमा निर्धारित करने की सिफारिश की। बहुत से राज्य अपने-अपने एफआरएल में इस सिफारिश का समावेश कर चुके हैं। रिज़र्व बैंक ने 2003 में गारंटी मोचन निधि की स्कीम का प्रारूप राज्यों के बीच परिचालित किया कि वे इसे स्वतः अंगीकार कर लें। 31 मार्च 2020 की यथास्थिति अनुसार 18 राज्य सरकारें गारंटी मोचन निधि में जुड़ चुकी हैं और ₹7,486 करोड़ का निवेश हो चुका है।

आरक्षित निधियां बनाने को प्रेरित करने हेतु रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए उपाय

11.4 वर्ष 2005 और 2015 में गठित सलाहकार समितियों ने विशेष आहरण सुविधा प्राप्त करने हेतु समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि में किए गए वृद्धिमान निवेश का प्रयोग संपार्श्विक के तौर पर करने की अनुमति दी, ताकि राज्य सरकारों को समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि में उदारतापूर्वक निवेश करने को प्रेरित किया जा सके। जून 2018 में विशेष आहरण सुविधा (समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि में निवेश के बदले) पर ब्याज दर को रेपो दर में से एक प्रतिशत कम से घटाकर रेपो दर में से दो प्रतिशत कम पर ला दिया गया, ताकि राज्यों को समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि में संचय बढ़ाने को प्रेरित किया जा सके।

11.5 समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि के महत्वपूर्ण लक्षण

लक्षण	सीएसएफ	जीआरएफ
निधि में योगदान	सरकार इस निधि में विगत वर्ष के अंत में बकाया देयताओं के लिए मामूली स्तर पर कम-से-कम 0.5 प्रतिशत का अंशदान आरंभ करे और प्रतिवर्ष इस न्यूनतम अंशदान को बढ़ाने का प्रयास करे। इस निधि एक साल में किए जाने वाले अंशदानों की संख्या के संबंध में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।	सरकार द्वारा यह निधि स्थापित की जाएगी जिसमें विगत साल के अंत में बकाया गारंटियों का न्यूनतम 1 प्रतिशत अंशदान रखा जाए और इसके बाद न्यूनतम 0.5 प्रतिशत अंशदान हो ताकि अगले पाँच वर्ष में न्यूनतम 3 प्रतिशत का स्तर प्राप्त हो सके। इस निधि को क्रमिक रूप से 5 प्रतिशत के वांछनीय स्तर पर लाया जाएगा। यदि गारंटियों को लागू किया जाता है या किए जाने की संभावना है तो अतिरिक्त निधियां (5 प्रतिशत के अलावा) लागू की जाएगी।
निधि से आहरण	केवल तभी अनुमेय जब बकाया देयताओं को चुकता करना हो, जिसमें सरकार के आंतरिक ऋण और लोक खाते की देयताएं शामिल हैं।	केवल सरकार द्वारा जारी और लाभभोगियों द्वारा चुकाने के लिए कही गई गारंटियों के कारण पैदा होने वाले दायित्वों का भुगतान करने के लिए।
आहरण की सीमा	विगत वित्तीय वर्ष के अंत में इस निधि में उपचित और संचित ब्याज के आहरण की अनुमति है। यह रकम खुले बाजार से लिए गए उधारों के संबंध में उस साल के लिए मोचन की रकम से अधिक नहीं रहेगी।	मोचन की गई गारंटी और सरकार द्वारा भुगतान किए जाने की तारीख तक निधि में संचित शेष में से आहरण की अनुमति है, सरकार के निदेशों के अनुसार या सरकार को यह विकल्प होगा कि विगत साल की बकाया गारंटी के 5 प्रतिशत से ऊपर की निधि के आधिक्य का आहरण किया जाए।
अवरुद्धता अवधि	5 वर्ष	-
विशेष आहरण सुविधा लेने की सुविधा	राज्यों के निवल वृद्धिमान वार्षिक निवेश (अर्थात् विगत वर्ष की समरूपी अवधि में जो स्तर है उसके अलावा बकाया शेष) विशेष आहरण सुविधा लेने के लिए पात्र है।	राज्यों के निवल वृद्धिमान वार्षिक निवेश (अर्थात् विगत वर्ष की समरूपी अवधि में जो स्तर है उसके अलावा बकाया शेष) विशेष आहरण सुविधा लेने के लिए पात्र है।

समेकित ऋण-शोधन निधि / गारंटी मोचन निधि रखने के लाभ

11.6 समिति ने उन विभिन्न लाभों पर विचार विमर्श किया जो राज्य सरकारों को समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि को बनाए रखने से मिलते हैं, जैसा कि निम्नानुसार वर्णित है :

- 1) मोचन देयताओं की चुकौती हेतु समेकित ऋण-शोधन निधि एक बफर निधि का काम कर सकता है, जिसके अभाव में राज्यों को बाजार उधारियों का सहारा लेना पड़ता है।
- 2) बफर निधि की उपलब्धता किसी भी राज्य के निर्गमनों में निवेशक का भरोसा बढ़ाती है जिसके सकारात्मक प्रभाव राज्य द्वारा उधार लेने की लागत पर पड़ते हैं।
- 3) आर्थिक दबाव के समय राज्यों के वित्त पर प्रभावों से समेकित ऋण-शोधन निधि बचाव कर सकती है।
- 4) इसी प्रकार गारंटियों का निर्गमन करके राज्यों द्वारा सृजित आकस्मिक देयताओं को पूरा करने हेतु गारंटी मोचन निधि का प्रयोग हो सकता है, इस तरह राज्यों के वित्त पर प्रतिकूल प्रभाव से बचाव होता है।
- 5) समेकित ऋण-शोधन निधि / गारंटी मोचन निधि में निवेशों से अर्जित छमाही कूपनों (ब्याज) और परिपक्वता पर प्राप्त मोचन-रकम का इसी निधि में फिर से निवेश हो जाता है। कुछ समय बाद इससे काफी बड़ी रकम का संचय हो जाता है।
- 6) समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि में वृद्धिमान निवेश का प्रयोग करके भी राज्य सरकारों को लाभ होता है क्योंकि वे कम ब्याज दर²² अर्थात् रेपो दर में से दो प्रतिशत घटाते हुए पर विशेष आहरण सुविधा का लाभ ले सकते हैं।

सीएसएफ और जीआरएफ स्कीमों में सीमाएं

11.7 यद्यपि समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि के रूप में आरक्षित निधि रखने से राज्यों को काफी लाभ होता है, तथापि कुछ राज्यों ने समेकित ऋण-शोधन निधि / गारंटी मोचन निधि को बनाए रखने में कुछ बाधक तत्व भी बताए हैं, जो इस प्रकार हैं :

- 1) बाजार से उधार लेकर आरक्षित निधि में अंशदान करने से राज्य सरकारों को लागत देनी पड़ती है। यदि इन निवेशों के बदले में राज्य विशेष आहरण सुविधा

²² समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि में निवेशों के बदले में लिए गए विशेष आहरण सुविधा पर वर्तमान ब्याज दर (रेपो दर से 2 प्रतिशत कम) 2 प्रतिशत बनती है।

लेते हैं तो यह लागत कुछ हद तक कम की जा सकती है (क्योंकि विशेष आहरण सुविधा रियायती दर पर दी जाती है)।

- 2) विद्यमान समेकित ऋण-शोधन निधि स्कीम के तहत मूल अंशदान फंस जाता है क्योंकि राज्य इस निधि में से केवल मिले हुए और संचित ब्याज का ही आहरण कर सकते हैं, मूलधन संचय का नहीं। यह भी कि किसी राज्य को पाँच वर्ष की लॉक-इन अवधि के बाद ही आहरण की अनुमति दी जाती है, और वह भी आहरण के वर्ष में केवल मोचन आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु। इसी प्रकार गारंटी मोचन निधि स्कीम के तहत धन-संचय के आकार पर ध्यान दिए बिना केवल गारंटियों का भुगतान मांगे जाने के कारण हुए भुगतान दायित्वों को पूरा करने हेतु ही निधियों का आहरण किया जा सकता है।

समिति का मानना है कि ये प्रतिबंधक तत्व इस निधि को बनाए रखने/में अंशदान हेतु प्रेरित नहीं करते।

राज्यों को सीएसएफ और जीआरएफ को क्यों बनाए रखना चाहिए

11.8 उपरोल्लिखित तर्क-वितर्क से यह प्रकट है कि इस बफर निधि को बनाए रखने से होने वाले फायदे इसके नुकसानों से कहीं ज्यादा है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि, वित्तीय दबाव के समय मोचन देयताओं को पूरा करने में राज्यों द्वारा अनुरक्षित बफर निधियों से काफी हद तक सहायता मिली। समिति ने यह भी पाया कि अपने राज्य स्तरीय उपक्रमों की तरफ से राज्यों द्वारा गारंटी जारी करने में विगत वर्षों के दौरान काफी बढ़ोतरी रही जिससे राज्यों के लिए गारंटी मोचन निधि रखना अनिवार्य हो गया, ताकि आकस्मिक देयताओं को पूरा किया जा सके।

11.9 इसलिए यह महसूस किया गया कि राज्यों को समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि को अपनी कुल बकाया देयताओं/गारंटियों के 5 प्रतिशत के वांछनीय स्तर पर बनाए रखना जारी रखना चाहिए। समिति का विचार है कि इसमें सहायता के लिए समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि निबंधनों और शर्तों को और भी उदार बना दिया जाए। समिति ने शेष राज्यों से भी पुरजोर तरीके से कहा कि समेकित ऋण-शोधन निधि / गारंटी मोचन निधि स्कीमों में शामिल हो जाएं, जिससे जरूरत के समय देयताओं की चुकौती करने हेतु निधि से आहरण और नकदी प्रवाह में अस्थायी बेमेलपन को दूर करने हेतु विशेष आहरण सुविधा लेने में भी सहायता मिलेगी।

सिफारिशें

11.10 राज्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों को सुलझाने और सीएसएफ और जीआरएफ में संचय हेतु समिति निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव करती है –

अभिलक्षण	विद्यमान प्रावधान	संस्तुत परिवर्तन
सीएसएफ / जीआरएफ में न्यूनतम संग्रह	सरकार शुरुआती वर्ष से पहले के वर्ष के अंत में बकाया देयताओं के कम-से-कम 0.5 प्रतिशत के मामूली स्तर पर निधि में अंशदान करें और प्रतिवर्ष न्यूनतम अंशदान को बढ़ाने का प्रयास करें।	न्यूनतम संचय निधि इस प्रकार से रहे 1) यथा अनुमेय कुल बकाया देयताओं / गारंटियों का कम से कम 5 प्रतिशत; 2) 5 वर्ष के भीतर जुटा ली जाए; 3) इसके बाद रोलिंग आधार पर बरकरार रखा जाए।
सीएसएफ से आहरण	क) सीएसएफ की स्थापना के बाद 5 वर्ष की अवरुद्धता अवधि के बाद आहरण की अनुमति है।	सीएसएफ की स्थापना के बाद 2 वर्ष की अवरुद्धता अवधि के बाद आहरण की अनुमति हो।
	ख) विगत वित्तीय वर्ष के अंत तक निधि में जमा हुए और संचित ब्याज आय से आहरण की अनुमति है। ग) केवल बकाया देयताओं की चुकौती हेतु अनुमेय, जिनमें सरकार के अंतरिम ऋण और लोक-लेखा देयताएं शामिल हैं।	न्यूनतम संचय होने तक। कुल बकाया देयताओं के न्यूनतम 5% तक का संचय होने के बाद
	घ) आहरित रकम उस वर्ष में खुले बाजार से उधार के संबंध में देय मोचन की रकम से अधिक नहीं होगी।	आहरण की प्रमात्रा को उस वर्ष हेतु बाजार उधारियों के मोचन की रकम के बराबर ही आहरण को सीमित रखने की शर्त को हटाया जा सकता है। राज्यों को अनुमति दी जाए कि वे बकाया देयताओं, जिनमें सरकार के आंतरिक ऋण और लोक लेखा देयताएं, शामिल हैं, की चुकौती हेतु निधि में (विगत वित्तीय वर्ष के अंत तक) संचित और जमा हुए ब्याज की संपूर्ण मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं।

²³ बकाया देयताओं में सरकार के आंतरिक ऋण और लोक लेखा देयताएं शामिल हैं।

11.11 सीएसएफ/जीआरएफ योजना में प्रचलित प्रावधान के अनुसार यह आवश्यक है कि सीएसएफ/जीआरएफ से समयपूर्व विनिवेश के मामले में राज्य सरकारों के परामर्श से नकदीकृत की जाने वाली प्रतिभूतियों का चयन किया जाए। समिति यह प्रस्ताव करती है कि परिचालनगत सुविधा को देखते हुए इस शर्त को हटा दिया जाए और रिज़र्व बैंक को यह अनुमति दी जाए कि नकदीकृत की जाने वाली प्रतिभूतियों पर निर्णय करे, बशर्ते नकदीकृत की जाने वाली प्रतिभूतियां विक्रय के समय पर लाभ में हों। तदनुसार समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि (जीएसएफ) योजनाओं में संशोधन किया जाए।

11.12 समिति ने पाया कि राज्यों द्वारा आकस्मिक देयताओं (सीएसएफ) और (जीएसएफ) संबंधी आंकड़ों की परिशुद्धता किया जाना आवश्यक है। उनके लिए यह भी जरूरी है कि क्षेत्रवार गारंटियों से संबद्ध डाटा के बारे में डाटा संग्रह, प्रकटन और रिपोर्टिंग में सुधार भी करें।

कोविड-19 के कारण अंतरिम उदारीकरण

11.13 कोविड-19 महामारी के कारण और उसके फैलाव पर काबू पाने के लिए राज्यों को अभूतपूर्व उपाय करने पड़े जिससे राज्य सरकारों पर भारी खर्च आ पड़ा है। इसलिए, राज्य सरकारों द्वारा सामना किए जा रहे वित्तीय दबाव में राहत देने के लिए रिज़र्व बैंक ने सीएसएफ योजना की समीक्षा की और निर्णय किया कि सीएसएफ से आहरण को नियंत्रित करने वाले नियमों में अस्थायी रूप से ढील दी जाए। तदनुसार, राज्यों को अनुमति दी गई कि वे मार्च 2020 के अंत तक अपने मूल बकाया शेष के कुछ भाग (मूलधन और इस पर बने ब्याज) का आहरण कर सकते हैं, जबकि इस निधि में न्यूनतम शेष भी बनाए रखा जाए। इस ढील से राज्यों को अपनी मोचन देयताएं चुकाने के लिए अतिरिक्त निधियां मिल गईं। यह अतिरिक्त धनराशि और साथ में समेकित ऋण-शोधन निधि (सीएसएफ) के तहत आहरण योग्य अनुमेय सीमा से यह अपेक्षा थी कि इससे राज्य 2020-21 में देय अपनी बाजार उधारियों के मोचन का 45 प्रतिशत पूरा कर सकेंगे। आहरण मानदंडों में यह अंतरिम परिवर्तन 22 मई 2020 से प्रभावी हुआ और 31 मार्च 2021 तक विधिमान्य रहा।

XII. राज्य सरकारों के न्यूनतम नकदी शेष की समीक्षा

12.1 समिति ने राज्य सरकारों द्वारा रखे जाने वाले न्यूनतम नकदी शेष की समीक्षा की। समिति का यह निष्कर्ष रहा कि न्यूनतम नकदी शेष को बढ़ाने से कोई प्रयोजन पूरा नहीं होता है, क्योंकि न्यूनतम शेष से ऊपर जितना भी नकदी अधिशेष है वह

स्वतः आईटीबी में निविष्ट हो जाता है, जिससे राज्यों की रिटर्न्स जनरेट होती है। तदनुसार समिति यह सिफारिश करती है कि राज्यों/ यूटी हेतु निर्धारित कुल न्यूनतम शेष ₹42.33 करोड़ रखा जाए। इसका सारांश संलग्नक-2 में दिया गया है।

XIII. सिफारिशें

1. मुख्य रूप से विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ), अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के माध्यम से रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त वित्तीय निभाव और व्यय में कटौती और खुले बाजार से अतिरिक्त उधारियों के मिश्रण के माध्यम से राज्य कोविड-19 से पैदा हुए राजकोषीय दबाव को संभालने में सक्षम रहे। समिति ने राज्य सरकारों के कुल व्यय के आधार पर अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं का आकलन किया। व्यय-आधारित पद्धति अपनाने का औचित्य यही था कि राज्यों के राजकोषीय आकार के अनुसार सीमा को संशोधित किया जाए। इस प्रकार आकलित सूत्र-आधारित संशोधित सीमा का आकार ₹47,010 करोड़ रहा। यह देखते हुए कि महामारी का प्रभाव अभी भी है और समिति ने जो सूत्र-आधारित संशोधित अर्थोपाय अग्रिम सीमा आकलन किया था वह अंतरिम सीमा से कम है, इसलिए समिति का यह विचार रहा कि ₹51,560 करोड़ की यह अर्थोपाय अग्रिम सीमा आगे छह महीने अर्थात् 30 सितम्बर 2021 तक बरकरार रहे। इसके बाद महामारी की दशा और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को देखते हुए रिज़र्व बैंक उस समय राज्यों की आवश्यकता का आकलन करने के बाद या तो इस समिति द्वारा सुझाई गई पद्धति के आधार पर या जैसा भी आवश्यक हो इस सीमा की समीक्षा करे।

2. समिति यह भी संस्तुति करती है कि विशेष आहरण सुविधा(एसडीएफ)/अर्थोपाय अग्रिम /ओडी पर ब्याज की वर्तमान दर को बनाए रखा जाए।

3. समिति यह प्रस्ताव करती है कि ओडी विनियमन²⁴ जारी रहें और ओडी पर अंतरित रियायत²⁵ 31 मार्च 2021 तक समाप्त कर दी जाए।

4. समिति यह संस्तुति करती है कि विशेष आहरण सुविधा की परिचालन सीमा को, बिना किसी उच्चतर सीमा के, जी-सेक/एटीबी और सीएसएफ में किए गए निवेश और जीआरएफ में वृद्धिशील निवेशों की जमानत के बदले में आकलित करना जारी रखा जाए, और इस पर 5 प्रतिशत का सामान्य हेयरकट मार्जिन लागू किया जाए।

²⁴ जैसा कि 29 जनवरी 2016 को जारी राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिमों की योजना के बारे में आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति में ओडी विनियमों का विवरण दिया गया है।

²⁵ ओडी सुविधा में अंतरिम रियायत 7 अप्रैल 2020 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रदान की गई थी ताकि किसी राज्य के ओडी में बने रहने के दिनों की संख्या को बढ़ा दिया जाए। इसे 14 से बढ़ाकर निरंतर 21 दिन और एक तिमाही में 36 से बढ़ाकर 50 कार्य दिवस कर दिया गया। यह रियायत 31 मार्च 2021 तक विधिमन्य रहेगी।

5. समिति यह संस्तुति करती है कि 91-दिवसीय खजाना बिलों (टी-बिलों) में निवेश के बदले में विशेष आहरण सुविधा प्राप्त करने पर परिसीमन²⁶ को हटा दिया जाए और राज्यों को 90 दिन के प्रतिबंध के बिना ही 91-दिवसीय टी-बिलों में निवेश की अनुमति दी जाए, बशर्ते इस प्रकार का निवेश करने से पहले प्राप्त की गई विशेष आहरण सुविधा/अर्थोपाय अग्रिम की पूर्ण चुकौती कर दी गई हो। इसी प्रकार इस विद्यमान शर्त को भी हटा दिया जाए कि राज्यों को अपने नकदी अतिशेष को नीलामी खजाना बिलों (एटीबी)²⁷ में निवेश करने के राज्यों को अनुमति तभी होगी जब उन्होंने तत्काल ठीक पहले लगातार 90 दिन की अवधि में अर्थोपाय अग्रिम नहीं लिया हो। तथापि, राज्य यह सावधानी रखें कि 91-दिवसीय खजाना बिलों में अपने नकदी शेष का निवेश करने के बाद विशेष आहरण सुविधा नहीं प्राप्त करें। यदि ऐसी अवस्था बनती है तो रिज़र्व बैंक ऐसे उपाय करे जो ऐसे क्रियाकलापों को बाधित करने के लिए आवश्यक हों।

6. समिति इस तथ्य पर जोर देती है कि सीएसएफ/ जीआरएफ आरक्षित निधियां हैं, जिनकी स्थापना एक विशेष प्रयोजन से राज्यों द्वारा स्वैच्छिक रूप से की गई है और इनको बढ़ाते रहने की जरूरत है। इसलिए, समिति अनुरोध करती है कि शेष राज्य सीएसएफ/ जीआरएफ स्कीम में शामिल हो जाएं, जिससे कि जरूरत के समय देयताओं की चुकौती हेतु इस निधि से आहरण की सुविधा मिले, और नकदी प्रवाह में अस्थायी बेमेल का प्रबंधन करने के लिए विशेष आहरण सुविधा भी मिले।

7. समिति यह संस्तुति करती है कि सीएसएफ और जीआरएफ में राज्यों द्वारा, आगामी पाँच वर्ष के भीतर, एक न्यूनतम संचय किया जाए और इसके बाद इसे आवर्ती आधार पर बनाए रखा जाए। राज्य अपने विगत वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया कुल देयताओं/गारंटियों का कम-से-कम 5 प्रतिशत का न्यूनतम संचय में रखें।

²⁶ यदि कोई राज्य, पहली बार, 91- दिवसीय खजाना बिलों में निवेश के बदले में विशेष आहरण सुविधा प्राप्त करता है, तो इस क्रियाकलाप की अनुमति एक सीमित अवधि हेतु होगी, लेकिन राज्य को अगले 90 दिन तक 91-दिवसीय खजाना बिलों में निवेश की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, यदि विशेष आहरण सुविधा प्राप्त करके बाद में 91-दिवसीय खजाना बिलों में निवेश की यह मनमानी परिपाटी वित्तीय वर्ष के दौरान दूसरी बार और बाद में बनी रहती है, तो पहले अवसर के बाद से प्राप्त किए गए एसडीएफ को अर्थोपाय अग्रिम माना जाएगा।

²⁷ एटीबी में 91-दिवसीय, 182-दिवसीय और 364-दिवसीय खजाना बिल शामिल हैं।

8. समेकित ऋण-शोधन निधि से आहरण हेतु अवरुद्धता अवधि के संबंध में समिति यह संस्तुति करती है कि इस निधि की स्थापना करने से 5 वर्ष की वर्तमान अवरुद्धता अवधि के स्थान पर 2 वर्ष की अवरुद्धता अवधि के बाद आहरण की अनुमति रहेगी।
9. सीएसएफ योजना से वर्तमान की इस शर्त को हटा दिया जाए कि सीएसएफ से आहरण की मात्रा वही रहेगी जो उस वर्ष में बाजार से लिए गए उधारों के मोचन के लिए देय है। बकाया देयताओं²⁸ की चुकौती हेतु इस निधि में संचित और जमा (विगत वित्तीय वर्ष के अंत तक) ब्याज की कुल मात्रा का प्रयोग करने की अनुमति राज्यों को दी जाए।
10. ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार न्यूनतम संग्रह राशि जुटा लेने के बाद 5 प्रतिशत की न्यूनतम संग्रह राशि से अतिरिक्त जमा हुई राशि सीएसएफ²⁹ से आहरित करने की अनुमति राज्यों को दी जाए। इससे राज्य अपनी बकाया देयताओं की चुकौती हेतु न्यूनतम अपेक्षा से अधिक निविष्ट निधियों का प्रयोग कर सकेंगे।
11. सीएसएफ के मामले में राज्यों को विद्यमान विकल्प मिलता रहेगा कि वे इस निधि में संचित और संग्रहीत ब्याज का आहरण कर सकेंगे, और वे एकल अवसर पर आहरण के दोनों में से किसी एक विकल्प को चुन सकेंगे।

12. सीएसएफ/जीआरएफ योजनाओं में वर्तमान के इस प्रावधान को परिचालन सुविधा को देखते हुए हटाया जाए, जिसमें यह अनिवार्य है कि सीएसएफ/जीआरएफ में से समय-पूर्व विनिवेश के मामले में प्रतिभूतियों के चयन के लिए राज्य सरकारों से परामर्श किया जाए। नकदीकृत की जा सकने वाली प्रतिभूतियों पर निर्णय लेने की अनुमति रिजर्व बैंक को हो, बशर्ते विनिवेश के लिए चुनी गई प्रतिभूतियां बिक्री के समय लाभ दे रही हों।
13. तदनुसार राज्य अपनी-अपनी सीएसएफ और जीआरएफ योजनाओं में संशोधन करें और इसे अपने शासकीय राजपत्र में अधिसूचित करें, ताकि वे सीएसएफ और जीआरएफ योजनाओं में उक्त रियायतों के लाभ ले सकें।
14. समिति यह संस्तुति करती है कि राज्यों के लिए निर्धारित न्यूनतम शेष को वर्तमान में संशोधित नहीं किया जाए और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हेतु विभेदीकृत न्यूनतम शेष रखने की प्रणाली को बनाए रखा जाए क्योंकि इसे अब तक संतोषप्रद पाया गया है (संलग्नक-2)। समिति का यह मानना है कि न्यूनतम नकद शेष की सीमा को बढ़ाने से कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होता है और यह उद्देश्य के विपरीत है क्योंकि राज्यों के नकदी प्रवाह/ बजटगत लेनदेन के अनुसरण में अर्थोपाय अग्रिम सीमा को आवधिक रूप से उच्चतर की ओर संशोधित किया जाता है।

²⁸ बकाया देयताओं में सरकार के आंतरिक ऋण और लोक लेखा देयताएं शामिल हैं।

²⁹ यह विकल्प राज्यों को सक्षम करेगा कि वे सीएसएफ के कुल संग्रह में से कितनी भी रकम का आहरण कर लें, जिसमें 'कुल संग्रह' में विगत वर्ष के अंत में किए गए मूल योगदान, पुनर्निवेश और निधि में ब्याज के संचय शामिल होंगे।

संलग्नक 1 : अर्थोपाय अग्रिम का संशोधन – पूर्ववर्ती समितियों द्वारा सिफारिशें (जारी)

(राशि करोड़ में)

मदें	विट्टल समिति से ठीक पहले	विट्टल समिति	राज्य वित्त सचिवों का समूह	रामचन्द्रन समिति	बेजबरुआ समिति	सुमित बोस
सामान्य अर्थोपाय अग्रिम						
अर्थोपाय अग्रिम सीमा की संगणना हेतु पद्धति	राज्यों की शेष रकमों के न्यूनतम का 168 गुणा बताया गया	नवीनतम तीन वर्ष के राजस्व प्राप्तियों और पूँजीगत व्यय का औसत जिसे अविशेष वर्ग के राज्यों हेतु 2.25% से और विशेष वर्ग के राज्यों हेतु 2.75% से गुणा करने पर	नवीनतम तीन वर्ष के राजस्व प्राप्तियों और पूँजीगत व्यय का औसत जिसे अविशेष वर्ग के राज्यों हेतु 2.4% से और विशेष वर्ग के राज्यों हेतु 2.9% से गुणा करने पर	नवीनतम तीन वर्ष के केवल राजस्व प्राप्तियों का औसत जिसे अविशेष वर्ग के राज्यों हेतु 3.19% से और विशेष वर्ग के राज्यों हेतु 3.84% से गुणा करने पर	नवीनतम तीन वर्ष के राजस्व व्यय और पूँजीगत व्यय का औसत तदर्थ व्यय हेतु समायोजित करते हुए जिसे अविशेष वर्ग के राज्यों हेतु 3.1% से और विशेष वर्ग के राज्यों हेतु 4.1% से गुणा करने पर	राज्यों के कुल व्यय का औसत (राजस्व व्यय में पूँजीगत व्यय को जोड़ते हुए) इसमें लॉटरी व्यय शामिल नहीं हैं। एचएस एव एनईएस और अन्य राज्यों के लिए राज्यवार अर्थोपाय अग्रिमों का आकलन 2.78 प्रतिशत और 2.03 प्रतिशत का अनुपात रख कर निर्धारित किया गया।
सकल अर्थोपाय अग्रिम सीमाएं	2,234	3,941	5,283	7,170	9,875	32,225
i) अविशेष वर्ग	2,033	3,589	4,794	6,445	8,820	28,035
ii) विशेष वर्ग	202	352	489	725	1,055	4,190

संलग्नक 1 : अर्थोपाय अग्रिम का संशोधन – पूर्ववर्ती समितियों द्वारा सिफारिशें (जारी)

(राशि करोड़ में)

मदें	विद्वल समिति से ठीक पहले	विद्वल समिति	राज्य वित्त सचिवों का समूह	रामचन्द्रन समिति	बेजबरुआ समिति	सुमित बोस
विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)						
संगणना की सीमा (मार्जिन)	सीमाओं को न्यूनतम शेष के 64 गुणा रखा गया था।	जी-सेक में निवेश 15 %* 10 %**	जी-सेक में निवेश 15 %* 10 %**	जी-सेक में 5 प्रतिशत समसमान रूप से निवेश	भारत सरकार प्रतिभूतियों में निवेश इसके अलावा सीएसएफ और जीआरएफ में वृद्धिमान निवेश जो एनडब्ल्यूएमए की अधिकतम सीमा तक दो।	विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) की परिचालन सीमा के निर्धारण हेतु प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य के 5 प्रतिशत मार्जिन का सम-समान हेयरकट लागू होगा। तदनुसार राज्यों हेतु विशेष आहरण सुविधा की सीमा में बकाया प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य के आधार पर परिवर्तन होगा।
विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) का प्रयोग	सामान्य अर्थोपाय अग्रिमके बाद लिया जाना	सामान्य अर्थोपाय अग्रिम के बाद लिया जाना	सामान्य अर्थोपाय अग्रिम के बाद लिया जाना	सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा का उपभोग करने से पहले लिया जाना	सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा का उपभोग करने से पहले लिया जाना	सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा का उपभोग करने से पहले लिया जाना

संलग्नक 1 : अर्थोपाय अग्रिम का संशोधन – पूर्ववर्ती समितियों द्वारा सिफारिशें (समाप्त)

(राशि करोड़ में)

मदें	विट्टल समिति से ठीक पहले	विट्टल समिति	राज्य वित्त सचिवों का समूह	रामचन्द्रन समिति	बेजबरुआ समिति	सुमित बोस
ओवरड्राफ्ट (ओडी)						
सतत कार्य दिवसों की संख्या	10	10	12	14	14	14
एक तिमाही में दिनों की संख्या	-	-	-	36	36	36
सतत कार्य-दिवसों की संख्या जब एनडब्ल्यूएमए सीमा से आधिक्य होने पर हो	-	3	5	5	5	5

* 10 वर्ष से अधिक की शेष बची परिपक्वता अवधि वाली प्रतिभूतियों के लिए।

** 10 वर्ष से कम की शेष बची परिपक्वता अवधि वाली प्रतिभूतियों के लिए।

स्रोत : सुमित बोस समिति की रिपोर्ट

संलग्नक 2 : राज्य सरकारों का न्यूनतम नकदी शेष : एक समीक्षा

रिज़र्व बैंक और राज्य सरकारों के बीच भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 21-ए के तहत हुए समझौते के अनुसार राज्यों के साथ समय-समय पर की गई सहमति के अनुसार राज्यों को रिज़र्व बैंक के पास न्यूनतम नकदी रखनी होती है और रिज़र्व बैंक एक निश्चित सीमा तक राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम प्रदान करता है। पहली बार यह न्यूनतम शेष 1 अप्रैल 1937 (1 अप्रैल 1938 से प्रभावी) को निर्धारित किया गया था तथा संबंधित प्रान्तीय सरकार के कुल राजस्व और व्यय तथा पूर्व प्रांतीय स्वायत्त केंद्र सरकार के कुल राजस्व और व्यय के अनुपात के आधार पर था (विगत 3 साल के डाटा के आधार पर)। इस प्रकार निर्धारित न्यूनतम शेषों से वे सीमाएं भी व्यक्त होती हैं जितने तक राज्यों द्वारा रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम लिया जा सकता था।

बाद के वर्षों में राज्यों के लिए न्यूनतम शेष की समीक्षा हुई और इन्हें उदार³⁰ बनाया गया, क्योंकि यह पाया गया था कि राज्य सरकारों के राजस्व और व्यय के संबंध में ये अपर्याप्त थीं। न्यूनतम नकदी शेष को, जब भी संशोधित किया गया, तब इसने राज्यों की अर्थोपाय अग्रिम सीमा में संशोधन का आधार बनाया, क्योंकि इसे न्यूनतम शेष के एक गुणक के रूप में निर्धारित किया गया था। सामान्य अर्थोपाय अग्रिम के अलावा अप्रैल 1953 से विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ़) भी परिचालन में है।

नकदी शेष और अर्थोपाय अग्रिम सीमा की व्यापक समीक्षा 1998 में विट्टल समिति द्वारा की गई। इसके पहले अर्थोपाय अग्रिम की सीमा राज्यों के न्यूनतम शेष का 168 गुणा थी। विट्टल समिति ने पाया कि एक अपरिवर्तित न्यूनतम शेष के गुणक के तौर पर अर्थोपाय अग्रिम सीमा का निर्धारण करना, जैसा कि विगत में किया गया, राज्यों के बजटीय लेनदेन में संवृद्धि के अनुरूप ही उनकी अलहदा जरूरतों को ग्रहण नहीं करता है। इसलिए समिति ने प्रस्ताव किया कि सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा को राज्य के नकदी प्रवाह से सहबद्ध किया जाए और सुझाव दिया कि कुल व्यय (अर्थात राजस्व और पूंजीगत) में से राजस्व घाटे को घटाकर उसे नकदी प्रवाह के लिए प्रॉक्सी के रूप में लिया जाए।

विट्टल समिति के अनुसार, सभी राज्यों के लिए न्यूनतम शेष ₹41.04 करोड़ बना (₹37.97 करोड़ अविशेष श्रेणी के राज्यों हेतु और ₹3.08 करोड़ विशेष श्रेणी के राज्यों हेतु)। पुदुचेरी तथा जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेशों को मिला लेने के बाद न्यूनतम शेष ₹0.15 करोड़ (17 दिसम्बर 2007 को) और ₹1.14 करोड़ (1 अप्रैल 2011) से बढ़कर क्रमशः ₹41.19 करोड़ और ₹42.33 करोड़ हो गया।

विट्टल समिति (1999) के बाद से राज्यों का न्यूनतम शेष अपरिवर्तित ही रहा है। वर्तमान में यह सभी राज्यों के लिए ₹42.33 करोड़ निर्धारित है, जिसे द्विभाजित करके ₹4.38 करोड़ जम्मू और कश्मीर सहित एचएस और एनईएस राज्यों के लिए तथा अन्य राज्यों के लिए ₹37.95 करोड़ रखा गया है। इसमें से जम्मू और कश्मीर को अलग रखा जाए तो प्रभावी न्यूनतम नकदी शेष ₹41.19 करोड़ बनता है – ₹3.24 करोड़ एनई और एचएस हेतु तथा ₹37.95 करोड़ अन्य राज्यों के लिए।

राज्य सरकारों से अपेक्षित है कि वे रिज़र्व बैंक के पास एक न्यूनतम शेष रखें। यह शेष राज्यों के बजट के आकार और आर्थिक क्रियाकलापों पर निर्भर करते हुए प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग होता है। तदनुसार, राज्यों के लिए कुल व्यय और राजस्व के सापेक्ष उनके बजट के आकार (अलग-अलग राज्यों के लिए व्यय और राजस्व) विभेदीकृत न्यूनतम शेष पिछली बार 1999 में निर्धारित किया गया था, और इसे अर्थोपाय अग्रिम के साथ संबद्ध कर दिया गया था, ताकि राज्यों की अलग-अलग जरूरतों को प्रकट किया जा सके। तब से विभेदीकृत न्यूनतम शेष में बदलाव नहीं किया गया है क्योंकि अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं की संगणना की पद्धति में बदलाव आया और यह प्राप्ति और व्यय के नकदी प्रवाह डाटा पर आधारित था जबकि पहले की पद्धति में अर्थोपाय अग्रिम सीमा को न्यूनतम शेष के गुणक के रूप में अवकलित किया गया था। इसके अलावा राज्यों की जीएफडी के वित्तीयन का स्रोत लगातार बाजार से उधारियों की तरफ बढ़ता जा रहा था, इसलिए न्यूनतम नकदी शेष रखने की कोई जरूरत नहीं रह गई क्योंकि अधिकांश राज्यों के पास अधिशेष नकदी रहने लगी, जिसका स्वतः केन्द्र सरकार की आईटीबी/एटीबी में निवेश हो जाता है।

³⁰ ऐतिहासिक संशोधनों के विवरण राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिमों पर सलाहकार समिति की रिपोर्ट में दिए गए हैं, जिसके अध्यक्ष श्री सुमित बोस थे।

समिति ने न्यूनतम शेष का संशोधन करने पर विचार विमर्श किया और यह निष्कर्ष दिया कि न्यूनतम नकदी शेष को बढ़ाने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, क्योंकि न्यूनतम शेष से अधिक रखा गया न्यूनतम शेष स्वतः केन्द्र सरकार की आईटीबी/एटीबी में निवेश हो जाता है, जिससे राज्यों को प्रतिलाभ मिलने लगता है।

तदनुसार यह निर्णय किया गया कि राज्यों / यूटी के लिए जो कुल न्यूनतम शेष निर्धारित किया गया है वह ₹42.33 करोड़ पर अपरिवर्तित रखा जाए (तालिका 8)।

तालिका 8 : राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों हेतु न्यूनतम नकदी शेष और अर्थोपाय अग्रिम सीमा

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	संशोधन की तारीख	न्यूनतम शेष (सभी राज्यों का जोड़)	सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमाएं (न्यूनतम शेष के गुणक में)	विशेष आहरण सुविधा (विशेष अर्थोपाय अग्रिम)
1	1 अप्रैल 1937 (1 अप्रैल 1938 से प्रभावी)	1.95	1 (1.95)	*
2	1 अप्रैल 1953 (भाग ए/ भाग बी राज्य)		2 (7.88)	2.00 प्रत्येक राज्य हेतु
3	1 मार्च 1967	6.25	3 (18.75)	6 (37.50)
4	1 मई 1972	6.50 +	12 (78.0)	6 (42.66)
5	1 मई 1976	13	10 (130.0)	10 (130.0)
6	1 अक्टूबर 1978	13	20 (260.0)	10 (130.0)
7	1 जुलाई 1982	13	40 (520.0)	20 (260.0)
8	1 अक्टूबर 1986			
	क) अप्रैल – सितम्बर	13	52 (676.0)	20 (260.0)
	ख) अक्टूबर – मार्च	13	48 (624.0)	20 (260.0)
9	1 मार्च 1988	13.30 ##	56 (744.80)	20 (266.0)
10	1 नवम्बर 1993	13.3	84 (1,117.20)	32 (425.60)
11	1, अगस्त 1996	13.3	168 (2,234.40)	64 (852.20)
12	1 मार्च 1999	41.04 **	3,941.00 #	++
13	1 फरवरी 2001	41.04	5,283.00	++
14	1 अप्रैल 2002	41.04	6,035.00	++
15	1 अप्रैल 2003	41.04	7,170.00	++
16	1 अप्रैल 2005	41.04	8,935.00	++
17	1 अप्रैल 2006	41.04	9,875.00	++
18	17 दिसम्बर 2007	41.19 ***	9,925.00	++
19	1 अप्रैल 2011	42.33 ****	10,240.00	++
20	11 नवम्बर 2013	42.33	15,360.00	++
21	20 नवम्बर 2015	42.33	32,225.00	++
22	26 मार्च 2018	42.33	32,225.00	++

* प्रतिभूत अर्थोपाय अग्रिमों को समय समय पर तदर्थ आधार पर दिया गया था।

+ सन 1967 के आंकड़ों की तुलना में ₹0.25 करोड़ की बढ़ोतरी चार राज्यों – यथा – हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के लिए न्यूनतम शेष के निर्धारण के कारण रही। अन्य राज्यों के लिए कोई संशोधन नहीं किया गया।

** अर्थोपाय अग्रिम वाले आधार से ही संबद्ध करते हुए न्यूनतम शेष को ऊपर की तरफ संशोधित किया गया।

++ विशेष अर्थोपाय अग्रिम हेतु सीमाओं को उदार बनाया गया, विशेष अर्थोपाय अग्रिम पर कोई ऊपरी सीमा नहीं, जो कि मार्जिन की शर्त के आधार केन्द्र सरकार प्रतिभूतियों की वास्तविक धारित के बदले दिया जा रहा है।

मार्च 1999 में अनुमेय रकम आइएसी की सिफारिशों के आधार पर ₹3685 करोड़ थी। बिहार, मध्य प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के विभाजन पर नवम्बर 2000 से छह मान्यता प्राप्त राज्यों को अंतरिम सीमाएं प्रदान की गईं।

गोवा के शामिल हो जाने से न्यूनतम शेष में ₹ 0.30 करोड़ बढ़ गए।

*** पुदुचेरी यूटी के शामिल हो जाने से न्यूनतम शेष में ₹0.15 करोड़ बढ़ गए।

* जम्मू और कश्मीर के शामिल हो जाने से न्यूनतम शेष ₹1.14 करोड़ बढ़ गया।

स्रोत : सुमित बोस समिति की रिपोर्ट

संलग्नक 3 : अर्थोपाय अग्रिम, विशेष आहरण सुविधा और ओडी पर ब्याज दर की ऐतिहासिक प्रवृत्ति (जारी)

क्र. सं.	अवधि	सामान्य अर्थोपाय अग्रिम	विशेष आहरण सुविधा (विशेष अर्थोपाय अग्रिम)	ओडी
1	2	3	4	5
1.	मार्च 1967 से पहले	बैंक दर से 1% कम	i) ₹50 लाख तक – बैंक दर से 0.25% कम ii) ₹51 लाख से ₹125 लाख तक – समस्त रकम पर बैंक दर से ½% कम iii) ₹125 लाख से अधिक – समस्त रकम पर बैंक दर	बैंक दर
2.	मार्च 1967 से अप्रैल 1976 तक	बैंक दर से 1% कम	बैंक दर से 1% कम	बैंक दर
3.	मई 1976 से अगस्त 1996 तक	i) प्रथम 90 दिन - बैंक दर से 1% कम ii) 91-180 दिन - बैंक दर से 1% अधिक iii) 180 दिनों से अधिक - बैंक दर से 2% अधिक	i) प्रथम 90 दिन - बैंक दर से 1% कम ii) 91-180 दिन - बैंक दर से 1% अधिक iii) 180 दिन से अधिक - बैंक दर से 2% अधिक	i) 7 दिनों के लिए - बैंक दर ii) 8वें दिन के बाद से - बैंक दर से 3% अधिक
4.	अगस्त 1996 से 15 जनवरी 1998 तक	बैंक दर	बैंक दर	बैंक दर में 3% जोड़कर
5.	16 जनवरी 1998 से 18 मार्च 1998 तक	बैंक दर से 2% कम	बैंक दर से 2% कम	बैंक दर से
6.	19 मार्च 1998 से 2 अप्रैल 1998 तक	बैंक दर से 1.5% कम	बैंक दर से 1.5% कम	बैंक दर से 0.5% अधिक
7.	3 अप्रैल से 28 अप्रैल 1998 तक	बैंक दर से 1% कम	बैंक दर से 1% कम	बैंक दर से 1% अधिक
8.	29 अप्रैल 1998 से नवम्बर 1998 तक	बैंक दर	बैंक दर	बैंक दर से 2% अधिक
9.	विट्टल समिति – नवम्बर 1998	बैंक दर	बैंक दर	बैंक दर में 2% जोड़कर
10.	राज्य वित्त सचिवों का समूह - जनवरी 2001	बैंक दर	बैंक दर	बैंक दर में 2% जोड़कर

संलग्नक 3 : अर्थोपाय अग्रिम, विशेष आहरण सुविधा और ओडी पर ब्याज दर की ऐतिहासिक प्रवृत्ति (समाप्त)

क्र. सं.	अवधि	सामान्य अर्थोपाय अग्रिम	विशेष आहरण सुविधा (विशेष अर्थोपाय अग्रिम)	ओडी
1	2	3	4	5
11.	रामचन्द्रन समिति – जनवरी 2003	1-90 दिन की अवधि हेतु बैंक दर और 90 दिन से आगे की अवधि हेतु बैंक दर से 1% अधिक	बैंक दर से 1% कम	एनडब्ल्यूएमए के 100% तक ओडी पर बैंक दर से 3% अधिक और एनडब्ल्यूएमए के 100% से अधिक ओडी होने पर बैंक दर से 6% अधिक
12.	बेजबरुआ समिति – अक्टूबर 2005	1-90 दिन की अवधि हेतु रेपो दर और 90 दिन से आगे की अवधि हेतु रेपो दर से 1% अधिक	रेपो दर से 1% कम	एनडब्ल्यूएमए के 100% तक ओडी पर रेपो दर से 2% अधिक और एनडब्ल्यूएमए के 100% से अधिक ओडी होने पर रेपो दर से 5% अधिक
13.	सुमित बोस समिति -जनवरी 2016	1-90 दिन की अवधि हेतु रेपो दर और 90 दिन से आगे की अवधि हेतु रेपो दर से 1% अधिक	रेपो दर से 1% कम	एनडब्ल्यूएमए के 100% तक ओडी पर रेपो दर से 2% अधिक और एनडब्ल्यूएमए के 100% से अधिक ओडी होने पर रेपो दर से 5% अधिक

स्रोत : सुमित बोस समिति की रिपोर्ट

संलग्नक 4 : राज्यों द्वारा आईटीबी और एटीबी में निवेश (मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ ₹ में)

राज्य	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21*	
	आईटीबी	एटीबी	आईटीबी	एटीबी	आईटीबी	एटीबी	आईटीबी	एटीबी	आईटीबी	एटीबी	आईटीबी	एटीबी
आन्ध्र प्रदेश	2707	500	3703	0	0	0	0	0	5137	0	0	0
अरुणाचल प्रदेश	1201	0	277	0	313	0	673	0	1416	0	1840	0
असम	6135	1400	3802	1400	937	0	8324	0	2933	0	6079	0
बिहार	8194		12997	0	17391	0	14787	0	17584	0	11402	0
छत्तीसगढ़	1858		2514	0	4075	0	9773	0	5250	5000	4436	4550
गोवा	255	0	342	0	148	0	343	0	342	0	604	0
गुजरात	7951		11700	0	4137	0	5837	0	9289	0	10414	0
हरियाणा	4089	0	2471	0	2001	0	638	0	2249	0	3025	0
हिमाचल प्रदेश	557	0	759	0	724	0	102	0	982	0	1601	3100
जम्मू और कश्मीर	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
झारखंड	2102	0	1439	0	355	0	168	0	3071	0	2714	0
कर्नाटक	16949		24012	0	12674	0	5149	0	13652	0	33903	12000
केरल	1643	0	1950	0	887	0	188	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	9503	0	10643	0	7423	0	8651	0	11280	0	21177	0
महाराष्ट्र	21529	15000	32344	12000	43446	15000	9371	26000	14120	0	21105	10000
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0
मेघालय	273	0	1375	0	1686	0	1076	0	807	0	396	0
मिजोरम	155	0	443	0	461	0	163	0	295	0	15	0
नगालैन्ड	0	0	35	0	63	0	135	0	0	0	0	0
ओडिशा	5786		8685	0	13314	12050	8945	15100	8034	17370	11391	16665
पुदुचेरी	494	505	806	280	526	715	405	888	582	700	974	806
पंजाब	5180	0	0	0	0	0	469	0	804	0	864	0
राजस्थान	2916	3000	5585	2517	6402	2974	2154	3792	5808	1800	3926	2000
तमिलनाडु	9443	5569	15181	19306	11278	31369	11038	27347	10171	8634	11245	19762
तेलंगाना	2509	0	53	0	2281	0	1591	0	6911	0	0	0
त्रिपुरा	1354	1300	804	1100	1207	0	432	800	933	0	1938	0
उत्तर प्रदेश	615		1205	0	10173	0	25435	0	19880	0	31383	0
उत्तराखंड	345	0	452	0	386	0	248	0	0	0	2354	0
पश्चिम बंगाल	6794	0	12481	0	8584	0	5989	0	13170	0	5574	0
जोड़	120582	27274	156059	36603	150871	62108	122084	73927	154757	33504	188360	68883

*: फरवरी 2021 के अंत की स्थिति के अनुसार

स्रोत : रिजर्व बैंक के रिकार्ड

संलग्नक 5 : आईटीबी में औसत निवेश

(राशि करोड़ ₹ में)

राज्य	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (फरवरी 2021 के अंत में)
आन्ध्र प्रदेश	1288	1271	1443	1379	1959	2289
अरुणाचल प्रदेश	814	1263	1133	1865	1978	2394
असम	4644	7601	5361	4619	5035	4733
बिहार	8691	14250	13504	18441	17371	12379
छत्तीसगढ़	936	1947	3451	3538	2425	2243
गोवा	61	133	178	169	265	177
गुजरात	6670	7778	9839	5866	6642	6695
हरियाणा	3696	3478	2554	2424	2503	2637
हिमाचल प्रदेश	644	732	1440	1169	1101	792
जम्मू और कश्मीर	528	431	447	533	568	1073
झारखंड	2054	2234	2093	989	2303	3249
कर्नाटक	6354	7553	8355	7799	5983	14558
केरल	1146	1828	1109	1234	919	1148
मध्य प्रदेश	5083	9286	12678	4072	4557	9432
महाराष्ट्र	7328	13367	16919	14361	13438	11299
मणिपुर	402	245	385	450	271	208
मेघालय	651	795	1158	1300	738	490
मिजोरम	260	541	649	732	347	200
नगालैन्ड	139	148	223	193	181	91
ओडिशा	4693	6043	10567	9177	9121	11737
पुदुचेरी	267	255	366	322	383	395
पंजाब	507	990	399	470	586	1043
राजस्थान	3526	4362	5514	4802	2649	2655
तमिलनाडु	9035	11141	10256	10757	9610	16412
तेलंगाना	2035	1286	1030	1171	1157	2665
त्रिपुरा	1047	779	961	960	569	1133
उत्तर प्रदेश	2819	5239	11684	19393	17878	14672
उत्तराखंड	759	651	545	493	939	1024
पश्चिम बंगाल	1982	5043	7272	3115	3464	3763
जोड़	78059	110670	131513	121793	114940	131586

स्रोत : रिजर्व बैंक के रिकार्ड

संलग्नक : 6 एटीबी में औसत निवेश

(राशि करोड़ ₹ में)

राज्य	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (फरवरी 2021 के अंत में)
आन्ध्र प्रदेश	1645	2122	811	0	0	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
असम	1400	1400	1400	3151	3537	0
बिहार	400	5944	8193	9167	11837	0
छत्तीसगढ़	0	0	0	217	5418	4499
गोवा	0	0	0	0	0	0
गुजरात	3694	2036	3435	0	0	0
हरियाणा	0	0	0	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	0	500	646	602	1200	2324
जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0
झारखंड	0	0	0	0	0	0
कर्नाटक	10528	12261	13829	11146	7569	18742
केरल	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0
महाराष्ट्र	23905	24219	32333	39193	18364	18834
मणिपुर	0	0	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0	0
नगालैन्ड	0	0	0	0	0	0
ओडिशा	2084	2688	5228	19861	21319	18254
पुदुचेरी	361	484	635	935	876	908
पंजाब	0	0	0	0	0	0
राजस्थान	6577	6525	5538	5220	2013	1921
तमिलनाडु	9155	14835	25386	29158	14419	11964
तेलंगाना	0	0	0	0	0	0
त्रिपुरा	2004	1615	1167	800	800	0
उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0
उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	0	0	5000	3000	0	0
जोड़	61753	74629	103601	122450	87352	77446

स्रोत : रिजर्व बैंक के रिकार्ड

संलग्नक 7 : राज्य सरकारों / यूटी द्वारा लिए गए विशेष आहरण सुविधा / अर्थोपाय अग्रिम / ओडी की मासिक औसत स्थिति
(राशि करोड़ ₹ में)

माह	विशेष आहरण सुविधा	अर्थोपाय अग्रिम	ओडी	जोड़
दिसम्बर -17	27.77	44.82	11.04	83.64
जनवरी -18	42.29	73.21	17.02	132.53
फरवरी -18	24.02	68.26	21.1	113.39
मार्च -18	33.97	55.64	11.83	101.45
अप्रैल -18	9.92	42.31	4.92	57.16
मई -18	16.16	43.88	9.09	69.14
जून -18	33.22	41.22	3.24	77.69
जुलाई-18	46.1	35.78	3.06	84.95
अगस्त -18	12.08	40.39	10.07	62.65
सितम्बर -18	20.62	42.77	0.21	63.61
अक्तूबर -18	30.74	120.64	18.03	169.42
नवम्बर -18	22.21	76.83	5.12	104.17
दिसम्बर -18	27.08	131.95	22.08	181.12
जनवरी -19	21.25	88.22	15.21	124.69
फरवरी-19	24.19	98.98	18.81	141.98
मार्च-19	27.41	69.59	13.82	110.84
अप्रैल -19	25.75	93.73	42.42	161.91
मई -19	17.99	66.9	9.93	94.83
जून-19	48.19	99.53	28.1	175.83
जुलाई-19	94.03	42.85	2.58	139.47
अगस्त -19	47.64	22.24	0	69.88
सितम्बर -19	19.22	20.67	2.34	42.24
अक्तूबर -19	102.88	69.77	6.37	179.02
नवम्बर -19	86.48	87.77	13.01	187.28
दिसम्बर -19	112.61	77.9	9.85	200.36
जनवरी -20	83.33	70.05	21.79	175.18
फरवरी -20	139.46	70.5	10.61	220.58
मार्च -20	90.17	76.09	17.45	183.71
अप्रैल -20	14.14	24.28	0.11	38.44
मई -20	91.72	93.9	10.53	196.15
जून -20	140.08	80.66	12.06	232.81
जुलाई -20	130.19	126.69	4.81	261.7
अगस्त -20	151.64	167.58	19.87	339.1
सितम्बर -20	312.65	244.67	59.62	616.95
अक्तूबर -20	145.52	196.23	37.44	379.19
नवम्बर -20	220.91	160.97	35.27	417.15
दिसम्बर -20	153.1	115.59	20.52	289.21
जनवरी -21	83.98	125.91	30.07	239.96
फरवरी -21	85.11	143.87	60.36	289.34

स्रोत : रिज़र्व बैंक के रिकार्ड

संलग्नक 8: व्यय आधारित अर्थोपाय अग्रिम सीमा

	पूँजीगत व्यय			राजस्व व्यय			परिवर्तनशील मदों के लिए समायोजित कुल व्यय			औसत आधार	सूत्र- आधारित अर्थोपाय अग्रिम सीमा
	2016-17	2017-18	2018-19	2016-17	2017-18	2018-19	2016-17	2017-18	2018-19		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
I. अन्य राज्य (हिमालय क्षेत्र के राज्य और पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा)											
आन्ध्र प्रदेश	15745	16271	21820	116178	121214	128569	101562	135562	148931	128685	2252
बिहार	27322	29150	22529	94765	102624	124897	121266	128305	145818	131796	2272
छत्तीसगढ़	9743	10370	9144	48165	56230	64411	57347	66339	73233	65640	1056
गोवा	1642	2128	2163	8866	10543	11083	8717	11509	10782	10336	203
गुजरात	22833	26944	29793	103895	118060	132790	125937	143871	161840	143882	2518
हरियाणा	11378	14933	16062	68403	73257	77156	78758	87599	92304	86220	1464
झारखंड	12113	13804	12196	45086	50950	50255	56745	64343	61859	60982	1067
कर्नाटक	30085	35759	39147	131921	142482	164300	158968	176996	201817	179261	3137
केरल	11286	10289	9753	91096	99948	110316	93263	95899	99419	96193	1683
मध्य प्रदेश	32229	32463	30514	119537	130246	141577	150669	161578	167281	159843	2560
महाराष्ट्र	31826	27821	36594	213229	241571	267022	241872	266571	294897	267780	4686
ओडिशा	18900	22984	24652	65041	71837	85356	81953	93791	108732	94825	1576
पंजाब	45710	3112	3773	55296	62465	75404	71890	37757	49536	53061	1104
राजस्थान	29945	21957	20751	127140	145842	166773	154930	166274	185470	168891	2608
तमिलनाडु	46756	26720	30789	153195	167874	197201	197587	194058	225751	205799	3601
तेलंगाना	36773	30111	31347	81432	85365	97083	105503	92494	106309	101435	1728
उत्तर प्रदेश	76530	40597	68766	236592	266224	301728	301595	303140	369895	324877	5680
पश्चिम बंगाल	12534	19338	24583	133918	141077	156374	143923	154401	154468	150931	2641
उप-जोड़ (I)	473350	384753	434377	1893755	2087808	2352295	2252486	2380487	2658343	2430439	41837
II. हिमालय क्षेत्र के राज्य और पूर्वोत्तर राज्य											
अरुणाचल प्रदेश	1550	3193	5748	9395	10900	12429	10816	13979	18008	14268	285
असम	6001	7947	11362	49363	55481	56899	53633	65134	67736	62168	1243
हिमाचल प्रदेश	6789	4258	5052	25344	27053	29429	30132	30587	32479	31066	656
मणिपुर	1494	1432	1731	8185	9274	9749	8766	10381	8774	9307	233
मेघालय	1321	1005	1507	8337	8423	10256	9629	9398	11745	10258	209
मिजोरम	938	2041	1909	6230	6881	7506	7156	8688	9401	8415	191
नगालैन्ड	1075	1275	1601	8664	10191	10920	5148	7520	10350	7673	245
त्रिपुरा	3318	1784	1482	8748	10357	11889	12029	12106	13313	12482	304
उत्तराखंड	5119	5991	6368	25271	29083	32196	25074	28624	29988	27895	602
उप-जोड़ (II)	27605	28927	36759	149536	167643	181273	162383	186418	201794	183532	3968
जम्मू और कश्मीर	8362	10378	8418	39812	40916	56090	32954	31953	46215	37040	1050
पुद्दुचेरी	447	395	316	5458	5807	6387	5903	6174	6682	6253	155
जोड़ (सभी राज्य)	509764	424453	479870	2088562	2302175	2596044	2453725	2605031	2913034	2657263	47010

स्रोत : रिज़र्व बैंक के रिकार्ड

संलग्नक 9 : ब्याज दर में प्रवृत्तियां (जारी)

	2015-16				2016-17				2017-18			
	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4
रेपो दर (तिमाही के अंत में)	7.25	6.75	6.75	6.75	6.5	6.5	6.25	6.25	6.25	6	6	6
बैंक दर (तिमाही के अंत में)	8.25	7.75	8.25	7.75	7	7	6.75	6.75	6.5	6.25	6.25	6.25
खजाना बिल (भारत औसत)												
91	7.82	7.45	7.15	7.28	6.81	6.55	6.18	6.1	6.19	6.13	6.12	6.29
182	7.86	7.53	7.19	7.22	6.91	6.66	6.28	6.19	6.33	6.24	6.23	6.45
364	7.82	7.56	7.21	7.2	6.93	6.69	6.26	6.22	6.4	6.27	6.27	6.58
भारत सरकार दिनांकित प्रतिभूतियां भारत औसत (प्राथमिक नीलामी)	7.91	7.95	7.77	7.88	7.63	7.19	6.75	6.74	6.98	6.77	7.07	7.32
भारत सरकार प्रतिभूतियों के 10 साल के बेन्चमार्क का औसत (द्वितीयक बाजार)	7.84	7.78	7.67	7.8	7.46	7.15	6.56	6.65	6.58	6.52	6.97	7.66
14 दिवसीय – आईटीबी	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3.75	3.75	3.75
भारत औसत प्रतिफल (एसडीएल)	8.17	8.26	8.12	8.47	8.01	7.52	7.15	7.56	7.43	7.31	7.65	8.09

*: फरवरी 2021 के अंत में

संलग्नक 9 : ब्याज दर में प्रवृत्तियां (समाप्त)

	2018-19				2019-20				2020-21			
	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4
रेपो दर (तिमाही के अंत में)	6.25	6.5	6.5	6.25	5.75	5.4	5.15	4.4	4	4	4	4
बैंक दर (तिमाही के अंत में)	6.5	6.75	6.75	6.5	6	5.65	5.4	4.65	4.25	4.25	4.25	4.25
खजाना बिल (भारत औसत)												
91	6.3	6.76	6.85	6.51	6.26	5.51	5.04	4.99	3.49	3.24	3.22	3.26 *
182	6.63	7.05	7.11	6.58	6.32	5.73	5.2	5.23	3.64	3.43	3.37	3.50*
364	6.81	7.38	7.32	6.65	6.34	5.82	5.26	5.22	3.71	3.54	3.46	3.65 *
भारत सरकार दिनांकित प्रतिभूतियां भारत औसत (प्राथमिक नीलामी)	7.78	8.03	7.83	7.48	7.22	6.65	6.71	6.71	5.87	5.77	5.73	5.76*
भारत सरकार प्रतिभूतियों के 10 साल के बेन्चमार्क का औसत (द्वितीयक बाजार)	7.73	7.9	7.7	7.52	7.2	6.56	6.54	6.42	5.8	5.97	5.9	5.9*
14 दिवसीय – आईटीबी	4	4.25	4.25	4.25	3.5	3.15	2.9	2	1.35	1.35	1.35	1.35
भारत औसत प्रतिफल (एसडीएल)	8.14	8.55	8.41	8.23	7.84	7.15	7.15	7.14	6.58	6.29	6.49	6.51*

*: फरवरी 2021 के अंत में

संलग्नक 10 : मौद्रिक नीति की परिचालक पद्धति – भारतीय रिज़र्व बैंक की चलनिधि प्रबंधन व्यवस्था

फरवरी 14, 2020 को क्रियान्वित संशोधित चलनिधि प्रबंधन व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं³¹:

- 1) भारत औसत मांग दर (डबल्यूएसीआर) को मौद्रिक नीति के परिचालन लक्ष्य के तौर पर रखा गया और इस कॉरिडोर की ऊपरी आबद्धता (उच्चतर सीमा) के रूप में कॉरिडोर मार्जिनल स्थायी सुविधा(एमएसएफ) दर को और न्यूनतर आबद्धता (न्यूनतम सीमा) के रूप में निश्चित दर पर रिवर्स रेपो दर को परिभाषित किया जाता रहा;
- 2) संघर्षी नकदी अपेक्षाओं के प्रबंधन हेतु मुख्य नकदी प्रबंधन के रूप में परिवर्तनीय दर पर 14-दिवसीय सावधि रेपो/रिवर्स रेपो परिचालन, नकदी आरक्षित निधि अनुपात (सीआरआर) अनुरक्षण चक्र के साथ-साथ अपनाया गया;
- 3) दैनिक तयशुदा दर वाले रेपो और चार 14-दिवसीय सावधि रेपो जिनका परिचालन पहले प्रत्येक पखवाड़े में किया जाता था, वापस ले लिए गए;
- 4) मुख्य चलनिधि परिचालन का समर्थन बारीक-संगति बिठाने वाले परिचालनों (ओवरनाइट / अधिक) से किया जाता है ताकि आरक्षित निधि अनुरक्षण अवधि के दौरान किसी भी अप्रत्याशित चलनिधि परिवर्तन पर काबू रखा जा सके;
- 5) यदि अपेक्षित हो तो 14 दिवस से अधिक के दीर्घावधिक परिवर्तनीय दर पर रेपो / रिवर्स रेपो परिचालनों का संचालन किया जाए;
- 6) एकल प्राथमिक डीलरों(एसपीडी) को सभी ओवरनाइट चलनिधि प्रबंधन परिचालनों में सीधे ही सहभागिता की अनुमति दी गई;
- 7) चलनिधि प्रबंधन की लिखतों में तयशुदा और परिवर्तनीय दर पर रेपो/ रिवर्स रेपो नीलामियां, आउटराइट ओपन मार्केट परिचालन (ओएमओ), फोरेक्स स्वैप्स और अन्य लिखतें जिनसे यह सुनिश्चित होता है कि प्रणाली में सभी समय पर्याप्त चलनिधि है;
- 8) दैनिक मुद्रा बाजार परिचालनों की प्रेस विज्ञप्ति को संशोधित किया गया ताकि दैनिक प्रवाह और साथ ही साथ रिज़र्व बैंक के चलनिधि परिचालनों का स्टॉक प्रभाव और पखवाड़े के आधार पर बैंकिंग प्रणाली की टिकाऊ चलनिधि स्थितियों का मात्रात्मक आकलन एक पखवाड़े का अंतर रखते हुए प्रकाशित किया जाता है। संशोधित व्यवस्था में चलनिधि पूर्वानुमानों को प्रमुखता मिली है, तो केन्द्र के साथ राज्यों हेतु अर्थोपाय अग्रिम के सांकेतिक कैलेंडर का अनुपालन चलनिधि प्रबंधन में सहायता प्रदान करेगा।

³¹ परिचालन पद्धति में कोविड-19 से संबद्ध परिवर्तनों और चलनिधि प्रबंधन के बारे में अप्रैल 2020 और अक्टूबर 2020 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट के अध्याय IV में विस्तार से चर्चा की गई है।


संलग्नक 11 : राज्य वित्त पर 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के निहितार्थ

टैक्स हस्तांतरण के बारे में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों केन्द्र से संसाधनों के अंतरण में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं करेंगी। विभाज्य हिस्से के हस्तांतरण को 41 प्रतिशत पर बनाए रखने से संसाधनों के अंतरण में पूर्वानुमेयता और सुस्थिरता आ जाती है।

इसके बावजूद 2019-20 से ही से ही टैक्स हस्तांतरण में महत्वपूर्ण कमी रही, जो 2020-21 में भी बनी रही, प्रथमतया यह आर्थिक क्रियाकलापों में गिरावट के साथ-साथ इस विभाज्य पूल के बाहर रखे जाने वाले उप-करों और सरचार्ज के बढ़ते हुए हिस्से के कारण विभाज्य टैक्स पूल में हो रही कमी से चालित रही। उपकरों और सरचार्जों से 2000-01 में सकल टैक्स राजस्व का 3 प्रतिशत था जो 2018-19 में बढ़कर 15 प्रतिशत और 2020-21 में 23.5 प्रतिशत हो गया इससे विभाज्य पूल में कमी आई और इस प्रकार प्रभावी टैक्स हस्तांतरण का शेयर सकल टैक्स राजस्व के लगभग 30 प्रतिशत पर आ गया (चार्ट 5)। अनुदान बढ़ाकर 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 से इसकी प्रतिपूर्ति करने का प्रयास किया है, खासकर राजस्व घाटा अनुदान के माध्यम से। अंतरणों के समग्र पूल में अनुदानों का हिस्सा, जो विभाज्य पूल की प्रतिशतता की बजाय निश्चित रकम के रूप में निर्धारित किया जाता है, यह निधि प्रवाह की प्रमात्रा और समयावधि की

पूर्वानुमेयता को बढ़ाता है, इस प्रकार राजस्व की अनिश्चितता को कमतर कर देता है। प्रोत्साहन / कार्यनिष्पादन आधारित अनुदानों पर फोकस करना अभूतपूर्व है और इसे राज्यों हेतु परिवर्तन के बीज के तौर पर देखा जा सकता है। उधार लेने की गुंजाइश से कम ही उधार लेने के रूप में राज्यों के कार्यनिष्पादन को देखते हुए, प्रोत्साहन आधारित अतिरिक्त उधारियों की तुलना में प्रोत्साहन आधारित अनुदानों को प्राथमिकता दी जाए। यद्यपि सरकार ने कहा है कि केन्द्र प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों की पुनः संरचना करते समय इन अनुदानों को सामान्य धारणा के तहत लिया जाएगा, इनमें से कुछ नई स्कीमों का सुझाव 15वें वित्त आयोग ने दिया है जैसे कि ठोस आंकड़े देने पर, जैसा कि ब्राजील में हो रहा है, राज्यों को प्रेरित किया जाए, इससे आने वाले समय में प्रभावी नीति तैयार करने में काफी मदद रहेगी। 'एक सीमा से नीचे' वाली मदों के बारे में डाटा में पारदर्शिता होने से वित्तीय बाजारों को यह मदद मिलती है कि वे परिशुद्ध रूप में किसी राज्य की वित्तीय स्थिति का आकलन कर सकें और वस्तुतः इससे बाजारों में परितोष मिल सकता है, केन्द्र इसका एक उदाहरण है, जहां अभी हाल ही के बजट में बढ़ी हुई पारदर्शिता को बाजारों में समर्थन मिला।

चार्ट 5 : राज्यों को संसाधनों का अंतरण



पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा यथा प्रदत्त रोडमैप में कुछ लोचशीलता रखी गई है। वर्ष 2020-21 के लिए बजटगत 2.8 प्रतिशत के जीएफडी-जीडीपी अनुपात के बदले में वास्तविक आंकड़े जीडीपी का 4.5 प्रतिशत हो सकते हैं, क्योंकि इस महामारी से संबंधित उच्चतर व्यय और संवृद्धि में संकुचन के कारण न्यूनतर राजस्व ने राज्यों के राजकोष को कमजोर कर दिया है। जीएफडी-जीडीपी के लिए वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए क्रमशः 4.0 प्रतिशत और 3.5 प्रतिशत का अनुपात लेते हुए

15वें वित्त आयोग के राजकोषीय रोडमैप को जैसा केन्द्रीय बजट में स्वीकार कर लिया गया है, यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि संसाधनों में अचानक ही कोई गिरावट नहीं हो। वर्ष 2023-24 के बाद ही 3.0 प्रतिशत के लक्ष्य की तरफ लौटा जाएगा। वित्त आयोग ने एक और भी रियायत दी है कि इन राज्यों को अनुमति दी है कि अवार्ड अवधि के भीतर विगत वर्षों के दौरान उपभोग किए गए किसी भी उधारी दायरे का उपभोग करके उससे कैपेक्स को आगे बढ़ाएं।

संलग्नक 12 : राज्य सरकारों की अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं का पुनरीक्षण – राज्यों / सीएएस, नागपुर से प्राप्त सुझाव (जारी)

विचारित मर्दे	विद्यमान प्रावधान	सुझाव / अभिमत	आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग का अभिमत
अर्थोपाय अग्रिम सीमा	विद्यमान अर्थोपाय अग्रिम सीमा – ₹32,225 करोड़	<ol style="list-style-type: none"> विशेष आहरण सुविधा/ अर्थोपाय अग्रिम/ओडी सुविधा महत्त्वपूर्ण बन चुकी है, क्योंकि अप्रत्याशितता और भारत सरकार से अपेक्षा से कम संसाधनों के अंतरण के कारण बारंबार नकदी असंतुलन हो जाते हैं। अपने कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के कारण संसाधनों की उपलब्धता पर पड़े दबाव के कारण राज्य सरकार भी बड़े दबाव का सामना कर रही है। राज्यों की निर्भरता विशेष आहरण सुविधा/ अर्थोपाय अग्रिम/ओडी पर बढ़ने की संभावना है और रिजर्व बैंक को चाहिए कि राज्य के लिए अर्थोपाय अग्रिम की रियायती मात्रा देने पर विचार करे। राज्यों की जीएसडीपी के 1% के आधार पर अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं में संशोधन किया जाए। समिति विचार करे कि वर्तमान के 90 दिन के स्थान पर 120 दिन के लिए अर्थोपाय अग्रिम की अनुमति रेपो दर पर दी जाए। टैक्स राजस्व में अभी बहाली होनी है, जबकि राज्य के व्यय निरंतर बढ़ रहे हैं; ज्यादातर तो महामारी संबंधी व्यय के कारण। कुल व्यय आधार पर आधारित सीमाओं में संसाधन उचित प्रतीत होता है। 	<p>समिति ने प्रस्ताव किया कि ₹51,560 करोड़ की अंतरिम सीमा वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी छह माह अर्थात 30 सितम्बर 2021 तक जारी रखी जाए। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक सामने आने वाली आर्थिक स्थिति और राज्यों की जरूरतों के अनुसार इस सीमा की समीक्षा करे।</p> <p>भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(5) में अर्थोपाय अग्रिम को ऐसे अग्रिमों के तौर पर परिभाषित किया है, जो प्रत्येक मामले में 3 माह के भीतर ही चुकता किए जाने हैं। इसलिए 3 माह के बाद भी बकाया रहने वाले अर्थोपाय अग्रिमों पर रेपो दर में 1 प्रतिशत जोड़ते हुए दंडात्मक दर लगाई जाती है।</p>

संलग्नक 12 : राज्य सरकारों की अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं का पुनरीक्षण – राज्यों / सीएएस, नागपुर से प्राप्त सुझाव (जारी)

विचारित मर्दे	विद्यमान प्रावधान	सुझाव / अभिमत	आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग का अभिमत
अर्थोपाय अग्रिम सीमा	राज्यों के कुल व्यय को आधार मानते हुए विद्यमान सीमाओं की संगणना की गई है। अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं की संगणना हेतु विगत सलाहकार समिति ने 2.03% के अनुपात पर विचार किया है।	<p>9. हालांकि, इस महामारी जनित मंदी ने राज्यों की वित्त व्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है, और इससे बहाली कुछ धीमी रहने की आशंका है।</p> <p>10. इसलिए, राज्यों हेतु नई अर्थोपाय अग्रिम सीमाएं तय करते समय, आगामी 5 वर्ष के लिए अथवा सभी राज्यों द्वारा संवृद्धि रेखापथ पर आ जाने तक, राज्यों के औसत कुल व्यय पर 3% (बजाय 2.03% के) का अनुपात लगाया जाए अथवा कम से कम 2.03% के अनुपात को ही रखा जाए।</p> <p>11. वर्ष 2020-21 (संशोधित अनुमान) के स्थान पर 2018-19, 2019-20 और 2021-22 (बजट अनुमान) के वार्षिक व्यय पर विचार किया जाए क्योंकि वर्ष 2020-21 कोविड-19 महामारी के कारण अपवादात्मक वर्ष है और हो सकता है कि इस वर्ष का व्यय राज्यों द्वारा अपने अल्पावधि नकदी संकट को पूरा करने के लिए अपेक्षित एसडीएल की असल मात्रा को न दर्शा पाए।</p> <p>12. अर्थोपाय अग्रिम सीमा को तय करने के लिए गुणक तत्त्व को उच्चतर स्तर पर रखा जाए।</p>	समिति द्वारा विधिवत चर्चा के बाद विद्यमान पद्धति को बनाए रखा गया है। समिति द्वारा अपनाई गई सूत्र-आधारित पद्धति के आधार पर 'अन्य राज्यों' के लिए अनुपात 1.3% बना, जो बढ़ाकर 1.75% कर दिया गया ताकि अर्थोपाय अग्रिम सीमा में बढ़ोतरी की जा सके।
ओडी विनियम	राज्यों के भुगतान रोक दिए जाते हैं, <ol style="list-style-type: none"> यदि कोई राज्य निरंतर 14 कार्य-दिवस के बाद भी ओडी में रहे; यदि कोई राज्य एक तिमाही में 36 कार्य दिवस से अधिक समय ओडी में बना रहे; यदि एक वित्तीय वर्ष में द्वितीय/परावर्ती अवसर पर लगातार 5 कार्य दिवस तक अर्थोपाय अग्रिम से ओडी 100 प्रतिशत अधिक रहता है। 	<ol style="list-style-type: none"> अंतरिम उपाय को स्थायी कर दिया जाए क्योंकि यह उचित प्रतीत होता है। हालांकि, आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा अधिसूचित किए अनुसार प्राकृतिक आपदाओं / विपदाओं के मामले में और कोविड-19 जैसी महामारी के समय भुगतान रोकने के प्रावधान को निलंबित कर दिया जाए। 	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अंतरिम रियायत प्रदान की गई जिसमें इस सीमा को बढ़ाकर 21 दिन कर दिया गया है। यह रियायत 31 मार्च 2021 तक उपलब्ध रहेगी।

संलग्नक 12 : राज्य सरकारों की अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं का पुनरीक्षण – राज्यों / सीएएस, नागपुर से प्राप्त सुझाव (जारी)

विचारित मर्दे	विद्यमान प्रावधान	सुझाव / अभिमत	आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग का अभिमत
ओडी विनियम	<p>वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु अंतरिम रियायत</p> <p>1) एक राज्य/केंद्र शासित निरंतर जितने दिन ओडी में रह सकता है उन दिनों की संख्या को वर्तमान के 14 कार्य दिवस से बढ़ाकर निरंतर 21 कार्य दिवस कर दिया गया</p> <p>2) एक राज्य/यूटी एक तिमाही में जितने दिन ओडी में रह सकता है उसे वर्तमान के 36 कार्य दिवस से बढ़ाकर 50 कार्य दिवस कर दिया गया।</p>	<p>3. अंतरिम रियायत को निर्धारित तारीख 31-03-2021 के बाद भी और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों की पूर्ण अवधि अर्थात् 2021-26 तक रखा जाए।</p> <p>4. राज्यों को वर्तमान के 14 दिन के बजाय निरंतर 21 दिन ओडी में रहने की अनुमति दी जाए।</p> <p>5. वर्तमान के 5 कार्य दिवस की सीमा के स्थान पर 10 कार्य दिवस तक राज्यों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम सीमा से अधिक ओडी लेने दिया जाए।</p> <p>6. वर्तमान रियायत, जो राज्यों को लगातार 21 कार्य दिवस तक ओडी में रहने की अनुमति देती है, बरकरार रखी जाए।</p>	
विशेष आहरण सुविधा	<p>जी-सेक / एटीबी में निवेश पर सीमांकन</p> <p>राज्य अपने नकदी अधिशेष का निवेश भारत सरकार प्रतिभूतियों में कर सकते हैं, बशर्ते तत्काल पहले के लगातार 90 दिनों में उन्होंने अर्थोपाय अग्रिम नहीं लिया हो।</p>	<p>1. 14 दिवसीय आईटीबी में प्रतिलाभ की कम दर को देखते हुए उक्त शर्त राज्यों को दंडित करने के तुल्य होगा, यहां तक कि कुछ ही दिनों के लिए अकस्मात ही विशेष आहरण सुविधा लेने पर भी। इसलिए पूर्ववर्ती 90 दिन में विशेष आहरण सुविधा लेने की शर्त को रिपोर्ट में से हटाया जाए।</p> <p>2. सीएसएफ (जी-सेक) में निवेश और उसके बाद विशेष आहरण सुविधा लेने पर निषेध से 90 दिन के लिए सीएसएफ में आगामी निवेश को बाधित करती है। यदि इसे हटा दिया जाए तो यह सीएसएफ में राज्यों के लिए प्रेरक का कार्य करेगी।</p> <p>3. प्रतिबंधों को लागू करने में सामना की जा रही परिचालनगत कठिनाइयों को देखते हुए विद्यमान प्रावधान की समीक्षा की जाए।</p>	इस अनुदेश को हटाने का प्रस्ताव प्रारूप रिपोर्ट में शामिल कर लिया गया है।

संलग्नक 12 : राज्य सरकारों की अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं का पुनरीक्षण – राज्यों / सीएस, नागपुर से प्राप्त सुझाव (जारी)

विचारित मर्दे	विद्यमान प्रावधान	सुझाव / अभिमत	आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग का अभिमत
एसडीएफ	<p>विशेष आहरण सुविधा लेने के बाद एटीबी में निवेश पर सीमांकन</p> <p>- जब 91-दिवसीय खजाना बिलों में निवेश के तुरंत बाद ही राज्य विशेष आहरण सुविधा ले लेते हैं तो उन्हें अगले 90 दिन तक 91-दिवसीय खजाना बिलों में निवेश की अनुमति नहीं दी जाती है।</p> <p>अन्य मुद्दे</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रतिबंधों को लागू करने में सामना की जा रही परिचालनगत कठिनाइयों को देखते हुए विद्यमान प्रावधान की समीक्षा की जाए। 2. शर्तों को हटाने के प्रस्ताव को सहमति दी जाती है। 3. इस शर्त में रियायत दी जाए और राज्यों को उनकी जरूरत के अनुसार विशेष आहरण सुविधा लेने की अनुमति दी जाए। 4. समिति सीएसएफ और जीआरएफ में निवेश से विशेष आहरण सुविधा को मुक्त रखने पर विचार करे और राज्यों को अनुमति दे कि वे 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों की सम्पूर्ण अवधि हेतु संशोधित अर्थोपाय अग्रिम के 50 प्रतिशत की दर से विशेष आहरण सुविधा ले सकते हैं। 5. विशेष आहरण सुविधा की सीमा की संगणना सीएसएफ और जीआरएफ में समूची शेष राशि के बदले में की जाए। 6. समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि में वृद्धिमान निवेश के बदले में विशेष आहरण सुविधा सीमा का आकलन करने की वर्तमान शर्त का निहितार्थ यह है कि एक वर्ष में यदि कोई राज्य नया निवेश कर देता है तो नगण्य धारिता के बदले में भी उसे परितोष मिल जाएगा, जबकि जिन राज्यों का काफी संचय है लेकिन उन्होंने वृद्धिमान निवेश नहीं किया है, उन्हें विशेष आहरण सुविधा हेतु मनाही हो जाएगी। इससे राज्यों को संकट के समय भी संचयन करने की प्रेरणा मिलेगी। 	<p>इस अनुदेश को हटाने का प्रस्ताव प्रारूप रिपोर्ट में शामिल कर लिया गया है।</p> <p>इस सुझाव को लागू करना व्यावहारिक नहीं है।</p> <p>अर्थोपाय अग्रिम की तरह से विशेष आहरण सुविधा कोई विशुद्ध अग्रिम नहीं है, बल्कि यह तो सांपाषिक के बदले में दिया जाता है, अर्थात् जी-सेक (सीएसएफ और जीआरएफ)/ एटीबी में राज्य के निवेश। इसलिए, इसे सीएसएफ/ जीआरएफ में निवेशों से संबद्ध किया जाता है जो सांपाषिक के तौर पर कार्य करता है।</p> <p>विशेष आहरण सुविधा का आकलन दैनिक आधार पर किया जाता है।</p> <p>सीएसएफ और जीआरएफ में विद्यमान निवेशों से सृजित कूपन और मोचन भुगतानों का इसी निधि में पुनः निवेश कर दिया जाता है।</p> <p>पुनः निवेशों को वृद्धिमान निवेश भी माना जाता है।</p> <p>इस प्रकार यहां तक कि जब कोई राज्य एक वित्तीय वर्ष के दौरान नए निवेश नहीं करता है, तो भी उसे परिचालन विशेष आहरण सुविधा की सीमा मिलती रहेगी।</p> <p>हालांकि, प्रतिवर्ष नए निवेश से राज्यों को उच्चतर विशेष आहरण सुविधा मिलेगी और उन्हें काफी संचय करने में भी मदद मिलेगी।</p>

संलग्नक 12 : राज्य सरकारों की अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं का पुनरीक्षण – राज्यों / सीएसएफ, नागपुर से प्राप्त सुझाव (जारी)

विचारित मंदा	विद्यमान प्रावधान	सुझाव / अभिमत	आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग का अभिमत
विशेष आहरण सुविधा		<p>7. विशेष आहरण सुविधा की सीमा को विगत में बकाया शेष और विगत वित्तीय वर्ष में सीएसएफ और जीआरएफ के बकाया शेष के भारित औसत में विगत वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसएफ और जीआरएफ में वृद्धिमान निवेश को जोड़ते हुए एक साथ लेकर कुछ प्रति-शत तक तय कर दिया जाए।</p> <p>8. विशेष आहरण सुविधा की सीमा को दैनिक आधार पर आकलित करने की बजाय मासिक आधार पर बदला जाए।</p> <p>9. केवल वार्षिक वृद्धिमान निवेशों के बदले में प्रदान करने की बजाय समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि में कुल निवेश के बदले विशेष आहरण सुविधा दी जाए। इससे राज्यों को समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि में निवेश की प्रेरणा मिलेगी।</p>	<p>इस सुझाव को लागू करना व्यावहारिक नहीं है। एसडीएफ सीमा का आकलन प्रतिदिन करना पड़ता है, क्योंकि जब भी निवेश/विनिवेश/धारिताओं का विमोचन होता है तो सांपार्श्विक अर्थात् जीसेक/एटीबी का मूल्य भी बदल जाएगा।</p> <p>इस सुझाव को लागू करना व्यावहारिक नहीं है। एसडीएफ एक सांपार्श्विक अग्रिम है। यदि अग्रिम की चुकौती होने तक किसी राज्य को सीएसएफ/ जीआरएफ में कुल संचय के बदले एसडीएफ लेने की अनुमति दी जाती है तो जरूरत पड़ने पर राज्य विनिवेश नहीं कर सकेगा, क्योंकि प्रतिभूतियां तो एसडीएफ के बदले में गिरवी बनी रहेंगी। इसलिए, विशेष आहरण सुविधा की सीमा की संगणना केवल सीएसएफ और जीआरएफ में वार्षिक वृद्धिमान निवेश के बदले में की जाती है।</p>
सीएसएफ/ जीआरएफ	न्यूनतम संचयन – वर्तमान स्कीम में निर्धारित नहीं किया है।	<p>1. प्रस्तावित संशोधन से सहमता।</p> <p>2. समेकित ऋण-शोधन निधि – बकाया देयताओं के 5% से कम की दर पर तय किया जाए – जैसे कि 3 अथवा 4 प्रति-शत।</p> <p>गारंटी मोचन निधि – प्रस्तावित न्यूनतम संचयन से सहमता।</p>	प्रस्तावित संशोधन – कुल बकाया देयताओं/गारंटियों के न्यूनतम 5 प्रतिशत रखा जाए इसे 5 साल के भीतर प्राप्त किया जाना है और उसके बाद रोलिंग आधार पर।

संलग्नक 12 : राज्य सरकारों की अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं का पुनरीक्षण – राज्यों / सीएस, नागपुर से प्राप्त सुझाव (समाप्त)

विचारित मर्दे	विद्यमान प्रावधान	सुझाव / अभिमत	आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग का अभिमत
सीएसएफ / जीआरएफ	आहरण – सीएसएफ – निधि की स्थापना के 5 वर्ष बाद अनुमति है। जीआरएफ – कोई अवरुद्धता अवधि नहीं	1. सिफारिश से सहमता हालांकि, विरल और गंभीर प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के समय और कोविड-19 जैसी महामारी के समय पर भी कुल बकाया देयताओं के न्यूनतम 5% के संचय में रियायत का प्रावधान होना चाहिए ताकि राज्य सरकारें प्रति चक्रकीय राजकोषीय प्रतिसाद कर सकें। ऐसी स्थितियों में संचित रकम में से किसी भी प्रयोजन से कुल बकाया देयताओं के 2.5% से अधिक के आहरण की अनुमति दी जाए जिसे 3-5 वर्ष की अवधि में फिर से 5% के स्तर पर लाया जाए। 2. अगले कुछ ही वर्षों में राज्यों पर बड़े मोचन दबावों को देखते हुए 5 साल से पहले आहरण की अनुमति दी जाए। 3. वर्तमान संसाधन स्थिति के कारण राज्य द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से अंतरिम रियायत का स्वागत किया गया।	जब भी स्थितियां ऐसे प्रतिसाद की मांग करें तो संचित शेष में से मामला-दर-मामला आधार पर आहरण की अनुमति दी जा सकती है। कोविड-19 के कारण पड़े राजकोषीय दबाव के प्रतिसाद में भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसी अंतरिम रियायत वर्तमान वित्तीय वर्ष में दी है। राज्यों को अनुमति दी गई कि वे अपनी निधि में संचित शेष के 75 प्रतिशत तक आहरण कर सकते हैं।
न्यूनतम नकदी शेष	न्यूनतम शेष में संशोधन अपेक्षित नहीं	सिफारिश से सहमता	
कोई अन्य मुद्दा	ऋणात्मक महसूल – राज्य सरकार द्वारा अधिक नकदी शेष रखना।	1. 14 दिवसीय आइटीबी पर ब्याज दर केन्द्र सरकार को प्रभार योग्य अर्थोपाय अग्रिम की ब्याज दर के तुल्य होना चाहिए, क्योंकि अब 14 दिवसीय आइटीबी पर राज्यों को केवल 1.35% का ब्याज (रिवर्स रेपो दर में 200 आधार अंक घटाकर) मिलता है। 2. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक इस प्रकार की ऐसी कोई स्कीम ला सकते हैं, जिसमें राज्य सरकारों को अनुमति हो कि वे अपने अल्पावधिक नकदी अधिशेषों को गैर-स्पर्धी बोलीदाता के तौर पर अल्पावधिक सीएमबी में निवेश कर सकें।	

संलग्नक 13 : सलाहकार समिति द्वारा आयोजित बैठकें

सलाहकार समिति की प्रथम बैठक 14 अक्तूबर 2019 को भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित पदाधिकारी शामिल हुए :

अध्यक्ष तथा सदस्यगण

- 1 श्री सुधीर श्रीवास्तव, अध्यक्ष
- 2 श्री एन. आर. भानुमूर्ति, प्रोफेसर, एनआईपीएफपी
- 3 श्री संजीव मित्तल, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), उत्तर प्रदेश
- 4 श्री अरविन्द अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), गुजरात
- 5 श्री के. रामकृष्ण राव, प्रधान सचिव(वित्त), तेलंगाना
- 6 श्री ए. के. के. मीणा, प्रधान सचिव (वित्त), ओडिशा

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

- 7 श्री सूरज कुमार प्रधान, संयुक्त निदेशक, पीएफ-एस प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

भारतीय रिज़र्व बैंक

- 8 श्री बी. पी. कानूनगो, उप गवर्नर
- 9 श्रीमती मालविका सिन्हा, कार्यपालक निदेशक
- 10 श्री टी. के. राजन, मुख्य महाप्रबंधक, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
- 11 सुश्री संगीता लालवानी, महाप्रबंधक, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
- 12 श्री ब्रिजेश पी., निदेशक / संयोजक, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
- 13 श्री एस. सूरज, सहायक परामर्शदाता, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
- 14 श्रीमती संगीता ई., सहायक महाप्रबंधक, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
- 15 श्री आशिष गुप्ता, सहायक महाप्रबंधक/ डीलर, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
- 16 श्री अरविन्द एक्का, प्रबंधक/ डीलर, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
- 17 श्री सौरित दास, अनुसंधान अधिकारी, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग

- 18 श्री प्रशांत चंदावत, सहायक प्रबंधक, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग

सलाहकार समिति की द्वितीय बैठक 10 जुलाई 2020 को तत्समय विद्यमान लॉक डाउन स्थितियों को देखते हुए वीडियो सम्मेलन के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित पदाधिकारी शामिल हुए :

अध्यक्ष तथा सदस्य

- 1 श्री सुधीर श्रीवास्तव, अध्यक्ष
- 2 श्री एन. आर. भानुमूर्ति, प्रोफेसर, एनआईपीएफपी
- 3 श्री संजीव मित्तल, अतिरिक्त मुख्य सचिव(वित्त), उत्तर प्रदेश
- 4 श्री पंकज जोशी, अतिरिक्त मुख्य सचिव(वित्त), गुजरात
- 5 श्री के. रामकृष्ण राव, प्रधान सचिव(वित्त), तेलंगाना
- 6 श्री ए. के. के. मीणा, प्रधान सचिव (वित्त), ओडिशा
- 7 श्री समीर कुमार सिन्हा, प्रधान सचिव(वित्त), असम

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

- 8 श्री सूरज कुमार प्रधान, संयुक्त निदेशक, पीएफ-एस प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

भारतीय रिज़र्व बैंक

- 9 श्री टी. के. राजन, मुख्य महाप्रबंधक, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
- 10 श्री ब्रिजेश पी., निदेशक / संयोजक, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
- 11 श्री नीरज कुमार, सहायक परामर्शदाता, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
- 12 श्रीमती संगीता ई., सहायक महाप्रबंधक, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
- 13 श्री. सौरित दास, अनुसंधान अधिकारी, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
- 14 श्री. प्रशांत चंदावत, सहायक प्रबंधक, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग

सलाहकार समिति की तृतीय बैठक 26 फरवरी 2021 को वीडियो सम्मेलन के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित पदाधिकारी शामिल हुए :

अध्यक्ष/ सदस्यगण और अन्य पदाधिकारी

- 1 श्री सुधीर श्रीवास्तव, अध्यक्ष
- 2 श्री एन. आर. भानुमूर्ति, प्रोफेसर, एनआइपीएफपी
- 3 श्रीमती एस. राधा चौहान, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), उत्तर प्रदेश
- 4 श्री पंकज जोशी, अतिरिक्त मुख्य सचिव(वित्त), गुजरात
- 5 श्री के. रामकृष्ण राव, प्रधान सचिव(वित्त), तेलंगाना
- 6 श्री ए. के. के. मीणा, प्रधान सचिव (वित्त), ओडिशा
- 7 श्री समीर कुमार सिन्हा, प्रधान सचिव(वित्त), असम
- 8 श्री नील रतन कुमार, विशेष सचिव(वित्त), उत्तर प्रदेश
- 9 श्री आलोक दीक्षित, विशेष सचिव (वित्त), उत्तर प्रदेश

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

- 10 श्री सूरज कुमार प्रधान, संयुक्त निदेशक, पीएफ-एस प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

भारतीय रिज़र्व बैंक

- 11 श्री आर. सुब्रह्मणियन, कार्यपालक निदेशक

- 12 श्री आर. गुरुमूर्ति, मुख्य महाप्रबंधक, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
- 13 श्री देब प्रसाद रथ, प्रभारी अधिकारी, आर्थिक नीति और अनुसंधान विभाग
- 14 श्री राजीव रंजन, प्रभारी परामर्शदाता, मौद्रिक नीति विभाग
- 15 श्रीमती लता विश्वनाथ, महाप्रबंधक, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
- 16 श्री इन्द्रनील भट्टाचार्य, निदेशक, मौद्रिक नीति विभाग
- 17 श्रीमती संगीता मिश्रा, निदेशक, आर्थिक नीति और अनुसंधान विभाग
- 18 श्री ब्रिजेश पी., निदेशक / संयोजक, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
- 19 श्री नीरज कुमार, सहायक परामर्शदाता, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
- 20 श्रीमती संगीता ई., सहायक महाप्रबंधक, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
- 21 श्री सौरित दास, अनुसंधान अधिकारी, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
- 22 श्री अविनाश देव, सहायक प्रबंधक, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग

संदर्भ

1. एलेन, सी. एम. (1965). "फिस्कल मार्क्समैनिशिप, 1951-1963". ऑक्सफोर्ड इकोनोमिक पेपर्स, वाल्यूम 17, इश्यू 2, जुलाई 1965, पृष्ठ 317-327, <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.oep.a040992>.
2. चक्रवर्ती, एल., चक्रवर्ती, पी., और श्रेष्ठ, आर. (2020). "बजट क्रेडिबिलिटी ऑफ सबनेशनल गवर्नमेंट्स: एनालाइजिंग दि फिस्कल फोरकास्टिंग एरर्स आफ 28 स्टेट्स इन इंडिया". लेवी इकोनॉमिक्स इन्स्टीट्यूट आफ बार्ड कॉलेज, वर्किंग पेपर नं.964.
3. आर्थिक कार्य विभाग (2013). "आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13".
4. आर्थिक कार्य विभाग (2019). "आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19".
5. भारतीय वित्त आयोग (2021). "15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट" स्रोत <https://fincomindia.nic.in/ShowContent.aspx?uid1=3 &uid2=0&uid3=0&uid4=0>
6. नितिन, के. और राय, आर. (2014). "भारतीय वित्त आयोग के आकलन : प्रत्याशाओं और परिणामों के बीच राजनैतिक अर्थव्यवस्था परिवाद" अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र 48(2): 73-88.
7. पेसोआ, मारियो और माइक विलियम्स (2012), "गवर्नमेंट कैश मैनेजमेंट : रिलेशनशिप बिटवीन दि ट्रेजरी एन्ड दि सेन्ट्रल बैंक", राजकोषीय कार्य विभाग, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, तकनीकी नोट और मैनुअल, नवम्बर
8. रेड्डी, वाई. वी. और रेड्डी, जी. आर., "इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म" आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
9. भारतीय रिज़र्व बैंक (2016). "राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिमों पर सलाहकार समिति की रिपोर्ट" (अध्यक्ष: श्री सुमित बोस)। मार्च
10. भारतीय रिज़र्व बैंक (2015). "राज्य वित्त" बजटों का अध्ययन - 2014-15".
11. भारतीय रिज़र्व बैंक (2018). "राज्य वित्त" बजटों का अध्ययन 2017-18 और 2018-19".
12. श्रीनिवासन, एस. और मिश्रा, पी. (2020). "केन्द्र और राज्यों से अनुदान" फिस्कल मार्क्समैनिशिप". आईडीएफसी इंस्टीट्यूट वर्किंग पेपर 05.
13. विलियम्स, माइक (2010), "गवर्नमेंट कैश मैनेजमेंट इट्स इंटरएक्शन विद अदर फाइनेंशियल पॉलिसीज", राजकोषीय कार्य विभाग, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, तकनीकी नोट और मैनुअल, जुलाई.

वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुद्रा और बैंकिंग
मूल्य और उत्पादन
सरकारी लेखा और खज़ाना बिल
वित्तीय बाजार
बाह्य क्षेत्र
भुगतान और निपटान प्रणालियाँ
अवसरिक शृंखला

विषय -वस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिंदा आर्थिक संकेतक	123
	भारतीय रिज़र्व बैंक	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	124
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	125
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरीकी डॉलर का क्रय/विक्रय	126
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमरीकी डॉलर)	127
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	127
	मुद्रा और बैंकिंग	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	128
7	मुद्रा स्टॉक (एम ₃) के स्रोत	129
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	130
9	कुल चलनिधि राशियां	130
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	131
11	आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत	131
12	वाणिज्य बैंक सर्वेक्षण	132
13	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेश	132
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	133
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन	134
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	135
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक	136
	मूल्य और उत्पादन	
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)	137
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	137
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	137
21	थोक मूल्य सूचकांक	138
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)	142
	सरकारी खाते और खजाना बिल	
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	142
24	खजाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	143
25	खजाना बिलों की नीलामी	143
	वित्तीय बाजार	
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	144
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	145
28	वाणिज्यिक पत्र	145
29	चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	145
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	146

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
बाह्य क्षेत्र		
31	विदेशी व्यापार	147
32	विदेशी मुद्रा भंडार	147
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां	147
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	148
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत जावक विप्रेषण	148
36	भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) सूचकांक	149
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)- पंजीकरण	149
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमरीकी डॉलर)	150
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (करोड़ ₹)	151
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमरीकी डॉलर)	152
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (करोड़ ₹)	153
42	अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	154
भुगतान और निपटान प्रणालियाँ		
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	155
अवसरिक श्रृंखला		
44	लघु बचत	157
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	158
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	159
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	160
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	161
49	राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां	162

टिप्पणियां : .. = उपलब्ध नहीं

- = शून्य/नगण्य

प्रा/अ= प्रारंभिक/अनंतिम आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

सं. 1 : चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2020-21	2019-20		2020-21	
		ति2	ति3	ति2	ति3
	1	2	3	4	5
1 वास्तविक क्षेत्र (% परिवर्तन)					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	-6.5	4.6	3.4	-7.3	1.0
1.1.1 कृषि	3.0	3.5	3.4	3.0	3.9
1.1.2 उद्योग	-7.4	-2.7	-3.0	-1.6	1.4
1.1.3 सेवाएं	-8.4	7.3	5.8	-10.9	-0.04
1.1क अंतिम खपत व्यय	-7.1	7.0	6.8	-13.6	-2.2
1.1ख सकल नियत पूंजी निर्माण	-12.4	3.9	2.4	-6.8	2.6
	2020-21	2020		2021	
		फर.	मार्च	फर.	मार्च
	1	2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	-	5.2	-18.7	-3.6	-
2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)					
2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंक					
2.1.1 जमाराशियां	11.4	9.0	7.9	12.1	11.4
2.1.2 ऋण	5.6	6.1	6.1	6.6	5.6
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	5.5	6.1	6.1	6.6	5.5
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	19.3	10.6	10.6	18.3	19.3
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	15.2	11.3	9.4	13.6	15.2
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	11.7	10.2	8.9	12.8	11.7
3 अनुपात (%)					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	3.50	4.00	3.00	3.00	3.50
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.25	18.25	18.00	18.00
3.3 नकदी-जमा अनुपात	4.2	4.7	4.6	3.7	4.2
3.4 ऋण-जमा अनुपात	72.4	75.8	76.4	72.2	72.4
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात	37.4	44.3	60.3	29.6	37.4
3.6 निवेश-जमा अनुपात	29.5	28.3	27.6	29.9	29.5
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	46.8	51.8	36.2	52.8	46.8
4 ब्याज दरें (%)					
4.1 नीति रिपो दर	4.00	5.15	4.40	4.00	4.00
4.2 रिवर्स रिपो दर	3.35	4.90	4.00	3.35	3.35
4.3 सीमांत स्थायी सुविधा दर	4.25	5.40	4.65	4.25	4.25
4.4 बैंक दर	4.25	5.40	4.65	4.25	4.25
4.5 आधार दर	7.40/8.80	8.45/9.40	8.15/9.40	7.30/8.80	7.40/8.80
4.6 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	6.55/7.05	7.50/7.90	7.40/7.90	6.55/7.05	6.55/7.05
4.7 एक वर्ष से अधिक की मीयादी जमा दर	4.90/5.50	6.00/6.40	5.90/6.40	4.90/5.50	4.90/5.50
4.8 बचत जमा दर	2.70/3.00	3.25/3.50	3.00/3.50	2.70/3.00	2.70/3.00
4.9 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	3.25	4.96	5.05	3.25	3.25
4.10 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	3.32	5.08	4.36	3.17	3.32
4.11 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	3.47	5.18	4.97	3.48	3.47
4.12 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	3.83	5.16	4.94	3.70	3.83
4.13 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर आय (एफबीआईएल)	6.34	6.65	6.71	6.34	6.34
5 आरबीआई संदर्भ दर और फारवर्ड प्रीमिया					
5.1 भा.रु.-अमरीकी डॉलर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	72.40	72.19	74.84	73.04	72.40
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	85.31	79.44	82.64	88.80	85.31
5.3 फारवर्ड प्रीमिया अमरीकी डॉलर					
1-माह (%)	6.80	3.82	8.98	5.59	6.80
3-माह (%)	5.64	3.93	5.93	5.59	5.64
6-माह (%)	5.47	3.91	5.05	5.19	5.47
6 मुद्रास्फीति (%)					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	6.18	6.6	5.8	5.0	5.5
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.03	6.8	5.5	4.5	5.7
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	1.20	2.3	0.4	4.2	7.4
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	1.54	6.5	2.2	1.8	6.4
6.3.2 ईंधन और पावर	-8.07	3.1	-2.9	0.6	10.3
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	2.69	0.5	0.3	5.8	7.3
7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)					
7.1 आयात	-15.51	3.6	-28.0	7.0	53.7
7.2 निर्यात	-5.97	3.3	-34.3	-0.8	60.3

टिप्पणी : फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) भारतीय रिजर्व बैंक के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/ 2017-18 के अनुसार जी सेक बेंचमार्क का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से संदर्भ दरों का प्रसारण शुरू किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 2 : भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(करोड़ ₹)

मद	अंतिम शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति						
	2020-21	2020	2021				
			अप्रै.	अप्रै. 2	अप्रै. 9	अप्रै. 16	अप्रै. 23
	1	2	3	4	5	6	7
1 निर्गम विभाग							
1.1 देयताएं							
1.1.1 संचलन में नोट	2831727	2496611	2827991	2857645	2872895	2880247	2887884
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	11	12	12	14	12	14	14
1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां	2831738	2496623	2828003	2857660	2872907	2880261	2887898
1.2 आस्तियां							
1.2.1 सोने के सिक्के और बुलियन	106555	112280	104579	110968	110497	113430	110440
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	2724437	2383506	2722681	2745966	2761696	2766125	2776759
1.2.3 रुपया सिक्का	746	837	743	725	715	705	699
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-
2 बैंकिंग विभाग							
2.1 देयताएं							
2.1.1 जमाराशियां	1504697	1222589	1490520	1466403	1467822	1473016	1507507
2.1.1.1 केंद्र सरकार	100	100	101	100	101	100	100
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना							
2.1.1.3 राज्य सरकारें	42	43	42	42	42	42	42
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	542693	423731	558014	535652	561141	552893	579344
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	6529	5255	15221	6030	6405	6462	6487
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	3204	2673	4734	3483	3312	3281	3311
2.1.1.7 अन्य बैंक	31820	25519	33095	32077	31008	32735	32482
2.1.1.8 अन्य	895440	765191	870953	879400	865806	877493	885731
2.1.1.9 भारत के बाहर वित्तीय संस्थान	24868	77	8359	9618	8	8	8
2.1.2 अन्य देयताएं	1343670	1462216	1352309	1472718	1456515	1511087	1458976
2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां	2848367	2684805	2842829	2939120	2924337	2984104	2966482
2.2 आस्तियां							
2.2.1 नोट और सिक्के	11	12	12	14	12	14	14
2.2.2 विदेश में रखे शेष	1204135	1019120	1227372	1314089	1285645	1325678	1296637
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	-	111985	-	-	-	-	-
2.2.3.2 राज्य सरकारें	1674	1063	3372	2355	5384	2363	4506
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	90275	288194	91080	89650	89851	89731	89934
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.6 नाबार्ड	26422	-	25426	25426	21426	21426	17077
2.2.3.7 एक्विजिमेंट बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.8 अन्य	6678	4162	6905	6708	6708	6708	6729
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	24858	7736	8353	4773	9	8	8
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.2 सरकारी खजाना बिल	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 निवेश	1331671	1102739	1335140	1341887	1361696	1380443	1397597
2.2.6 अन्य आस्तियां	162643	149794	145168	154219	153607	157733	153979
2.2.6.1 सोना	146572	139271	144188	152997	152347	156392	152269

*: डेटा अर्न्तलिप्त है।

सं. 3 : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(करोड़ ₹)

दिनांक	रिपो	रिवर्स रिपो	परिवर्तन-शील रिपो दर	परिवर्तन-शील रिपोर्ट दर	एमएसएफ	स्थायी चलनिधि सुविधाएं	बाजार स्थिरीकरण योजना	विक्रय	क्रय	दीर्घावधि रिपो परिचालन	लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन&	म्यूचुअल फंड के लिए विशेष चलनिधि सुविधा	एनबीफसी/एचएफसीएस के लिए विशेष चलनिधि योजना **	निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+6+9+10+11+12+13-2-4-7-8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
मार्च 1, 2021	-	553510	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-553494
मार्च 2, 2021	-	566757	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-566757
मार्च 3, 2021	-	556574	-	-	11	-	-	-	190	-	-	-	-	-556373
मार्च 4, 2021	-	564499	-	-	0	-	-	-	200	-	-	-	-	-564299
मार्च 5, 2021	-	487208	-	-	31	-	-	15000	15000	-	-	-	-	-487177
मार्च 6, 2021	-	23493	-	-	1674	-	-	-	-	-	-	-	-	-21819
मार्च 7, 2021	-	3830	-	-	509	-	-	-	-	-	-	-	-	-3321
मार्च 8, 2021	-	471854	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-471854
मार्च 9, 2021	-	496861	-	-	0	25	-	-	-	-	-	-	-	-496836
मार्च 10, 2021	-	453691	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-453691
मार्च 11, 2021	-	36932	-	-	819	-	-	-	-	-	-	-	-	-36113
मार्च 12, 2021	-	476649	-	200007	23	-250	-	10895	20330	-	-	-	-	-667448
मार्च 13, 2021	-	6600	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-6597
मार्च 14, 2021	-	1557	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-1479
मार्च 15, 2021	-	463741	-	-	2985	-	-	-	-	-	-	-	-	-460756
मार्च 16, 2021	-	383878	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-383878
मार्च 17, 2021	-	373224	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-373224
मार्च 18, 2021	-	399249	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-399236
मार्च 19, 2021	-	302050	-	-	6	40	-	4750	10000	-	-	-	-	-296754
मार्च 20, 2021	-	63812	-	-	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-63635
मार्च 21, 2021	-	5567	-	-	1850	-	-	-	-	-	-	-	-	-3717
मार्च 22, 2021	-	336724	-	-	2530	-85	-	-	-	-	5000	-	-	-329279
मार्च 23, 2021	-	354918	-	-	47	-	-	60	-	-	-	-	-	-354931
मार्च 24, 2021	-	362996	-	-	43	-185	-	1065	-	-	-	-	-	-364203
मार्च 25, 2021	-	383316	-	-	60	-	-	1500	-	-	-	-	-	-384756
मार्च 26, 2021	-	493576	500	-	182	-	-	11255	10000	-	-	-	-	-494149
मार्च 27, 2021	-	4776	-	-	2581	-	-	-	-	-	-	-	-	-2195
मार्च 28, 2021	-	2702	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-2644
मार्च 29, 2021	-	45703	-	-	3913	-	-	-	-	-	-	-	-	-41790
मार्च 30, 2021	-	613590	-	-	25	735	-	-	-	-	-	-	-	-612830
मार्च 31, 2021	-	493904	0	-	111	-1803	-	-	-	-	-	-	-	-495596

नोट: # लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ) और लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन 2.0 (टीएलटीआरओ 2.0) शामिल हैं। ऋणात्मक (-) चिन्ह बैंकों द्वारा किए गए पुनर्भुगतान को दर्शाता है।

** 01 जुलाई 2020 के आरबीआई अधिसूचना संख्या 2020-21/01 के अनुसार

ऋणात्मक (-) चिन्ह विशेष चलनिधि योजना में आरबीआई के निवेश के लिए प्राप्त परिपक्वता आय को दर्शाता है।

& ऋणात्मक(-) चिन्ह बैंकों द्वारा किए गए पुनर्भुगतान को दर्शाता है।

सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरीकी डॉलर का क्रय-विक्रय

i) ओटीसी सेगमेंट में ऑनशॉर / ऑफशॉर में परिचालन

मद	2019-20	2020	2021	
		मार्च	फर.	मार्च
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरीकी डॉलर) (1.1-1.2)	45097	-4054	-1219	-5699
1.1 क्रय (+)	72205	3984	23352	20250
1.2 विक्रय (-)	27108	8038	24571	25949
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (करोड़ ₹)	312005	-30974	-8475	-41123
3 संचयी (मार्च के अंत से) (मिलियन अमरीकी डॉलर)	45097	45097	74014	68315
(करोड़ ₹)	312005	312005	551639	510516
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरीकी डॉलर)	-4939	-4939	73201	72751

ii) मुद्रा फ्यूचर्स सेगमेंट में परिचालन

मद	2019-20	2020	2021	
		मार्च	फर.	मार्च
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरीकी डॉलर) (1.1-1.2)	0	0	0	0
1.1 क्रय (+)	7713	2808	4841	830
1.2 विक्रय (-)	7713	2808	4841	830
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरीकी डॉलर)	-500	-500	0	690

सं. 4ए भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार)
परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	31 मार्च 2021 की स्थिति		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	7407	0	7407
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	13701	0	13701
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	61318	5020	56298
4. 1 वर्ष से अधिक	345	5000	-4655
कुल (1+2+3+4)	82771	10020	72751

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	2020-21	2020			2021			
		अप्रै. 24	नव. 20	दिसं. 18	जन. 29	फर. 26	मार्च 26	अप्रै. 23
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	182	45	266	1	0	58	182	149
2 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुनर्वित्त								
2.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
3 प्राथमिक व्यापारियों के लिए चलनिधि सुविधा								
3.1 सीमा	4900	10000	4900	4900	4900	4900	4900	4900
3.2 बकाया	-	4162	0	0	0	0	0	0
4.1 सीमा	75000	50000	75000	75000	75000	75000	75000	75000
4.2 बकाया	32387	0	33234	34760	32205	32842	32387	27122
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	32569	4207	33500	34761	32205	32900	32569	27271

टिप्पणी: 1. अन्य को विशेष पुनर्वित्त सुविधा अर्थात एक्जिम बैंक को 22 मई 2020 से पुनः शुरू कर दिया।

2. अन्य के लिए पुनर्वित्त सुविधा, अर्थात भारिबैंक अधिनियम 1934 के नाबार्ड/ सिडबी/एनएचबी यू/एस 17 (4 एच), 17 अप्रैल 2020 से।

मुद्रा और बैंकिंग

सं. 6: मुद्रा भंडार की मात्रा

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2020-21	2020	2021		
		मार्च 27	फर. 26	मार्च 12	मार्च 26
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	2757754	2341744	2735085	2759473	2757754
1.1 संचलन में नोट	2831727	2412993	2809858	2834462	2831727
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	26076	25572	26076	26076	26076
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	743	743	743	743	743
1.4 बैंकों के पास नकदी	100793	97563	101592	101809	100793
2 जनता की जमाराशियां	2031608	1775870	1869210	1864880	2031608
2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियां	1984261	1737692	1824436	1819084	1984261
2.2 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियां	47347	38177	44774	45796	47347
3 एम₁ (1 + 2)	4789363	4117614	4604295	4624353	4789363
4 डाकघर बचत बैंक जमाराशियां	150963	150963	150963	150963	150963
5 एम₂ (3 + 4)	4940326	4268577	4755258	4775316	4940326
6 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियां	13983686	12674016	13959469	13989462	13983686
7 एम₃ (3 + 6)	18773048	16791629	18563764	18613815	18773048
8 कुल डाकघर जमाराशियां	433441	433441	433441	433441	433441
9 एम₄ (7 + 8)	19206489	17225070	18997205	19047256	19206489

सं. 7: मुद्रा भंडार (एम₃) का स्रोत

(करोड़ ₹)

स्रोत	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2020-21	2020	2021		
		मार्च 27	फर. 26	मार्च 12	मार्च 26
	1	2	3	4	5
1 सरकार को निवल बैंक ऋण	5692569	5062304	5770646	5831114	5692569
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	982063	1094134	1064827	1070490	982063
1.1.1 सरकार पर दावे	1332127	1094277	1324907	1338889	1332127
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	1330453	1092310	1320970	1330367	1330453
1.1.1.2 राज्य सरकारें	1674	1967	3938	8522	1674
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमाशियां	350065	143	260080	268398	350065
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	350022	100	260038	268356	350022
1.1.2.2 राज्य सरकारें	42	43	42	42	42
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	4710506	3968170	4705818	4760624	4710506
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	11610050	11037091	11433720	11453932	11610050
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	8524	11613	8625	8511	8524
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	11601526	11025478	11425094	11445420	11601526
2.2.1 वाणिज्य बैंकों द्वारा बैंक ऋण	10949512	10370861	10774742	10795818	10949512
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	643045	637776	640793	640144	643045
2.2.3 वाणिज्य और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	8969	16842	9559	9458	8969
3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)	4511386	3756567	4616641	4546402	4511386
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	4181453	3545933	4286707	4216469	4181453
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	4181689	3546167	4286948	4216710	4181689
3.1.2 विदेशी देयताएं	237	234	241	241	237
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	329934	210634	329934	329934	329934
4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26819	26315	26819	26819	26819
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	3067777	3090648	3284061	3244452	3067777
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	1331957	1344671	1410269	1353501	1331957
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	1735819	1745977	1873792	1890952	1735819
एम₃ (1+2+3+4-5)	18773048	16791629	18563764	18613815	18773048

सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2020-21	2020	2021		
		मार्च 27	फर. 26	मार्च 12	मार्च 26
	1	2	3	4	5
मौद्रिक समुच्चय					
एन एम1 (1.1 + 1.2.1+1.3)	4789363	4117614	4604299	4624355	4789363
एन एम2 (एन एम1 + 1.2.2.1)	11013373	9737442	10811824	10850013	11013373
एन एम3 (एन एम2 + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4- 2.5)	18864522	16915559	18643536	18702438	18864522
1 घटक					
1.1 जनता के पास मुद्रा	2757754	2341744	2735090	2759477	2757754
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियां	15815395	14226198	15618934	15653878	15815395
1.2.1 मांग जमाराशियां	1984261	1737692	1824434	1819082	1984261
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	13831134	12488506	13794500	13834796	13831134
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	6224010	5619828	6207525	6225658	6224010
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	78702	169419	55560	56509	78702
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	7607124	6868678	7586975	7609138	7607124
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	47347	38177	44774	45796	47347
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग /सावधि निधीयन	244025	309439	244737	243288	244025
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	18294061	16957414	18169968	18257752	18294061
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	5692569	5062304	5770643	5831114	5692569
2.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	982063	1094134	1064827	1070490	982063
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	4710506	3968170	4705816	4760623	4710506
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	12601492	11895110	12399325	12426638	12601492
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैंक ऋण	34946	11613	35473	35163	34946
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	12566546	11883497	12363852	12391475	12566546
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	951313	846284	920260	928990	951313
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26819	26315	26819	26819	26819
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4420255	3567834	4506195	4469472	4420255
2.3.1 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4181453	3545933	4286707	4216469	4181453
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	238802	21900	219488	253004	238802
2.4 पूंजी खाता	2790207	2645611	2868954	2811295	2790207
2.5 अन्य मदें (निवल)	1086406	990393	1190493	1240310	1086406

सं. 9: चलनिधि समुच्चय

(करोड़ ₹)

समुच्चय	2020-21	2020	2021		
	1	मार्च	जन.	फर.	मार्च
		2	3	4	5
1 एन एम₃	18864522	16923893	18479351	18643536	18864522
2 डाकघर जमाराशियां	433441	433441	433441	433441	433441
3 एल₁ (1 + 2)	19297963	17357334	18912792	19076977	19297963
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	34673	57479	34795	34795	34673
4.1 सावधि मुद्रा उधार	2645	7928	2645	2645	2645
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	27050	46249	28865	28865	27050
4.3 सावधि जमाराशियां	4978	3302	3285	3285	4978
5 एल₂ (3 + 4)	19332635	17414812	18947587	19111772	19332635
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियां	31905	31905	31905
7 एल₃ (5 + 6)	19364540	17446717	18947587	19111772	19364540

टिप्पणी : 1. नवंबर 2019 के बाद से, वित्तीय संस्थानों की देयताओं पर अद्यतन डेटा इस सारणी में शामिल किया गया है, और इसलिए, पिछले डेटा के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती है।

2. संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

सं. 10: भारतीय रिजर्व बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2020-21	2020	2021		
		मार्च 27	फर. 26	मार्च 12	मार्च 26
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 संचलन में मुद्रा	2858547	2439308	2836677	2861282	2858547
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियां	584246	579875	497226	496454	584246
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	542693	536186	462156	461182	542693
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	47347	38177	44774	45796	47347
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	3490140	3057360	3378677	3403531	3490140
2 स्रोत					
2.1 भा.रि.बैं.के देशी ऋण	613825	829783	475420	513744	613825
2.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	982063	1094134	1064827	1070490	982063
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	980431	1092210	1060932	1062011	980431
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	-	50477	0	0	0
2.1.1.1.2 खजाना बिलों में निवेश	-	0	0	0	0
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1329707	1040987	1320154	1329578	1329707
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	1329707	1040987	1320154	1329578	1329707
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	746	846	816	788	746
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियां	350022	100	260038	268356	350022
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल भा.रि.बैं. ऋण	1632	1924	3895	8480	1632
2.1.2 बैंकों पर भा.रि.बैं. के दावे	-403183	-275964	-624880	-591909	-403183
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को ऋण और अग्रिम	-376761	-275964	-598033	-565257	-376761
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैं. के ऋण	34946	11613	35473	35163	34946
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	1	4782	1	1	1
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	26422	0	26848	26652	26422
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26819	26315	26819	26819	26819
2.3 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4181453	3545933	4286707	4216469	4181453
2.3.1 सोना	253128	231083	260239	251515	253128
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	3928343	3314868	4026486	3964971	3928343
2.4 पूंजी खाता	1187995	1140238	1273838	1216152	1187995
2.5 अन्य मदें (निवल)	143962	204433	136431	137349	143962

सं. 11: रिजर्व बैंक - घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के अंतिम शुक्रवारों/शुक्रवारों की स्थिति के अनुसार बकाया						
	2020-21	2020	2021				
		मार्च 27	फर. 26	मार्च 5	मार्च 12	मार्च 19	मार्च 26
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	3490233	3057360	3378677	3432391	3403531	3449938	3490233
1 घटक							
1.1 संचलन में मुद्रा	2858640	2439308	2836677	2843513	2861282	2849641	2858640
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियां	584246	579875	497226	545332	496454	554192	584246
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	47347	38177	44774	43546	45796	46105	47347
2 स्रोत							
2.1 सरकार को निवल रिजर्व बैंक ऋण	982063	1094134	1064827	1113495	1070490	938636	982063
2.2 बैंकों को रिजर्व बैंक ऋण	-376761	-275964	-598033	-575717	-565257	-390766	-376761
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिजर्व बैंक ऋण	8524	11613	8625	8642	8511	8642	8524
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4181453	3545933	4286707	4218095	4216469	4205353	4181453
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26913	26315	26819	26819	26819	26819	26913
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	1331957	1344671	1410269	1358944	1353501	1338746	1331957

सं. 12: वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवारों माह के रिपोर्टिंग शुक्रवारों की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2020-21	2020	2021		
		मार्च 27	फर. 26	मार्च 12	मार्च 26
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 निवासियों की कुल जमा राशियां	14960977	13381983	14768614	14801138	14960977
1.1.1 मांग जमा राशियां	1861209	1617003	1703094	1696362	1861209
1.1.2 निवासियों की सावधि जमा राशियां	13099768	11764979	13065520	13104776	13099768
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमा राशियां	5894896	5294241	5879484	5897149	5894896
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	78702	169419	55560	56509	78702
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमा राशियां	7204873	6470739	7186036	7207627	7204873
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधायन	244025	309439	244737	243288	244025
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	16368358	14967529	16166115	16248176	16368358
2.1.1 सरकार को ऋण	4461632	3738696	4460126	4513933	4461632
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	11906727	11228833	11705989	11734243	11906727
2.1.2.1 बैंक ऋण	10949512	10370861	10774742	10795818	10949512
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	10888258	10319097	10699536	10726626	10888258
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	13970	11997	18752	17319	13970
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	894	8653	1197	1078	894
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	942351	837321	911298	920028	942351
2.2 वाणिज्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	238802	21900	219488	253004	238802
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	454866	315641	437539	455746	454866
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमा राशियां	152552	185510	164966	154667	152552
2.2.3 समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार	63512	108231	53085	48075	63512
2.3 निवल बैंक रिजर्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	1010202	899410	1151726	1118234	1010202
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	542693	536186	462156	461182	542693
2.3.2 उपलब्ध नकदी	90748	87260	91537	91795	90748
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	-376761	-275964	-598033	-565257	-376761
2.4 पूंजी खाता	1578041	1481202	1570946	1570973	1578041
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	834319	716216	953032	1004016	834319
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	593102	495445	571210	589339	593102
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	70853	66273	77310	73405	70853

सं. 13: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

(करोड़ ₹)

मद	26 मार्च 2021 की स्थिति	2020	2021		
		मार्च 27	फर. 26	मार्च 12	मार्च 26
	1	2	3	4	5
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	4462526	3747349	4461323	4515011	4462526
2 वाणिज्यिक पत्र	82584	104526	81193	82267	82584
3 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
3.1 सरकारी उद्यम	9841	14106	11366	11041	9841
3.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	64051	75415	65650	64445	64051
3.3 अन्य	5210	5734	5254	5237	5210
4 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
4.1 सरकारी उद्यम	121008	125710	121080	119537	121008
4.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	308934	226559	299693	301133	308934
4.3 अन्य	152329	191690	143843	148732	152329
5 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
5.1 म्यूचुअल फंड	31142	35610	30584	28873	31142
5.2 वित्तीय संस्थाएं	167252	97665	152649	158763	167252

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(करोड़ ₹)

मद	अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार (मार्च के संबंध में) /अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			
	2020-21	2020	2021		2020-21	2020	2021	
		मार्च	फर.	मार्च		मार्च	फर.	मार्च
1	2	3	4	5	6	7	8	
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	209	219	209	209	133	142	133	133
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	259530	320240	254778	259530	254589	314513	249780	254589
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	200585	239943	197528	200585	195866	234348	192925	195866
1.2 बैंकों से उधार राशि	40886	64001	39370	40886	40880	64001	39194	40880
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	18059	16295	17881	18059	17843	16163	17661	17843
2 अन्य के प्रति देयताएं	16457551	14905949	16236929	16457551	16014167	14480607	15802618	16014167
2.1 कुल जमाराशियां	15539931	13975551	15351268	15539931	15113529	13567492	14933580	15113529
2.1.1 मांग	1899283	1653242	1739178	1899283	1861209	1617003	1703095	1861209
2.1.2 मीयादी	13640647	12322309	13612089	13640647	13252320	11950489	13230486	13252320
2.2 उधार	248168	313908	249469	248168	244025	309439	244737	244025
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	669452	616491	636193	669452	656614	603676	624301	656614
3 रिजर्व बैंक से उधार	90275	285623	84686	90275	90275	285623	84651	90275
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	—	—	—	—	—	—	—	—
3.2 अन्य	90275	285623	84686	90275	90275	285623	84651	90275
4 उपलब्ध नकदी और रिजर्व बैंक के पास शेष	650737	643038	568446	650737	633440	623446	553693	633440
4.1 उपलब्ध नकदी	92786	89671	93583	92786	90748	87260	91537	90748
4.2 रिजर्व बैंक के पास शेष	557951	553367	474863	557951	542693	536186	462156	542693
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	265396	323680	255137	265396	197706	260238	191221	197706
5.1 अन्य बैंकों के पास शेष	179179	181460	176207	179179	143301	155401	141756	143301
5.1.1 चालू खाते में	16553	17204	17429	16553	14233	14457	15043	14233
5.1.2 अन्य खातों में	162626	164256	158778	162626	129068	140945	126713	129068
5.2 मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	36476	43335	31307	36476	10654	20273	8075	10654
5.3 बैंकों को अग्रिम	19910	38266	20544	19910	16766	30531	17435	16766
5.4 अन्य आस्तियां	29831	60619	27080	29831	26986	54032	23955	26986
6 निवेश	4598841	3865544	4595331	4598841	4462526	3747349	4461323	4462526
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	4591812	3850819	4587708	4591812	4461632	3738696	4460126	4461632
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	7029	14724	7624	7029	894	8653	1197	894
7 बैंक ऋण	11296771	10705336	11123028	11296771	10949512	10370861	10774742	10949512
7क खाद्यान्न ऋण	91653	82172	105605	91653	61254	51764	75206	61254
7.1 ऋण नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	11081425	10480934	10933135	11081425	10736493	10149509	10586842	10736493
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	30896	26214	26578	30896	30531	25658	26275	30531
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	128831	147209	113084	128831	127883	145683	112204	127883
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	20762	20866	18907	20762	20394	20458	18675	20394
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	34857	30114	31324	34857	34211	29554	30746	34211

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

क्षेत्र	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 27, 2020	2020	2021		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
			मार्च 27	फर. 26		
	1	2	3	4	2020-21	2021
				%	%	
1 सकल बैंक ऋण	9263132	9263132	9569167	9723065	5.0	5.0
1.1 खाद्यान्न ऋण	51590	51590	74943	61043	18.3	18.3
1.2 गैर-खाद्यान्न ऋण	9211542	9211542	9494225	9662022	4.9	4.9
1.2.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	1157795	1157795	1274075	1299914	12.3	12.3
1.2.2 उद्योग	2905151	2905151	2786202	2918028	0.4	0.4
1.2.2.1 सूक्ष्म और लघु ¹	381825	381825	376919	383854	0.5	0.5
1.2.2.2 मझौले	105597	105597	130105	136054	28.8	28.8
1.2.2.3 बड़े	2417729	2417729	2279177	2398121	-0.8	-0.8
1.2.3 सेवाएं	2594947	2594947	2660022	2630566	1.4	1.4
1.2.3.1 परिवहन परिचालक	137815	137815	148681	145195	5.4	5.4
1.2.3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	20050	20050	18520	21043	5.0	5.0
1.2.3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	45978	45978	48102	50140	9.1	9.1
1.2.3.4 शिपिंग	5469	5469	7557	7172	31.1	31.1
1.2.3.5 नौवहन	17983	17983	21440	21350	18.7	18.7
1.2.3.6 पेशेवर सेवाएं	176997	176997	124228	121698	-31.2	-31.2
1.2.3.7 व्यापार	552391	552391	584996	617627	11.8	11.8
1.2.3.7.1 थोक व्यापार	263396	263396	294029	319197	21.2	21.2
1.2.3.7.2 खुदरा व्यापार	288995	288995	290967	298430	3.3	3.3
1.2.3.8 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	229770	229770	232473	235547	2.5	2.5
1.2.3.9 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) ² जिसमें से	904638	904638	896459	945061	4.5	4.5
1.2.3.9.1 आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफसी)	159758	159758	168883	187324	17.3	17.3
1.2.3.9.2 सरकारी वित्तीय संस्थाएं (पीएफआई)	39642	39642	80091	78441	97.9	97.9
1.2.3.10 अन्य सेवाएं ³	503855	503855	577564	465733	-7.6	-7.6
1.2.4 व्यक्तिगत ऋण	2553649	2553649	2773926	2813513	10.2	10.2
1.2.4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	9299	9299	7242	7307	-21.4	-21.4
1.2.4.2 आवास	1337899	1337899	1440095	1459066	9.1	9.1
1.2.4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	79494	79494	66073	71544	-10.0	-10.0
1.2.4.4 शेयरों और बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	5334	5334	4319	4570	-14.3	-14.3
1.2.4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	108097	108097	116290	116537	7.8	7.8
1.2.4.6 शिक्षा	65744	65744	64346	63805	-3.0	-3.0
1.2.4.7 वाहन ऋण	220610	220610	239406	241657	9.5	9.5
1.2.4.8 सोने के आभूषण पर ऋण	33303	33303	56263	60464	81.6	81.6
1.2.4.9 अन्य व्यक्तिगत ऋण	693870	693870	779891	788564	13.6	13.6
1.2ए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (मेमो)						
1.2अ.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां ⁴	1131285	1131285	1249160	1264151	11.7	11.7
1.2अ.2 सूक्ष्म और लघु उद्यम ⁵	1080373	1080373	1131832	1107236	2.5	2.5
1.2अ.3 मध्यम उद्यम ⁶	130588	130588	193765	206122	57.8	57.8
1.2अ.4 आवास	459574	459574	474863	469863	2.2	2.2
1.2अ.5 शिक्षा ऋण	50335	50335	48552	48201	-4.2	-4.2
1.2अ.6 नवीकरणीय ऊर्जा	1037	1037	1411	1171	12.9	12.9
1.2अ.7 सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर	997	997	2144	2352	135.8	135.8
1.2अ.8 निर्यात ऋण ⁷	16575	16575	15070	19028	14.8	14.8
1.2अ.9 अन्य	15393	15393	20073	18818	22.2	22.2
1.2अ.10 नेट पीएसएलसी- एसएफ /एमएफ सहित कमजोर वर्ग	727810	727810	781858	813263	11.7	11.7

टिप्पणी 1: डेटा अनंतिम हैं और उन चुनिंदा बैंकों से संबंधित हैं जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण का लगभग 90 प्रतिशत कवर करते हैं।
टिप्पणी 2: जनवरी 2021 से, क्षेत्रीय ऋण डेटा संशोधित प्रारूप पर आधारित हैं, जिसके कारण पहले प्रकाशित कुछ मौजूदा घटकों के मान और विकास दर में कुछ बदलाव हुए हैं।

1. सूक्ष्म और लघु में विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्योगों को ऋण शामिल है।
2. एनबीएफसी के अंतर्गत एचएफसी, पीएफआई, माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं (एमएफआई), स्वर्ण ऋण से जुड़ी एनबीएफसी और अन्य शामिल हैं।
3. अन्य सेवाओं के अंतर्गत म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी और एमएफ के अलावा बैंकिंग व वित्त तथा अन्य सेवाएं जो सेवाओं के अंतर्गत अन्यत्र नहीं दर्शाए गए हैं।
4. कृषि और उससे सम्बद्ध कार्यकलापों के अंतर्गत प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) भी शामिल है।
5. सूक्ष्म और लघु उद्यमों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण और पीएसएलसी भी शामिल हैं।
6. मध्यम उद्यमों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत मध्यम उद्यमों को ऋण शामिल हैं।
7. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत निर्यात ऋण विदेशी बैंकों से संबंधित हैं।

सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 27, 2020	2020	2021		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		मार्च 27	फर. 26	मार्च 26		
	1	2	3	4	%	%
1 उद्योग (2.1 से 2.19)	2905151	2905151	2786202	2918028	0.4	0.4
1.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	43926	43926	44393	46094	4.9	4.9
1.2 खाद्य प्रसंस्करण	154145	154145	152568	165669	7.5	7.5
1.2.1 चीनी	27382	27382	22049	25552	-6.7	-6.7
1.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	19239	19239	19799	20547	6.8	6.8
1.2.3 चाय	5374	5374	5506	5512	2.6	2.6
1.2.4 अन्य	102149	102149	105214	114058	11.7	11.7
1.3 पेय पदार्थ और तंबाकू	16523	16523	16117	15663	-5.2	-5.2
1.4 वस्त्र	192423	192423	203029	201250	4.6	4.6
1.4.1 सूती वस्त्र	89283	89283	92874	91567	2.6	2.6
1.4.2 जूट से बने वस्त्र	2116	2116	2686	2713	28.3	28.3
1.4.3 मानव-निर्मित वस्त्र	26074	26074	30173	30674	17.6	17.6
1.4.4 अन्य वस्त्र	74951	74951	77295	76295	1.8	1.8
1.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद	11098	11098	11358	11299	1.8	1.8
1.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद	12234	12234	13272	13296	8.7	8.7
1.7 कागज और कागज से बने उत्पाद	30965	30965	35353	35540	14.8	14.8
1.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आणविक इंधन	75834	75834	59991	72323	-4.6	-4.6
1.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद	202949	202949	179163	186911	-7.9	-7.9
1.9.1 उर्वरक	49066	49066	32455	32212	-34.3	-34.3
1.9.2 औषधि और दवाइयाँ	53427	53427	50023	51138	-4.3	-4.3
1.9.3 पेट्रो केमिकल्स	42233	42233	41602	45767	8.4	8.4
1.9.4 अन्य	58223	58223	55082	57794	-0.7	-0.7
1.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	50415	50415	51951	53494	6.1	6.1
1.11 कांच और कांच के सामान	8777	8777	9209	9124	3.9	3.9
1.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद	58689	58689	57655	52196	-11.1	-11.1
1.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	350325	350325	329889	328663	-6.2	-6.2
1.13.1 लोहा और स्टील	262396	262396	240559	232849	-11.3	-11.3
1.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	87930	87930	89330	95814	9.0	9.0
1.14 सभी अभियांत्रिकी	157258	157258	143925	147312	-6.3	-6.3
1.14.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	30159	30159	31533	32433	7.5	7.5
1.14.2 अन्य	127100	127100	112392	114879	-9.6	-9.6
1.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर	82606	82606	82573	83559	1.2	1.2
1.16 रत्न और आभूषण	59515	59515	61175	62714	5.4	5.4
1.17 निर्माण	104288	104288	97133	95511	-8.4	-8.4
1.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	1053913	1053913	1003000	1091624	3.6	3.6
1.18.1 पावर	559774	559774	553216	566455	1.2	1.2
1.18.2 दूरसंचार	143760	143760	89972	113080	-21.3	-21.3
1.18.3 सड़क	176323	176323	201052	236947	34.4	34.4
1.18.4 हवाई अड्डा	4856	4856	6333	7327	50.9	50.9
1.18.5 बंदरगाह	11547	11547	7069	7363	-36.2	-36.2
1.18.6 रेलवे	10680	10680	10839	11021	3.2	3.2
1.18.7 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	146972	146972	134520	149432	1.7	1.7
1.19 अन्य उद्योग	239269	239269	234446	245786	2.7	2.7

टिप्पणी : जनवरी 2021 से, क्षेत्रीय ऋण डेटा संशोधित प्रारूप पर आधारित हैं, जिसके कारण पहले प्रकाशित कुछ मौजूदा घटकों के मान और विकास दर में कुछ बदलाव हुए हैं।

सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति								
	2019-20	2020			2021				
		फर. 28	दिसं. 18	दिसं. 25	जन. 01	जन. 15	जन. 29	फर. 12	फर. 26
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	32	32	32	32	32	32	32	31	32
1 कुल जमाराशियां (2.1.1.2+2.2.1.2)	124101.8	123608.0	128204.7	128069.6	129799.1	127765.4	126732.3	123854.2	124513.6
2 मांग और मीयादी देयताएं									
2.1 मांग देयताएं	26213.8	23751.0	22746.4	22701.0	23521.4	22039.6	21955.8	22090.4	21473.4
2.1.1 जमाराशियां									
2.1.1.1 अंतर-बैंक	5295.0	4673.7	4330.2	4320.8	4029.7	4267.1	3939.0	3845.8	3526.9
2.1.1.2 अन्य	14,523.6	12553.9	14298.1	13899.7	14236.5	13447.2	13869.6	12868.6	13379.6
2.1.2 बैंकों से उधार	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	342.5	199.9	353.0
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	6295.2	6523.4	4118.0	4480.4	5255.2	4325.3	3804.7	5176.0	4214.0
2.2 मीयादी देयताएं	167684.5	166281.8	173110.4	174092.7	176086.7	176871.2	175205.9	172658.6	173903.3
2.2.1 जमाराशियां									
2.2.1.1 अंतर-बैंक	56564.0	53699.0	56572.7	57412.6	58778.8	59552.0	59535.3	59971.1	59862.2
2.2.1.2 अन्य	109578.2	111054.1	113906.6	114169.8	115562.6	114318.2	112862.8	110985.6	111134.0
2.2.2 बैंकों से उधार	630.2	629.9	630.0	630.0	629.9	629.9	629.9	629.9	629.9
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	912.1	898.8	2001.1	1880.4	1115.4	2371.1	2177.8	1072.0	2277.1
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	35.0
4 अधिसूचित बैंक/राज्य सरकार से उधार	52772.2	47470.2	57823.7	58860.6	59754.7	59935.9	57881.3	61288.4	60792.5
4.1 मांग	13764.4	12968.7	13030.4	13515.1	13117.3	13543.8	13137.7	14160.3	14579.3
4.2 मीयादी	39007.8	34501.5	44793.3	45345.5	46637.4	46392.1	44743.5	47128.1	46213.1
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	9428.2	8979.8	7062.2	7125.5	7579.7	7371.9	8310.8	6961.7	6871.4
5.1 उपलब्ध नकदी	750.5	840.0	594.3	568.6	619.1	615.5	591.6	620.0	572.5
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	8677.8	8139.8	6467.9	6556.9	6960.6	6756.4	7719.2	6341.7	6298.9
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेष	1521.7	1417.3	802.0	990.4	933.4	881.9	871.6	795.0	834.6
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	50626.9	47261.4	60836.1	61776.2	61168.7	61387.5	60775.8	60358.3	61913.1
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	25283.9	19849.1	25484.9	25995.4	27501.0	27428.4	25277.1	25868.3	26344.9
9 बैंक ऋण (10.1+11)	110905.5	107127.0	110488.8	111808.2	110706.8	112016.2	112134.6	113201.7	114409.0
10 अग्रिम									
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	110901.5	107123.0	110469.5	111788.9	110687.5	111996.9	112115.1	113182.1	114389.5
10.2 बैंकों से प्राप्य राशि	81300.1	79645.0	86694.6	86450.6	88502.4	88603.4	88670.2	90417.9	91887.8
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	4.0	4.0	19.3	19.3	19.3	19.4	19.5	19.5	19.5

मूल्य और उत्पादन

सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)

समूह/उप समूह	2020-21			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	मार्च '20	फर.'21	मार्च'21(अ)	मार्च'20	फर.'21	मार्च'21(अ)	मार्च'20	फर.'21	मार्च'21(अ)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 खाद्य और पेय पदार्थ	156.7	161.1	158.3	148.2	154.7	154.5	150.1	160.8	160.5	148.9	156.9	156.7
1.1 अनाज और उत्पाद	145.4	149.9	146.8	144.4	142.8	142.5	146.5	147.6	147.5	145.1	144.3	144.1
1.2 मांस और मछली	185.2	192.4	187.7	166.8	184.2	189.4	167.5	191.3	197.5	167.0	186.7	192.2
1.3 अंडा	160.3	164.8	162.0	147.6	168.0	163.3	148.9	170.1	164.7	148.1	168.8	163.8
1.4 दूध और उत्पाद	154.1	154.4	154.2	151.7	154.5	154.5	151.1	155.1	155.6	151.5	154.7	154.9
1.5 तेल और चर्बी	148.2	139.9	145.2	133.3	163.1	168.2	127.5	151.5	156.4	131.2	158.8	163.9
1.6 फल	146.9	153.4	149.9	141.8	147.2	150.5	143.3	153.9	157.4	142.5	150.3	153.7
1.7 सब्जी	174.2	196.3	181.7	152.3	149.7	141.1	167.0	180.0	166.5	157.3	160.0	149.7
1.8 दाल और उत्पाद	154.4	156.0	154.9	141.8	158.4	159.2	139.7	159.8	161.1	141.1	158.9	159.8
1.9 चीनी और उत्पाद	114.4	117.0	115.3	112.6	111.8	111.7	114.4	114.8	114.4	113.2	112.8	112.6
1.10 मसाले	161.9	160.4	161.4	154.0	165.0	164.0	151.5	162.6	162.6	153.2	164.2	163.5
1.11 गैर नशीले पेय पदार्थ	149.8	141.2	146.2	140.1	160.1	160.6	131.9	149.3	150.6	136.7	155.6	156.4
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	163.2	165.5	164.3	160.0	165.8	166.4	159.1	169.4	170.2	159.6	167.5	168.2
2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	181.8	188.7	183.6	170.5	186.5	186.1	173.3	193.3	193.4	171.2	188.3	188.0
3 कपड़ा और जूते	155.6	149.7	153.3	152.5	158.4	158.9	145.6	151.8	152.6	149.8	155.8	156.4
3.1 कपड़ा	156.4	152.0	154.7	153.4	159.2	159.6	147.7	154.3	155.1	151.2	157.3	157.8
3.2 जूते	151.1	137.2	145.3	147.6	154.0	154.4	133.8	138.3	138.7	141.9	147.5	147.9
4 आवास	--	157.2	157.2	--	--	--	154.5	159.8	159.9	154.5	159.8	159.9
5 ईंधन और लाइट	149.1	140.9	146.0	153.4	154.4	156.1	141.4	149.2	154.8	148.9	152.4	155.6
6 विविध	153.9	146.1	150.1	148.6	157.2	157.3	138.7	149.3	149.9	143.8	153.4	153.7
6.1 घरेलू सामान और सेवा	152.9	145.2	149.3	151.5	154.8	154.8	140.8	146.5	147.2	146.4	150.9	151.2
6.2 स्वास्थ्य	160.3	151.3	156.9	156.7	164.3	164.6	145.0	156.2	156.9	152.3	161.2	161.7
6.3 परिवहन और संचार	144.9	135.0	139.7	135.8	150.2	151.3	124.6	140.5	141.7	129.9	145.1	146.2
6.4 मनोरंजन	154.0	144.3	148.5	151.2	157.2	157.8	137.9	147.3	148.4	143.7	151.6	152.5
6.5 शिक्षा	162.5	156.2	158.8	161.2	163.7	163.7	152.5	156.7	157.4	156.1	159.6	160.0
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव	153.7	155.8	154.5	145.1	155.2	153.1	145.3	156.8	154.9	145.2	155.9	153.8
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	156.1	154.4	155.3	149.8	156.7	156.7	147.3	156.5	156.9	148.6	156.6	156.8

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

अ: अंतिम

सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2020-21	2021		
				मार्च	फर.	
	1	2	3	4	5	6
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2016	2.88	--	-	119	119.6
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	1034	1007	1037	1035
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	-	1040	1013	1044	1043

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 20: मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2019-20	2020		2021	
		मार्च	फर.	मार्च	फर.
	1	2	3	4	5
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	37018	42285	47107	44648	44648
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	42514	41382	69065	65981	65981

स्रोत: मुंबई में सोने और चांदी के मूल्य के लिए भारत बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लि., मुंबई।

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2020-21	2021			
			मार्च	जन.	फर. (अ)	मार्च (अ)
	1	2	3	4	5	6
1 सभी पण्य	100.000	123.3	120.4	126.5	127.3	129.3
1.1 प्राथमिक वस्तुएं	22.618	145.5	137.4	144.9	145.4	146.2
1.1.1 खाद्य वस्तुएं	15.256	160.6	151.2	155.8	156.8	156.1
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+ दाल)	3.462	159.3	159.8	157.2	157.4	158.1
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	179.3	148.7	158.3	160.7	154.7
1.1.1.3 दूध	4.440	153.3	151.2	154.0	154.4	155.2
1.1.1.4 जैदा, मांस और मछली	2.402	151.0	146.8	150.3	152.5	154.7
1.1.1.5 मसाले	0.529	149.5	147.7	151.5	151.5	151.9
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	161.3	142.4	166.0	165.0	164.2
1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं	4.119	130.4	124.8	137.7	136.9	139.5
1.1.2.1 फाइबर	0.839	119.7	122.9	126.1	130.1	132.5
1.1.2.2 तिलहन	1.115	161.7	149.7	171.0	175.3	185.0
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	109.0	105.0	114.2	113.9	115.2
1.1.2.4 फूल	0.204	210.0	186.6	228.7	176.7	154.2
1.1.3 खनिज	0.833	162.6	156.8	172.8	172.2	172.8
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	156.8	148.0	168.3	168.2	168.3
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	183.0	187.7	188.5	186.3	188.5
1.1.4 कच्चा तेल और नैसर्गिक गैस	2.410	69.5	64.7	78.7	78.7	85.5
1.2 ईंधन और बिजली	13.152	93.9	99.5	100.7	104.2	109.7
1.2.1 कोल	2.138	126.6	126.5	127.0	127.0	126.9
1.2.1.1 कुकिंग कोल	0.647	141.8	141.9	141.9	141.9	141.9
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोल	1.401	119.3	119.0	119.8	119.8	119.8
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	131.0	131.1	131.1	131.1	129.9
1.2.2 खनिज तेल	7.950	78.9	86.7	87.4	93.2	102.3
1.2.3 बिजली	3.064	110.0	113.9	116.9	116.9	116.9
1.3 विनिर्मित उत्पाद	64.231	121.4	118.6	125.3	125.7	127.3
1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	9.122	141.3	136.5	145.2	146.7	148.8
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	137.0	136.0	138.7	138.1	138.8
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियस,मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	138.8	136.7	140.3	141.9	145.2
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	120.2	115.1	121.1	121.7	121.6
1.3.1.4 सब्जियाँ और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	143.3	127.3	159.0	163.7	170.8
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	147.0	152.1	147.0	148.4	147.0
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	143.5	146.3	142.0	142.1	141.6
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	115.9	131.6	118.9	118.6	119.4
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	138.1	136.5	138.6	139.1	139.4
1.3.1.9 चीनी,गुड और शहद	1.163	118.4	118.5	116.8	116.7	117.0
1.3.1.10 कोक, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	127.8	125.6	128.4	126.8	126.3
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	132.2	131.3	130.2	130.9	135.6
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	166.1	129.7	158.3	155.2	156.2
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	147.2	140.1	149.1	152.4	150.3
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	132.0	130.3	132.4	134.7	134.8
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	142.8	156.9	138.8	139.1	137.5
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	170.3	166.0	172.6	173.1	178.4
1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण	0.909	124.6	124.6	123.8	125.3	125.3
1.3.2.1 शराब और स्पिरिट	0.408	120.4	119.5	119.7	122.2	121.2
1.3.2.2 माल्ट लिंकर और माल्ट	0.225	126.4	127.4	124.6	125.4	127.1
1.3.2.3 शीतल पेय,मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी के अन्य उत्पाद	0.275	129.3	129.9	129.1	129.7	129.8
1.3.3 विनिर्मित तंबाकू उत्पाद	0.514	157.2	154.5	157.7	159.0	157.8
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	157.2	154.5	157.7	159.0	157.8

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2020-21	2020	2021		
			मार्च	जन.	फर. (अ)	मार्च (अ)
1.3.4 वस्त्र विनिर्माण	4.881	117.6	116.7	123.1	124.4	127.1
1.3.4.1 धागों की कताई और वस्त्र तैयार करना	2.582	106.5	105.6	114.4	116.2	119.6
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	131.7	130.7	135.2	136.1	138.7
1.3.4.3 बुने हुए और क्रॉचिडेट फेब्रिक्स	0.193	115.0	113.3	115.6	115.8	117.6
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	132.3	133.1	133.9	133.0	133.5
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	155.6	147.7	160.6	165.1	167.1
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	116.2	117.4	115.7	117.1	116.8
1.3.5 विनिर्मित तैयार वस्त्र	0.814	138.5	138.4	139.5	139.3	139.4
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर वुलन के तैयार वस्त्र	0.593	138.0	139.0	138.6	138.3	138.3
1.3.5.2 बुने हुए क्रॉस्चिडेट वस्त्र	0.221	139.7	136.9	141.8	142.1	142.4
1.3.6 चमड़ा और उससे बने हुए उत्पाद का विनिर्माण	0.535	117.9	117.5	118.6	117.3	116.7
1.3.6.1 चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगायी	0.142	101.3	103.5	100.2	99.6	94.7
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और दोहन	0.075	138.5	138.3	138.6	139.0	139.8
1.3.6.3 जूते-चप्पल	0.318	120.4	118.9	122.1	120.0	121.0
1.3.7 लकड़ी के विनिर्माण और लकड़ी और कॉर्क के उत्पाद	0.772	134.7	132.8	136.3	137.3	137.4
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	120.7	119.7	122.3	121.3	123.4
1.3.7.2 विनियर शीट, प्लायवुड का विनिर्माण, लॅमिन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड और अन्य पॅनल और बोर्ड	0.493	136.7	135.2	138.2	138.7	139.4
1.3.7.3 बिल्डरों की बढ़ईगीरी	0.036	185.8	178.0	189.6	190.4	191.3
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	125.9	123.4	127.2	132.6	127.6
1.3.8 कागज़ और कागज़ के उत्पाद का विनिर्माण	1.113	121.4	120.4	124.0	124.5	128.2
1.3.8.1 लुगदी, कागज़ और कागज़ बोर्ड	0.493	123.9	123.4	126.3	127.4	133.9
1.3.8.2 लहरदार कागज़ और पेपर बोर्ड और कागज़ के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	121.6	115.6	126.8	126.8	126.3
1.3.8.3 कागज़ की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	117.3	120.6	117.2	117.4	121.1
1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन	0.676	153.8	153.5	155.6	155.2	153.2
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	153.8	153.5	155.6	155.2	153.2
1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पाद का विनिर्माण	6.465	118.1	115.5	120.8	122.4	125.0
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	118.3	115.6	122.9	125.5	128.3
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	123.5	123.2	123.6	123.9	124.4
1.3.10.3 प्लास्टिक और सिंथेटिक रबड़ प्राथमिक रूप में	1.001	116.4	108.1	122.5	126.7	135.0
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रोकेमिकल उत्पाद	0.454	124.4	122.0	125.3	125.6	125.6
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	115.0	112.9	117.1	118.6	120.0
1.3.10.6 साबुन और डिटर्जेंट, सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	120.5	117.2	121.8	121.8	122.3
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	115.0	114.3	116.5	117.9	120.0
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	93.6	95.4	97.7	99.1	102.7
1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण	1.993	130.7	129.7	131.5	131.0	132.9
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	130.7	129.7	131.5	131.0	132.9
1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद का विनिर्माण	2.299	111.2	107.4	116.1	116.3	119.0
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब, रबड़ टायर की रीट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	98.3	97.9	99.4	99.5	100.0
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	93.2	92.0	94.4	95.2	97.0
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	120.2	114.4	127.5	127.5	131.3
1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	3.202	117.5	116.1	117.4	117.4	119.5
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	127.2	123.8	129.4	129.5	130.4
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	109.3	107.8	110.9	110.9	111.8
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	109.3	107.7	108.4	111.2	112.2
1.3.13.4 चीनी मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी	0.222	109.5	112.3	111.1	111.3	112.0
1.3.13.5 सीमेन्ट, चूना और प्लास्टर	1.645	120.7	119.0	119.0	119.1	122.5

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2020-21	2021			
			मार्च	जन.	फर. (अ)	मार्च (अ)
1.3.13.6 कंक्रीट, सीमेन्ट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	125.3	122.2	126.0	126.1	126.4
1.3.13.7 पत्थरों को काटना, आकार देना और संवारना	0.234	121.0	121.8	123.2	122.3	123.5
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	0.169	78.9	78.1	81.9	79.9	79.6
1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण	9.646	111.3	106.0	122.8	120.9	123.6
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	109.2	103.5	123.2	121.4	124.7
1.3.14.2 मेटेलिक आयरन	0.653	113.3	107.9	128.0	124.6	129.1
1.3.14.3 नरम इस्पात-अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	99.7	95.8	107.2	105.8	109.7
1.3.14.4 नरम इस्पात- लंबे उत्पाद	1.081	112.0	106.6	125.6	124.9	124.6
1.3.14.5 नरम इस्पात- चपटे उत्पाद	1.144	117.1	108.5	136.8	133.2	133.2
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	108.3	100.9	120.6	120.2	121.6
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील अर्ध निर्मित	0.924	108.4	102.0	126.1	115.9	124.8
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	127.8	125.0	134.7	135.8	141.6
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	112.3	105.6	119.2	120.4	123.6
1.3.14.10 कास्टिंग	0.925	109.2	107.9	112.8	113.3	112.2
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	145.7	145.2	147.6	146.1	148.3
1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण	3.155	115.8	115.3	119.7	120.5	120.9
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	114.1	113.5	119.7	120.0	118.5
1.3.15.2 धातु से बने टैंक, जलाशय और डिब्बे	0.660	127.7	125.1	134.4	138.8	138.6
1.3.15.3 बाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलर्स को छोड़कर	0.145	98.9	107.7	97.2	97.2	97.2
1.3.15.4 धातु की फोर्जिंग, दबाना, स्टैपिंग और रोल फॉर्मिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	96.4	99.8	96.0	95.0	97.8
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	102.9	100.8	103.9	104.2	106.5
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	124.8	122.6	127.8	127.2	129.3
1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण	2.009	109.8	110.1	110.1	110.9	111.4
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	99.0	98.0	99.8	100.1	101.0
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	134.8	135.0	134.4	134.4	134.5
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	114.9	114.9	115.1	115.0	116.4
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	0.641	98.5	99.0	99.1	101.2	102.4
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	107.9	111.0	108.8	109.0	106.1
1.3.16.6 हाथ घड़ी और दीवार घड़ी	0.076	141.8	141.1	141.8	141.7	141.9
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	102.6	104.5	101.5	101.5	101.5
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	102.6	112.2	95.2	95.2	95.5
1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण	2.930	113.3	111.5	115.7	115.5	116.7
1.3.17.1 विद्युतमोटर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण संबंधी उपकरण	1.298	112.6	110.8	115.3	113.6	114.9
1.3.17.2 बैटरी और एक्युमुलेटर	0.236	117.1	116.4	115.6	117.3	116.3
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	98.1	103.8	101.6	99.5	100.1
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के वायर और केबल	0.428	115.7	108.8	122.5	123.2	127.9
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	111.1	112.2	111.4	111.8	111.8
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	119.7	118.1	121.0	122.9	123.5
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	109.5	109.1	109.8	110.5	110.4
1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण	4.789	114.0	113.3	115.3	115.3	116.3
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन, एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	106.3	105.0	108.4	109.7	110.7
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	119.4	119.9	120.1	120.2	119.8
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	111.6	110.0	112.4	112.2	113.6
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गेयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	111.8	112.6	111.9	112.3	112.5
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर	0.008	82.0	81.0	82.5	82.4	81.9
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने-उतारने वाले उपकरण	0.285	113.4	111.1	115.6	115.5	115.6

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (समाप्त)
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2020-21	2020	2021		
			मार्च	जन.	फर. (अ)	मार्च (अ)
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	128.7	128.4	130.6	128.1	130.8
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	121.6	121.5	122.7	123.0	122.7
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	108.3	109.6	108.2	107.2	108.7
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	75.7	74.8	76.6	76.3	76.8
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	127.9	130.1	132.4	128.0	130.2
1.3.18.13 कपड़ा, परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	122.3	119.1	122.4	126.2	124.9
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	128.7	125.7	129.6	131.1	133.9
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	65.2	64.3	66.0	66.2	66.3
1.3.19 मोटर वाहन, ट्रैलरों और अर्ध-ट्रैलरों का विनिर्माण	4.969	117.8	115.6	118.7	119.3	120.0
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	119.3	116.5	120.9	121.0	121.6
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	116.1	114.7	116.2	117.5	118.2
1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	1.648	126.2	120.5	128.3	128.8	128.7
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली -वस्तुओं का निर्माण	0.117	158.8	158.8	158.8	158.9	158.9
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टॉक	0.110	105.0	105.2	104.6	104.6	104.0
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	124.7	117.6	127.1	127.7	127.5
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाडी	0.117	130.3	128.2	134.3	134.5	134.5
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	128.5	127.4	129.3	131.2	132.6
1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण	0.727	132.8	132.0	136.7	136.1	139.7
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	132.8	132.0	136.7	136.1	139.7
1.3.22 अन्य विनिर्माण	1.064	132.4	119.8	133.7	137.9	134.5
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	130.6	117.3	131.9	136.4	132.7
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	172.5	174.5	175.1	175.6	192.3
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	131.8	131.0	134.2	131.4	134.2
1.3.22.4 खेल और खिलौने	0.005	142.4	137.6	143.0	146.9	144.2
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और सामग्री	0.049	167.4	163.2	168.9	168.8	168.8
2 खाद्य सूचकांक	24.378	153.4	145.7	151.8	153.0	153.4

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 22: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)

उद्योग	भारत	2018-19	2019-20	अप्रैल- फरवरी		फरवरी	
				2019-20	2020-21	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7
सामान्य सूचकांक	100.00	130.1	129.0	130.1	115.4	134.2	129.4
1 क्षेत्रवार वर्गीकरण							
1.1 खनन	14.37	107.9	109.6	107.6	97.3	123.3	116.5
1.2 विनिर्माण	77.63	131.5	129.6	131.2	114.7	134.2	129.3
1.3 बिजली	7.99	156.9	158.4	159.4	155.5	153.7	153.9
2 उपयोग आधारित वर्गीकरण							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	126.1	127.0	126.3	115.6	131.0	124.3
2.2 पूंजीगत माल	8.22	108.4	93.3	95.2	72.8	97.4	93.3
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	126.2	137.7	138.7	121.8	145.8	137.6
2.4 बुनियादी/निर्माण वस्तुएं	12.34	141.7	136.6	138.3	121.4	145.0	138.2
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	130.4	119.0	122.2	98.2	117.3	124.7
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	145.5	145.3	147.4	140.6	153.4	147.6

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी लेखा और खज़ाना बिल

सं. 23: केन्द्र सरकार का लेखा - एक नज़र में

(करोड़ ₹)

मद	वित्तीय वर्ष	अप्रैल-फरवरी			
	2020-21 (संशोधित आकलन)	2020-21 (वास्तविक)	2019-20 (वास्तविक)	संशोधित आकलनों का प्रतिशत	
	1	2	3	2020-21	2019-20
1 राजस्व प्राप्तियां	1555153	1370272	1377777	88.1	74.5
1.1 कर राजस्व (निवल)	1344501	1216086	1114636	90.4	74.1
1.2 करेतर राजस्व	210652	154186	263141	73.2	76.2
2 पूंजीगत प्राप्तियां	46497	42824	51092	92.1	62.6
2.1 ऋण की वसूली	14497	17156	15849	118.3	95.4
2.2 अन्य प्राप्तियां	32000	25668	35243	80.2	54.2
3 कुल प्राप्तियां (उधारियों को छोड़कर) (1+2)	1601650	1413096	1428869	88.2	74.0
4 राजस्व व्यय	3011142	2413375	2160701	80.1	92.0
4.1 ब्याज भुगतान	692900	559483	512984	80.7	82.1
5 पूंजी व्यय	439163	405268	304653	92.3	87.3
6 कुल व्यय (4+5)	3450305	2818643	2465354	81.7	91.4
7 राजस्व घाटा (4-1)	1455989	1043103	782924	71.6	156.7
8 राजकोषीय घाटा (6-3)	1848655	1405547	1036485	76.0	135.2
9 सकल प्राथमिक घाटा (8-4.1)	1155755	846064	523501	73.2	369.3

स्रोत : महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और केंद्रीय बजट 2021-22

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(करोड़ ₹)

मद	2019-20	2020		2021				
		मार्च 27	फर. 19	फर. 26	मार्च 5	मार्च 12	मार्च 19	मार्च 26
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	10165	10165	2399	2438	2622	2829	5666	5676
1.2 प्राथमिक व्यापारी	9190	9190	22215	20266	17236	19630	17730	16740
1.3 राज्य सरकारें	8173	8173	52737	49738	43066	37566	29778	13347
1.4 अन्य	48004	48004	76390	73109	71027	63215	57243	52802
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	66419	66419	49607	47294	52588	55695	62948	67473
2.2 प्राथमिक व्यापारी	43302	43302	30630	31476	31277	31599	31161	30966
2.3 राज्य सरकारें	13386	13386	791	786	803	803	803	9436
2.4 अन्य	22465	22465	71344	66900	56745	49642	40211	31800
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	49660	49660	132942	120536	121328	126917	123826	119024
3.2 प्राथमिक व्यापारी	70672	70672	147304	146544	154980	158925	157758	154197
3.3 राज्य सरकारें	11945	11945	15855	18360	18515	18515	18510	18510
3.4 अन्य	70576	70576	159830	175183	170998	167382	168245	174501
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	155112	155112	173627	188361	153745	177412	189666	220351
4.4 अन्य	617	617	457	91	149	423	299	747
कुल खज़ाना बिल								
(14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)#	423957	423957	762044	752630	741185	732718	713880	694471

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं हैं। यह बिल स्वरूप के अनुसार मध्यवर्ती हैं क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए परिसमाप्त किए जाते हैं।

सं. 25: खज़ाना बिलों की नीलामी

(राशि करोड़ ₹ में)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां				स्वीकृत बोलियां				कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)
		संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या	कुल अंकित मूल्य						
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी		प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
91-दिवसीय खज़ाना बिल												
2020-21												
मार्च 3	4000	92	29865	5206	23	3994	5206	9200	99.20	3.2204		
मार्च 10	4000	77	22705	1805	17	3999	1805	5804	99.20	3.2485		
मार्च 17	4000	86	19764	5087	28	3975	5087	9063	99.19	3.2885		
मार्च 24	4000	73	16413	1524	34	3976	1524	5500	99.18	3.3280		
मार्च 30	4000	68	22440	16	13	3984	16	4000	99.18	3.3162		
182-दिवसीय खज़ाना बिल												
2020-21												
मार्च 3	7000	103	34302	0	32	7000	0	7000	98.29	3.4818		
मार्च 10	7000	81	24226	0	27	7000	0	7000	98.29	3.4808		
मार्च 17	7000	85	23079	0	33	7000	0	7000	98.28	3.5198		
मार्च 24	7000	84	23328	8633	14	7000	8633	15632	98.30	3.4698		
मार्च 30	7000	75	21388	0	17	7000	0	7000	98.30	3.4683		
364-दिवसीय खज़ाना बिल												
2020-21												
मार्च 3	8000	98	24871	0	48	8000	0	8000	96.42	3.7231		
मार्च 10	8000	65	13294	0	53	8000	0	8000	96.30	3.8500		
मार्च 17	8000	132	31818	0	40	8000	0	8000	96.31	3.8373		
मार्च 24	8000	152	43077	0	35	8000	0	8000	96.36	3.7874		
मार्च 30	8000	102	24475	0	57	8000	0	8000	96.32	3.8264		

वित्तीय बाजार

सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार		दरों का दायरा	
		भारत औसत दरें	
		उधार लेना/उधार देना	उधार लेना/उधार देना
		1	2
मार्च	1, 2021	1.90-3.50	3.21
मार्च	2, 2021	1.90-3.50	3.20
मार्च	3, 2021	1.90-3.50	3.19
मार्च	4, 2021	1.90-3.50	3.17
मार्च	5, 2021	1.90-3.45	3.15
मार्च	6, 2021	2.55-3.40	2.92
मार्च	8, 2021	1.90-3.40	3.11
मार्च	9, 2021	1.90-3.40	3.17
मार्च	10, 2021	1.90-3.50	3.24
मार्च	12, 2021	1.90-3.50	3.22
मार्च	15, 2021	1.90-3.50	3.24
मार्च	16, 2021	1.90-3.60	3.27
मार्च	17, 2021	2.10-3.50	3.25
मार्च	18, 2021	1.90-3.60	3.26
मार्च	19, 2021	1.90-3.60	3.23
मार्च	20, 2021	2.60-3.20	2.97
मार्च	22, 2021	1.90-3.50	3.27
मार्च	23, 2021	1.90-3.50	3.26
मार्च	24, 2021	1.90-3.60	3.27
मार्च	25, 2021	1.90-3.50	3.24
मार्च	26, 2021	1.90-3.50	3.23
मार्च	30, 2021	1.90-3.50	3.22
मार्च	31, 2021	2.10-3.60	3.29
अप्रै.	3, 2021	2.60-3.35	3.15
अप्रै.	5, 2021	1.90-3.50	3.12
अप्रै.	6, 2021	2.10-3.50	3.13
अप्रै.	7, 2021	1.90-3.50	3.14
अप्रै.	8, 2021	1.90-3.50	3.13
अप्रै.	9, 2021	1.90-3.57	3.15
अप्रै.	12, 2021	1.90-3.50	3.21
अप्रै.	15, 2021	1.90-3.50	3.20

टिप्पणी: नोटिस मुद्रा सहित

सं. 27: जमा प्रमाण-पत्र

मद	2020		2021		
	मार्च 27	फर. 12	फर. 26	मार्च 12	मार्च 26
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	172996.00	58195.00	56390.00	57410.00	80095.00
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (करोड़ ₹)	18290.30	1878.96	4415.32	11372.63	25590.02
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	4.96-8.80	3.62-4.77	3.34-5.12	3.26-5.00	3.28-5.12

सं. 28: वाणिज्यिक पत्र

मद	2020		2021		
	मार्च 31	फर. 15	फर. 28	मार्च 15	मार्च 31
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	344526.95	399404.00	390852.95	403442.70	364374.30
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (करोड़ ₹)	63166.10	88216.10	69500.35	127121.00	96417.25
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	4.88-12.39	3.22-13.52	3.10-12.60	3.16-12.52	3.32-13.37

सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक कारोबार

(करोड़ ₹)

मद	2019-20	2020		2021				
		मार्च 27	फर. 19	फर. 26	मार्च 5	मार्च 12	मार्च 19	मार्च 26
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	26815	23920	13315	16616	12704	14992	16306	25647
2 नोटिस मुद्रा	3660	1904	4956	424	3151	450	5329	575
3 मीयादी मुद्रा	790	1239	499	568	777	754	601	504
4 सीबीएलओ / त्रिपक्षीय रिपो	300691	356209	672716	560631	634152	457326	584134	462956
5 बाजार रिपो	221719	203083	378296	341540	444238	315683	404702	358990
6 कार्पोरेट बांड में रिपो	2468	3670	430	740	2620	9260	492	9399
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	67793	64600	62462	100046	81646	80189	71740	90158
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	93960	41929	36808	38987	36586	47180	38774	55985
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	5800	2699	7626	7647	4744	6130	6934	7252
10 खज़ाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	3720	1848	3028	3166	1675	1855	3983	5756
10.2 182-दिवसीय	2380	1988	3105	2190	2196	4852	5788	2971
10.3 364-दिवसीय	2900	1543	7607	8736	3308	5890	4705	11791
10.4 नकदी प्रबंधन बिल	2310							
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	111070	50006	58173	60726	48509	65907	60183	83755
11.1 भारतीय रिज़र्व बैंक	-	7873	3876	4322	6283	7946	3001	4872

टिप्पणी : मुद्रा बाजार के संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व (सीबीएलओ) खंड को समाप्त किया गया तथा उसके स्थान पर 5 नवंबर 2018 से त्रिपक्षीय रिपो लाया गया।

सं. 30: गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि करोड़ ₹ में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2019-20		2019-20 (अप्रै.-मार्च)		2020-21 (अप्रै.-मार्च)*		मार्च 2019		मार्च 2021*	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 इक्विटी शेयर	72	64926	72	64926	74	102062	7	390	19	6454
1ए प्रीमियम	70	43259	70	43259	73	97648	7	371	18	6216
1.1 पब्लिक	57	9867	57	9867	53	38004	4	16	16	6382
1.1.1 प्रीमियम	55	9434	55	9434	53	34848	4	9	16	6163
1.2 राइट्स	15	55059	15	55059	21	64059	3	374	3	72
1.2.1 प्रीमियम	15	33825	15	33825	20	62800	3	362	2	53
2 अधिमान शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 पब्लिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 राइट्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 बांड और डिबेंचर	34	14984	34	14984	16	5806	2	325	2	900
3.1 परिवर्तनीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 पब्लिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2 राइट्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 अपरिवर्तनीय	34	14984	34	14984	16	5806	2	325	2	900
3.2.1 पब्लिक	34	14984	34	14984	16	5806	2	325	2	900
3.2.2 राइट्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 कुल (1+2+3)	106	79910	106	79910	90	107868	9	715	21	7353
4.1 पब्लिक	91	24851	91	24851	69	43809	6	341	18	7281
4.2 राइट्स	15	55059	15	55059	21	64059	3	374	3	72

टिप्पणी: अप्रैल 2020 से इक्विटी निर्गमों का मासिक डेटा उनकी लिस्टिंग की तारीख के आधार पर संकलित किया गया है।

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)।

* : आंकड़े अनंतिम हैं।

बाह्य क्षेत्र

सं. 31: विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2019-20	2020			2021		
			मार्च	नव.	दिसं.	जन.	फर.	मार्च
		1	2	3	4	5	6	7
1 निर्यात	करोड ₹	2219854	159785	174799	200182	201473	200211	250756
	मिलियन अमरीकी डॉलर	313361	21491	23552	27201	27558	27518	34448
1.1 तेल	करोड ₹	292340	18719	11450	17113	15912	17752	24837
	मिलियन अमरीकी डॉलर	41289	2518	1543	2325	2176	2440	3412
1.2 तेल से इतर	करोड ₹	1927514	141066	163349	183069	185561	182460	225919
	मिलियन अमरीकी डॉलर	272072	18973	22009	24876	25381	25078	31036
2 आयात	करोड ₹	3360954	233988	247857	315251	306697	294983	352191
	मिलियन अमरीकी डॉलर	474709	31471	33742	42837	41950	40544	48383
2.1 तेल	करोड ₹	925168	74705	46525	70561	68899	65673	74768
	मिलियन अमरीकी डॉलर	130550	10048	6302	9588	9424	9026	10271
2.2 तेल से इतर	करोड ₹	2435787	159284	201332	244691	237798	229310	277423
	मिलियन अमरीकी डॉलर	344159	21423	27440	33249	32526	31518	38111
3 व्यापार शेष	करोड ₹	-1141100	-74204	-73058	-115070	-105223	-94771	-101435
	मिलियन अमरीकी डॉलर	-161348	-9980	-10191	-15636	-14393	-13026	-13935
3.1 तेल	करोड ₹	-632828	-55986	-35075	-53448	-52987	-47921	-49931
	मिलियन अमरीकी डॉलर	-89262	-7530	-4759	-7263	-7248	-6586	-6859
3.2 तेल से इतर	करोड ₹	-508273	-18218	-37983	-61622	-52236	-46851	-51504
	मिलियन अमरीकी डॉलर	-72087	-2450	-5432	-8373	-7145	-6439	-7075

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

सं. 32: विदेशी मुद्रा भंडार

मद	इकाई	2020		2021				
		अप्रै. 17	मार्च 12	मार्च 19	मार्च 26	अप्रै. 2	अप्रै. 9	अप्रै. 16
		1	2	3	4	5	6	7
1 कुल भंडार	करोड ₹	3662709	4236881	4222759	4200668	4218115	4343833	4330087
	मिलियन अमरीकी डॉलर	479568	582037	582271	579285	576869	581213	582406
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	करोड ₹	3374844	3938366	3924756	3901003	3922298	4031672	4019056
	मिलियन अमरीकी डॉलर	441884	541022	541179	537953	536438	539455	540585
1.2 स्वर्ण	करोड ₹	249585	251515	251152	253128	248767	263965	262843
	मिलियन अमरीकी डॉलर	32679	34551	34631	34907	34023	35320	35354
	मात्रा (मैट्रिक टन)	653.01	692.51	693.45	694.38	695.31	695.31	695.31
1.3 एसडीआर	एसडीआरएस मिलियन	1045	1049	1049	1049	1049	1049	1049
	करोड ₹	10896	10928	10873	10808	10866	11153	11138
	मिलियन अमरीकी डॉलर	1427	1501	1499	1490	1486	1492	1498
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	करोड ₹	27384	36072	35978	35729	36183	37042	37051
	मिलियन अमरीकी डॉलर	3578	4963	4961	4935	4923	4946	4969

* अंतर यदि कोई हो, तो पूर्णांकन के वजह से हैं।

सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2020-21	2020	2021		2019-20	2020-21
		मार्च	फर.	मार्च	अप्रै.-मार्च	अप्रै.-मार्च
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियां	141895	130581	142354	141895	8627	7365
1.1 एफसीएनआर (बी)	20474	24244	22093	20474	1074	-3770
1.2 एनआर (ई) आरए	102579	90367	101797	102579	5565	8845
1.3 एनआरओ	18842	15969	18464	18842	1988	2290

सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	2020-21	2019-20	2020-21	2020	2021	
		अप्रै.-मार्च	अप्रै.-मार्च	मार्च	फर.	मार्च
	1	2	3	4	5	6
1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)	43366	43013	43366	3974	-2891	1971
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1.1.2)	54665	56006	54665	4937	-1093	2731
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह/सकल निवेश	81722	74390	81722	6293	4310	4592
1.1.1.1.1 इक्विटी	61423	51734	61423	4516	2825	3110
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	948	3265	948	188	36	6
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक	51597	39364	51597	3004	1917	2252
1.1.1.1.1.3 शेयरों की अधिप्राप्ति	7091	7348	7091	1086	633	613
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी	1787	1757	1787	238	238	238
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	16216	14175	16216	1257	1257	1257
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	4082	8482	4082	520	227	225
1.1.1.2 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	27056	18384	27056	1357	5403	1861
1.1.1.2.1 इक्विटी	26993	18212	26993	1354	5397	1834
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	63	173	63	3	6	28
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	11299	12993	11299	963	1797	760
1.1.2.1 इक्विटी पूंजी	5599	7572	5599	614	328	507
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	3232	3151	3232	263	263	263
1.1.2.3 अन्य पूंजी	6780	5674	6780	625	1302	1032
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	4313	3403	4313	539	95	1041
1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)	36843	1403	36843	-14635	2845	3634
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	-	-	-	-	-	-
1.2.2 एफआईआई	38097	552	38097	-14968	2670	3663
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	-	-	-	-	-	-
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	1254	-851	1254	-333	-174	30
1 विदेशी निवेश अंतर्वाह	80209	44417	80209	-10661	-46	5605

सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	2019-20	2020			2021
		जन.	नव.	दिसं.	जन.
	1	2	3	4	5
1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	18760.69	1804.50	942.44	1149.17	1253.63
1.1 जमाराशियां	623.37	55.94	23.32	35.33	40.85
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	86.43	6.67	3.53	5.05	5.64
1.3 इक्विटी / डेट में निवेश	431.41	26.20	25.39	38.76	34.89
1.4 उपहार	1907.71	158.44	110.55	145.15	134.16
1.5 दान	22.33	1.10	0.65	0.67	0.67
1.6 यात्रा	6955.98	712.56	253.26	322.25	356.92
1.7 निकट संबंधियों का रखरखाव	3439.74	310.83	160.81	217.30	216.64
1.8 चिकित्सा उपचार	33.90	2.59	2.92	2.82	2.56
1.9 विदेश में शिक्षा	4991.07	510.26	355.77	373.32	455.51
1.10 अन्य	268.75	19.90	6.24	8.54	5.79

**सं. 36: भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (रीर) और
सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (नीर)**

मद	2019-20	2020-21	2020	2021	
			अप्रैल	मार्च	अप्रैल
	1	2	3	4	5
40- मुद्रा बास्केट (आधार: 2015-16=100)					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 नीर	98.00	93.92	94.00	95.01	92.56
1.2 रीर	103.20	103.49	101.16	104.16	101.48
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 नीर	97.38	93.59	93.50	94.52	92.27
2.2 रीर	102.88	102.97	100.37	103.53	100.89
6- मुद्रा बास्केट (व्यापार-भारित)					
1 आधार : 2015-16=100					
1.1 नीर	94.92	88.47	89.18	88.54	86.52
1.2 रीर	103.60	101.77	100.37	101.49	99.02
2 आधार : 2018-19 =100					
2.1 नीर	100.78	93.93	94.69	94.00	91.86
2.2 रीर	103.30	101.48	100.08	101.20	98.74

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार - पंजीकरण

(राशि अमरीकी मिलियन डॉलर में)

मद	2019-20	2020	2021	
		मार्च	फर.	मार्च
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	1292	115	78	106
1.2 राशि	38011	4959	2077	3883
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	41	8	1	5
2.2 राशि	14921	2478	500	5350
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1333	123	79	111
3.2 राशि	52932	7437	2577	9233
4 भारत औसत परिपक्वता (वर्षों में)	6.00	5.58	8.74	7.35
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 6 महीने के लिबॉर पर भारत औसत मार्जिन या अस्थिर दर के ऋणों के लिए संदर्भ दर	1.34	1.07	2.61	2.19
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-25.00	0.00-10.50	0.00-10.25	0.00-10.69

सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	अक्टू.-दिसं. 2019			अक्टू.-दिसं. 2020 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	316590	294989	21601	337696	305213	32483
1 चालू खाता (1.1+1.2)	162793	165423	-2630	157442	159188	-1746
1.1 पण्य	81245	117285	-36040	77231	111774	-34542
1.2 अदृश्य मदे (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	81548	48138	33410	80211	47414	32796
1.2.1 सेवाएं	55158	33280	21879	53741	30131	23610
1.2.1.1 यात्रा	8545	5569	2977	2170	2833	-664
1.2.1.2 परिवहन	5448	6411	-963	5602	5147	455
1.2.1.3 बीमा	617	549	68	575	577	-2
1.2.1.4 जीएनआईई	157	218	-62	179	260	-82
1.2.1.5 विविध	40391	20533	19859	45216	21314	23901
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	23760	2305	21455	25687	2312	23375
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	11889	12027	-138	12534	12799	-265
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	1183	550	633	1068	1192	-124
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	757	308	449	738	381	357
1.2.2 अंतरण	20827	1935	18893	20757	1498	19258
1.2.2.1 आधिकारिक	50	290	-240	62	298	-236
1.2.2.2 निजी	20777	1645	19132	20695	1200	19494
1.2.3 आय	5562	12923	-7361	5713	15785	-10072
1.2.3.1 निवेश आय	4122	12229	-8107	4179	15070	-10891
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1440	694	746	1534	715	819
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	153192	129566	23626	179536	146025	33511
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	94412	76840	17572	119992	81803	38190
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	19717	9974	9743	28387	11414	16973
2.1.1.1 भारत में	19089	5856	13233	26907	6932	19974
2.1.1.1.1 इक्विटी	11033	5747	5286	21846	6919	14926
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	3590		3590	4398		4398
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	4467	109	4358	663	13	650
2.1.1.2 विदेश में	628	4118	-3490	1480	4482	-3002
2.1.1.2.1 इक्विटी	628	2169	-1541	1480	1963	-483
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	788	-788	0	815	-815
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	1162	-1162	0	1704	-1704
2.1.2 संविभाग निवेश	74695	66866	7829	91605	70388	21217
2.1.2.1 भारत में	71761	63627	8133	91216	69514	21703
2.1.2.1.1 एफआईआई	71761	63627	8133	91216	69514	21703
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	56356	50342	6014	80566	60741	19825
2.1.2.1.1.2 ऋण	15405	13285	2119	10650	8772	1877
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	2934	3239	-304	389	875	-485
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	23041	19907	3135	19517	19354	164
2.2.1 बाह्य सहायता	2511	1243	1268	2567	1383	1184
2.2.1.1 भारत द्वारा	2	28	-26	10	21	-11
2.2.1.2 भारत को	2509	1215	1294	2557	1362	1195
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	11007	7771	3237	6497	7747	-1249
2.2.2.1 भारत द्वारा	2692	2687	5	970	484	486
2.2.2.2 भारत को	8315	5084	3231	5528	7263	-1735
2.2.3 भारत को अल्पावधि	9523	10893	-1370	10453	10224	229
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	9523	10129	-606	9538	10224	-686
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	0	764	-764	915	0	915
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	21012	23336	-2324	21093	28707	-7614
2.3.1 वाणिज्य बैंक	21012	23279	-2266	20700	28707	-8007
2.3.1.1 आस्तियां	5753	7260	-1507	5384	15872	-10489
2.3.1.2 देयताएं	15259	16019	-760	15316	12834	2481
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	14407	13579	828	14151	11183	2969
2.3.2 अन्य	0	58	-58	393	0	393
2.4 रुपया ऋण चुकौती		0	0	0	0	0
2.5 अन्य पूंजी	14726	9483	5243	18934	16162	2772
3 भूल-चूक	605	605	605	718	718	718
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	21601	-21601	0	32483	-32483
4.1 आईएमएफ						
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)		21601	-21601		32483	-32483

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(करोड़ ₹)

मद	अक्टू.-दिसं. 2019			अक्टू.-दिसं. 2020 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	2255004	2101143	153861	2490751	2251168	239583
1 चालू खाता (1.1+1.2)	1159541	1178274	-18733	1161249	1174126	-12877
1.1 पण्य	578694	835399	-256706	569637	824411	-254774
1.2 अदृश्य मर्दे (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	580847	342875	237973	591612	349715	241897
1.2.1 सेवाएं	392882	237044	155838	396378	222240	174138
1.2.1.1 यात्रा	60866	39664	21202	16002	20896	-4894
1.2.1.2 परिवहन	38806	45662	-6856	41322	37963	3359
1.2.1.3 बीमा	4395	3914	481	4238	4254	-16
1.2.1.4 जीएनआईई	1116	1555	-438	1317	1918	-601
1.2.1.5 विविध	287699	146249	141450	333498	157208	176290
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	169238	16420	152819	189459	17051	172408
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	84680	85666	-986	92447	94400	-1953
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	8427	3917	4510	7879	8793	-914
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	5390	2194	3196	5440	2809	2632
1.2.2 अंतरण	148348	13780	134568	153095	11051	142044
1.2.2.1 आधिकारिक	358	2066	-1708	457	2199	-1742
1.2.2.2 निजी	147990	11714	136276	152638	8852	143786
1.2.3 आय	39617	92050	-52433	42139	116425	-74285
1.2.3.1 निवेश आय	29362	87107	-57745	30824	111150	-80326
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	10255	4943	5312	11315	5274	6041
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	1091155	922869	168286	1324209	1077042	247167
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	672478	547315	125163	885030	603352	281678
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	140440	71043	69398	209376	84190	125186
2.1.1.1 भारत में	135969	41710	94259	198458	51132	147326
2.1.1.1.1 इक्विटी	78585	40936	37649	161128	51035	110092
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	25569	0	25569	32436	0	32436
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	31815	774	31041	4894	96	4797
2.1.1.2 विदेश में	4472	29333	-24861	10918	33058	-22140
2.1.1.2.1 इक्विटी	4472	15446	-10975	10918	14479	-3561
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	5611	-5611	0	6010	-6010
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	8276	-8276	0	12570	-12570
2.1.2 संविभाग निवेश	532037	476272	55765	675655	519162	156492
2.1.2.1 भारत में	511136	453204	57933	672784	512712	160072
2.1.2.1.1 एफआईआई	511136	453204	57933	672784	512712	160072
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	401412	358574	42838	594234	448009	146225
2.1.2.1.1.2 ऋण	109725	94630	15095	78550	64703	13847
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	20901	23068	-2168	2871	6450	-3580
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	164119	141790	22329	143955	142748	1207
2.2.1 बाह्य सहायता	17887	8856	9031	18933	10202	8731
2.2.1.1 भारत द्वारा	14	201	-187	71	153	-82
2.2.1.2 भारत को	17873	8655	9218	18862	10049	8813
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	78404	55349	23055	47922	57137	-9214
2.2.2.1 भारत द्वारा	19175	19136	39	7153	3567	3586
2.2.2.2 भारत को	59229	36212	23016	40770	53570	-12800
2.2.3 भारत को अल्पावधि	67829	77586	-9757	77100	75409	1690
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	67829	72147	-4318	70350	75409	-5059
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	0	5439	-5439	6749	0	6749
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	149666	166220	-16553	155574	211734	-56160
2.3.1 वाणिज्य बैंक	149666	165808	-16142	152674	211734	-59060
2.3.1.1 आस्तियां	40978	51709	-10731	39708	117071	-77362
2.3.1.2 देयताएं	108688	114099	-5411	112966	94663	18303
2.3.1.2.1 अनिवासी जमारशियां	102621	96723	5898	104375	82480	21896
2.3.2 अन्य	0	411	-411	2900	0	2900
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	0	0	0	0	0
2.5 अन्य पूंजी	104892	67545	37347	139650	119208	20442
3 भूल-घूक	4308	0	4308	5293	0	5293
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	153861	-153861	0	239583	-239583
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	0	153861	-153861	0	239583	-239583

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 40: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	अक्टू.-दिस. 2019			अक्टू.-दिस. 2020 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	162791	165395	-2605	157438	159161	-1724
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	136404	150565	-14161	130972	141905	-10933
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	81245	117285	-36040	77231	111774	-34542
1.अ.क.1 वीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	80308	110034	-29726	76317	101765	-25448
1.अ.क.2 वाणिज्य के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	938	0	938	914	0	914
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण		7252	-7252		10008	-10008
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	55158	33280	21879	53741	30131	23610
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	76	9	67	49	5	45
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	64	207	-143	38	291	-253
1.अ.ख.3 परिवहन	5448	6411	-963	5602	5147	455
1.अ.ख.4 यात्रा	8545	5569	2977	2170	2833	-664
1.अ.ख.5 निर्माण	734	570	164	619	705	-86
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	617	549	68	575	577	-2
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	1183	550	633	1068	1192	-124
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	184	2197	-2013	359	2297	-1937
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	24592	2712	21880	26498	2810	23688
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	11889	12027	-138	12534	12799	-265
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	535	757	-222	579	768	-190
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	157	218	-62	179	260	-82
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	1134	1503	-369	3471	448	3023
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	5562	12923	-7361	5713	15785	-10072
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1440	694	746	1534	715	819
1.आ.2 निवेश आय	3312	12075	-8764	3188	14720	-11533
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	1369	5760	-4391	1693	9699	-8007
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	28	2435	-2408	67	1974	-1906
1.आ.2.3 अन्य निवेश	138	3868	-3730	130	3046	-2917
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	1777	12	1764	1298	1	1297
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	811	154	657	992	349	642
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	20825	1907	18918	20752	1472	19281
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	20777	1645	19132	20695	1200	19494
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	20062	1189	18873	19969	847	19122
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	715	455	260	725	353	373
1.इ.2 सामान्य सरकार	48	262	-214	58	272	-214
2. पूंजी खाता (2.1+2.2)	108	258	-150	98	265	-167
2.1 अनुत्पादित वित्तर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	19	108	-89	4	109	-105
2.2 पूंजी अंतरण	89	150	-61	94	156	-62
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	153086	150937	2150	179442	178270	1173
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	19717	9974	9743	28387	11414	16973
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	19089	5856	13233	26907	6932	19974
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	14623	5747	8875	26243	6919	19324
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	11033	5747	5286	21846	6919	14926
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	3590		3590	4398		4398
3.1.अ.2 ऋण लिखत	4467	109	4358	663	13	650
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	4467	109	4358	663	13	650
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	628	4118	-3490	1480	4482	-3002
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	628	2956	-2328	1480	2778	-1298
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	628	2169	-1541	1480	1963	-483
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश		788	-788		815	-815
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	1162	-1162	0	1704	-1704
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक		1162	-1162		1704	-1704
3.2 संविभाग निवेश	74695	66866	7829	91605	70388	21217
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	71761	63627	8133	91216	69514	21703
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	56356	50342	6014	80566	60741	19825
3.2.2 ऋण प्रतिभितियां	15405	13285	2119	10650	8772	1877
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	2934	3239	-304	389	875	-485
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	7328	7194	134	9304	12458	-3154
3.4 अन्य निवेश	51346	45302	6044	50146	51526	-1381
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	14407	13637	770	14544	11183	3362
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट म्वमेंट; एनआरजी)	0	58	-58	393	0	393
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	14407	13579	828	14151	11183	2969
3.4.2.3 सामान्य सरकार						
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र						
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूंजी)	20124	18713	1411	15613	26654	-11041
3.4.3अ भारत को ऋण	17430	15998	1431	14633	26150	-11517
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	2694	2715	-21	979	504	475
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	190	660	-469	55	44	11
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	9523	10893	-1370	10453	10224	229
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	7102	1399	5703	9481	3422	6059
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार			0			0
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	21601	-21601	0	32483	-32483
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण						
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए						
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए						
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	21601	-21601	0	32483	-32483
4. कुल आस्तियां / देयताएं	153086	150937	2150	179442	178270	1173
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	82059	70137	11922	118038	83815	34223
4.2 ऋण लिखत	63925	57799	6126	51923	58550	-6627
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	7102	23001	-15898	9481	35904	-26424
5. निवल भूल-चूक	605		605	718		718

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(करोड़ ₹)

मद	अक्टू.-दिसं. 2019			अक्टू.-दिसं. 2020 (प्रा.)		
	जमा	नाम	निवल	जमा	नाम	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	1159525	1178077	-18552	1161217	1173930	-12713
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	971576	1072443	-100867	966014	1046650	-80636
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1.अ.क.3)	578694	835399	-256706	569637	824411	-254774
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	572015	783748	-211733	562893	750592	-187699
1.अ.क.2 वाणिज्य के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	6679	0	6679	6744	0	6744
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	51652	-51652	0	73819	-73819
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	392882	237044	155838	396378	222240	174138
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	543	63	480	364	34	330
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	456	1477	-1021	281	2143	-1863
1.अ.ख.3 परिवहन	38806	45662	-6856	41322	37963	3359
1.अ.ख.4 यात्रा	60866	39664	21202	16002	20896	-4894
1.अ.ख.5 निर्माण	5227	4057	1170	4565	5197	-633
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	4395	3914	481	4238	4254	-16
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	8427	3917	4510	7879	8793	-914
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	1312	15650	-14338	2651	16941	-14290
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	175162	19318	155844	195443	20727	174716
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	84680	85666	-986	92447	94400	-1953
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	3813	5395	-1582	4269	5668	-1398
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	1116	1555	-438	1317	1918	-601
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	8079	10707	-2628	25599	3305	22294
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	39617	92050	-52433	42139	116425	-74285
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	10255	4943	5312	11315	5274	6041
1.आ.2 निवेश आय	23588	86010	-62422	23511	108573	-85062
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	9753	41027	-31274	12484	51538	-59054
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	199	17347	-17148	497	14556	-14059
1.आ.2.3 अन्य निवेश	982	27548	-26566	957	22470	-21513
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	12655	88	12567	9573	9	9564
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	5774	1097	4677	7313	2577	4736
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	148332	13584	134749	153064	10855	142209
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	147990	11714	136276	152638	8852	143786
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और/अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	142897	8471	134426	147287	6249	141038
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	5093	3243	1850	5351	2603	2748
1.इ.2 सामान्य सरकार	342	1869	-1527	426	2003	-1577
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	770	1837	-1068	724	1955	-1232
2.1 अनुयादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नाम) / निस्तरण (जमा)	132	768	-636	32	803	-772
2.2 पूँजी अंतरण	637	1069	-432	692	1152	-460
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	1090402	1075090	15312	1323517	1314866	8651
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1.अ+3.1.आ)	140440	71043	69398	209376	84190	125186
3.1.अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	135969	41710	94259	198458	51132	147326
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	104154	40936	63218	193564	51035	142529
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	78585	40936	37649	161128	51035	110092
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	25569	0	25569	32436	0	32436
3.1.अ.2 ऋण लिखत	31815	774	31041	4894	96	4797
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	31815	774	31041	4894	96	4797
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	4472	29333	-24861	10918	33058	-22140
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	4472	21057	-16585	10918	20489	-9571
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	4472	15446	-10975	10918	14479	-3561
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	5611	-5611	0	6010	-6010
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	8276	-8276	0	12570	-12570
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	8276	-8276	0	12570	-12570
3.2 संविभाग निवेश	532037	476272	55765	675655	519162	156492
3.2.अ भारत में संविभाग निवेश	511136	453204	57933	672784	512712	160072
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	401412	358574	42838	594234	448009	146225
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	109725	94630	15095	78550	64703	13847
3.2.आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	20901	23068	-2168	2871	6450	-3580
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	52196	51239	957	68626	91886	-23260
3.4 अन्य निवेश	365729	322675	43053	369860	380044	-10183
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	102621	97135	5486	107275	82480	24796
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	0	411	-411	2900	0	2900
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	102621	96723	5898	104375	82480	21896
3.4.2.3 सामान्य सरकार	0	0	0	0	0	0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	143336	133289	10047	115154	196593	-81439
3.4.3.अ भारत को ऋण	124147	113952	10195	107930	192873	-84943
3.4.3.आ भारत द्वारा ऋण	19189	19337	-148	7224	3720	3504
3.4.3.इ बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	1355	4699	-3344	404	326	78
3.4.3.उ व्यापार ऋण और अग्रिम	67829	77586	-9757	77100	75409	1690
3.4.3.ड अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	50588	9967	40621	69928	25237	44691
3.4.3.ए विशेष आहरण अधिकार	0	0	0	0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	153861	-153861	0	239583	-239583
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	0	0	0	0	0	0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	153861	-153861	0	239583	-239583
4. कुल आस्तियां / देयताएं	1090402	1075090	15312	1323517	1314866	8651
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	584489	499573	84916	870616	618195	252421
4.2 ऋण लिखत	455325	411689	43636	382973	431851	-48878
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	50588	163828	-113240	69928	264820	-194892
5. निवल भूल-चूक	4308	0	4308	5293	0	5293

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	वित्तीय वर्ष/समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2019-20		2019		2020			
			दिसं.		सितं.		दिसं.	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	182957	418239	179734	426944	188302	455972	191304	480298
1.1 इक्विटी पूंजी और पुनर्निवेशित अर्जन	118442	395426	117163	404393	121516	430742	122814	454640
1.2 अन्य पूंजी	64515	22813	62572	22552	66786	25231	68490	25658
2 संविभाग निवेश	3847	246699	4845	266705	5041	253289	5527	274053
2.1 इक्विटी	602	134778	2619	148859	1906	149095	1732	170630
2.2 ऋण	3246	111921	2226	117846	3136	104194	3795	103423
3 अन्य निवेश	52422	427242	53415	429326	64921	431149	69530	438322
3.1 व्यापार ऋण	1460	104271	2224	105210	2917	102190	3333	102597
3.2 ऋण	6741	179577	6180	177315	9048	180599	10620	183526
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	26011	130761	27099	133331	34864	137519	37343	140683
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	18210	12634	17912	13469	18092	10841	18234	11516
4 रिज़र्व्स	477807		459863		544687		585771	
5 कुल आस्तियां/देयताएं	717033	1092180	697858	1122975	802952	1140410	852131	1192673
6 आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)		-375147		-425117		-337458		-340542

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक - भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि. व 2020-21	2020	2021		विव 2020-21	2020	2021	
			मार्च	फर.			मार्च	मार्च
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. निपटान प्रणाली								
वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 सीसीआईएल प्रचलित प्रणाली (1.1 से 1.3)	27.97	3.14	2.44	2.92	161943141	13808922	15872384	17383479
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.1.1 से 1.1.3)	11.55	1.27	0.95	0.91	110634315	8427404	10901991	11182301
1.1.1 आउटराईट	6.28	0.86	0.47	0.42	10032187	1306083	681845	678873
1.1.2 रेपो	2.84	0.23	0.24	0.26	43751173	3096901	3678988	4362390
1.1.3 त्रि-पक्षीय रिपो	2.43	0.19	0.24	0.23	56850956	4024420	6541158	6141037
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	16.04	1.82	1.44	1.95	48903961	5034489	4629628	5828078
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @	0.38	0.04	0.05	0.06	2404865	347030	340765	373100
बी. भुगतान प्रणाली								
I वित्तीय बाजार आधार-संरचना (एफएमआई)								
1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)	1591.92	118.95	157.70	202.35	105599849	12047221	9050425	12982215
1.1 ग्राहक लेनदेन	1573.47	117.06	156.20	200.70	91008367	10368946	7645510	11427958
1.2 इंटरबैंक लेनदेन	18.45	1.89	1.50	1.65	14591482	1678274	1404916	1554257
II खुदरा								
2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.6)	317851.82	19743.26	30592.16	37208.47	33522150	2831185	2936833	4053692
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @	11.32	0.66	0.92	1.16	623	36	54	72
2.2 एपीबीएस \$	14372.99	1247.79	835.54	1128.83	112747	7951	5369	11086
2.3 आईएमपीएस	32783.47	2168.23	3189.73	3631.44	2941500	201962	275230	327236
2.4 एनएसीएच जमा \$	16449.51	1234.43	815.96	1648.80	1232714	131109	78273	164083
2.5 एनईएफटी	30927.89	2623.70	2821.07	3481.39	25130910	2283665	2152844	3046329
2.6 यूपीआई @	223306.64	12468.45	22928.94	27316.85	4103658	206462	425063	504886
2.6.1 जिसमें से यूएसएसडी@	10.45	0.68	0.82	0.94	172	12	13	15
3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.3)	10440.40	818.06	861.58	1023.06	872399	76126	76497	86351
3.1 भीम आधार पे @	160.84	8.88	9.33	12.92	2580	141	223	346
3.2 एनएसीएच नामे \$	9629.61	791.30	781.07	904.64	868906	75952	76185	85851
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @	649.96	17.88	71.18	105.50	913	33	88	154
4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)	57841.30	5246.70	5067.32	5681.24	1293080	98783	119582	139715
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)	17641.06	1638.57	1613.77	1887.27	630414	50574	60105	72319
4.1.1 पीओएस आधारित \$	8688.81	900.64	863.91	1012.86	280769	26656	27754	33286
4.1.2 अन्य \$	8952.25	737.93	749.87	874.41	349645	23918	32350	39033
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)	40200.24	3608.13	3453.55	3793.97	662667	48209	59478	67396
4.2.1 पीओएस आधारित \$	20805.24	1925.25	2013.95	2240.07	378044	27238	37465	42816
4.2.2 अन्य \$	19395.00	1682.88	1439.60	1553.89	284623	20971	22013	24580
5 प्रीपेड भुगतान लिखत (5.1 से 5.2)	49392.26	3982.85	4519.80	5154.57	197695	15341	18274	21371
5.1 वॉलेट	39987.01	3178.60	3652.79	4182.92	152065	13111	12742	14856
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)	9405.25	804.25	867.00	971.65	45630	2229	5532	6515
5.2.1 पीओएस आधारित \$	437.31	81.02	35.79	42.20	11639	1021	1257	1579
5.2.2 अन्य \$	8967.94	723.23	831.21	929.45	33992	1209	4275	4937
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)	6703.70	710.34	636.07	806.59	5627189	565315	547109	722031
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	6702.53	710.01	636.07	806.59	5625941	565046	547109	722031
6.2 अन्य	1.17	0.33	0.00	0.00	1249	269	-	-
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	442229.48	30501.21	41676.93	49873.93	41512514	3586750	3698295	5023161
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	443821.40	30620.16	41834.63	50076.28	147112363	15633971	12748721	18005375
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	437117.70	29909.81	41198.56	49269.69	141485173	15068656	12201612	17283344

भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि. व. 2020-21	2020	2021		वि. व. 2020-21	2020	2021	
		मार्च	फर.	मार्च		मार्च	फर.	मार्च
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)	252364.97	13830.33	24274.50	32971.49	9089832	520199	931529	1246220
1.1 इंटर-बैंक \$	25130.99	1287.27	2345.81	4852.88	1865484	109624	186602	270764
1.2 इंटर-बैंक \$	227233.98	12543.06	21928.69	28118.60	7224348	410575	744927	975456
2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)	32483.42	2530.83	2900.22	3390.80	41534334	3421077	3999196	4976087
2.1 इंटर-बैंक @	6886	584.09	580.98	707.26	20601554	1595574	2076458	2355028
2.2 इंटर-बैंक @	25597.27	1946.74	2319.24	2683.55	20932780	1825503	1922739	2621059
बी. एटीएम								
3 एटीएम से नकद निकासी (3.1 से 3.3)	60905.79	5444.16	5534.33	6040.00	2889825	248574	259249	285267
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना \$	51.41	7.54	4.98	5.92	2560	360	253	307
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	60602.23	5413.75	5506.07	6007.92	2878025	247429	258100	283955
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	252.15	22.87	23.28	26.16	9239	785	895	1006
4 पीओएस पर नकद निकासी \$ (4.1 से 4.2)	394.60	33.69	21.79	22.38	1532	110	117	119
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	353.33	30.55	19.81	19.49	1483	105	114	114
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	41.27	3.14	1.98	2.90	49	5	3	5
5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @	9460.43	344.98	656.57	763.86	225420	9993	18381	22276
5.1 ईपीएस @	9460.43	344.98	656.57	763.86	225420	9993	18381	22276

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	मार्च 2021	2020	2021	
	तक	मार्च	फर.	मार्च
	1	2	3	4
भुगतान प्रणाली अवसंरचना				
1 कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)	9602.51	8863.07	9556.49	9602.51
1.1 क्रेडिट कार्ड	620.49	577.45	616.47	620.49
1.2 डेबिट कार्ड	8982.02	8285.62	8940.02	8982.02
2 पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)	21951.37	18251.64	21556.23	21951.37
2.1 वॉलेट @	20052.10	17032.85	19733.68	20052.10
2.2 कार्ड @	1899.27	1218.79	1822.56	1899.27
3 एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)	2.39	2.34	2.35	2.39
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम \$	2.14	2.11	2.10	2.14
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम \$	0.25	0.24	0.25	0.25
4 माइक्रो एटीएम की संख्या @	4.04	2.71	3.73	4.04
5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या	47.20	43.71	47.15	47.20
6 भारत क्यूआर @	35.70	20.28	34.92	35.70
7 यूपीआई क्यूआर *	925.22	-	875.86	925.22

@: नवंबर 2019 से नया समावेश

\$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा

* सितंबर 2020 से नया समावेश; केवल स्थिर यूपीआई क्यूआर कोड शामिल है।

नोट: 1. डेटा अनंतिम है।

2. 31 जनवरी 2020 से ईसीएस (डेबिट और क्रेडिट) एनएसीएच के साथ मिल दिया गया है।

3. कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा के परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक ग्रेन्युलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।

4. केवल घरेलू वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन लिया जाता है; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि। इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सपायर्ड कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।

अवसरिक श्रृंखला

सं. 44: लघु बचत

(करोड़ ₹)

योजना		2018-19	2019		2020	
			फर.	दिसं.	जन.	फर.
		1	2	3	4	5
1. लघु बचत	प्राप्तियां	115714	9839	15814	15184	16911
	बकाया	918459	899191	1015010	1030037	1046766
1.1 कुल जमाराशियां	प्राप्तियां	91108	7130	12117	11091	11460
	बकाया	618418	606920	693812	704903	716363
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	31037	2360	3455	3106	2690
	बकाया	140247	134863	150462	153568	156258
1.1.2 एमजीएनआरईजी	प्राप्तियां					
	बकाया					
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	-31	-19	-31	-25	-20
	बकाया	3107	2877	2984	2959	2939
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	53	0	-827	-2	-3
	बकाया	10	-8	-18	-20	-23
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	10967	928	1753	1712	1887
	बकाया	192658	191653	203460	205172	207059
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	13990	1184	2070	2133	2131
	बकाया	55708	54446	69464	71597	73728
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	25000	2451	4296	3999	4494
	बकाया	124292	121687	152622	156621	161115
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	71534	70179	86344	88247	90327
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	5910	5824	6749	6854	6970
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	6901	6910	7328	7397	7464
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	39947	38774	52201	54123	56354
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	10081	215	1401	168	281
	बकाया	102401	101407	114842	115010	115291
1.1.9 डाक घर सावधि मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	11	11	0	0	0
	बकाया	-26	-26	-25	-25	-25
1.1.10 अन्य जमाराशियां	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	21	21	21	21	21
1.2 बचत प्रमाणपत्र	प्राप्तियां	16067	1732	3326	3524	3937
	बकाया	221517	219257	240900	244267	248022
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	11318	1262	2272	2458	2619
	बकाया	98492	94795	110050	112508	115127
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	334	3	0	0	1
	बकाया	263	300	-289	-289	-288
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	-18678	-1609	-971	-1713	-1120
	बकाया	19303	21232	6782	5069	3949
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	23018	2065	2025	2782	2452
	बकाया	93630	91314	113273	116055	118507
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	93	12	0	-1	0
	बकाया	2	-47	-179	-180	-180
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	-18	-1	0	-2	-15
	बकाया	-80	-82	-82	-84	-99
1.2.7 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	9907	11745	11345	11188	11006
1.3 लोक भविष्य निधि	प्राप्तियां	8539	977	371	569	1514
	बकाया	78524	73014	80298	80867	82381

स्रोत : महालेखाकार, पोस्ट और टेलीग्राफ।

टिप्पणी : अप्रैल 2017 से प्राप्तियों का डाटा निवल प्राप्तियों हैं। अर्थात् सकल प्राप्तियाँ माइनस सकल भुगतान

सं. 45: केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2020				2021
	मार्च	जून	सितं	दिसं.	मार्च
	1	2	3	4	5
(क) कुल (₹ करोड़ में)	6486585	6704983	7137069	7357111	7635902
1. वाणिज्य बैंक	40.41	38.98	38.55	37.81	37.77
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.39	0.36	0.34	0.25	0.27
3. बीमाकृत कंपनियां	25.09	26.24	25.33	25.64	25.30
4. म्यूच्युअल फंड	1.43	2.02	2.42	2.62	2.94
5. सहकारी बैंक	1.90	1.86	1.86	1.83	1.82
6. वित्तीय संस्थाएं	0.53	1.19	1.42	1.00	1.00
7. कॉरपोरेट	0.81	0.78	0.94	1.05	1.06
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	2.44	1.79	2.05	2.10	1.87
9. भविष्य निधियां	4.72	4.96	4.77	4.61	4.44
10. भारतीय रिजर्व बैंक	15.13	14.70	15.00	15.71	16.20
11. अन्य	7.17	7.11	7.32	7.37	7.33
11.1 राज्य सरकार	2.05	1.99	1.86	1.76	1.69

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2020				2021
	मार्च	जून	सितं	दिसं.	मार्च
	1	2	3	4	5
(ख) कुल (₹ करोड़ में)	3265990	3393099	3564979	3721573	3879982
1. वाणिज्य बैंक	34.99	33.54	34.60	34.19	33.69
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.76	0.74	0.54	0.36	0.48
3. बीमाकृत कंपनियां	31.63	30.85	30.26	30.25	30.04
4. म्यूच्युअल फंड	1.14	1.74	1.96	1.92	1.82
5. सहकारी बैंक	4.12	4.38	4.19	4.11	4.05
6. वित्तीय संस्थाएं	0.11	1.96	1.92	1.88	1.86
7. कॉरपोरेट	0.30	0.31	0.39	0.45	0.49
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
9. भविष्य निधियां	22.22	21.70	21.31	21.20	22.00
10. भारतीय रिजर्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.81	0.77
11. अन्य	4.71	4.78	4.80	4.82	4.77
11.1 राज्य सरकार	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18

खजाना बिल					
श्रेणी	2020				2021
	मार्च	जून	सितं	दिसं.	मार्च
	1	2	3	4	5
(ग) कुल (₹ करोड़ में)	538409	881362	982286	839729	690646
1. वाणिज्य बैंक	61.06	46.11	53.50	54.75	55.54
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	2.26	1.48	2.16	1.65	2.82
3. बीमाकृत कंपनियां	7.45	4.64	4.06	4.50	5.61
4. म्यूच्युअल फंड	13.24	23.45	19.90	18.98	17.80
5. सहकारी बैंक	2.55	1.95	1.63	1.61	2.43
6. वित्तीय संस्थाएं	0.58	1.67	1.34	1.11	1.24
7. कॉरपोरेट	1.89	1.43	1.63	2.01	3.16
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. भविष्य निधियां	0.02	0.05	0.00	0.09	0.22
10. भारतीय रिजर्व बैंक	0.00	11.27	4.80	0.68	0.49
11. अन्य	10.95	7.95	10.99	14.63	10.70
11.1 राज्य सरकार	6.22	4.35	7.76	13.27	5.98

सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(करोड़ ₹)

मद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (सं.अ.)	2020-21 (ब.अ.)
	1	2	3	4	5	6
1. कुल वितरण	3760611	4265969	4515946	5040747	5875914	6470254
1.1 गतिविधियां	2201287	2537905	2635110	2882758	3486519	3818358
1.1.1 राजस्व	1668250	1878417	2029044	2224367	2708218	2920507
1.1.2 पूंजी	412069	501213	519356	596774	694262	794599
1.1.3 ऋण	120968	158275	86710	61617	84038	103252
1.2 गैर गतिविधियां	1510810	1672646	1812455	2078276	2295105	2556504
1.2.1 राजस्व	1379727	1555239	1741432	1965907	2171963	2421566
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	648091	724448	814757	894520	969344	1091617
1.2.2 पूंजी	127306	115775	69370	111029	121159	132961
1.2.3 ऋण	3777	1632	1654	1340	1984	1977
1.3 अन्य	48514	55417	68381	79713	94290	95393
2. कुल प्राप्तियां	3778049	4288432	4528422	5023352	5779396	6524526
2.1 राजस्व प्राप्तियां	2748374	3132201	3376416	3797731	4338225	4828088
2.1.1 कर प्राप्तियां	2297101	2622145	2978134	3278947	3547958	3951657
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	1440952	1652377	1853859	2030050	2157126	2436871
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	852271	965622	1121189	1246083	1386652	1510287
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	3878	4146	3086	2814	4180	4500
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	451272	510056	398282	518783	790267	876430
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	35779	33220	34224	36273	33272	30911
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	59827	69063	142433	140287	129507	232172
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	16561	20942	42213	44667	62499	18302
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	43266	48122	100219	95621	67008	213870
3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	952410	1064704	997097	1102729	1408183	1409995
3 क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	939662	1046708	989167	1097210	1403250	1405373
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	231090	617123	144792	387091	518093	-----
3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	60472	195816	-144847	325987	190241	-----
3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	708572	429585	844375	710119	885156	-----
3क.2 बाह्य वित्तपोषण	12748	17997	7931	5519	4933	4622
3ख. वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	939662	1046708	989167	1097210	1403250	1405373
3ख.1.1 बाजार उधार (निवल)	673298	689821	794856	795845	962386	1105573
3ख.1.2 लघु बचत (निवल)	80015	35038	71222	88961	213430	213430
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	35261	45688	42351	51004	42900	42529
3ख.1.4 आरक्षित निधियां	-3322	-6436	18423	-18298	-241	2978
3ख.1.5 जमा राशियां और अग्रिम	13470	17792	25138	66289	32949	35987
3ख.1.6 नकद शेष	-17438	-22463	-12476	17395	96518	-54272
3ख.1.7 अन्य	158378	287268	49653	96014	55309	59147
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	12748	17997	7931	5519	4933	4622
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल वितरण	27.3	27.7	26.4	26.6	28.9	28.8
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल प्राप्तियां	27.4	27.9	26.5	26.5	28.4	29.0
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर राजस्व प्राप्तियां	20.0	20.3	19.7	20.0	21.3	21.5
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कर प्राप्तियां	16.7	17.0	17.4	17.3	17.4	17.6
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर सकल वित्तीय घाटा	6.9	6.9	5.8	5.8	6.9	6.3

...: उपलब्ध नहीं। सं.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान

स्रोत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज

सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	मार्च 2021 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	
1	आंध्र प्रदेश	1139	26	2107	26	1360	14
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	-	-	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-
6	गोवा	10	1	-	-	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	-	-	-	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
10	जम्मू और कश्मीर	-	-	711	24	587	2
11	झारखंड	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	243	21	835	20	125	2
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-
16	मणिपुर	-	-	279	30	165	22
17	मेघालय	58	4	-	-	-	-
18	मिज़ोरम	-	-	104	12	-	-
19	नगालैंड	154	24	129	4	145	1
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	703	5	82	3	-	-
23	राजस्थान	-	-	-	-	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	962	25	1556	23	1147	18
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-
28	उत्तरप्रदेश	75	2	-	-	-	-
29	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

सं.48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	मार्च 2021 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	8667	854	--	-
2	अरुणाचल प्रदेश	1684	2	--	-
3	असम	3981	57	--	-
4	बिहार	5832	--	--	-
5	छत्तीसगढ़	4890	--	1	-
6	गोवा	623	314	--	4608
7	गुजरात	5090	502	--	-
8	हरियाणा	807	1261	--	-
9	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	800
10	जम्मू और कश्मीर	--	--	--	-
11	झारखंड	288	--	--	-
12	कर्नाटक	6045	--	--	-
13	केरल	2248	--	--	-
14	मध्य प्रदेश	--	959	--	-
15	महाराष्ट्र	43978	660	--	-
16	मणिपुर	162	105	--	4000
17	मेघालय	755	43	9	-
18	मिजोरम	367	47	--	-
19	नगालैंड	1720	35	--	-
20	उड़ीसा	11694	1523	88	-
21	पुदुचेरी	307	--	--	11665
22	पंजाब	1146	--	8	807
23	राजस्थान	--	--	129	-
24	तमिलनाडु	6937	--	40	2000
25	तेलंगाना	5920	1292	--	17414
26	त्रिपुरा	388	9	--	-
27	उत्तराखंड	970	--	180	-
28	उत्तरप्रदेश	3410	134	--	-
29	पश्चिम बंगाल	9300	608	214	-
	कुल	127208	8405	668	41293

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं

सं. 49: राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियाँ

(करोड़ ₹)

क्र. सं.	राज्य	2018-19		2019-20		2020-21						2020-21 में अब तक कुल राशि उठाई गई है	
		सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	जनवरी		फरवरी		मार्च		सकल	निवल
						सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	आंध्र प्रदेश	30200	23824	42415	33444	3000	2417	3646	1926	-	-1137	50896	41915
2	अरुणाचल प्रदेश	719	693	1366	1287	-	-	-	-	286	286	767	767
3	असम	10595	8089	12906	10996	500	500	3500	3500	2130	1330	15030	14230
4	बिहार	14300	10903	25601	22601	4000	3000	1993	1993	1292	692	27285	24685
5	छत्तीसगढ़	12900	12900	11680	10980	2000	500	1000	1000	2000	2000	13000	10500
6	गोवा	2350	1850	2600	2000	200	200	300	300	500	500	3354	3054
7	गुजरात	36971	27437	38900	28600	1500	500	1500	500	12000	10458	44780	33280
8	हरियाणा	21265	17970	24677	20677	2000	2000	3500	2300	2000	1350	30000	25550
9	हिमाचल प्रदेश	4210	2108	6580	4460	1000	700	1000	820	-	-965	6000	3755
10	जम्मू और कश्मीर	6684	4927	7869	6760	500	21	700	-50	818	239	9328	6020
11	झारखंड	5509	4023	7500	5656	1400	1400	1400	1400	3000	3000	9400	8900
12	कर्नाटक	39600	32183	48500	42500	2000	2000	3000	3000	9000	9000	69000	61900
13	केरल	19500	13984	18073	12617	-	-	2000	-	7000	6000	28566	23066
14	मध्य प्रदेश	20496	15001	22371	16550	2000	1000	11000	11000	10573	6773	45573	38773
15	महाराष्ट्र	20869	3107	48498	32998	-	-1875	1000	-1471	3000	567	69000	50022
16	मणिपुर	970	667	1757	1254	150	-	152	152	120	12	1302	1044
17	मेघालय	1122	863	1344	1070	106	106	-	-	256	256	1777	1587
18	मिज़ोरम	0	-123	900	745	90	50	50	50	30	-97	944	677
19	नगालैंड	822	355	1000	423	-	-	437	437	-	-155	1721	1366
20	उड़ीसा	5500	4500	7500	6500	-	-	-	-1000	-	-500	3000	500
21	पुदुचेरी	825	475	970	470	250	250	150	-100	340	190	1390	790
22	पंजाब	22115	17053	27355	18470	2200	1400	1500	972	7772	7772	32995	23467
23	राजस्थान	33178	20186	39092	24686	3700	3700	8500	6646	5948	1798	57359	44273
24	सिक्किम	1088	795	809	481	204	204	100	100	61	61	1292	1292
25	तमिलनाडु	43125	32278	62425	49826	6500	5875	10000	9700	8477	8477	87977	76796
26	तेलंगाना	26740	22183	37109	30697	3000	2583	2000	770	2250	1437	43784	37365
27	त्रिपुरा	1543	1387	2928	2578	-	-	142	142	61	-124	1916	1631
28	उत्तराखंड	46000	33307	69703	52744	12000	11500	14000	14000	16000	13972	75500	59185
29	उत्तरप्रदेश	6300	5289	5100	4500	500	208	-	-	2000	2000	6200	5208
30	पश्चिम बंगाल	42828	30431	56992	40882	7000	7000	7000	7000	10680	10680	59680	50180
	कुल	478323	348643	634521	487454	55800	45239	79570	65087	107594	85872	798816	651777

- : शून्य

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1

- 1.2 और 6: वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।
- 3.5 और 3.7: वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।
- 4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।
- 4.5, 4.6 और 4.7 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।
- 4.10 से 4.12 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम निलामी दिन से संबंधित है।
- 4.13 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।
- 7.1 और 7.2: विदेशी व्यापार यूएस डॉलर से संबंधित है।

सारणी सं. 2

- 2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।
- 2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियों और अल्पावधि प्रतिभूतियों/बांडों सहित जैसे - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी।

सारणी सं. 4

<http://nsdp.rbi.org.in> के 'रिज़र्व टैम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉर्बर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5

अन्य को विशेष पुर्नवित्त सुविधा, अर्थात् एक्विजम बैंक को 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6

अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकड़े सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।
2.2 : आईएमएफ खाता सं.1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4: आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांड शामिल हैं।

सारणी सं. 8

- एनएम₂ और एनएम₃ में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।
- 2.4: चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।
- 2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

सारणी सं. 9

वित्तीय सस्थाओं में एक्विजम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।
एल₁ और एल₂ मासिक आधार पर और एल₃ तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।
जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

सारणी सं. 13

कालम सं. (1) (2) और (3) में दर्शाये गए आंकड़ें अंतिम (आरआरबीसहित) और कालम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़ें अनंतिम (आरआरबी को छोड़कर) हैं।

सारणी सं. 14

कालम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकड़ें अनंतिम हैं।

सारणी सं. 17

2.1.1: राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।

2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।

4. : आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं. 24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं. 30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।

1: बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।

2: संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं. 32

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांडों में निवेश तथा सार्क स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा और भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक को अंतरित एसडीआर शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिज़र्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यहास को शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रुपी-अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं. 34

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.4 : अनुमान

1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान

‘अन्य पूंजी’ एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी सस्थाओं/शाखाओं के बीच के ऋण संबंधी लेनदेन से संबंधित है।

हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय-अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान-संतुलन के आंकड़ों से मेल न खाएं।

सारणी सं. 35

1.10 : जर्नलों के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं. 36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि या मूल्यहास का संकेतक। 6-मुद्राओंवाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2018-19 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। इससे संबंधित कार्यपद्धति का विवरण बुलेटिन के दिसंबर 2005, अप्रैल 2014 और जनवरी 2021 के अंक में दिया गया है।

सारणी सं. 37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं. 43

भाग I- ए. भुगतान प्रणाली

1.1.3: प्रतिभूति खंड के अंतर्गत त्रिपक्षीय रेपो का परिचालन 05 नवंबर, 2018 से किया गया है।

भाग I-बी भुगतान प्रणाली

4.1.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

4.2.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड अंतरण और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध है।

5.1: माल और सेवाओं की खरीद और वॉलेट के माध्यम से निधि अंतरण शामिल है।

5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।

6.1: तीन ग्रिडों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।

6.2: अन्य 'में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल है जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन केंद्र से संबंधित है।

भाग II- ए अन्य भुगतान चैनल

1: मोबाइल भुगतान -

o बैंकों और यूपीआई ऐप के मोबाइल ऐप के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल है।

o जुलाई 2017 के डेटा में केवल व्यक्तिगत भुगतान और मोबाइल के माध्यम से पहल किए गए, संसाधित और अधिकृत किए गए कॉर्पोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल के माध्यम से शुरू नहीं किए गए हैं, संसाधित और अधिकृत नहीं हैं, को शामिल नहीं किया गया है।

2: इंटरनेट भुगतान --नेटबैंकिंग 'के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट से किया गया वित्तीय लेनदेन शामिल है।

भाग II-बी एटीएम

3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई से किए गए लेनदेन से संबंधित है।

भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना

3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) के एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलएओ को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।

सारणी सं. 45

(-): नगण्य को दर्शाता है।

जून 2016 से टेबल फार्मेट संशोधित किया है, जिसमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों सहित राज्य सरकारों की स्वामित्ववाली प्रतिभूतियाँ और खज़ाना बिलों सहित शामिल है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्वल डिस्कॉ म एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बान्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इसका हिस्सा बहुत कम है।

"अन्य" श्रेणी में राज्य सरकारों, पेंशन निधियां न्यास, संस्थाएं, हिंदू अविभक्त परिवार / वैयक्तिक आदि. शामिल है।

सारणी सं. 46

वर्ष 2011-12 के आधार पर जीडीपी डेटा है। वर्ष 2019-20 का जीडीपी डेटा केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा 29 मई 2020 को जारी राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान से संबंधित है। वर्ष 2020-21 का जीडीपी डेटा केंद्रीय बजट 2020-21 से लिया गया है। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि व्यय को छोड़कर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय।

1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुनःचुकोती सहित) और राज्य सरकार के निवल चुकोती से संबंधित है।

1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।

2: यह डाटा केंद्र और राज्य सरकारों को दिये गये उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते हैं।

3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार है।

3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधारियां शामिल हैं।

3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में किये गये निवल निवेश को दर्शाते हैं।

यह डेटा नए डेटा की उपलब्धता के साथ घटकों में समायोजन के कारण पिछले प्रकाशनों से भिन्न हो सकता है।

3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।

3बी.1.7: वित्तीय संस्थानों, बीमा और पेंशन निधि, प्रेषण, नकदी शेष निवेश लेखा से लिये गये ऋण, खजाना बिलों सहित।

सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी खजाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपादिक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू एमए) दिया जाता है।

राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

-: नगण्य

सारणी सं. 48

समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।

नीलामी खजाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाजारों में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों की खजाना बिल शामिल हैं।

--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी संबंधी अवधारणाएं एवं कार्यप्रणालियां भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी संबंधी व्यापक मार्गदर्शिका (<https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=17618>) में उपलब्ध हैं।

'वर्तमान सांख्यिकी' का टाइम सीरिज डाटा <https://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध है।

विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों (जैसे **भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक**) में उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2021	₹300 एक प्रति (काउंटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित) ₹4,200 (डाक प्रभार सहित एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,150 (एक वर्ष रियायती दर*) ₹3,360 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क - डाक प्रभार सहित@) ₹2,520 (एक वर्ष रियायती दर@)	15 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (डाक प्रभार सहित) 180 अमरीकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकीय हैंडबुक 2019-20	₹550 (सामान्य) ₹600 (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक 2019-20	₹600 (सामान्य) ₹650 (डाक प्रभार सहित) ₹450 (रियायती) ₹500 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्त: 2020-21 के बजटों का अध्ययन	₹600 एक प्रति (काउंटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. रिपोर्ट ऑफ दि कमिटी ऑन फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी (तारापोर समिति की रिपोर्ट II)	₹140 एक प्रति (काउंटर पर) ₹170 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	25 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. बैंकिंग शब्दावली (2012)	₹80 एक प्रति (काउंटर पर) ₹120 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
7. अनुवाद के विविध आयाम (हिंदी)	₹165 एक प्रति (काउंटर पर) ₹205 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
8. बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन: दशा और दिशा (हिंदी)	₹150 एक प्रति (काउंटर पर) ₹200 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
9. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 40, सं. 1, 2019	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
10. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 40, सं. 2, 2019	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
11. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 41, सं. 1, 2020	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
12. पर्सपेक्टिव्स ऑन सेंट्रल बैंकिंग गवर्नर्स; स्पीक (1935-2010) प्लैटिनम जुबिली	₹1400 एक प्रति (काउंटर पर)	50 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)

टिप्पणियां:

- उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।
 - टाइम सीरीज़ डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (<http://dbie.rbi.org.in>)।
 - भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-1997 (4 खंड), वित्तीय संकट के संदर्भ में केन्द्रीय बैंकिंग की चुनौतियां और भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि और वित्त भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।
- * भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- @ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा देने हेतु, घरेलू ग्राहक जो एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, उन्हें 20 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

सामान्य अनुदेश:

1. बिक्री हुई प्रतियां वापस नहीं ली जाएंगी।
2. प्रकाशन कन्साइनमेंट वीपीपी आधार पर नहीं भेजा जाएगा।
3. जहां कहीं रियायती मूल्य का उल्लेख नहीं है, वहां भारत में छात्रों, अध्यापकों/व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी, बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रकाशन के पिछले अंक उपलब्ध नहीं हैं।
4. प्रकाशनों की बिक्री तथा वितरण (सोमवार से शुक्रवार) तक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, आरबीआई, अमर बिल्डिंग, तल मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001 में किया जाएगा। बिक्री अनुभाग का संपर्क नं. 022-2260 3000, विस्तार 4002, ई-मेल: spsdepr@rbi.org.in है।
5. सदस्यता शुल्क मुख्यतः एनईएफटी द्वारा किया जाना चाहिए और अग्रपेपत्र, जिसके साथ एनईएफटी विवरण संलग्न हो, निदेशक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, आरबीआई, अमर बिल्डिंग, तल मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001। एनईएफटी फार्म में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित है:

लाभार्थी का नाम	आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारिबैंक
बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
शाखा तथा पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBIS0MBPA04
खाते का प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8024129-19
प्रेषक से प्राप्तकर्ता की जानकारी	अभिदाता का नाम..... अभिदाता सं.....

6. प्रकाशनों को शीघ्रताशीघ्र भेजने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तथापि मांग अधिक होने पर 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर प्रकाशनों की आपूर्ति की जाएगी। औपचारिकताएं पूरा करने और उसके बाद उपलब्ध प्रकाशनों को भेजने में न्यूनतम एक महीने का समय लगेगा। 'प्रकाशन प्राप्त न होने की शिकायत' **2 महीने के अंदर भेजी जाए।**
7. कृपया अपनी अंशदान संख्या, नाम, पता तथा ई-मेल आईडी spsdepr@rbi.org.in पर मेल करें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें।